अष्टम माला, खंड 51, अंक 1 Friday, 21st July, 1989

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 51 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 21 जुलाई, 1989/30 आषाढ़, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
38	नीचे से 6	उत्तर के आरंभ में "(क)" पढ़िये।
45	नीचे से 14	उत्तर के आरंभ में "(क) और (ख)" पढ़िये।
56	नीचे से 2	"(ख)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
64	7	"मंत्री" शब्द निकाल दीजिये।
	नीचे से 2	शीर्षक में "बड़ीसा" के स्थान पर "उड़ीसा" पढ़िये।
68	1	उत्तर के आरंभ में "(क) से (ङ)" पढ़िये।
75	6	"(ग)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
102	13	"(ख) और (ग)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िये।
115	3	"भावणि" के स्थान पर "मावणि" पढ़िये।
127	11	"मुक मे" के स्थान पर "मुकदमे" पढ़िये।
135	14	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 51, चौवहवां सत्र, 1989/1911 (शक)

अंक 4, शुक्रवार, 21 जुलाई, 1989/30 आषाढ़, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 61 और 64 से 69	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26—175
तारांकित प्रश्न संख्या : 62, 63 और 70 से 80	26—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 576 से 595, 597 से 655, 657 से 664, 666 से 686, 688 से 791 और 793 से 804	35—175
नियम 193 के अधीन चर्चा के बारे में	176—178 और 197—202
भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1989 का संख्या 2)—संघ सरकार—रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध फैक्टरियां) के पैरा 11 तथा 12	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	178—180
वित्तीय समितियां (1988-89)—एक समीक्षा	180
सभा का कार्य	180—184
कार्य-मंत्रणा समिति	
72वां प्रतिवेदन	184—194
उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक	
पुर:स्थापित	195—196
वर्ष 1989 के मौसम के लिए गोला गिरी के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में वक्तव्य	196—197
श्री भजन लाल	196

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सभा की बैठक का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव	202—205
विधवा कल्याण विधेयक	
पुरःस्थापित	205
उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक	206—237
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री शंकर लाल	206
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	208
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	212
श्री बनवारी लाल पुरोहित	215
श्रीमती बसवराजेश्वरी	219
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	221
श्री नारायण चौबे	223
श्री वी० कृष्ण राव	225
श्री लाल विजय प्रताप सिंह	228
श्री हेत राम	230
श्री राम भगत पासवान	233
दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक	237—238
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राजेश पायलट	237
खण्डवार विचार	238
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राजेश पायलट	238

लोक सभा

शुक्रवार, 21 जुलाई, 1989/30 आषाढ़, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

+

*61. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1989-90 के दौरान कुछ रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण के लिए जोन-वार कितने-कितने रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) स्टेशन इमारतों के ढांचे में परिवर्तन सहित रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है और जिसे आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। इसके अलावा, 67 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। वर्ष 1989-90 के दौरान इन आदर्श स्टेशनों सहित स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित की गई कुल राशि लगभग 15 करोड़ रुपए है।

(ग) आधुनिकीकरण एक आनुक्रमिक और सतत् प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत भारतीय रेलों के वे अधिकांश स्टेशन आते हैं जहां पर्याप्त यात्री यातायात होता है। तथापि, एक विवरण संलग्न है जिसमें रेलवे-वार आदर्श स्टेशनों की संख्या दर्शाई गई है।

विवरण

क्रम सं०	रेलवे का नाम	चुने गए स्टेशनों की संख्या
1.	मध्य रेलवे	8
2.	पूर्व रेलवे	7
3.	उत्तर रेलवे	11
4.	पूर्वोत्तर रेलवे	6
5.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5
6.	दक्षिण रेलवे	7
7.	दक्षिण मध्य रेलवे	5
8.	दक्षिण पूर्व रेलवे	9
9.	पश्चिम रेलवे	9
	जोड़ :	67

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आदर्श रेलवे स्टेशन योजना के अन्तर्गत क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अपने उत्तर में उन्होंने बताया है कि आधुनिकीकरण करना एक सतत् और आनुक्रमिक प्रक्रिया है जिसे आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम के अनुसार चलाया जा रहा है। यह बात तो सच है। किन्तु आदर्श स्टेशन परिकल्पना तो एक नई परिकल्पना है जिसका उल्लेख उन्होंने बजट भाषण में भी किया है। मैंने तो आधुनिकीकरण के लिए अलग से किए गए आबंटन के बारे में पूछा था परन्तु उन्होंने दोनों को मिला दिया और कहा कि आदर्श स्टेशनों और आधुनिकीकरण पर व्यय हेतु इस वर्ष के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि आदर्श स्टेशनों की इस नई परिकल्पना के अन्तर्गत क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनका चयन किस प्रकार किया गया है तथा आधुनिकीकरण और आदर्श स्टेशन पर पृथक-पृथक कितना व्यय किया जाएगा। मैं उनका ध्यान उनके बजट भाषण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आदर्श स्टेशनों के रूप में 67 स्टेशनों के विकास पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे किन्तु अब दोनों शीर्षों के अन्तर्गत इस वर्ष केवल 15 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

श्री माधवराव सिंधिया : मेरे विचार से माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इस वर्ष 15 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मेरे विचार से आदर्श स्टेशनों के लिए कुल मंजूरी लगभग उतनी ही है जितनी माननीय सदस्य ने बताई है। किन्तु मैंने इस वर्ष के आबंटन के बारे में बताया है। मैं इस मामले में कोई भ्रम पैदा नहीं कर रहा हूं। स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और कई शीर्ष हैं जिनके अन्तर्गत इन कार्यों पर व्यय के लिए आबंटन किया जाता

है। इसलिए, आधुनिकीकरण और पुनर्वास के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक मद के बारे में अलग से बताना अत्यन्त कठिन है। किन्तु एक ऐसा क्षेत्र है जिसके सम्बन्ध में हम पृथक से बता सकते हैं और वह है आदर्श स्टेशनों पर किया गया व्यय। इसलिए, जहां तक सम्भव हो सका है मैंने अधिक से अधिक क्षेत्रों में किए जाने वाले व्यय के बारे में पृथक से बताने का प्रयत्न किया है। इसलिए, हमने कोई भ्रम पैदा करने का प्रयत्न नहीं किया है। 1989-90 के दौरान यात्री तथा अन्य रेल सुविधाओं पर कुल 68 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। यह राशि छः विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत व्यय की जानी है किन्तु अधिकांश राशि दो योजनाबद्ध शीर्षों अर्थात् भारी सुविधाओं और अन्य विनिर्दिष्ट कार्यों पर व्यय की जानी है। स्टेशनों का आधुनिकीकरण प्रमुख रूप से अन्य विनिर्दिष्ट कार्यों के अन्तर्गत दिया गया है जिसके लिए इस वर्ष लगभग 11 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है किन्तु काफी धन यात्री सुविधाओं पर खर्च किया गया है जो 25 करोड़ रुपए से भी अधिक है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मन्त्री महोदय के उत्तर के अनुसार दक्षिण-पूर्व रेलवे में नौ आदर्श स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। किन-किन स्टेशनों का आदर्श स्टेशनों के रूप में विकास किया जा रहा है और उनमें से कितने स्टेशन उड़ीसा में हैं। उड़ीसा में रेलवे स्टेशनों की खराब स्थिति तथा यात्री सुविधाओं के अभाव को ध्यान में रखते हुए, उड़ीसा में विभिन्न स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके आधुनिकीकरण और विकास के सम्बन्ध में रेल मन्त्रालय के पास क्या प्रस्ताव हैं ?

श्री माधवराव सिंधिया : दक्षिण-पूर्व रेलवे में बिलासपुर, रायपुर, खड़गपुर, विजाग, गोंदिया, दुर्ग, टाटानगर, भुवनेश्वर और रांची का आदर्श स्टेशनों के रूप में चयन किया गया है। भुवनेश्वर आदर्श स्टेशन के लिए कुल 1.63 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और अब तक लगभग 28 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है। इस वर्ष भुवनेश्वर आदर्श स्टेशन पर लगभग 33 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अन्य स्टेशनों के आधुनिकीकरण के बारे में आप क्या कहते हैं ? जैसा कि आप जानते हैं, उड़ीसा, दक्षिण-पूर्व रेलवे के मध्य में स्थित है। वहां पर केवल एक स्टेशन, भुवनेश्वर को विकसित किया जा रहा है। उड़ीसा को उसका वाजिब हिस्सा नहीं मिल रहा है।

श्री माधवराव सिंधिया : इस आदर्श स्टेशन के अतिरिक्त उड़ीसा में विभिन्न रेलवे स्टेशनों को नया रूप दिया जा रहा है, नए स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है और उन्हें सुन्दर बनाया जा रहा है। पुरी स्टेशन को नया रूप दिया जा रहा है, केन्द्रपाड़ा में स्टेशन भवन में परिवर्तन किया जा रहा है, गोपालपाड़ा में भी स्टेशन भवन को नया आकार दिया जा रहा है, और यह काम जारी है और हमने बहरामपुर स्टेशन की ईमारत को भी सुन्दर बनाया है। उड़ीसा में विभिन्न अन्य स्टेशनों का सुधार किया जा रहा है और उनकी संख्या लगभग 18 है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनके नाम दे सकता हूं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मन्त्री महोदय ने स्पष्ट रूप से बताया है कि स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जैसा कि उन्होंने स्वयं बताया है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, किन्तु यह प्रक्रिया तीव्रगामी रेलगाड़ियों की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। हमने हाल ही में दूरदर्शन पर देखा कि सरकार सुपरफास्ट गाड़ी के लिए फ्रांस के साथ बातचीत कर रही है।

अधिकतर दुर्घटनाएं दोषपूर्ण रेल लाइनों तथा जंक्शन बाक्सों के बीच कम दूरी आदि के कारण होती हैं। क्या रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करते समय इन तीव्रगामी रेलगाड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है ? और इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री माधवराव सिंधिया : यह एक विस्तृत प्रश्न है जिसका जवाब भी विस्तृत हो सकता है। यदि माननीय सदस्य मुझे अलग से मिलें तो मैं उन्हें विस्तार से बतला सकता हूं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मेरा छोटा-सा प्रश्न है, आप हां या ना में उत्तर दें।

श्री माधवराव सिंधिया : कुछ सीमा तक हां और अन्य कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में ना।

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो सीधा उत्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह अधूरी नीति है।

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, सरकार ने राज्यों की राजधानियों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है। इस प्रकार से भुवनेश्वर जोकि उड़ीसा राज्य की राजधानी है उसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है और वह उस श्रेणी के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार दक्षिण-पूर्व रेलवे के किसी भी स्टेशन का आधुनिकीकरण नहीं किया गया क्योंकि रेलवे द्वारा सभी राज्यों की राजधानियों को आधुनिक बनाने के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, भुवनेश्वर उस श्रेणी में नहीं आता। भुवनेश्वर दूसरे वर्ग में आता है। इस प्रकार दक्षिण पूर्व रेलवे में एक भी स्टेशन का आधुनिकीकरण नहीं किया गया। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या बहरामपुर-गंजम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि एक ऐसी इमारत का सुधार किया गया जो सुधार योग्य नहीं है। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार बहरामपुर रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के बारे में विचार कर रही है।

श्री माधवराव सिंधिया : जैसाकि मैंने बताया आधुनिकीकरण और सुविधाओं का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और स्वाभाविक है कि कई बार राज्यों की राजधानियां भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाती हैं। किन्तु इस बारे में कोई निश्चित नीति नहीं है कि प्रत्येक राज्य की राजधानी आदर्श स्टेशन कार्यक्रम या आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत आएगी। उनपर सामान्य योजना लागू होगी। इसलिए, भुवनेश्वर को विशेषरूप से चुना गया था, इसलिए नहीं कि यह राज्य की राजधानी है बल्कि इसे उस डिविजन विशेष पर एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था।

जहां तक बहरामपुर का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम कुछ सुधार कार्य कर रहे हैं। जैसाकि मैंने पहले बताया है कि स्टेशनों की इमारतों को आकर्षक बनाया जा रहा है।

श्री ए० वे० वी० वी० महेश्वर राव : महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया धीमी है क्योंकि धन का आबंटन नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ, हैदराबाद-सिकन्दराबाद डिवीजन में, नामपल्ली स्टेशन पर आज तक काम आरम्भ नहीं हुआ क्योंकि धन का आबंटन नहीं किया गया है।

श्री माधव राव सिंधिया : दक्षिण-मध्य रेलवे में लगभग पांच स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में लिया गया है और इन पांच स्टेशनों के लिए लगभग 8,20,00,000 रुपए की राशि मंजूर की गई

है। हैदराबाद स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से एक योजना तैयार की गई है। हैदराबाद स्टेशन पर भी अब काम आरम्भ हो चुका है।

राज्य व्यापार निगम के पास खाद्य तेल का भंडार

+

*64. **श्रीमती वसवराजेश्वरी :**
श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों का रक्षित भंडार बनाने के लिए भारी धन-राशि का निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम को इस कारण कोई घाटा होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जून, 1989 के अन्त में राज्य व्यापार निगम के पास आयातित खाद्य तेलों का स्टाक लगभग 1.56 लाख मी० टन था जिसका मूल्य लगभग 110 करोड़ रु० (सी० आई० एफ०) था।

(ग) एस० टी० सी० द्वारा किये जाने वाले खाद्य तेलों का आयात और प्रचालन सरकारी खाते से किया जाता है तथा सारा बेशी/घाटा सरकार के खाते में डाल दिया जाता है। सरकारी खाते में घाटे की मात्रा, यदि कोई हो तो, उस कीमत पर निर्भर करेगी जिस पर सरकार अन्ततः इन तेलों को जारी करने का निर्णय करती है। इस प्रकार, एस० टी० सी० को कोई घाटा होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती वसवराजेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित खाद्य तेल की किस्में तथा उन देशों के नाम जानना चाहूंगी जिनसे इन्हें आयात किया गया है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार को यह पता लगा है कि जहां तक खाद्य तेल का सम्बन्ध है, बाजार में पहले ही काफी उतार चढ़ाव है; यदि हां, तो क्या सरकार के पास बाजार में स्थिरता लाने का प्रस्ताव है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, हम राज्य व्यापार निगम के माध्यम से विभिन्न देशों से खाद्य तेल आयात कर रहे है। उदाहरण के लिए, हम अमरीका, ब्राजील, अर्जेंटीना तथा यूरोप से सोयाबीन का तेल आयात कर रहे हैं। जहां तक वनस्पति और पी० डी० में उपयोग होने वाले रेपसीड तेल का सम्बन्ध है, हम इसका आयात कनाडा, यूरोप तथा चीन से कर रहे हैं। हम सूरजमुखी के बीजों का तेल अमरीका, अर्जेंटीना और यूरोप से आयात कर रहे हैं। निष्प्रभावित पाम ऑयल मलेशिया से

आयात किया जाता है। आर० बी० डी० पाम आयल तथा आर० बी० डी० पामोलीन मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात होता है।

बाजार में स्थिरता लाना राज्य व्यापार निगम के हाथ में नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए कि इस वर्ष तिलहन का बहुत अधिक उत्पादन हुआ है, उत्पादकों को एक अच्छे बाजार की जरूरत है और वे लाभप्रद मूल्यों की मांग कर रहे हैं। इसलिए हमने बाजार में सारा स्टॉक जारी न करने के बारे में सोचा ऐसा विशेषरूप से वनस्पति इकाईयों के लिए किया तथा खुले बाजार में यह स्टॉक जारी न करने के बारे में भी सोचा क्योंकि उत्पादकों ने यह महसूस किया कि घरेलू उत्पादन से पर्याप्त सप्लाई है और ऐसा करने से मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आ जाएगी। महोदय, इसलिए हमें अपने पास कुछ स्टॉक रखना पड़ा जो वनस्पति इकाईयों को जारी नहीं किया गया था और हमने वनस्पति इकाइयों के लिए राज्य व्यापार निगम के द्वारा जारी होने वाले मूल्य में भी वृद्धि की। इसी कारण हमारे पास स्टॉक है ताकि बाजार में कोई अस्थिरता न रहे।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष भी काफी विदेशी मुद्रा खर्च करके तेल का आयात किया जाए। यदि नहीं, तो सरकार के पास वैकल्पिक योजना क्या है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस वर्ष किसान तिलहन की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन करें ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : हमें सभा के माननीय सदस्यों को एक बार पुनः यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 1988-89 के लिए हमारी योजना के अन्तर्गत 21 लाख मिट्रिक टन से अधिक खाद्य तेल आयात किया जाना था लेकिन हमने 10.5 लाख मिट्रिक टन से थोड़ा अधिक आयात किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमने सोचा कि देश का उत्पादन पर्याप्त है। यह व्यवस्था हमारे नागरिक आपूर्ति विभाग तथा अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के बीच थी, ऐसा तिलहन उत्पादन को देखते हुए किया गया था ताकि हम तिलहन क्षेत्र में किसानों को लाभप्रद मूल्य दे सकें। एक बार फिर, यह सरकार की एक उपलब्धि रही है कि इस देश में एक वास्तविक आयात विकल्प किया गया है। हमने इस सीमा तक आयात में कमी कर दी। यह कमी करने के बाद हमारे पास जो 1 लाख टन से थोड़ा अधिक बचा था, हमने उसे वनस्पति इकाईयों को नहीं दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने स्वयं ही मूल्य बढ़ा दिया, ऐसा यह देखते हुए किया कि वनस्पति इकाईयां अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से और अधिक मूल्य पर खरीद सकती है जोकि जारी होने वाले मूल्य से अधिक है। फिर भी, हमने अब यह निर्णय लिया है कि यदि किसी स्थिति में पामोलीन ऑयल की जरूरत होगी तो हम इसे प्राप्त करने की सोचेंगे अथवा नागरिक आपूर्ति विभाग जो सुझाव देगा उस पर कार्यवाही करेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार फिलहाल खाद्य तेल आयात करने की कोई बड़ी योजना नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : प्रश्न आयातित खाद्य तेलों के मूल्य से सम्बन्धित था।

क्या यह सच है कि लगभग 110 करोड़ मूल्य के आयातित खाद्य तेल के एकत्रित स्टॉक के फलस्वरूप राज्य व्यापार निगम को घाटा होगा ? अब सरकार का यह मत है कि इसमें राज्य व्यापार निगम का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह सरकार के खाते में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा रखे गए अत्यधिक स्टॉक के कारण कोई घाटा होगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मूल्य नीति क्या है और क्या यह भी सच है कि इस मूल्य नीति के कारण मुनाफाखोरी हो रही है

अर्थात् आयातित खाद्य तेल के मूल्य को कम रखकर और फिर मूल्यों को बढ़ाकर खाद्य तेल को उपभोक्ताओं में बहुत अधिक दर पर बेचा जा रहा है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि लाभ के लिए खाद्य तेलों के मूल्य बढ़ाना न कभी सरकार की नीति रही है और न राज्य व्यापार निगम की। इसके विपरीत समय-समय पर खाद्य तेल जिस अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर खरीदे जाते थे, उनमें ढुलाई एवं सेवा प्रभार ही जोड़ा जाता था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हम नागरिक आपूर्ति अभिकरणों अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जो भी सप्लाई करते थे, वह देश में बाजार मूल्य से काफी सस्ता होता था। अतः लाभ कमाने की प्रवृति नहीं थी।

जहां तक राज्य व्यापार निगम की खाद्य तेलों सम्बन्धी मूल्य नीति का सम्बन्ध है, जैसाकि मैंने पहले कहा है, इससे लाभ कमाने के बारे में कभी नहीं सोचा गया। यह नागरिक आपूर्ति अभिकरणों के प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने की वचनबद्धता है। तत्पश्चात् आयात मूल्यों पर खाद्य तेलों का आयात करने के पश्चात् हम सेवा प्रभार, डिब्बा बन्द करने का शुल्क, परिवहन शुल्क तथा अन्य शुल्क जोड़ते हैं। अतः इन सब का हिसाब रखा जाता है और इसे सरकार के खाते में जोड़ दिया जाता है। यह राज्य व्यापार निगम की लाभ कमाने की नीति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मंत्री महोदय ने उत्तर में लिखा है कि 110 रुपये के ऑयल को बहुत दिन से स्टाक में रखा है। अगर ऑयल को चार, छः महीने से ज्यादा स्टाक में रखेंगे तो उसमें से बेड स्मेल आने लग जाती है और वह कंज्यूमर के काम का नहीं रहता है। क्या आपने इस फैक्टर को ध्यान में रखा है? इस तेल की क्वालिटी कैसी है, किस परिस्थिति में वह तेल है? हमारे महाराष्ट्र में तो उसे कोई मुफ्त भी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर उस तेल को कोई नहीं लेगा और वह साबुन वगैरह: के काम में लेना पड़े तो उसमें कितना नुकसान हो सकता है। कहीं ऐसी परिस्थिति तो नहीं है?

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए कि तेल के स्टॉक को उसकी भरमार समझ लिया जाए। ऐसा नहीं है। भंडार 110 करोड़ रुपए अथवा इससे कुछ अधिक मूल्य के तेल का है, जैसाकि माननीय सदस्य द्वारा कहा गया था—यह कच्चे तेल का भंडार है, शोधित तेल का नहीं। माह दर माह इसकी गुणवत्ता में गिरावट आती जाती है। हमने सोयाबीन, रेपसीड के अशोधित स्टाक तथा गंधहीन पाम ऑयल के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय ली है। यदि 8 अथवा 10 माह पश्चात् गंधहीन पाम ऑयल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो इसका उपयोग वसा अम्ल उद्योग द्वारा किया जा सकता है ताकि देश को वसा अम्ल का आयात न करना पड़े और गंधहीन पाम ऑयल का प्रयोग कर लिया जाए।

यह पिछले अक्तूबर से हमारे स्टाक में है। हमने सभी दृष्टिकोणों से इसकी उपयोगिता की अवधि की गणना की है। शोधित किए जाने से पूर्व 8-10 माह तक यह ठीक रहता है। अभी भी इसकी 7 लाख टन की मांग है और हमारा स्टॉक एक लाख टन से कुछ अधिक है। अतः यह बेकार नहीं है। इसे उपभोक्ता के उपयोग के लिए शोधित किया जाएगा। अतः माननीय सदस्य एवं उपभोक्ता

को इस सम्बन्ध में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए । हम इसके बारे में कुछ करेंगे । किन्तु सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि हमारे पास जो भी स्टाक हैं, चाहे उपभोक्ता के लिए अथवा अन्य उपयोग के लिए, हम उसे शोधित करते समय उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए पूरी सावधानी तथा सुरक्षा उपाय अपनाते हैं ।

रेल दुर्घटनाएं

+

*65. श्री डी० बी० पाटिल :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1989 तक की अवधि के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं/पटरी से उतरने की घटनाओं की जोन-वार संख्या कितनी है और इन दुर्घटनाओं में शामिल रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) मृतकों के परिवारजनों और घायल व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) इस दुर्घटनाओं के फलस्वरूप रेलवे की कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए गठित जांच आयोगों/समितियों के क्या निष्कर्ष हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) जनवरी, 1989 से जून, 1989 तक की अवधि के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं, गाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं, इनमें अन्तर्ग्रस्त गाड़ियों तथा मारे गए एवं घायल हुए व्यक्तियों की क्षेत्रवार संख्या इस प्रकार है :—

रेलवे	परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	पटरी से गाड़ी उतरने की घटनाओं की संख्या	अन्तर्ग्रस्त गाड़ियों की सं०	मारे गये तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या								
				यात्री			यात्रियों के अलावा अन्य व्यक्ति			जोड़		
				मारे गए	घायल हुए		मारे गए	घायल हुए		मारे गए	घायल हुए	
					गम्भीर	मामूली		गम्भीर	मामूली		गम्भीर	मामूली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मध्य	41	35	45	61	99	142	111	6	12	72	105	154
पूर्व	36	28	43	6	22	56	2	4	5	8	26	61
उत्तर	38	29	40	—	—	—	12	13	18	12	13	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पूर्वोत्तर	16	8	18	1	1	4	6	9	11	7	10	15
पूर्वोत्तर-सीमा	38	35	39	—	5	23	2	2	3	2	7	26
दक्षिण	26	24	27	—	1	47	—	5	14	—	6	61
दक्षिण मध्य	24	20	26	—	—	1	4	1	1	4	1	2
दक्षिण पूर्व	57	55	58	26	45	62	2	2	4	28	47	66
पश्चिम	26	18	26	—	—	25	49	23	50	49	23	75

नोट : आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) सभी घायलों तथा पहचाने गए मृतकों के निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था कर दी गयी है।

किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि मुआवजे का भुगतान एक न्यायिक प्रक्रिया है और तदर्थ दावा आयुक्तों के निर्णय के अनुसार भुगतान किया जाना है।

(घ) इन गाड़ी दुर्घटनाओं में लगभग 1063 लाख रुपये के मूल्य की रेल सम्पत्ति की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) 291 मामलों में पूछताछ की कार्रवाई पूरी कर ली गई है और 11 मामलों की जांच-पड़ताल अभी चल रही है। अन्तिम निष्कर्षों के अनुसार, 186 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती के कारण, 29 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती के कारण, 42 दुर्घटनाएं रेल उपस्कर की खराबी के कारण, 17 दुर्घटनाएं तोड़फोड़ के कारण तथा अन्य 17 दुर्घटनाएं अन्य कारणों से हुई थीं। यथा आवश्यक समझी गयी उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

श्री डी० बी० पाटिल : जब भी कोई रेल दुर्घटना होती है तो आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि दुर्घटना रेलवे स्टाफ की लापरवाही अथवा सुरक्षा के प्रति सचेत न होने अथवा सुरक्षा प्रबंध में कमियों के कारण हुई है। यह आम धारणा आधारहीन नहीं है। वर्ष 1989 में जनवरी से जून तक छः माह में 302 दुर्घटनाएं हुई हैं। इन 302 मामलों में से 291 मामलों में जांच पूरी की जा चुकी है। प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार यह पाया गया है कि 186 दुर्घटनाएं रेलवे कर्मचारियों की गलती के कारण हुई और 42 दुर्घटनाएं रेलवे उपकरणों की खराबी के कारण हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि रेलवे विभाग की लापरवाही के कारण ये बड़ी दुर्घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं में मरने वाले यात्रियों की संख्या 94 है। यात्रियों के अलावा मरने वाले अन्य व्यक्तियों की संख्या 188 है, जो दुर्घटना के अलावा अन्य कारणों से मरे। यह गम्भीर बात है। यह बात रेल मंत्रालय के रिकार्ड में है कि भारतीय रेल के चल स्टाक एवं ट्रैक का लगभग 20 प्रतिशत भाग तुरंत बदलने योग्य है। किंतु मेरी सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप गम्भीर दुर्घटनाएं हुई हैं। अतः, वे इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, विशेषकर रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होने वाली त्रुटियों को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय करने जा रहे हैं?

11.24 म० पू०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री माधवराव सिंधिया : मैं पूरी विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि रेलवे के कार्य-करण में सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है और यात्रियों एवं गाड़ियों की सुरक्षा के मामले में हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। रेल दुर्घटनाओं को कम करने के हमारे प्रयास सतत हैं और मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं कि इस दिशा में पर्याप्त सफलता मिली है। पिछले चार वर्षों में भारतीय रेलवे में होने वाली दुर्घटनाओं में 32.9 प्रतिशत की कमी हुई है। यात्री-गाड़ियों की होने वाली कुल दुर्घटनाओं की संख्या में लगभग 40 प्रतिशत कमी हुई है। यदि आप दस लाख कि० मी० की यात्रा मान लें, जोकि सही सूचकांक है तो जैसे-जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, स्पष्ट है कि कुछ दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं। किंतु, उसके बावजूद, जैसाकि मैंने कहा दुर्घटनाओं की संख्या में 32 प्रतिशत कमी हुई है। किन्तु यदि आप दस लाख कि० मी० की यात्रा मान लें, जोकि सही सूचकांक है तो इसमें 42 प्रतिशत की

कमी हुई है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने कार्य-निष्पादन से संतुष्ट हैं। इसमें निरन्तर सुधार की आवश्यकता है। अभी भी हमारे पास सुधार की काफी गुंजाइश है। हम समझते हैं कि प्रत्येक दुर्घटना हमारी कुछ कमजोरियां और असफलताएं उजागर करती है और हमारा प्रयास भारतीय रेलवे की उन असफलताओं और कमजोरियों पर विजय पाने का रहता है।

जहां तक रेलवे लाइनों एवं चल स्टाक के नवीकरण का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे पिछले तीन-चार वर्षों के रेलवे बजट का विस्तृत अध्ययन करें। हम सातवीं योजना में प्रतिवर्ष लगभग 4000 कि० म० रेलवे ट्रैक का नवीकरण कर रहे हैं जबकि छठी पंचवर्षीय योजना में यह आंकड़े औसतन 1900 कि० मी० थे। मुझे ठीक से याद है तो हम कुल बजट योजना का लगभग 20 से 23 प्रतिशत ट्रैक के नवीकरण पर और 30 से 33 प्रतिशत चल स्टाक के नवीकरण पर व्यय कर रहे हैं। कुल मिलाकर इन दो शीर्षों के अन्तर्गत हम कुल रेलवे बजट का 50 से 60 प्रतिशत भाग व्यय कर रहे हैं। हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 19300 कि० मी० रेलवे ट्रैक का नवीकरण कर चुके होंगे और सातवीं योजना के शुरू में हमारा यह लक्ष्य था। वर्ष 1995 तक हम 1985 से नवीकरण योग्य जो ट्रैक हमें मिला है उसका पूरा नवीकरण कर चुके होंगे। माननीय सदस्य ने अत्यन्त संगत बात उठाई है, यह बिल्कुल सही है और हम इसके महत्व को समझते हैं। हम अपने बजट के भीतर यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे के कार्यकरण के इन पहलुओं को, जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

जहां तक सुरक्षा में सुधार का सम्बन्ध है जैसाकि मैंने कहा है ट्रैक के नवीकरण, पुलों की मरम्मत, पैनल इंटर लॉकिंग तथा ट्रैक सर्किटिंग आदि आधुनिक प्रौद्योगिकी को शुरू करने पर अधिक बल दिया जा रहा है। रेल दुर्घटना चेतावनी यंत्र को कुछ रेलवे फाटकों पर प्रयोगात्मक रूप में लगाया गया है और यदि यह सफल रहता है तो उसे अन्य रेलवे फाटकों पर भी लगाया जाएगा। बढ़ी हुई रफ्तार से कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। काफी मात्रा में धन इस कार्य के लिए आवंटित किया गया है क्योंकि इसका चल स्टाक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। संचालन श्रेणियों जैसे ड्राइवर और ग्वाइंटसमैन आदि के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षा ली जाती है। यह हमारे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन तथा विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा तैयार की जाती हैं और विशेषकर 45 वर्ष की आयु के पश्चात् इसका कार्यान्वयन किया जाता है। आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और रेलवे मार्ग की गहन जांच भी की जाती है। जैसाकि मैंने विनम्रतापूर्वक कहा है, इसके परिणाम सामने आए हैं, प्रति दस लाख कि० मी० में होने वाली रेल दुर्घटनाओं में लगभग 42 प्रतिशत कमी आई है—और पिछले चार वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं की संख्या में 32 प्रतिशत—लगभग 33 प्रतिशत कमी हुई है। किन्तु जैसा मैंने कहा कि इस दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं, फिर भी हम अपने काम से सन्तुष्ट नहीं हैं, हमें लगता है कि अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है जिसको दूर करने के लिए हमें प्रयास करने हैं और इस क्षेत्र में हमारे प्रयास इसी उत्साह से जारी रहेंगे जितने यह पिछले चार वर्ष में रहे हैं।

श्री डी० जी० पाटिल : उत्तर में कहा गया है कि, "किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि मुआवजे का भुगतान एक न्यायिक प्रक्रिया है और तदर्थ दावा आयुक्तों के निर्णय के अनुसार भुगतान किया जाना है।" यह काम पूरा नहीं हुआ है। यह भी कहा गया है, कि "सभी घायलों तथा पहचाने गये मृतकों के निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था कर दी गयी

है।" मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि मृतकों के निकट सम्बन्धियों को सामान्य तौर पर अधिकतम कितनी राशि दी जा रही है और पहचाने गए मृतकों के निकट सम्बन्धियों को कितनी राशि दी जाएगी।

मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या यात्रियों अथवा गैर-यात्रियों में अनुग्रह राशि में कुछ अन्तर किया गया है।

श्री माधवराव सिन्धिया : गैर-यात्रियों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि रेल अधिनियम के अन्तर्गत यह रेलवे की जिम्मेवारी नहीं हैं; उदाहरण के तौर पर बिना चौकीदार के रेल फाटक के सम्बन्ध में सड़क पर चलने वाले लोगों की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं है। यह जिम्मेदारी रेलवे पर नहीं आती है, किन्तु सड़क पर चलने वालों की है। वास्तव में हमारा रेलवे संभवतः उन चन्द रेलवे में से एक है, जो बिना चौकीदार के रेल फाटक पर हुई दुर्घटनाओं के आंकड़ों को सम्मिलित करते हैं। सामान्यतः विदेशों में रेल दुर्घटनाओं में यह आंकड़े सम्मिलित नहीं किए जाते क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अतः, वास्तव में मुआवजा तभी देय है जब यात्रियों का कोई बहुत ही अपवादस्वरूप मामला हो। मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि 5000 रुपये है, थोड़े समय के लिए अस्पताल में रखने के लिए 1000 रुपए और गम्भीर चोट के मामले में, अधिक समय के लिए रखने पर, 2000 रुपये और साधारण चोट के मामले में 250 रुपये। मैं बार-बार यह कहना चाहता हूं कि अनुग्रह राशि और मुआवजे में अन्तर है। मुआवजा बिल्कुल अलग ही वर्ग है, जो अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि विशेषकर मृत्यु के मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है; हमें देखना पड़ता है कि उत्तराधिकारी कौन हैं और मुआवजा किनको देय है। और इसीलिए तदर्थ दावा आयुक्त राज्य सरकार की सलाह से नियुक्त किया जाता है। अनुग्रह राशि तत्काल खर्चे के लिए दी जाती है ताकि शीघ्र राहत मिले और इसे मुआवजा नहीं समझना चाहिए।। जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है, मृत्यु के मामले में लगभग एक लाख रुपये तक दिया जाता है और गम्भीर चोट के मामले में भी एक लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाता है। किन्तु राशि का निर्धारण तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा किया जाना है जिसको राज्य सरकार से सलाह लेकर नियुक्त किया जाता है। और जिस व्यक्ति को मुआवजा देय है उसको भी तदर्थ दावा आयुक्त निर्धारित करेगा। हमने देखा है कि तदर्थ दावा आयुक्त नियुक्त करने में बहुत समय लगता है और राज्य सरकारों से बहुत सा पत्र व्यवहार करना पड़ता है। कभी-कभी इसमें तीन से छः महीने लगते हैं और फिर मुआवजे के भुगतान में भी बहुत समय लगता है क्योंकि तदर्थ दावा आयुक्त को भी अपना निष्कर्ष लेने में कुछ समय लगता है। इस प्रक्रिया के निवारण और जल्द भुगतान करने के लिए हमने रेल दावा न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव किया था जो संसद के सदनों द्वारा पारित किया गया है। मैं समझता हूं कि संभवतः अगले दो या तीन महीने में रेलवे दावा न्यायाधिकरण स्थापित होगा और सभी नियुक्तियां की जाएंगी। एक बार दावा न्यायाधिकरण स्थापित होने के पश्चात् मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया तेज करने में बहुत सहायता मिलेगी, जिसमें कि हम समझते हैं कि बहुत समय लगता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मद्दोदय, रेल मन्त्री ने यह कहने में बहुत कठिनाई उठाई है कि स्थिति अपेक्षाकृत सुधर गई है यद्यपि उन्होंने कहा कि वे प्रसन्न नहीं हैं। महोदय, वर्ष 1987-88 में 604, दुर्घटनाएं हुई। वर्ष 1989 के पहले 5 महीने में, दुर्घटनाओं की संख्या 302 तक पहुंच गई है। क्या यह सुधार का सूचक है? और मेरी जानकारी में दक्षिण पूर्वी रेलवे में जहां मैं यात्रा करती हूं एक और दुर्घटना हुई है और आंकड़े 57 से 58 तक पहुंच गए हैं। अतः रेल मार्गों की मरम्मत आदि के परिणामों को थोड़ा अधिक महत्व दिया गया है जैसाकि आंकड़ों से स्पष्ट होता है। प्रश्न के (ङ) भाग के उत्तर

में कहा गया है जैसे कि मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि रेल कर्मचारियों की अकुशलता के कारण 186 दुर्घटनाएं हुईं, और रेल उपकरणों के कारण 42 दुर्घटनाएं हुईं। मैं पूछना चाहती हूं कि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा रेल कर्मचारियों की गलती और रेल उपकरणों की गलती में कैसे सूक्ष्म अन्तर किया जाता है। हाल ही में ब्रेक न लगने के कारण हमारे दक्षिण पूर्वी रेलवे में एक दुर्घटना हुई। रेल के डिब्बे कैबिन से टकराए और वे गिर पड़े जिससे लोगों की मृत्यु हो गई। मैं यह जानना चाहती हूं कि यह दुर्घटना किस श्रेणी में आती है क्या यह मशीन की खराबी के कारण हुई अथवा व्यक्ति की गलती के कारण हुई। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मैं यह समझती हूं कि जांच पड़ताल इस प्रकार होती है जिसमें रेलवे द्वारा उनकी अपनी मशीनरी के रख-रखाव और मार्ग में मरम्मत कराने में उनकी गलती को छिपाया जाता है। मैं पूछती हूं कि क्या इस प्रकार से अपनी गलती रेल कर्मचारियों पर डालने की प्रथा को रेल कर्मचारियों के रिक्त स्थानों को भरकर पूरा किया जाएगा।

श्री माधवराव सिन्धिया : मैंने पहले ही अपने उत्तर की भूमिका में कहा है कि यद्यपि रेल दुर्घटनाओं में पिछले 4 वर्ष में 40 प्रतिशत सुधार हुआ है फिर भी हम किसी प्रकार से सन्तुष्ट नहीं हैं। हमारा प्रयास निरन्तर यही है कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हो जाए और प्रक्रिया में निरन्तर सुधार हो। किन्तु मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहता हूं कि हम प्रतिदिन 110 लाख लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। प्रति दिन हम 11,000 रेलगाड़ियां चलाते हैं। हमारे पास दैवी शक्ति नहीं हैं। पूर्ण रूप से दुर्घटना रहित रेलवे असम्भव है। विश्व में अनेक स्थानों पर जहां प्रौद्योगिकी हमारे रेलवे से कहीं अधिक उन्नत है उनका रिकार्ड रेलवे कार्य में विभिन्न क्षेत्रों में दुर्घटनाओं में हमसे बहुत कम है मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। रेल फाटकों में दुर्घटनाओं के मामले में, हमारे यहां केवल 55 दुर्घटनाएं हुईं जिनमें से लगभग आधे या इससे अधिक फाटक बिना किसी कर्मचारी के हैं जो कि रेलवे की जिम्मेवारी नहीं है। फिर भी हम इसको रेल दुर्घटनाओं में सम्मिलित करते हैं। अमरीका में रेल फाटक दुर्घटनाओं की संख्या 6 हजार है। जापान में 700 है। फ्रांसीसी रेलवे के 1987 के नवीनतम आंकड़े 294 रेल फाटक दुर्घटनाएं दिखाते हैं। मैं यह आंकड़े अपने आपको इनकी आड़ में छिपाने के लिए नहीं बता रहा हूं। हम सन्तुष्ट नहीं हैं। भारतीय रेलवे में 55 रेल फाटक दुर्घटनाएं हुईं। मैं नहीं चाहता कि 55 दुर्घटनाएं हों। मैं चाहता हूं कि यह संख्या शून्य अर्थात् एक भी न हो। इसी की ओर हम काम कर रहे हैं। मैं इन आंकड़ों के पीछे छिपना नहीं चाहता हूं। किन्तु मैं पूरी नम्रता से यह कहना चाहता हूं कि हममें कोई दैवी शक्ति नहीं हैं। पूरी तरह से दुर्घटनाओं से मुक्त रेलवे सम्भव नहीं है।

हां, मैं समझता हूं कि जहां मानव कष्ट तथा विपत्ति का सम्बन्ध है, ऐसी स्थिति में आंकड़े बताना उचित नहीं है। किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक यातायात के साधनों का सम्बन्ध है, हम उतने ही यात्रियों को ले जाते हैं जितने यात्री सड़क परिवहन ले जाता है। जहां भारतीय सड़कों पर 40 हजार लोगों की मृत्यु होती है वहां भारतीय रेलवे पर केवल लगभग 200 लोगों की मृत्यु होती है। फिर भी, मैं आंकड़े बताकर अपने आपको बचाना नहीं चाहता हूं। मैं आत्मसंतोष व्यक्त नहीं करना चाहता हूं।

जहां तक रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध है माननीय सदस्या ने पूछा है कि यह वर्गीकरण किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। किस प्रकार दुर्घटनाओं को रेल कर्मचारियों की गलती माना जाता है और किस प्रकार इन्हें रेल उपकरणों की गलती में गिना जाता है। मैं तकनीकी जानकारी

वाला व्यक्ति नहीं हूं। किन्तु तकनीकी लोग इन रेल दुर्घटनाओं की पूछताछ करते हैं। पूछताछ की जाती है। जहां पर मौतें होती हैं तो रेल सुरक्षा आयुक्त को भी जवाब देना पड़ता है। अन्य दुर्घटनाओं में हमारे अपने वरिष्ठ अधिकारी फंस जाते हैं। कुछ मानदण्ड हैं जिनके द्वारा रेल दुर्घटनाओं का वर्गीकरण किया जाता है। मुझे शंका है, कि मैं तकनीकी जानकारी नहीं रखता हूं, कि आपको ठीक प्रकार से बता सकूं कि यह वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। किन्तु यदि आपकी इच्छा है, तो मैं अपने तकनीकी कर्मचारियों और माननीय सदस्य के बीच अपने कार्यालय में बैठक का आयोजन करने को तैयार हूं। निश्चय ही हम माननीय सदस्या को संतुष्ट करेंगे और उनकी हर प्रकार की शंकाओं को दूर करेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : मुझे मन्त्री महोदय की इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि बिना चौकीदार के रेल फाटक पर दुर्घटना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री माधवराव सिन्धिया : मैंने सरकार नहीं कहा, किन्तु रेलवे कहा है।

राव बीरेन्द्र सिंह : रेलवे एक सरकारी संगठन है। क्या यह सच नहीं है कि गांवों में सड़कों पर बने कई रेलवे फाटकों पर आज भी चौकीदार नियुक्त नहीं है? यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में यह जनता पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि वह जैसे चाहें रेलवे लाइनें पार करें। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में रेलवे के सैंकड़ों वर्षों के कार्यकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यक्रम है और वहां कब तक चौकीदार नियुक्त कर दिए जाएंगे तथा क्या यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन व्यक्तियों को मुआवजा भी दे जिनकी ग्रामीण सड़कों पर रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त न होने के कारण जान-माल की हानि हुई है।

श्री माधवराव सिन्धिया : महोदय, विश्व में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां सभी रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त हों। ऐसा सम्भव ही नहीं है और यह हमेशा जरूरी भी नहीं है। सड़क पर चलने वालों की भी कुछ जिम्मेदारी है। यदि आपको दायीं ओर चलना है···(व्यवधान) महोदय, मैं नहीं झुक रहा हूं। मैंने माननीय सदस्य का प्रश्न सुना है और मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। रेलवे में जैसाकि मैंने कहा— मैं रेलवे अधिनियम से उद्धृत कर रहा हूं—सड़क का उपयोग करने वालों की भी कुछ जिम्मेदारी है और होनी चाहिए क्योंकि वे रेलवे फाटक जहां पर चौकीदार नियुक्त नहीं हैं, वे रेलवे के नियन्त्रण में नहीं आते और विश्व में किसी भी देश में सभी रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त नहीं हैं। यह तो ऐसा हुआ कि सड़क के बायीं ओर गाड़ी चलाने वाले को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए जबकि वास्तव में उसे गाड़ी दायीं ओर चलानी चाहिए। सड़क का उपयोग करने वालों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमने रेलवे में जागरूकता आंदोलन शुरू किया है। व्यापक प्रचार से हम सड़क का उपयोग करने वालों को जानकारी देने और उन्हें जागरुक करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि सभी रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करना सम्भव होगा क्योंकि इस पर अधिक नहीं तो 400-500 करोड़ रुपए खर्च तो आएगा ही। जैसाकि मैंने कहा विश्व में किसी भी देश में सभी रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त नहीं है। इसके कुछ मानदण्ड हैं। जहां यातायात एक निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ जाता है वहां रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने के बारे में विभिन्न सम्बद्ध एजेंसियां परस्पर विचार-विनिमय करती हैं। यदि आप उन रेलवे फाटकों पर सुरक्षा की बात करते हैं, जहां चौकीदार नहीं नियुक्त किए गए हैं तो फिर उन रेल फाटकों पर सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते, जहां

चौकीदार नियुक्त हैं ? मैं माननीय सदस्य से यह कहता हूं कि हमें समूचे देश में 60,000 किलोमीटर लम्बी रेल लाइनों के साथ-साथ कांटेदार तार लगानी चाहिए। निश्चय ही यदि माननीय सदस्य इस काम के लिए जरूरी अरबों रुपए का प्रबन्ध हमें कर दे, तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं कि क्या आप मंत्री महोदय के तर्क से संतुष्ट हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मुझे यही कहना है।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या यह अपेक्षा की जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां काफी सड़कें बनाई जा रही हैं, जो लोग रेलवे लाइन पार करना चाहते हैं, वे मंडियों से अपने घर पहुंचने के लिए रेल लाइन पार करने के लिए पूरी रात प्रतीक्षा करें ? क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं कि जहां सड़कें बनाई जा रही हैं, वहां रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त किए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, ठीक है। श्री शोभनाद्रीश्वर राव।

11.44 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, हम जानते हैं कि मंत्री महोदय रेलवे के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। अब इसके कुछ अच्छे परिणाम निकलने के बाद कुछ और क्षेत्रों में भी इन दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ मामलों में दुर्घटनाएं इस कारण से होती हैं कि इंजन ड्राइवर या गार्ड को दिन भर में 10 घण्टे या उससे भी अधिक समय तक काम करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें एक साथ चौबीसों घंटे काम करना पड़ता है। ऐसे मामलों में थकावट और बोझ के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं और उन मामलों में रेलवे प्रशासन के लिए उन अभागे ड्राइवरों और गार्डों को दण्ड देना उचित नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि कुछ समय पहले एक मालगाड़ी बिना गार्ड के चलाई गई थी और उसके पीछे एक यात्री गाड़ी थी और उनकी टक्कर होने से बिहार में भयंकर दुर्घटना हुई। अतः मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इन परिस्थितियों में वह अपने सभी अधिकारियों के लिए कड़े आदेश जारी करें कि इन्जन ड्राइवरों से एक साथ 10 घण्टे से अधिक समय तक काम न लिया जाए।

महोदय, जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है, मैं मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि यह जो अनुग्रह-राशि दी जाती है वह बहुत कम होती है। इस सम्बन्ध में सरकार को निर्णय लेना चाहिए न कि रेलवे को क्योंकि रेलवे एक सरकारी उपक्रम है। निश्चय ही सरकार को यह देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति की मौत रेलवे की गलती के कारण होती है उसकी जान के बदले पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। उसके परिवार को सहायता देते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि वह व्यक्ति जीवित होता तो कितना धन कमा लेता और रेल दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसके परिवार को कितनी हानि हुई है। जब तक सरकार इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखती, मुआवजे की कोई भी राशि पर्याप्त नहीं होगी। दुर्घटनाएं इसी तरह होती रहेंगी। अतः क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, इस पर बड़ी निगरानी रखी जा रही है और कर्मचारी इन्जन ड्राइवरों के काम करने के घण्टों पर ध्यान रख रहे हैं। माननीय सदस्य ने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। मुआवजे के सम्बन्ध में अनुग्रह राशि और मुआवजा राशि के बीच भ्रम नहीं डालना चाहिए। अनुग्रह राशि तत्कालीन खर्चों के लिए दी जाती है। तथापि, माननीय सदस्य के सुझाव बहुत रचनात्मक हैं और हम निश्चय ही उन्हें ध्यान में रखेंगे।

बैंक अधिकारियों के वेतन में संशोधन

*66. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधन के पश्चात् बैंक अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर न्यूनतम और अधिकतम कुल वेतन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा अन्य ऐसे निकायों इत्यादि में वैज्ञानिक तथा तकनीकी अधिकारियों के वेतन के साथ बैंक अधिकारियों के वेतन की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गड़वी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दिनांक 1-1-1987 से लागू बैंक अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम संशोधित वेतन-मान और उनकी कुल परिलब्धियां निम्नानुसार प्रस्तावित हैं :—

*कुल परिलब्धियां

ग्रेड/स्केल	संशोधित वेतन-मान	न्यूनतम	अधिकतम
एक	2100—4020	2715	5324
दो	3060—4390	3889	5715
तीन	4020—4910	4954	6264
चार	4520—5350	5482	6729
पांच	5350—5950	6359	7362
छः	5950—6550	6992	7996
सात	6400—7000	7467	8471

*ऊपर उल्लिखित कुल परिलब्धियों में विभिन्न भत्ते भी शामिल हैं, जैसे 1-11-87 की स्थिति के अनुसार महंगाई भत्ता और स्वीकार्य न्यूनतम/अधिकतम नगर प्रतिपूर्ति भत्ता एवं मकान किराया भत्ता-नगर प्रतिपूर्ति भत्ता शून्य से लेकर 220/- रुपए तक तथा मकान किराया भत्ता 168-375/- रुपए।

2. एक अनुबन्ध संलग्न है जिसमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारियों के वेतन-मान दर्शाए गए हैं।

अनुबन्ध

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारियों के वेतनमान

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

1-1-1986 से लागू

2000—3500 रुपए

2200—4000 रुपए

3000—4500 रुपए

3700—5000 रुपए

4500—5700 रुपए

5100—6300 रुपए

5900—6700 रुपए

5900—7300 रुपए

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

1 जनवरी, 1986 से लागू

वैज्ञानिक	2200—4000 रुपए
वरिष्ठ स्केल	3000—5000 रुपए
सेलेक्सन ग्रेड	3700—5700 रुपए
प्रधान वैज्ञानिक	4500—7300 रुपए
—तदैव—	5900—7300 रुपए

मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, महंगाई भत्ता आदि सरकारी आदेशों के अनुसार।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

अनुसंधान अधिकारी	2200—4000 रुपए

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	3000—4500 रुपए
सहायक निदेशक	3700—5000 रुपए
उप निदेशक	4500—5700 रुपए
महानिदेशक वैज्ञानिक	5900—6700 रुपए
निदेशक	5900—7300 रुपए
महानिदेशक	8000 रुपए (नियत)

डा० जी० विजय रामा राव : महोदय, वेतनमानों में किए गए नवीनतम संशोधनों के अनुसार 4 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। एक लेखापाल को मूल वेतन 2100 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। इसी तरह महाप्रबन्धक का मासिक वेतन 7000 रुपए होगा। इसमें भत्ते तथा अन्य लाभ शामिल नहीं है। किन्तु महोदय संगठित क्षेत्र में जब भी कर्मचारी सरकार पर दबाव डालते हैं, वे तुरन्त उनके वेतन बढ़ा देते हैं। किन्तु असंगठित क्षेत्रों में, विभिन्न संस्थाओं में ठेकेदार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों अथवा अन्य कई क्षेत्रों के कर्मचारियों की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वेतनमानों में किए गए संशोधनों से बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति पर तत्काल कुछ प्रभाव पड़ा है और सामान्य मूल्य सूचकांक पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है।

श्री जी० के० गड़वी : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न कि सामान्य मूल्य सूचकांक और अन्य बातों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संदर्भ में संगत नहीं है। इन संशोधनों को अभी लागू नहीं किया गया है ऐसा केवल प्रस्ताव रखा गया है क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस बारे में स्थगन आदेश जारी किया है इसलिए अभी यह लागू नहीं हुए हैं।

डा० जी० विजय रामा राव : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या शेष बैंकिंग क्षेत्र अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों ने भी सरकार से ऐसी मांग की है। यदि हां, तो इसका राजकोष पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा ?

श्री जी० के० गड़वी : ऐसी मांगें की गई हैं और हम उन पर विचार करते हैं। सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में समझौते किए जाते हैं और उन्हें अनुमोदित किया जाता है। इसी तरह बैंकों के सम्बन्ध में भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और श्रेणी-1 से नीचे के अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत निर्णय लिया जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बैंक अधिकारियों के वेतनों और भत्तों में संशोधन के मामले में सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक, जोकि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, के अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के बीच पक्षपात क्यों किया है ? क्या वह नहीं जानते कि इस पक्षपात के कारण, वहां बहुत असंतोष है और वास्तव में स्टेट बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों के अधिकारी 11 अगस्त को एक दिन की हड़ताल करके अपना विरोध प्रगट करने पर विचार कर रहे हैं ? आपने यह किया है कि स्टेट बैंक के अधिकारियों को नए वेतनमान के अन्तर्गत 459 रुपए तक का लाभ दिया क्यों है जबकि अन्य बैंकों में अधिकारियों को कोई उचित लाभ नहीं दिया गया है। और आप यह सुनकर चकित होंगे कि नए समझौतों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों में महिला अधिकारियों को यहां तक कि प्रसूति फायदों, वे

सुविधाएं जो उन्हें दी जा रही थी, उनसे भी वंचित रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आया कि इस प्रकार की बात कैसे की जा सकती है। बीमारी की छुट्टी को समाप्त कर दिया गया है, महिला अधिकारियों के लिए प्रसूति फायदे समाप्त कर दिए गए हैं और उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं दिया जाता जबकि स्टेट बैंक के अधिकारियों को ये सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। इस अनावश्यक भेदभाव के कारण उन्होंने यह संकट पैदा किया है और बैंक अधिकारियों का एक वर्ग 11 अगस्त को हड़ताल कर रहा है। अतः उन्हें इस मामले पर गौर करना चाहिए और कुछ करना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मातृत्व को ही समाप्त नहीं कर दिया है।

श्री वी० के० गड़वी : जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है, उन्हें एसोसिएशनों ने स्वीकार कर लिया है। इस पर इण्डियन बैंक एसोसिएशन और अन्य के बीच अन्तिम रूप से चर्चा की गई है और उन सभी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और उनके समझौते के अनुसार इस निर्णय पर पहुंचा जा सका है। अतः स्टेट बैंक के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि इसमें कोई भेदभाव किया गया है। अधिकारी एसोसिएशनों के साथ परामर्श करके ही ये समझौते सम्पन्न हुए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इस प्रकार उलझा नहीं सकते। सभी बैंक अधिकारियों के साथ समझौता करने के बाद, भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को ही उन्होंने कुछ अतिरिक्त फायदे दिए हैं···

(व्यवधान)

श्री वी० के० गड़वी : महोदय, अधिकारियों की विभिन्न एसोसिएशनों के बीच समझौता होने के बाद वेतनमानों में संशोधन किया गया है। यही मैंने कहा है, और वे इससे सहमत हो गए हैं।

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, यदि भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों को समझौता हो जाने के बाद कुछ विशेष लाभ दिए गए हैं, तो हम उनकी जांच करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप प्रसूति सम्बन्धी फायदे समाप्त कर सकते हैं तो कल आप प्रसव को भी समाप्त कर देंगे।

श्री हेत राम : बैंकिंग उद्योग में कार्य करने वाले अधिकारियों के कर्त्तव्य एक जैसे ही हैं चाहे भारतीय रिजर्व बैंक हो, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हो अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक हों या गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक हों, और उनके वेतनमान भी एक जैसे होने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों से अधिक वेतन ले रहे हैं जबकि भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी, राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारियों से अधिक वेतन ले रहे हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों से अधिक वेतन ले रहे हैं। इस बात को देखते हुए, समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

श्री वी० के० गड़वी : महोदय, यह अनुसूचित बैंकों के अधिकारियों के वेतन संशोधन का मामला है और इस बारे में समझौता हो गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मिलित करने का कोई

प्रश्न ही नहीं है। इण्डियन बैंक एसोसिएशन इसमें सम्मिलित रही है और मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को बताना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय स्टेट बैंक का सम्बन्ध है, सरकार ने उन्हें यह कहा है कि इसमें भेदभाव न किया जाए। हमने भारतीय स्टेट बैंक को पहले ही बता दिया है कि भेदभाव न किया जाए और वे अपने अधिकारियों को कुछ और लाभ दें।

भारत सहायता संघ की बैठक

+

***67. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**
डा० दत्ता सामंत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सहायता संघ की 19 जून, 1989 को पेरिस में हुई बैठक में भारत द्वारा कौन से विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे;

(ख) बैठक में भारत द्वारा कितनी सहायता की मांग की गई और कितनी सहायता मंजूर की गई और इस सहायता की शर्तें क्या हैं;

(ग) गत दो वर्षों की तुलना में यह सहायता कितनी है और इससे देश के वित्तीय घाटे को कम करने में कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें इस सहायता का उपयोग किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) 19-20 जून, 1989 को पैरिस में आयोजित भारत संघ की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पिछले वर्ष के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति और तत्काल एवं मध्यम-कालिक भविष्य के लिए हमारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों से सदस्यों को अवगत कराया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विदेशी सहायता, विशेषकर भारत को अपने विकास लक्ष्यों में सहायता देने के लिए, रियायती शर्तों पर सहायता की भूमिका पर भी जोर दिया।

(ख) और (ग) भारत सरकार की यह प्रथा नहीं रही है कि वह सहायता की सुनिश्चित राशि के बारे में कोई विशिष्ट अनुरोध करे, क्योंकि भारत संघ एक ऐसा समूह है, जिसकी स्थापना विश्व बैंक की पहल पर की गई है, ताकि देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में भारत को सहायता की उपलब्धता पर विचार किया जा सके। बैठक में सूचित की गई सहायता सम्बन्धी कुल वचनबद्धता वर्ष 1989-90 के लिए लगभग 6.7 अरब अमेरिकी डालर है, जबकि ये वचनबद्धताएं 1987-88 और 1988-89 के लिए क्रमशः 5.4 अरब अमेरिकी डालर और 6.3 अरब अमेरिकी डालर की थीं।

(घ) ऐसी परियोजनाओं के ब्यौरे, जिनके लिए इस सहायता का उपयोग किए जाने की सम्भावना है, का निर्धारण वर्ष के दौरान प्रत्येक दाता एजेंसी के साथ सहायता सम्बन्धी वार्ताओं को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : महोदय, क्या मैं माननीय मन्त्री से यह पूछ सकता हूं कि भारत

सहायता संघ की बैठक में भारतीय शिष्टमण्डल में कौन-कौन से सदस्य थे और इसका नेतृत्व किसने किया था ? गत दो वर्षों की तुलना में, वर्ष 1989-90 के लिए यह सहायता लगभग 6.7 अरब अमरीकी डालर है जोकि मामूली अधिक है। मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में, स्पष्ट रूप से किसी विशेष आवंटन का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस सहायता का अधिकतर हिस्सा कृषि विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए इससे ग्रामीण जनता की सहायता होगी।

श्री बी० के० गड़बी : महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि अब तक, हमने उन परियोजनाओं के ब्यौरे के बारे में पता नहीं लगाया है जिनमें इस सहायता का उपयोग किए जाने की सम्भावना है और इसके बारे में केवल तभी पता लगाया जाएगा जबकि वर्ष के दौरान सहायता के लिए बातचीत को अन्तिम रूप दिया जाए। इसीलिए अभी से उसके लिए यह कहना असामयिक होगा कि हम कौन-सी परियोजनाएं शुरू करेंगे।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत को नावाजिब व्यापार करनेवाला राष्ट्र घोषित किया जाना

+

*68. **श्री बृजमोहन महन्ती** :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार अधिनियम की धारा "सुपर 301" के अन्तर्गत भारत को नावाजिब व्यापार करने वाला राष्ट्र घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसका भारत-अमरीका व्यापार सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

यू० एस० आम्नीबेस ट्रेड एण्ड कम्पीटीटिवनेस एक्ट, 1988 के "सुपर 301" प्रावधान के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने इस एक्ट के तहत कार्यवाही करने के लिए भारत, ब्राजील तथा जापान को "प्रायरिटी देशों" के रूप में चुना है। यू० एस० ट्रेड एक्ट की धारा 301 में यह प्रावधान है कि यू० एस० ट्रेड रिप्रिजेन्टेटिव प्रतिकारी कार्यवाही कर सकते हैं जब अमरीका के अधिकारियों की दृष्टि में व्यापार करने वाले उनके पार्टनर की कोई भी नीति या प्रैक्टिस अनुचित अथवा न्याय विरुद्ध हो या किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप नहीं हो। जहां ऐसा पाया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है तो

ऐसे मामले में प्रतिकारी कार्यवाही अनिवार्य है और अन्य मामले विवेकाधीन हो सकते हैं। प्रतिकारी कार्यवाही कई रूपों में हो सकती है जैसे शुल्क लगाना या वस्तुओं पर आयात सम्बन्धी अन्य प्रतिबन्ध लगाना या सम्बन्धित देश की सेवाओं पर शुल्क अथवा प्रतिबन्ध लगाना।

भारत के सम्बन्ध में अभिज्ञात "प्रायरिटी प्रैक्टिसिज" हैं :- व्यापार सम्बन्धी पूंजी निवेश के बारे में ऐसे उपाय जो निवेश को वर्जित करते हैं या प्रतिबन्धित करते हैं (विदेशी इक्विटी में भाग लेने, निर्यात और स्थानीय आवश्यकताओं आदि को सीमित करते हैं; और (2) सेवाओं के व्यापार में अवरोध, विशेषकर विदेशी बीमा कम्पनियों के लिए भारतीय बीमा बाजार का बन्द करना। दिनांक 16 जून, 1989 को अमरीकी व्यापार प्रतिनिधियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रायरिटी प्रैक्टिसिज की जांच आरम्भ कर दी है कि उन पर ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत कार्यवाही अपेक्षित है या नहीं। एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रैक्टिसिज के अनौचित्य का निर्धारण सामान्यतया जांच प्रारम्भ होने की तारीख के बाद 12 महीनों के अन्दर किया जाना है।

इस समय यह कहना कठिन है कि संयुक्त राज्य अमरीका भारत के विरुद्ध अन्ततः क्या कदम उठायेगा। लेकिन अपने कानून के अन्तर्गत जांच आरम्भ करके संयुक्त राज्य अमरीका ने उस देश को किए जाने वाले निर्यात व्यापार में कुछ अनिश्चितता ला दी है। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने सुपर 301 के निर्णय के सम्बन्ध में बातचीत के लिए हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। लेकिन हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार प्रतिकारी कार्यवाही के दबाव में आकर किसी बातचीत में भाग नहीं लेगा। हमने गाट और उरुग्वे राउंड की वार्ताओं से सम्बन्धित विभिन्न ग्रुपों को भी प्रत्येक अवसर पर अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया है। भारत के दृष्टिकोण को व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है और अमरीका की कार्यवाही की विकसित और विकासशील दोनों देशों ने आलोचना की है। हमें आशा है कि विश्व मत का दबाव संयुक्त राज्य अमरीका को एक पक्षीय कार्यवाही करने से रोकेगा और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जायेगा जिससे भारत-अमरीका व्यापार सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, बुनियादी प्रश्न देश की आर्थिक स्वतन्त्रता और अपनी परिस्थिति के अनुकूल आर्थिक नीति निर्धारित करने के विकल्प के बारे में है। परन्तु दुर्भाग्यवश, अमरीका द्वारा मुक्त व्यापार, बाजारों में आसानी से पहुंच और स्वतन्त्र उद्यम शुरू करने पर दबाव दिया जा रहा है। भारत को अपने देश की किन्हीं भी बुनियादी नीतियों के बारे में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करना चाहिए। हमें इसके लिए माननीय मंत्री से आश्वासन मिलना चाहिए। प्रधान मंत्री ने भी कर्नाटक में इसे स्पष्ट किया था। लेकिन मुझे आशंका है क्योंकि देश में गैर-सरकारी क्षेत्र विभिन्न तरीकों से सरकार पर दबाव डाल रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में कुछ समझौता किया जाए ताकि भारत में संयुक्त निवेश के लिए उन्हें बेहतर अवसर मिल सके, अमरीका द्वारा जो नई नीति तैयार की गई है कि उन्हें सहायता अथवा ऋण द्वारा ही निवेश नहीं करना चाहिए लेकिन भारतीय, गैर-सरकारी उद्यम के साथ सहयोग द्वारा निवेश करना चाहिए और इस प्रकार वे सरकार पर भी दबाव डाल रहे हैं।

अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति पर कायम रहेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वे कौनसे देश हैं जिन्होंने उरुग्वे की चर्चा में हमारा समर्थन किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : महोदय, मैं माननीय मंत्री के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि

सरकार को अपनी घरेलू नीतियों को निर्धारित करते समय विदेशी दबाव में नहीं आना चाहिए और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार अपनी नीति निर्धारित करते समय किसी बाहरी दबाव में नहीं आएगी।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। उरुग्वे वार्ता में किन देशों ने हमारा समर्थन किया है ?

श्री दिनेश सिंह : "सुपर 301" के मामले में भारत के दृष्टिकोण का बड़ी संख्या में विकसित और विकासशील देशों ने समर्थन किया है। वास्तव में, किसी भी देश ने संयुक्त राज्य अमरीका का समर्थन नहीं किया है।

श्री बृजमोहन महन्ती : यदि आपके पास इसकी सूचना है तो कृपया जिन देशों ने हमारा समर्थन किया है आप उनकी सूची दीजिए।

श्री दिनेश सिंह : मैं कह रहा हूं कि किसी भी देश ने संयुक्त राज्य अमरीका का समर्थन नहीं किया है। अतः आपको यह मानना चाहिए कि अन्य सभी ने हमारा समर्थन किया है।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण

*69. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों की कुल राशि कितनी है;

(ख) क्या इस योजना के कार्यान्वयन, इसके प्रभाव और शिक्षित बेरोजगार को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने में इसकी लाभप्रदता, आदि का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन के क्या निष्कर्ष हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) शिक्षित बेरोजगार युवाओं की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान क्रमशः 469.91 करोड़ रुपए, 259.76 करोड़ रुपए और 394.78* करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

(ख) और (ग) शिक्षित बेरोजगार युवाओं की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 1985-86 और 1986-87 के दौरान मंजूर किए गए ऋणों के उपयोग के बारे में पता लगाने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने देशभर के 2181 हिताधिकारियों का नमूना सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष

*आंकड़े अनन्तिम।

नीचे दिए गए हैं :—

1. 1465 मामलों में परिसंपत्तियां अच्छी स्थिति में पाई गई जो 67.2 प्रतिशत बैठता है।

2. 1298 मामलों में नियमित रूप से आय हुई जो 59.5 प्रतिशत बैठता है।

3. निधियों के दुरुपयोग या किए गए निवेश पर नियमित/पर्याप्त आय न होने के निम्नलिखित मूख्य कारण थे :

   (i) हिताधिकारियों की कुशलता/अभिरुचि, चुने गए कार्य की तकनीकी और वित्तीय सम्भावना पर विचार किए बिना हिताधिकारी/कार्य का प्रवन, उचित विपणन और अन्य आधारभूत सहायता का न होना।

   (ii) उपकरणों से परिचित होने के वास्ते प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी के कारण परिसंपत्तियों का ठीक ढंग से रखरखाव न किया जाना, इकाइयों को लाभप्रद वाणिज्यिक कार्यों के रूप में चलाने के लिए क्षमता की कमी।

   (iii) दूसरे कार्यों को शुरू करना, कारबार का स्थानान्तरण करना, परियोजना का परित्याग करना आदि।

   (iv) उपयुक्त स्थान/शेड, बिजली आदि की व्यवस्था करने में देरी।

सर्वेक्षण के निष्कर्षउपचारात्मक कार्रवाई के वास्ते बैंकों और राज्य सरकारों की जानकारी में लाए गए हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में, जिस स्तर पर, कलैक्टर, संसद सदस्यों और विधायकों के साथ समय-समय पर बैठकें हो रही हैं। लेकिन शहरी निर्धन लोगों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम के सम्बन्ध में, इस प्रकार की कोई समीक्षा नहीं की जा रही है। अतः क्या सरकार शहरी निर्धन लोगों के लिए इस प्रकार के स्व-रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कुछ समीक्षा बैठक आमांत्रित करने के लिए सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उपयुक्त अनुदेश जारी करेगी ?

श्री बी० के० गढ़वी : हम निश्चित रूप से निगरानी कर रहे हैं। हम उसका मूल्यांकन करेंगे।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : शिक्षित बेरोजगार युवाओं की स्व-रोजगार योजना के सम्बन्ध में, ऐसा हो रहा है कि लाभान्वित युवकों तथा योजना के चयन की प्रक्रिया के दौरान बैंक प्रबन्धक उपस्थित होता है। लेकिन लाभान्वित युवकों के चयन के बाद, बैंक प्रबन्धक यह आपत्ति उठाता है और कहता है कि यह योजना संभव नहीं है, जबकि वह प्रारम्भिक स्तर पर वहां उपस्थित होता है। क्या सरकार इस तथ्य पर ध्यान देगी और सभी बैंकिंग संस्थानों को अनुदेश जारी करेगी कि वे इन योजनाओं के बारे में निश्चित करे क्योंकि बैंक प्रबन्धक कार्यवाही शुरू होने के समय उपस्थित होते है ?

श्री बी० के० गढ़वी : हम जानते हैं कि इसके बारे में कुछ शिकायतें है। हमें कुछ शिकायतें मिली

हैं और हमने इसके बारे में सोचा है और इसीलिए, हम दो महीने के अन्दर निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आंध्र प्रदेश को भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम से सहायता

*62. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम की आंध्र प्रदेश खनन खनिज निगम की बेटेरीज, ग्रेनाइट, बौक्साइट तथा अन्य खनिजों के उत्पादन एवं विक्रय में सहायता करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई बातचीत की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने आन्ध्र प्रदेश खनिज विकास निगम से बैराइट्स की बिक्री में उन्हें सहायता देने के लिए एक समझौता किया है । भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने आन्ध्र प्रदेश खनिज विकास निगम को बैराइट्स के निर्यात उत्पादन के लिए अगस्त, 1984 से फरवरी, 1988 तक 2.32 करोड़ रुपए के ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की ।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम ने ग्रेनाइट खानों के विकास के लिए 83 लाख रुपए और बैराइटस की खानों के मशीनीकरण के लिए 85 लाख रुपए के ऋण की मांग की है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि

*63. **श्री कमल चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1989 को (आधार 1960 : 100) औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी 1 जुलाई, 1989 से महंगाई भत्ते की एक और किस्त के हकदार हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा अगली देय किस्त की मंजूरी के आदेश कब तक जारी किए जायेंगे तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की कितनी बढ़ी हुई राशि मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित महंगाई भत्ता फार्मूला के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मूल्य वृद्धि के लिए मुआवजा 608 के औसत सूचकांक से अधिक पर प्रति वर्ष जून और दिसम्बर को समाप्त होने वाली अवधियों के लिए औद्योगिक कामगारों (सामान्य) (आधार=1960 =100) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारह महीनों के औसत में पूर्णांकों में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर वर्ष में दो बार 1 जुलाई तथा 1 जनवरी से क्रमशः सितम्बर और मार्च के वेतन के साथ अदा किया जाना होता है। जून, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त के पूर्वार्द्ध में ही उपलब्ध होने की संभावना है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-7-1989 से देय महंगाई भत्ते की संशोधित दरों की गणना इस अवधि के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्राप्त होने के बाद ही की जा सकती है।

लालमासिया कोयला क्षेत्र से फरक्का तक की रेल लाइन का यात्रियों के आने-जाने हेतु उपयोग

*70. **प्रो० सलाउद्दीन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की लालमासिया कोयला क्षेत्र (ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड) से फरक्का तक रेल लाइन का उपयोग यात्रियों के आने-जाने के लिए करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुस्तकों का आयात

*71. **श्री पी० एम० सईद** :
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** पुस्तकों के आयात के बारे में दिनांक 31 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4300 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने खुले सामान्य लाइसेंसों के माध्यम से तकनीकी और मेडिकल पुस्तकों के आयात पर हुए विदेशी मुद्रा व्यय के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कितने मामलों में गैर-कानूनी प्रथाओं का पता लगा है और इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा बाहर गई है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) राजस्व अधिसूचना निदेशालय ने यह सूचित किया है कि कुछ बेईमान आयातकर्ता कानूनी माध्यमों से विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेजने की मन्शा से शैक्षिक साहित्य के रूप में घोषित कर उन पुस्तकों का जिनका कोई वाणिज्यिक महत्व नहीं है, फर्जी फर्मों के नामों से अधि-बीजकांकित कीमतों पर आयात कर रहे हैं।

(ग) सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। जिन व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों में ग्रस्त पाया जाता है उन्हें विभागीय न्यायनिर्णयन में दण्डित किया जाता है और उचित मामलों में उन पर न्यायालयों में मुकदमे भी चलाए जाते हैं। यदि आवश्यक समझा जाता हो तो उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नजरबन्द भी किया जाता है।

(घ) प्रवर्तन अभिकरणों ने हाल ही में ऐसे छः मामलों का पता लगाया है जिनमें ऐसे गैर-कानूनी तरीकों की जानकारी मिली है जिनके परिणामस्वरूप लगभग 40.00 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा कथित रूप से भारत से बाहर भेजी गई है।

विवाह समारोहों पर काले धन का उपयोग

*72. **श्री आर० एम० भोये :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में विवाह से संबंधित विभिन्न समारोहों पर काफी फिजूल खर्ची की जा रही है;

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 133-क के अन्तर्गत आयकर अधिकारियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने छापे मारे गए/सर्वेक्षण किए गए; और

(ग) काले धन के प्रसार को रोकने और कर अपवंचन को समाप्त करने के लिए इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम की धारा 133-क की उपधारा (5) के उपबन्धों के तहत आयकर प्राधिकारियों को किसी कर-निर्धारिती द्वारा किसी उत्सव, अनुष्ठान अथवा अवसर के सम्बन्ध में किए गए व्यय के स्वरूप तथा परिमाण के विषय में सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ सर्वेक्षण करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। धारा 133-क(5) के अध्यधीन की गयी सर्वेक्षण-कार्यवाहियों से विवाहों पर आडम्बरपूर्ण खर्चे की रोकथाम में सहायता मिलती है। सर्वेक्षण की इन कार्यवाहियों के

परिणामस्वरूप अघोषित आय में से किए गए खर्च का पता लग सकता है। वित्त वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान धारा 133-क(5) के अध्यधीन की गई सर्वेक्षण-कार्यवाहियों की संख्या क्रमशः 178, 1162, तथा 562 थी।

निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं का पूरा किया जाना

*73. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन नई रेल लाइनों/रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने सम्बन्धी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कोई ठोस कदम उठाए गए हैं जिनकी आधारशिला दस वर्ष से भी अधिक समय पहले प्रधान मंत्री द्वारा अथवा रेल मंत्री द्वारा रखी गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में जोन-वार क्या वास्तविक प्रगति हुई है;

(ग) परियोजनाओं को कब तक पूरा करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) यदि नहीं, तो परियोजनाओं की आज की स्थिति क्या है और क्या उन्हें आंशिक अथवा पूर्णतः पूरा करने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कोई उपाय किए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	रेलवे	परियोजना का नाम	जिसने आधार शिला रखी	वर्ष	प्रगति (31-3-89 को)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	समापन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मध्य	आप्टा-रोहा	रेल मंत्री	1978	यातायात के लिए खोली जा चुकी है।	24.34	1986
2.	उत्तर	रोहतक-भिवानी	"	1974	"	7.94	1980
3.	उत्तर	नंगल डैम-तलवाड़ा	"	1974	17%	90.00	7 कि०मी० 1985 में खोली गयी।
4.	उत्तर	साहदरा-सहारनपुर	प्रधान मंत्री	1973	यातायात के लिए खोली जा चुकी है।	34.38	1980
5.	उत्तर	डलमऊ-दरियापुर	"	1973	"	1.52	1976-77
6.	पूर्वोत्तर	रामपुर-न्यू हल्दवानी	"	1974	50%	38.52	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	पूर्वोत्तर	जंझार-सौकहा बाजार	रेल मंत्री	1974	यातायात के लिए खोली जा चुकी है।	2.58	1976
8.	पूर्वोत्तर	छितौनी-बगहा (पुनर्स्थापन)	प्रधान मंत्री	1973	9%	रेलवे 40.00 नि० 60.00	9 कि०मी० 1978 में खोली गयी।
9.	पूर्वोत्तर	सकरी-हसनपुर	रेल मंत्री	1974	निकाल दिया गया है।		
10.	दक्षिण	तिरुनेलवेलि-नागरकोइल	प्रधान मंत्री	1972	यातायात के लिए खोली जा चुकी है।	38.71	1981
11.	दक्षिण मध्य	बीबीनगर-नडिकुडे	"	1974	"	56.04	1988
12.	दक्षिण पूर्व	हवड़ा-आमता-चम्पाडांगा	"	1974	46%	60.00	24 कि०मी० 1984 में खोली गयी।
13.	पश्चिम	कपड़वंज-मोडासा	रेल मंत्री	1978	9%	30.00	
14.	दक्षिण	एर्नाकुलम-अल्लेप्पी	"	1979	78%	60.90	30-6-89

जिन परियोजनाओं की आधारशिलाएं प्रधान मंत्री या रेल मंत्री द्वारा रखी गयी हैं उनकी प्रगति उपलब्ध संसाधनों के भीतर तेज करने के प्रयास किए गए हैं। तथापि क्रम सं० 3, 6, 12 तथा 13 पर दी गयी परियोजनाओं का पूरा होना अनुवर्ती योजना अवधियों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

क्रम संख्या 8 पर दी गयी परियोजना के मामले में सिंचाई मंत्रालय (केन्द्रीय जल आयोग) तथा बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा सुरक्षा कार्यों की लागत का अपना हिस्सा वहन करने के लिए सहमत न होने के कारण और आगे प्रगति रुक गयी है।

कम्पनियों द्वारा बोनस शेयर जारी किया जाना

*74. **श्री भालेश्वर तांती :**
श्री अब्दुल हमीद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनियों द्वारा बोनस शेयर जारी किए जाने को नियन्त्रित करने वाले मार्ग-निर्देशों में ढील देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) पूंजी निर्गम संबंधी विभिन्न मार्गदर्शक सिद्धान्तों की समीक्षा की जाती रहती है और आवश्यक होने पर समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं। यदि पूंजी बाजार के हित में ऐसे परिवर्तन करने वांछनीय हुए, तो लाभांश मार्गनिर्देशों में भी उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आयातित रबड़ का मूल्य

*75. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने आयातित रबड़ के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष जनवरी से रबड़ के मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है और इस वर्ष जनवरी तथा जून में इसके मूल्य क्या थे; और

(ग) क्या जूता उद्योग और विशेषरूप से छोटे निर्माताओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) आयातित प्राकृतिक रबड़ की मद्रास स्थित गोदाम में रिलीज कीमत, नवम्बर, 1988 तक 20,000 रुपए प्रति मे० टन थी। नवम्बर, 1988 के बाद अप्रैल, 1989 में कुछ और रबड़ मद्रास स्थित गोदाम की 23,573 रुपए प्रति मी० टन की रिलीज कीमत पर रिलीज की गई। राज्य व्यापार निगम द्वारा 10 जुलाई, 1989 से की गई रिलीज की मद्रास में गोदाम रिलीज कीमत 27400/- रुपये प्रति मी० टन थी।

जनवरी तथा जून, 1989 में देशी रबड़ की कीमतें क्रमशः 17,550 रुपए प्रति मी० टन तथा 22,840 रुपए प्रति मी० टन थी।

रबड़ का उपयोग करने वाले उद्योग ने जिसमें जूते बनाने का उद्योग भी शामिल है, इस रिलीज कीमत के विरुद्ध अभ्यावेदन भेजा है।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

*76. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान जापान ने भारत से कुल कितनी मात्रा में लौह अयस्क का आयात किया;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1989-90 के दौरान जापान को होने वाले लोह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जापान को कुल कितने लौह अयस्क का निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जापान द्वारा भारत से आयातित लौह अयस्क की कुल मात्रा नीचे दी गई है :—

	(मिलियन टन)
1986-87	21.59
1987-88	19.94
1988-89	21.34

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 1989-90 के दौरान जापान को निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्क की अनुमानित मात्रा 23.45 मिलियन टन है जिसमें 1.2 मिलियन टन की वैकल्पिक मात्रा भी शामिल है।

काफी बोर्ड में तदर्थ नियुक्तियां

*77. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों में तदर्थ नियुक्तियों के लिए कोई नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये नियम क्या है;

(ग) क्या काफी बोर्ड, बंगलौर में हाल ही में की गयी तदर्थ नियुक्तियों में इन नियमों का पालन किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, क्या ये नियुक्तियां रद्द की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) चूंकि काफी बोर्ड में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की जाती हैं अतः उनके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं। काम की अति आवश्यकता में जब कभी रिक्तियां होती हैं तो दैनिक मजदूरी वाले लोग नियुक्त करने की प्रथा है। ये नियुक्तियां तब तक के लिए की जाती हैं जब तक कि रिक्तियां नियमित आधार पर नहीं भर ली जाएं।

(ग) और (घ) अभी हाल में तदर्थ आधार पर कोई नियुक्तियां नहीं की गयी हैं। कार्य-प्रभारित एककों में कार्य को पूरा करने के लिए कुछ नियुक्तियां दैनिक मजदूरी पर की गयी थीं, यह रिक्तियां "घ" श्रेणी के कर्मचारियों की भारी संख्या में सामूहिक पदोन्नति के कारण हुई थीं। उपयुक्त अभ्यर्थियों का निर्धारित नियमानुसार चयन करने के लिए इन रिक्तियों को सम्बन्धित सेवा योजन कार्यालयों को पहले ही सूचित कर दिया गया है।

चम्बल डिवीजन में रेल लाइन

[हिन्दी]

*78. **श्री कम्मोदीलाल जाटव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चम्बल डिवीजन में कोई नई रेल लाइन बिछाने के लिए सन 1985 से अब तक की अवधि के दौरान योजना आयोग से अनुमति मिली है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर कब तक विचार किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां, गुना-इटावा लाइन के भाग के रूप में।

(ख) इसका पूरा होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

ऋण अदायगी का अनुपात

[अनुवाद]

*79. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय भारत सरकार द्वारा कुल ऋण के अनुपात में उसका कितना भुगतान किया जा रहा है और वर्ष 1980 और 1984 में यह अनुपात कितना-कितना था ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : वर्तमान प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में परिकलित ऋण परिशोधन अनुपात 1988-89 में लगभग 24 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह 1980-81 में लगभग 9 प्रतिशत और 1984-85 में 12 प्रतिशत था।

मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

*80. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक दस सप्ताह के दौरान उपभोक्ता तथा अन्य सामान के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि के दौरान हुई वृद्धि-दर की तुलना में यह वृद्धि-दर कितनी है;

(ग) मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) चालू वित्त वर्ष के पहले दस सप्ताहों के दौरान सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक (1970-71=100) में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में हुई 1.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

मूल्यों में यह वृद्धि मुख्यत: मौसमी दबाव के कारण हुई है जिससे कृषि या कृषि पर आधारित वस्तुओं जैसे कि फल और सब्जियों, चीनी, खाण्डसारी तथा गुड़ और खाद्य तेलों, के मूल्य प्रभावित होते हैं।

सरकार ने वस्तुओं को उचित नियंत्रण में रखने के लिए एकमुश्त उपाय किए हैं। इनमें सर्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना, यथासम्भव आयात के जरिए घरेलू आपूर्ति बढ़ाना, सख्त राजकोषीय व मौद्रिक अनुशासन बरतना, कीमतों को सख्ती से मानीटर करना और जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल हैं।

रुग्ण एकक

[अनुवाद]

576. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 से 1989 (जून तक) के दौरान, राज्य-वार तथा वर्ष-वार, बड़े तथा मझौले, कुल कितने औद्योगिक एकक रुग्ण घोषित किए गए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार इन एककों में बैंकों की कुल कितनी पूंजी रुकी पड़ी रही; और

(ग) इन एककों को कार्यक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) दिसम्बर 1986 के अन्त की स्थिति के अनुसार (1) बड़े रुग्ण औद्योगिक एकक (अर्थात वे एकक जो बैंकिंग प्रणाली से 1 करोड़ रुपये तथा उससे ऊपर की कुल ऋण सीमा का स्वयं ही उपयोग कर रहे हैं) तथा (2) दिसम्बर 1987 के अन्त की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) लघु उद्योगों से भिन्न (अर्थात् मध्य दर्जे के और बड़े) रुग्ण एकक तथा उपर्युक्त वर्णित एककों में फंसी हुई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को संभावित सक्षम रुग्ण एककों के पुनर्वास कार्यक्रमों के निष्पादन तथा क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन पैकेजों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ब्याज की घटी दरों आदि जैसी सहायता/रियायतों द्वारा चरणबद्ध वापसी अदायगी की व्यवस्था होगी। अखिल भारत वित्तीय संस्थाएं भी संभावित सक्षम एककों के पुनर्वास पैकेज पर विचार करती हैं। लघु उद्योगों से भिन्न रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के बारे में रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत गठित एक अर्ध-न्यायिक संस्था औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को निवारक/सुधारात्मक, उपचारात्मक तथा अन्य उपायों के निर्धारण के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने तथा ऐसे उपायों को शीघ्रता लागू करने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

विवरण

वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	दिसम्बर 1986*		दिसम्बर 1987	
	एककों की संख्या	बकाया राशि	एककों की संख्या (गैर लघु रुग्ण उद्योग)**	बकाया राशि
1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	146	779.81	151	422.38
महाराष्ट्र	161	893.83	252	832.61
कर्नाटक	43	220.52	62	127.43
गुजरात	68	323.21	131	356.57
तमिलनाडु	53	184.08	107	228.90
आन्ध्र प्रदेश	44	126.09	70	119.09
बिहार	17	50.28	29	56.66
हरियाणा	17	50.95	33	50.66
राजस्थान	[illegible]	40.93	44	80.40
मध्य प्रदेश	26	998.58	36	87.59
उड़ीसा	10	29.55	9	33.15
उत्तर प्रदेश	6	251.08	68	156.37
केरल	2	142.35	27	12.75

1	2	3	4	5
पंजाब	6	17.80	21	12.73
असम	7	34.89	4	7.30
दिल्ली	7	14.85	23	51.43
पांडिचेरी	3	11.34	4	3.33
गोवा	4	10.27	15	25.52
चंडीगढ़	2	4.85	23	40.00
त्रिपुरा	1	2.86	1	0.74
मेघालय	—	—	1	0.79
मिजोरम	—	—	1	0.11
जम्मू और कश्मीर	—	—	1	1.40
हिमाचल प्रदेश	—	—	5	1.31
दादरा और नागर हवेली	—	—	1	0.57
जोड़ :	714	3287.02	1119	2801.84

*बैंकिंग प्रणाली से 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक कुल बैंक ऋण लेने वाले ।

**जैसा कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां अधिनियम, 1985 में परिभाषित किया गया है ।

विदेशी ऋणों के स्रोत

577. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी ऋणों/सहायताओं के स्रोत क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक स्रोत से कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई है;

(ग) इस धनराशि पर ब्याज प्रभार की दर कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों में ब्याज/प्रभार के रूप में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ङ) इस धनराशि में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा सरकारी क्षेत्र के एककों को कितनी धनराशि के ऋण/सहायता प्रदान की गई है और उपर्युक्त अवधि के दौरान इस पर किस दर से ब्याज की वसूली की गई; और

(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा इस प्रकार के कुल कितने ब्याज का भुगतान किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) 1987-88 तक विदेशी ऋण/सहायता के स्रोत, स्रोतवार सहायता की राशि, सहायता की शर्तें तथा अदा किए गए ब्याज की राशि से सम्बन्धित ब्यौरा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विदेशी सहायता सम्बन्धी पुस्तिका में दिया गया है। वर्ष 1987-88 के सम्बन्ध में पुस्तिका की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ङ) और (च) भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध स्रोतों के केन्द्रीय मूल में शामिल हो जाती है और हमारी योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार इस सहायता राशि को केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्रों आदि के बीच आबंटित किया जाता है। अतः राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्रों आदि के लिए इसके आबंटन का पता लगाना सम्भव नहीं है।

गन्ने पर लगाया गया ढुलाई भाड़ा

578. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ ने चालू रेलवे बजट में गन्ने की रेल-ढुलाई के भाड़े में की गई भारी वृद्धि को वापस लेने हेतु अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस यातायात को 1-4-1989 से माल भाड़े में की गयी वृद्धि से मुक्त रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जम्मू-कश्मीर में किश्तवार में बैंक की शाखा खोलना

579. **श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर में किश्तवार में विजय बैंक की शाखा खोलने के लिए वर्ष 1980 और 1984 के दौरान दो बार सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो वहां अब तक बैंक शाखा न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पंजीकृत बेरोजगारों को बैंक सहायता

580. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों से राज्य-वार और वर्ष-वार कितने पंजीकृत बेरोजगारों को सहायता देने के लिए सिफारिश की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों के आवेदकों को, राज्य-वार और वर्ष-वार कितना ऋण स्वीकृत और वितरित किया गया ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, "पंजीकृत बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना" पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की योजना है और यह योजना 18 से 40 वर्ष के आयु-वर्गों में आने वाले उन बेरोजगारों को सहायता देने के लिए बनायी गई है जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं। हिताधिकारी के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति हिताधिकारी को अधिक से अधिक 35,000/- रुपये का मिश्रित ऋण दिया जाता है और ऋण की रकम के प्रतिशत की दर से सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। ऋण की वापसी अदायगी 5 से 7 वर्षों के बीच की जानी होती है और इन पर देय ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों के सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होती है। चूंकि यह राज्य द्वारा प्रायोजित योजना है, अतः योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नजर नहीं रखी जाती। पश्चिम बंगाल के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंक यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि इस योजना के अन्तर्गत, वर्ष 1988-89 के कार्यक्रम वर्ष में 19121 मामलों में 35.89 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गयी है।

केरल के मालाबार क्षेत्र में बैंक की शाखाएं खोलना

581. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के प्रारम्भिक छः महीनों के दौरान केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई;

(ख) मूल बैंकों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक शाखा किन स्थानों पर खोली गई; और

(ग) क्या सरकार का केरल के मालाबार क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं खोलने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 1989 के पहले छः महीनों में, केरल में 9 शाखाएं खोली हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

बैंक का नाम	जिले का नाम	केन्द्र का नाम
1	2	3
1. यूनियन बैंक आफ इंडिया	इदुक्की	सेनापति
2. सिंडिकेट बैंक	कासरगोड	चुल्लीकारा
3. विजया बैंक	—तदैव—	कालीचमारन
4. यूनियन बैंक आफ इंडिया	कोजीकोड	पूजीथोड

1	2	3
5. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	मल्लापुरम	करीपूर
6. केनरा बैंक	—तदैव—	करूकथनी
7. केनरा बैंक	—तदैव—	पेरूपुर
8. इंडियन बैंक	क्विलोन	थन्नीकमुक्कु
9. इण्डियन बैंक	—तदैव—	पूवाथुर

(ग) वर्ष 1985 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को केरल के मालाबार क्षेत्र में शाखाएं खोलने के वास्ते 33 ग्रामीण/अर्ध-शहरी और 3 शहरी केन्द्र आवंटित किए हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने मालाबार क्षेत्र में गेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों को 8 ग्रामीण केन्द्र आवंटित किए हैं।

मद्रास-त्रिची रेलगाड़ियों के लिए वातानुकूलित डिब्बे

582. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास और त्रिची के बीच बरास्ता तंजावुर चलने वाली मुख्य लाइन पर किसी भी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में वातानुकूलित डिब्बे नहीं हैं;

(ख) क्या इस लाइन पर चलने वाली कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों में ए० सी० 2-टियर स्लीपर और वातानुकूलित शयन यान वाले डिब्बे लगाने की मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि इस क्षेत्र में चलने वाली रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी के डिब्बों में हमेशा भीड़ रहती है; और

(घ) क्या सरकार का यात्रियों की सुविधा के लिए रामेश्वरम एक्सप्रेस में ए० सी० 2-टियर स्लीपर और चोलान एक्सप्रेस में वातानुकूलित शयन यान वाले डिब्बे लगाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी हां, कभी-कभी।

(घ) पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त वातानुकूल सवारी डिब्बे उपलब्ध होने पर इस मार्ग पर इनकी व्यवस्था करने की बात को ध्यान में रखा जायेगा।

दक्षिण बिहार में रेलवे सम्पत्ति की क्षति

583. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जून, 1989 को आयोजित बंद के दौरान दक्षिण बिहार में रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंची थी;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) 9 जून, 1989 के बन्द के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे पर तोड़-फोड़ के 4 मामले हुए लेकिन रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति नगण्य थी।

आम का निर्यात

584. प्रो० मधु दण्डवते : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988-89 के वित्त वर्ष के दौरान कुल कितना आम निर्यात किया गया;

(ख) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा उपार्जित की गई; और

(ग) इनका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 के दौरान आमों के निर्यात और उनके निर्यात से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा लगभग क्रमशः 16,000 मी० टन और 17 करोड़ रु० है।

(ग) आमों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए जो कदम उठाए जाने हैं वे हैं : सम्भाव्य क्षेत्रों में प्रदर्शनों का आयोजन, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, संभाव्य खरीदारों को आमों की विभिन्न किस्मों के नमूने भेजना आदि।

राजधानी एक्सप्रेस का आना-जाना

585. श्री रेणुपद दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली-बम्बई और नई दिल्ली-हावड़ा के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में प्रतिदिन चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और सोवियत संघ के बीच संयुक्त उद्यम

586. डा० वी० वेंकटेश : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सोवियत संघ के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या भारतीय अधिकारियों के दल ने सोवियत संघ के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) भारत और सोवियत संघ दोनों देशों की सरकारें दोनों देशों के संगठनों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने का सतत प्रयास कर रही है कि वे भारत में और सोवियत संघ में संयुक्त उद्यम स्थापित करें। आज की तारीख तक सोवियत संघ में संयुक्त उद्यम रेस्टोरेंट स्थापित करने के लिए दो संयुक्त उद्यम प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है। जहां तक भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का सम्बन्ध है, माल ढुलाई, भारत में सोवियत तकनालाजी का विपणन, पटसन से बनी वस्तुओं का विनिर्माण और संसाधन, फिल्म निर्माण और फल संसाधन के क्षेत्र में पांच प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है। इस समय अनेक संयुक्त उद्यम प्रस्ताव सोवियत रूस और भारत के संगठनों के बीच वार्ताओं के विभिन्न चरणो मे हैं। ये प्रस्ताव चमं शोधनशाला और चमड़े की वस्तुएं, वस्त्र, वनों पर आधारित उत्पाद, लकड़ी की लुगदी, अखबारी कागज, इलैक्ट्रानिक्स, रसायम और प्लास्टिक रसायन, आदि के क्षेत्र में हैं।

(ख) और (ग) सहयोग के नये-नये रूपों के विकास और उनमे सुविधा के लिए (इनमें शामिल हैं संयुक्त उद्यम स्थापित करना, गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ उत्पादन सहयोग, तृतीय देश सहयोग, आदि) भारत-सोवियत संयुक्त आयोग के तत्वावधान में सहयोग के नये क्षेत्रों पर एक नवीन भारत-सोवियत कार्यदल का गठन किया गया है। इस नवीन कार्यदल की पहली बैठक अभी हाल ही में 20-26 जून, 1989 तक मास्को में आयोजित हुई। इस बैठक में सरकारी प्रतिनिधियों के अतिरिक्त भारत-सोवियत वाणिज्य और उद्योग मण्डल, इन्जीनियरी उद्योग परिसंघ और ऐसोचेम जैसे भारतीय व्यापार और उद्योग के व्यापार संगठनों ने भाग लिया। इस बैठक में आर्थिक सहयोग के संवर्धन से सम्बन्धित मसलों के विभिन्न स्तरों को कवर करते हुए दोनों देशों के बीच व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के गोदाम में आग लगने की घटना

[हिन्दी]

587. **श्री सरफराज अहमद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट स्थित गोदाम में मई, 1989 को आग लगने की घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी क्षति होने का अनुमान है; और

(ग) इसके क्या कारण थे ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हा।

(ख) और (ग) तीन अधिकारियों की एक जांच समिति द्वारा आग दुर्घटना में हुए नुकसान की राशि और आग के कारण की जांच की जा रही है।

परियोजना निर्यात

[अनुवाद]

588. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1988 के दौरान भारतीय कम्पनियों को विदेशों में कितनी परियोजनायें मिलीं;

(ख) परियोजना प्रदान करने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(ग) परियोजनाओं के मूल का वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा सम्बन्धित सरकारी एजेन्सियों द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान भारतीय कम्पनियों को मिली विदेशी परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या
1986	25
1987	30
1988	39

(ख) और (ग) सम्बन्धित देशों के नाम, परियोजनाओं का वर्ष-वार और देशवार मूल्य नीचे दिया गया है :—

(मूल्य करोड़ रु०)

देश का नाम	1986	1987	1988
1	2	3	4
अल्जीरिया	116	2	8
यू० ए० आर०	—	1	4
कुवैत	4	1	—

1	2	3	4
यू० ए० ई०	—	1	1
सुडान	—	2	24
ओमान	7	0.25	0.20
सऊदी अरब	2	143	1
कतार	—	0.20	—
इराक	213	197	35
सीरिया	—	2	3
मलयेशिया	26	22	121
नेपाल	12	4	—
सोवियत संघ	—	112	—
इथोपिया	—	3	—
ईरान	6	—	—
उगांडा	4	—	—
श्रीलंका	1	—	1
बंगलादेश	3	—	36
जोर्डन	132	—	—
मालदीव	—	—	19
मलावी	—	—	18
पी० डी० आर० यमन	—	—	2
ताइवान	—	—	2
थाईलैंड	—	—	1
महरीन	—	—	19
किविक्ता	—	—	8
मोजाम्बिक	—	—	1
जाम्बिया	—	—	9
कीनिया	—	—	2
तुर्की	—	—	35
योग :	526	490.45	350.2

स्रोत : एक्जिम बैंक

(घ) परियोजनाओं और परामर्शी सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) संविदाओं के सेवा भाग से निबल विदेशी मुद्रा अर्जन के 10 प्रतिशत के रूप में परियोजना सहायता मंजूर करना।

(2) बोलियां तैयार करने तथा बोली लगाने की लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के लिए बाजार विकास सहायता।

(3) परामर्शी फर्मों द्वारा विदेशों में कार्यालय खोलने और उन्हें चलाने के लिए बाजार विकास सहायता।

(4) आपूर्तिकर्ताओं और क्रेताओं को ऋण देने के अलावा एग्जिम बैंक परियोजनाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न विकासशील देशों को भी ऋण देता रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों द्वारा भारत में निवेश

589. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशक अब भारत में निवेश करने में अधिक रुचि रखते हैं; और

(ख) यदि हां, भारत के प्रति उत्पन्न हुई इस नई रुचि के क्या विशेष कारण हैं और कुछ शीर्षस्थ अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों के उन सरकारी प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के सम्बन्ध में अपनी इच्छा प्रकट की है अथवा रुचि दिखलाई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : जी, हां। भारत में विद्यमान राजनैतिक स्थिरता, उदारीकरण की अपनाई जाने वाली नीतियां और पूंजी बाजार में कारोबारी तेजी की स्थिति कुछेक ऐसे मुख्य कारण हैं जिनसे संस्थात्मक निवेशकों में भारत में पूंजी का निवेश करने के मामले में अधिकाधिक रुचि उत्पन्न हुई प्रतीत होती है।

गोआ की सिंचाई क्षमता

590. **श्री शांताराम नायक** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ की सलाउली और मंजुमन सिंचाई परियोजनाओं से कितनी सिंचाई क्षमता पैदा होगी;

(ख) क्या यह सच है कि इन दो परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) क्रमशः 4.5 हजार हेक्टेयर और 2.1 हजार हेक्टेयर।

(ख) जी, हां।

(ग) मुख्य रूप से फील्ड चैनलों के निर्माण और किसानों द्वारा सिंचित कृषि शुरू करने में हुए विलम्ब के कारण।

(घ) राज्य सरकार ने एक कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया है, जो फील्ड चैनलों का निर्माण करने, वारावन्दी लागू करने और किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा है।

मूंगफली का निर्यात

591. **श्री एस पलाकोंड्रायुडू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा जून, 1989 तक का मूंगफली के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूंगफली निर्यातक संघ ने माना है कि सरकार द्वारा घोषित एच० पी० एस० मूंगफली के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 से एच० पी० एस० मूंगफली के निर्यात की मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा (मी० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1986-87	32,151	19.79
1987-88	4,822	5.12
1988-89	36,985	34.75
अप्रैल 1989		
जून 1989	9,712	9.27

(स्रोत : इंडियन आयल एण्ड प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, बम्बई)

(ग) और (घ) दि इण्डियन आयल एण्ड प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, बम्बई ने अप्रैल, 1989 से लागू होने वाली नकद मुआवजा सहायता (सी० सी० एस०) की समीक्षा करने हेतु मार्च 1989 में लागत सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत करते समय एच० पी० एस० मूंगफली के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता की दर बढ़ाने का अनुरोध किया था। लेकिन एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत लागत सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर नकद मुआवजा सहायता की दर में वृद्धि करना न्यायोचित नहीं पाया गया।

भूमि जल के विनियमन सम्बन्धी आदर्श विधेयक

592. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 मई, 1989 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "माडल बिल आन ग्राऊंड वाटर सर्कुलेटेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ एम॰ जेकब) : (क) जी, हां।

(ख) इस विधेयक के मुख्य लक्षण निम्नवत हैं :—

(i) विधान लागू करने के लिए भू-जल प्राधिकरण का सृजन।

(ii) राज्य के भू-जल प्राधिकरण से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किसी अधिसूचित क्षेत्र में किसी प्रकार से जल निष्कर्षण अथवा भू-जल के उपयोग को जनहित में विनियमित करने के लिए राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करना।

(iii) अधिसूचित क्षेत्र में विद्यमान उपयोगकर्त्ताओं का पंजीकरण करना।

(iv) अधिसूचित क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्यकलाप का विनियमन।

केरल एक्सप्रेस का देर से चलना

593. **श्री सुरेश कुरुप** :
श्री टी॰ बशीर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात का पता चला है कि त्रिवेन्द्रम से नई दिल्ली और नई दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के बीच चलने वाली केरल एक्सप्रेस असाधारण विलम्ब से चलती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे समयानुसार चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) दुर्घटनाएं, खतरे की जंजीर खींचने, शरारती तत्वों की गतिविधियों और कतिपय उपस्करों की खराबी जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उत्तर-दक्षिण की गाड़ियों के चालन में हाल ही में हुई अस्त-व्यस्तता की वजह से केरल एक्सप्रेस का समय पालन सन्तोषजनक नहीं रहा है। इस तरह समय अन्तराल की हानि को पूरा करने के लिए अब नयी दिल्ली में अधिक समय की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली और बंगलौर के बीच राजधानी एक्सप्रेस

594. **श्री एच॰ बी॰ रामुलु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली और बंगलौर के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

चीन के साथ व्यापार

595. श्री हरिहर सोरन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में भारत-चीन व्यापार बढ़ाया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) हमारे प्रधानमन्त्री की दिसम्बर, 1988 में चीन यात्रा के दौरान अन्य बातों के अलावा यह निश्चय किया गया था कि दोनों पक्षकारों की ओर से मन्त्री स्तर पर एक मिश्रित आर्थिक समिति गठित की जाए। व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में एक उप-समिति भी गठित की गयी है। भारत इस समय बीजिंग में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग ले रहा है।

(ख) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा भेजे गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1988-89 के दौरान चीन को हमारे निर्यात 64.47 करोड़ रु० मूल्य के हुए जबकि वर्ष 1987-88 के दौरान यह 33.73 करोड़ रु० मूल्य के हुए थे। वर्ष 1988-89 के दौरान हमारे आयात 132.46 करोड़ रु० मूल्य के हुए जबकि वर्ष 1987-88 के दौरान आयात 159.31 करोड़ रु० मूल्य के हुए थे। औषधियां, भेषण तथा उर्म रसायन, क्रोम अयस्क, रंजक, मध्यवर्ती सामान, अपरिष्कृत औषधियां निर्यात की ऐसी प्रमुख मदें रहीं जिनसे हमारे निर्यात में वृद्धि हुई।

सिगरेट कम्पनियों द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

597. डा० बी० एल० शंलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगरेट उद्योग पर 2300 करोड़ रुपयों के उत्पाद शुल्क की तथाकथित चोरी का आरोप लगाया गया है;

(ख) क्या कुछ सिगरेट कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सिगरेट के पैकेट पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा दरों पर सिगरेट बेची हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) विभिन्न सिगरेट कम्पनियों द्वारा अनुमानतः उत्पाद शुल्क के रूप में कितनी धनराशि की चोरी की गई है; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक कम्पनी से वसूली कार्रवाई की प्रक्रिया इस समय किस स्तर पर है?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) वर्ष 1983 से

जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों के अनुसार, सिगरेट उद्योग पर 2220.24 करोड़ रुपए के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के तथाकथित अपवंचन का आरोप लगाया गया है।

(ख) और (ग) 11 मामलों में, जिनमें 1,380 करोड़ रुपए की कुल रकम ग्रस्त थी, आवश्यक जांच-पड़ताल करने के बाद जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों का यही आधार था।

(घ) उत्तर के भाग (क) में यथा उल्लिखित विभिन्न सिगरेट कम्पनियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कथित अपवंचन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कम्पनी का नाम	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	ग्रस्त रकम (करोड़ रुपयों में)
आई० टी० सी० और उजरती कामगार	23	1180.66
एम० टी० सी० और उजरती कामगार	21	225.28
जी० टी० सी० इण्डस्ट्रीज और उजरती कामगार	18	268.95
गॉडफ्रे फिलिप्स (इण्डिया) लि० और उजरती कामगार	7	542.93
मास्टर टोबैको कम्पनी और अन्य		2.42
जोड़ :	69	2220.24

(ङ) उपर्युक्त में से, दो कारण बताओ नोटिसों का न्यायनिर्णयन पहले ही हो चुका है। एक मामले में 20 लाख रुपए पहले जमा करा दिए जाने पर अधिकरण द्वारा वसूली स्थगित कर दी गई है और दूसरे मामले में न्यायालय ने स्थागनादेश पारित किए हैं। अन्य सभी कारण बताओ नोटिस न्याय-निर्णयाधीन हैं। किसी भी देय रकम की वसूली का प्रश्न तभी उठेगा जब इन कारण बताओ नोटिसों का न्यायनिर्णय हो जाएगा और इनमें उल्लिखित रकमों की पुष्टि हो जाएगी। तथापि, एक सिगरेट कम्पनी ने अपने मामलों के न्यायनिर्णयन होने से पूर्व ही 2.41 करोड़ रुपए की स्वैच्छिक अदायगी कर दी है।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद में सीमा शुल्क की वस्तुओं की दुकानें

598. श्री सी० माधव रेड्डी :
श्री बी० भूपति :
श्री मानिक रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद और सिकन्दराबाद में सीमाशुल्क की कितनी अधिसूचित दुकानें हैं और वे कहां-कहां हैं;

(ख) क्या सरकार को हैदराबाद और सिकन्दराबाद में गैर-कानूनी सीमाशुल्क अधिसूचित दुकानों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो उन पर रोक लगाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इन सीमाशुल्क अधिसूचित दुकानों के माध्यम से जनता को सामान्यतः क्या-क्या वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद में सीमाशुल्क की अधिसूचित दुकानों की संख्या क्रमशः 132 तथा 52 है।

(ख) और (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के नगरों में जो आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसी कुछ दुकानें पनप रही हैं जो सीमाशुल्क की अधिसूचित दुकानों के रूप में गैर-कानूनी धन्धा कर रही हैं। विशेष आसूचना के आधार पर ऐसी गैर कानूनी दुकानों पर समय-समय पर छापे मारे गए हैं तथा उनमें प्रदर्शित माल अभिगृहीत किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे परिसरों पर छापे मारे गए छापों की संख्या तथा उनसे पकड़े गए माल का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	परिसरों की संख्या जिन पर छापे मारे गए	पकड़े गए माल का मूल्य (लाख रुपयों में)
1987	32	9.86
1988	43	10.41
1989 (जून तक)	20	4.19

अभिग्रहण के मामलों में न्यायनिर्णयन किया जाता है तथा जहां उचित होता है वहां पकड़े गए माल को जब्त करने का निदेश दिया जाता है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों पर अर्थदण्ड लगाया जाता है।

(घ) सीमा शुल्क की अधिसूचित दुकानों के माध्यम से जनता को मुहैया कराए जाने वाला सामान इस प्रकार है : इलैक्ट्रानिक सामान, कैलकुलेटर, हाथ की घड़ियां, कासमैटिक्स, टेक्सटाइल तथा अन्य विविध उपभोक्ता वस्तुएं।

त्रिवेन्द्रम और कोट्टायम के बीच तेज गति से चलने वाली यात्री गाड़ी

599. **श्री टी० बशीर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से त्रिवेन्द्रम और कोट्टायम के बीच तेज गति से चलने वाली एक नयी यात्री गाड़ी चलाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

इंरिजालाक्कुडा रेलवे स्टेशन (केरल) का विकास

600. **श्री के० मोहनदास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिचूर जिले में इरिंजालाक्कुडा रेलवे स्टेशन के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्लेटफार्म सायबान के विस्तार और स्टेशन भवन को सुन्दर बनाने सम्बन्धी निर्माण कार्य को चालू वर्ष (1989-90) में स्वीकृति दे दी गयी है।

पति और पत्नी की एक ही स्थान पर नियुक्ति

601. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में पति और पत्नी को एक ही स्थान पर नियुक्त किए जाने के बारे में 5 मई, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानान्तरण किए जाने के सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष चौबीस मामलों में स्थानांतरण किए जाने के सम्बन्ध में आगे क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने सूचित किया है कि पति और पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती के अनुरोध पर प्रशासनिक सुविधा के अधीन तथा सम्बन्धित स्थान में रिक्त पद की उपलब्धता होने पर अनुकम्पा के आधार पर विचार किया जाता है। बैंक ने यह भी सूचित किया है कि ऐसे केन्द्रों में तैनाती से सम्बन्धित प्रश्नगत 24 मामलें हैं जहां फिलहाल बैंक में कोई रिक्त स्थान नहीं है और इस प्रकार बैंक द्वारा इन अनुरोधों पर तभी विचार किया जा सकेगा जब उन स्थानों पर उपयुक्त रिक्तियां होंगी।

उत्पादन शुल्क का अपवंचन करने वाली कम्पनियों का भारतीयकरण

602. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन कम्पनियों के शेयरों का भारतीयकरण करने का विचार है जिन्होंने उत्पादन शुल्क का अपवंचन किया है और जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान दस करोड़ रुपए से अधिक राशि के उत्पादन शुल्क का अपवंचन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

संयुक्त राज्य अमेरिका की अफीम सम्बन्धी नीति में परिवर्तन

603. **श्रीमती वसवराजेश्वरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीकी कांग्रेस के एक स्टाफ स्टडी मिशन ने अपने देश के औषध उद्योग के लिए अपेक्षित अफीम सम्बन्धी चालू अमरीकी नीति में धीरे-धीरे परिवर्तन करने की सिफारिश की है जिससे भारत की अफीम का परम्परागत निर्यातक होने की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका अफीम के कुल आयात का 80 प्रतिशत आयात तुर्की और भारत से करता है;

(ग) अफीम सम्बन्धी नीति में परिवर्तन से भारत को कितनी हानि होगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) 1981 में, अमेरिका ने एक विनियम प्रख्यापित किया था जिसके अनुसार यह अपेक्षित था कि अमेरिका में आयात किए जाने वाले स्वापक द्रव्य की कच्ची सामग्री की कम से कम 80 प्रतिशत मात्रा भारत और तुर्की जैसे पारम्परिक सप्लाईकर्त्ता देशों से आयात की जानी चाहिए। "यू० एस० लिसिट ओपियम इम्पोर्ट्स : विदेश नीति मामलों" के सम्बन्ध में स्टाफ अध्ययन मिशन द्वारा एक रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की विदेशी मामलों सम्बन्धी समिति को प्रस्तुत की जा चुकी है । रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निष्कर्ष निकलता है कि "इन मामलों की जटिलता और नीति सम्बन्धी किन्हीं परिवर्तनों के कारण निकलने वाले असंख्य परिणामों को देखते हुए, यह उचित होगा कि इस प्रश्न पर निर्णय लेने को कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विधिसंगत अफीम किन देशों को सुलभ होनी चाहिए; कार्यकारी ब्रांच पर छोड़ देने की नीति को जारी रखा जाए। यह भी कहा गया है कि "मौजूदा नीति में किसी भी परिवर्तन को संभवतः धीरे-धीरे लागू किया जाए ताकि विश्वव्यापी बाजार में अव्यवस्था होने से बचा जा सके।"

संयुक्त राज्य अमेरिका को भारतीय अफीम का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कुल निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत बैठता है । तथापि हाल के वर्षों में कई कारणों से इसके निर्यात में गिरावट आई है। हालांकि इस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की विधिसंगत अफीम आयात नीति में कोई

परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी यह कहना कठिन है कि उसमें क्या कोई परिवर्तन होगा और यदि ऐसा होता है तो उस देश को किए जाने वाले भारतीय अफीम के निर्यात पर क्या परिणामी प्रभाव पड़ेगा।

(घ) भारत में अफीम के किसी भण्डार के इकट्ठा होने के ऐतिहासिक कारणों का उल्लेख करने के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उचित रूप से उठाया गया है। और यह तथ्य कि भारत को एक पारम्परिक सप्लाइकर्त्ता देश के रूप में माना गया है जिसे उसके स्वापक द्रव्य की कच्ची सामग्री का आयात करके अन्य देशों द्वारा सहायता की आवश्यकता है।

भारतीय दल का वाशिंगटन का दौरा

604. **श्री शान्ति लाल पटेल :**
श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित एक ऋण के बारे में बातचीत करने के लिए एक भारतीय दल ने जून, 1989 में वाशिंगठन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) विश्व बैंक के साथ ऋण करारों के बारे में बातचीत करने के लिए किसी भी भारतीय दल ने जून, 1989 में वाशिंगटन की यात्रा नहीं की थी।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों तथा सहकारी समितियों को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहायता

605. **श्री उत्तम राठौड़ :**
श्री प्रताप राव बी० भोसले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जरूरतमन्द किसानों को उनके कृषि-सम्बन्धी कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु सहकारी बैंकों तथा सहकारी समितियों को पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से वित्तीय सहायता के लिए पात्रता हेतु यह

बैंक उपर्युक्त सहकारी निकायों द्वारा कुछ शर्तों को पूरा किये जाने पर जोर दे रहा है तथा ये निकाय इन्हें पूरा करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं; और

(ग) क्या उपर्युक्त सहकारी निकायों को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से वित्त-प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए इस मामले की जांच की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने गत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून 1989 तक) के दौरान जरूरतमन्द किसानों को उनके कृषि कार्यों में मदद करने के वास्ते महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की है :—

(लाख रुपए में)

प्रयोजन	1987-88		1988-89		1989-90	
	मंजूरी	उपयोग	मंजूरी	उपयोग	मंजूरी	उपयोग
1. अल्पावधिक मौसमी कृषि कार्य और अन्य फसलें	9265	—	12235	1175*	6000	उपलब्ध नहीं
राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना	250	—	700	—	—	—
2. मध्यावधिक अनुमोदित कृषि प्रयोजन	171	113.54	270	—	—	—
3. मध्यावधिक (रूपांतरण)	3434	2000.70	620.95	297	—	—

*25-8-1988 की स्थिति के अनुसार ।

(ख) और (ग) पुनर्वित्त के लिए पात्रता के सामान्य मानदण्डों के अलावा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने दिनांक 29 नवम्बर, 1988 के अपने परिपत्र द्वारा सभी राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों से कहा था कि अब राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त उसी सूरत में मिल सकेगा जब वे ऋणों के जारी करने और वापसी अदायगी, ब्याज दरों, ऋण के पुनर्निर्धारण/स्थगन आदि के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न अनुदेशों का पालन करेंगे तथा इन बैंकों से एक वचन देने के लिए कहा था जिसमें यह कहा गया हो कि वे भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गनिर्देशों का पालन करेंगे तथा इस आशय का वचन न देने पर पुनर्वित्त सुविधाएं बन्द कर दी जाएंगी ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने आगे बताया है कि उसने दिसम्बर, 1988 में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को पुनर्वित्त देना रोक दिया था क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित ब्याज सब्सिडी योजना को सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप

नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन तथा सहकारी बैंक की वित्तीय अर्थक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को कहा कि पुनर्वित्त दोबारा प्रारम्भ हो सकेगी बशर्ते कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस आशय का एक लिखित वचन दें कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का कोई भी उल्लंघन/अतिक्रमण नहीं होगा। चूंकि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने 12 जून, 1989 तक अपेक्षित वचन नहीं दिया था, अतः राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को कोई पुनर्वित्त जारी नहीं कर सका। राष्ट्रीय बैंक ने इस मामले पर राज्य सहकारी बैंक तथा सरकारी अधिकारियों से चर्चा की है। अन्ततः 12 जून, 1989 को महाराष्ट्र राज्य सहाकरी बैंक ने राष्ट्रीय बैंक को अपेक्षित वचन दिया और 16 जून, 1989 से महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को पुनर्वित्त दोबारा शुरू कर दिया गया है।

चाय उद्योग में संकट

[हिन्दी]

606. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय उद्योग संकट की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो क्या चाय उद्योग की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कोई केन्द्रीय दल नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन दल के क्या निष्कर्ष हैं और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध जांच

[अनुवाद]

607. **श्री सी जंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने "सैंट्रलाइज्ड सीनियर असेसिंग आफिसर" ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध गहराई से जांच पूरी कर ली है और निर्धारण को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं। संगत मामलों में जांच अभी भी चल रही है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत बैंक ऋण

608. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीबों के बैंक ऋण वितरण व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए कोई अध्ययन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नई व्यवस्था वास्तविक लाभार्थियों को ऋण देने के मामले में कितनी सहायक सिद्ध होगी ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्यों का आशय अप्रैल, 1986 में, देश के 22 चुनिंदा खण्डों में आरम्भ की गयी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों और सब्सिडी की रकम के नकद संवितरण की योजना से है। इस योजना का उद्देश्य हिताधिकारियों को अपनी पसन्द की परिसंपत्तियां खरीदने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। यह योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गयी थी।

उक्त प्रणाली के कार्यनिष्पादन की समीक्षा पिछली बार वर्ष 1987 में भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से की गयी थी और इस समीक्षा से यह पता चला कि चुनिंदा खण्डों में नकद संवितरण के प्रयोग का मिला-जुला अनुभव हुआ जिसमें लाभ और हानि दोनों ही हैं। अलबत्ता, हाल ही में, इस योजना को देश के 28 अन्य खण्डों मे भी लागू करने का निर्णय लिया गया है और इस प्रकार इनकी संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी।

दिल्ली में उत्पाद शुल्क की चोरी के मामले

609. **श्री हाफिज मोहम्द सिद्दीक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उत्पाद-शुल्क अदा करने वाले मदों के उत्पादक एककों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन एककों की कितनी बार आकस्मिक जांच की गई;

(ग) इन एककों की सहायक समाहर्ता, उप-समाहर्ता, आदि वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कितनी बार जांच की गई;

(घ) आकस्मिक जांच अथवा अन्यथा जांच द्वारा शुल्क की चोरी के कितने मामलों का पता चला; और

(ङ) दोषी एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (ख) 7953 (सात हजार नौ सौ तिरपन)।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् 1986-87 से 1988-89 तक के दौरान उपर्युक्त एककों की 414 बार आकस्मिक जांच की गई थी।

(ग) 49 (उनचास)।

(घ) 282 (दो सौ बयासी)।

(ङ) उपर्युक्त तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अब तक चूककर्ता एककों को लगभग 31.16 करोड़ रुपये के कुल शुल्क की मांग करते हुए 260 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 1.91 करोड़ रुपए के शुल्क की पुष्टि करते हुए तथा कुल मिलाकर लगभग 40 लाख रुपए के अर्थदण्ड लगाते हुए अनेक कारण बताओ नोटिसों पर पहले ही न्यायनिर्णयन किया जा चुका है, 10 मामलों में मुकदमें भी चलाए गए हैं।

उड़ीसा में निर्माणाधीन बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाएं

610. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इन सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति के बारे में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) सात बड़ी एवं इक्कीस मझोली परियोजनाएं।

(ख) से (घ) पांच बड़ी एवं दो मझोली सिंचाई परियोजनाएं, जो केन्द्र प्रबोधन के अन्तर्गत हैं, की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से प्राप्त हो रही हैं। सातवीं योजना के दौरान सुन्दर के पूरा होने की सम्भावना है, जबकि अपर कोलाब (सिंचाई), महानदी बिरूपा, अपर जौंक और पोटेरू परियोजनाओं के आठवीं योजना के दौरान पूरा होने की सम्भावना है। रेंगाली (सिंचाई) और अपर इन्द्रावती (सिंचाई) परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना से आगे ले जाया जाएगा।

मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा गांवों का अपनाया जाना

611. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए गांवों को अपनाने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) मध्य प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा अब तक कुल कितने और किन-किन गांवों को अपनाया गया है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान बैंक द्वारा मध्य प्रदेश में किन-किन गांवों को अपनाए जाने हेतु चुना गया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) बैंक शाखाओं को गांवों के आबंटन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार देश में सभी गांवों को वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं को आबंटित किया जाना अपेक्षित है। गांवों के आबंटन के मानदण्ड निम्न प्रकार से हैं :—

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित प्रत्येक ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखा को औसतन लगभग 15 से 25 गांवों को आबंटित किया जाना चाहिए।

2. जिस शाखा को गांवों का आबंटन किया जाता है वह उनके निकट स्थित होनी चाहिए।

3. जहां तक सम्भव हो एक ग्राम पंचायत के गांवों को उसी शाखा को आबंटित किया जाना चाहिये।

4. एक शाखा को आबंटित गांव निकटस्थ होने चाहिए।

5. शहरी केन्द्रों में अवस्थित बैंक शाखाओं को भी, यदि वे पहले से ही काफी सीमा तक गांवों को ऋण सहायता देने में लगी हुई हैं उनके निकटवर्ती कुछ गांव आबंटित किए जा सकते हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश में कुल 4096 ग्रामों को स्टेट बैंक आफ इन्दौर की 191 ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं को आबंटित किया गया है। इन गांवों के नामों को दर्शाता हुआ विवरण तैयार करने में लगा समय और श्रम प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

निर्यातोन्मुख एककों के लिए कोका कोला का प्रस्ताव

612. **श्री चिन्तामणि जेना :**
श्री मोहनभाई पटेल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोका कोला कम्पनी को शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक की नए सिरे से स्थापना करने के लिए अपना प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय ले रखा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) मै० कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंग्स इन्का० ने संकेत दिया था कि वे कुछ अतिरिक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे जिनमें निर्यात वृद्धि की बात होगी किन्तु शर्त यह है कि नोएडा निर्यात संसाधन क्षेत्र में परियोजना के लिए

उनका आवेदन-पत्र यथाप्रार्थित ही अनुमोदित हो जाए। यह प्रस्ताव अब प्राप्त हो गए हैं और इनकी जांच की जा रही है। कम्पनी ने अब संकेत दिया है कि वह भारत से अतिरिक्त निर्यात करने और खाद्य संसाधन उद्योग में निवेश के लिए कुछ और प्रतिबद्धता करेगी।

कुरला टर्मिनल (बम्बई)

613. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उप-नगर में कुरला टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) कुरला टर्मिनल की लम्बी दूरी की गाड़ियों तथा उप-नगरीय गाड़ियों को उपलब्ध कराने में क्या योगदान होगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्राइवेट पार्टों द्वारा टर्मिनल के लिए अपेक्षित भूमि के भाग के स्वामित्व पर विवाद खड़ा कर दिया गया और मामला बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है। इसके पूरा होने का कार्य न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश निरस्त करने पर निर्भर होगा।

(ग) कुर्ला में यात्री टर्मिनल के चरण-1 का कार्य पूरा होने पर मुख्य लाइन की 5 जोड़ी गाड़ियां सम्हाली जा सकती है। नए कुर्ला टर्मिनल पर उपनगरीय गाड़ियां सम्हाले जाने का प्रस्ताव नहीं है।

सवाई माधोपुर-जैसलमेर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

614. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवाई माधोपुर-जयपुर-फुलेरा-जोधपुर-जैसलमेर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है, और यदि हां, तो इसके परिणाम क्या है;

(ख) क्या रक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए और स्टील ग्रेड चूना-पत्थर की जैसलमेर क्षेत्र से तेजी से ढुलाई सुनिश्चित करने हेतु उक्त रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू किया जाएगा; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) बड़ी लाइन से जैसलमेर और बाड़मेर को जोड़ने के लिए मौजूदा मीटर लाइन सहित विभिन्न विकल्प मार्गों के लिए सर्वेक्षण किया गया था। योजना आयोग ने, प्रस्ताव पर विचार करने के बाद, निर्देश दिया था कि जैसलमेर और बाड़मेर को बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए प्रथम चरण के रूप में सवाई-माधोपुर जयपुर-फुलेरा-मेड़ता रोड-जोधपुर और मेड़ता रोड-लालगढ़ (बीकानेर) के आमान परिवर्तन के लिए अन्तिम स्थान सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों में वृद्धि

615. श्री साँभाजीराव ककाडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अपने कारोबार में हाल ही के वर्षों में कई गुना वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो क्या पालिसीधारकों को सभी अपेक्षित सेवाएं संतोषजनक ढंग से प्रदान की गयी हैं;

(ग) क्या वर्तमान कर्मचारियों की संख्या पालिसीधारकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) क्या बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और अधिक कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो जीवन बीमा निगम पालिसीधारकों को सन्तोषजनक सेवाएं कैसे प्रदान करेगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, हां। कार्यभार का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और जब भी कार्यभार में बढ़ोत्तरी होती है तो अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती कर ली जाती है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सेबों का निर्यात

[हिन्दी]

616. श्री हरीश रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित सेबों के निर्यात को बढ़ाने हेतु एक व्यापक योजना बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादित सेबों के निर्यात को बढ़ाने हेतु एक व्यापक योजना बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, सरकार ने सेब सहित फलों का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

बिहार में रेल लाइनों का बदला जाना

[अनुवाद]

617. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार में मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में कोई प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी समय-बद्ध कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) उत्तरी बिहार में विचाराधीन आमान परिवर्तन परियोजनाएं हैं :

(i) मुजफ्फरपुर-बेतिया-नरकटियागंज और (ii) समस्तीपुर-दरभंगा। मुजफ्फरपुर-बेतिया-नरकटियागंज आमान परिवर्तन परियोजना का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

समस्तीपुर-दरभंगा आमान परिवर्तन एक अनुमोदित परियोजना है लेकिन संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी और देसी (आन्तरिक) ऋण

[हिन्दी]

618. श्री राम पूजन पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा ऋण अदायगी की राशि में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी और देसी (आन्तरिक) ऋण अदायगी की अलग-अलग, वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऋण न लेने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) सरकारी खाते में आन्तरिक बाजार ऋणों और विदेशी ऋणों की वापसी-अदायगी की 1986-87 से आगे तक की प्रवृत्ति नीचे सारणी में दी गई है। विदेशी ऋणों की वापसी अदायगी में विनिमय दरों में भिन्नता के

कारण हुई वृद्धियां शामिल हैं।

(करोड़ रुपए)

	1986-87	1987-88	1988-89 संशोधित अनुमान	1989-90 बजट अनुमान
निम्नलिखित की वापसी अदायगी				
—आन्तरिक बाजार ऋण	1038	823	475	639
—विदेशी ऋण	895	1146	1515	1787

(ग) और (घ) सरकार का सदैव यह प्रयास रहता है कि राजस्व प्राप्तियों को अधिकतम किया जाए और व्यय की अनावश्यक मदों में कटौती की जाए ताकि ऋणों पर निर्भरता को न्यूनतम रखा जा सके। साथ ही साथ सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि विकास की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

[अनुवाद]

619. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में पिछले कुछ समय में बहुत धीमी दर से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बैंकों के ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात, जो दिसम्बर 1988 के अन्तिम शुक्रवार को 57.5 प्रतिशत था, मार्च 1989 के अन्तिम शुक्रवार को बढ़कर 60.1 प्रतिशत हो गया। ऋण-जमा अनुपात में होने वाले उतार-चढ़ाव को समग्र नीति के संदर्भ में देखना होता है। सांविधिक प्रारक्षित निधि की अपेक्षाओं में होने वाली वृद्धि का प्रभाव बैंकों के ऋण-जमा अनुपात की वृद्धि पर पड़ता है। तथापि, जमा-आधार में विस्तार होने से ऋण-जमा अनुपात में गिरावट आने की बावजूद बैंकों के कुल ऋणों में वृद्धि हो जाती है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन आदेश

620. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन पारित किए गए आदेश तस्करी, विदेशी धन के दुरुपयोग और लाइसेंस के दुरुपयोग के कुछ मामलों में रद्द कर दिए गए थे जैसाकि 20 मई, 1989 को "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) जैसाकि 20 मई, 1989 के "इण्डियन एक्सप्रेस" समाचारपत्र में प्रकाशित रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के अधीन श्री अब्दुल्ला गनी और रतन लाल डिडवानिया के विरुद्ध नजरबन्दी आदेश पारित किए गए थे। तथापि बाद में श्री अब्दुल्ला गनी के मामले की, प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की गई और चूंकि यह पाया गया कि श्री अब्दुल्ला गनी के विरुद्ध साक्ष्य मुख्यतः पारिस्थितिक था इसलिए नजरबन्दी आदेश रद्द कर दिया गया था।

श्री रतन लाल डिडवानिया के विरुद्ध पारित नजरबन्दी आदेश रद्द नहीं किया गया है तथा उस पर अभी कार्यवाही की जानी शेष है। श्री रतन लाल डिडवानिया को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 की धारा 7 के अन्तर्गत भगोड़ा घोषित किया गया है। दोनों मामलों में विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

अगले आम चुनावों के दौरान 'इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन' आरम्भ करना

621. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों और निर्वाचन-क्षेत्रों में 'इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन' आरम्भ की जाएगी; और

(ख) इन निर्वाचन-क्षेत्रों में मशीनों के माध्यम से किस सीमा तक ग्रामीण जनता अपने मत दे सकेगी ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) निर्वाचन आयोग द्वारा संवेदनशील समझे जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का पता लगाने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का प्रयोग अत्यन्त सरल है। ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों के व्यक्तियों को इन मशीनों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है।

सांविधानिक पीठों की स्थापना

622. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 से लम्बित मामलों को निपटाने के लिए सात न्यायाधीशों की सांविधानिक पीठ की स्थापना की जा रही है;

(ख) क्या दस से पन्द्रह वर्ष पुराने मामलों को निपटाने के लिए दो और संविधान पीठों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त दो वर्गों के कितने मामले, वर्गवार, उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) भारत के उच्चतम न्यायालय ने सूचित किया है कि सात न्यायाधीशों की एक संविधान न्यायापीठ स्थापित की जा रही है। यह न्यायापीठ कर सम्बन्धी पांच मामले और सेवा संबंधी एक मामला मिलाकर कुछ छह मामलों की सुनवाई करेगी। ये मामले 3 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक पुराने हैं। संविधान के उपबन्धों के निर्वचन से सम्बन्धित मामलों के विनिश्चय के लिए दो संविधान न्यायपीठें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की अपने कर्मचारियों के साथ बातचीत करने सम्बन्धी नीति

623. **श्री तम्पन थम्मस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के साथ उनके मांग पत्र की मांगों को निपटाने हेतु बातचीत करने के लिए अपनी नीति में परिवर्तन किया है;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा अपने वर्ष 1977 के मांग पत्र में की गई मांगों को अप्रैल, 1985 तक खींचा गया;

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि करने हेतु दिनांक 8 जनवरी, 1988 को शुरू की गई बातचीत पूरी हो गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो मांगों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने की पुरानी प्रथा, जैसाकि वर्ष 1970 और 1974 में किया गया, को पुनः लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। 12 मई, 1989 को एक अधिसूचना भी जारी की गई है जिसके अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

बड़ीसा की इन्द्रावती बहु-उद्देशीय परियोजना

624. **श्री जयन्तकुमार पटनायक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में ऊपरी इंद्रावती बहु-उद्देशीय परियोजना पर निर्माण-कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके लिए कितनी धन-राशि मंजूर की गई तथा किन-किन स्थानों और कितने क्षेत्र (एकड़) की इससे सिंचाई की जा सकेगी; और

(ग) क्या सरकार ने इसकी प्रगति का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) अपर इन्द्रावती बहुउद्देशीय परियोजना 208 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सितम्बर, 1978 में निष्पादन के लिए प्रारम्भ की गई जिसमें कालाहन्दी जिले में लगभग 1.85 लाख हेक्टेयर सिंचाई की परिकल्पना की गई है। परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 619 करोड़ रुपए है। इसकी प्रगति पर किए गए मूल्यांकन से पता चला कि सातवीं योजना के अंत तक 4600 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी।

विदेशी ऋणों का भुगतान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

625. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश पर विदेशी ऋण कितना है;

(ख) क्या सरकार इन ऋणों का भुगतान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से और ऋण लेने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) 31-3-1989 तक की स्थिति के अनुसार देश के कुल बकाया विदेशी ऋण की राशि 68831 करोड़ रुपए आंकी गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी रोक में छूट

626. **डा० चन्द्र शेखर वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न संवर्गों में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या नये पदों के सृजन एवं रिक्त पदों को भरने पर रोक के कारण लम्बे समय से यह स्थिति बनी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में, विशेष रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में तकनीकी पदों के सम्बन्ध में कोई छूट दी है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गड़वी) : (क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अलग-अलग संवर्गों के रिक्त पदों की संख्या के बारे में आंकड़े किसी एक जगह संकलित नहीं किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) खाली पदों को भरने सम्बन्धी मार्ग-निर्देशों, जिनमें 1986 में छूट प्रदान की गयी थी, के अनुसार सरकारी विभागों में पदोन्नति, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु, त्याग पत्र, बर्खास्तगी, निष्कासन अथवा प्रतिनियुक्ति इत्यादि के कारण होने वाली योजनागत तथा योजना भिन्न—दोनों तरह की रिक्तियों की कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन भरे जाने की अनुमति है। ये अनुदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पदों पर भी समानरूप से लागू होते हैं।

रेलों का देरी से चलना

627. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान देरी से चलने वाली रेलगाड़ियों की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) बड़ी लाइन पर 15.7 प्रतिशत तथा मीटर लाइन पर 5.3 प्रतिशत।

(ख) जंजीर खींचना, शरारती लोगों की गतिविधियां, आन्दोलन और कुछ उपस्करों की खराबी।

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

"फैक्स" मशीनों का आयात

[हिन्दी]

628. **श्री मदन पांडे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आटो टायरों के उत्पादन हेतु घटिया किस्म के बिल्डिंग ड्रम और प्रैस के आयात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का "फैक्स" मशीनों का आयात करने हेतु नियमों में भी छूट देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां। वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 15-5-1989 की सार्वजनिक सूचना सं० 123-आई० टी० सी० (पी० एन०)/88-91 के अनुसार, आटो-टायरों के निर्यात के लिए घटिया किस्म के बिल्डिंग ड्रम और प्रैस के आयात की अनुमति

इस शर्त के साथ दी गई है कि पांच वर्षों की अवधि में निर्यात दायित्व आयातित मशीनरी के सी० आई० एफ० मूल्य से 20 गुना रहेगा।

(ख) और (ग) वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 17-5-1989 की सार्वजनिक सूचना सं० 126-आई० टी० सी० (पी० एन०)/88-91 के अनुसार पंजीकृत निर्यातकों, निर्यात सदनों और व्यापार सदनों द्वारा फैक्स मशीनों के आयात के लिए प्रावधानों में चालू लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान छूट दी गई है, उक्त सार्वजनिक सूचनाओं की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

बड़ौदा-महाराजगंज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

629. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के महाराजगंज-बड़ौदा सेक्शन की छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के सम्बन्ध में मार्च, 1989 तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सेक्शन का कार्य निर्धारित समय से पिछड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर रेलवे पर बड़ौदा-महाराजगंज का कोई मीटर लाइन खण्ड नहीं है। किन्तु वहां दुरौंधा-महाराजगंज में एक मीटर गेज की शाखा लाइन है। 1978 में इस लाइन का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पाई गई थी। यह लाइन पहले ही यातायात के लिए बन्द की जा चुकी है और इसका बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गंगापुर के निकट फ्रंटियर मेल का पटरी से उतरना

[अनुवाद]

630. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**
श्री हेत राम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर के निकट बम्बई, दिल्ली, अमृतसर फ्रंटियर मेल गाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में मरे लोगों की संख्या कितनी है और इसमें कितने यात्री घायल हुए;

(ग) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप सरकार को अनुमानतः कितनी क्षति हुई;

(घ) इस सम्बन्ध में कराई गई जांच का क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : 22-6-1989 को गंगापुर सिटी स्टेशन से लगभग 16 कि० मी० पर 3 डाउन बम्बई-अमृतसर फ्रंटियर मेल के 11 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये थे। दुर्घटना के परिणामस्वरूप, 2 व्यक्ति मामूली रूप से और अन्य 27 व्यक्ति बहुत ही मामूली रूप से घायल हुए थे। रेलवे सम्पत्ति का नुकसान 1.65 लाख रुपये आंका गया। वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की समिति द्वारा दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

शामली में ऊपरि-पुल

[हिन्दी]

631. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में शामली में स्थित बड़े रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरि-पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं जबकि इस सम्बन्ध में कार्यवाही कई वर्ष पहले शुरू कर दी गई थी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शामली में समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए रेलवे को राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जीवन बीमा निगम की योजनाएं

[अनुवाद]

632. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ योजनाएं आरम्भ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत बीमा कारोबार के अन्तर्गत कोई नई योजना शुरू नहीं की है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सिक्किम में केन्द्रीय आयकर कानूनों का कार्यान्वयन

633. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सिक्किम में केन्द्रीय आयकर कानून लागू करने से पहले सिक्किम में लोगों से सुझाव मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो दिये गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांडा) : (क) प्रत्यक्ष कर कानूनों को, नामतः आयकर अधिनियम, 1961; धनकर अधिनियम, 1957; तथा दानकर अधिनियम, 1958, दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से, अर्थात् दिनांक 1-4-1989 से शुरू होने वाले पिछले वर्ष 1989-90 के संगत कर-निर्धारण वर्ष-1990-91 के सम्बन्ध में, सिक्किम राज्य पर लागू किया गया है।

केन्द्रीय सरकार ने सिक्किम राज्य में उपर्युक्त केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर कानूनों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में आने वाली किन्हीं कठिनाइयों की जांच-पड़ताल करने तथा उनके निमित्त समाधानों को सुझाने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा सिक्किम की राज्य सरकार के अधिकारियों की एक समिति गठित की। इस सम्बन्ध में अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमें सिक्किम राज्य के निवासियों तथा अन्य लोगों को, सरकार द्वारा गठित की गई समिति के संयोजक के पास इसके बारे में लिखने के लिए आमंत्रित किया गया था कि क्या उन्हें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर कानूनों के उपबंधों के अनुपालन में किसी प्रकार की कठिनाई दिखाई दी है अथवा नहीं।

(ख) से (घ) उक्त समिति, प्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुपालन के विषय में उसकी जानकारी में लाई गई कठिनाइयों की जांच-पड़ताल कर रही है तथा वह अपनी रिपोर्ट में अपने विचारों तथा समाधानों के बारे में सरकार को बताएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा भारत के पेटेन्ट अधिनियम का अध्ययन करने के लिए प्रस्ताव

634. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने हाल ही में भारत के पेटेन्ट अधिनियम का अध्ययन करने के लिए प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर विश्व बैंक से बातचीत की है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

अप्रयुक्त पड़ी विदेशी सहायता

635. **श्री राम प्यारे पनिका :**
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराव वाडियर :
श्री मोहनभाई पटेल :
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 जून, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 28,000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहायता लम्बी अवधि से अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश विदेशी सहायता विशिष्ट परियोजनाओं से सम्बद्ध होती है और इसलिए संवितरण परियोजना की कार्यान्वयन अनुसूची से जुड़ी होती हैं। वास्तविक कार्यान्वयन की प्रगति प्रत्येक परियोजना के बारे में अलग-अलग होती है। तथापि, किसी वित्तीय वर्ष विशेष के दौरान उपयोग न की गई ऋण की राशि आमतौर पर व्यपगत नहीं होती है और इस राशि को आगामी वर्षों में उपयोग के लिए आगे रखा जाता है। सरकार ने विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के कार्यान्वयन तथा विदेशी सहायता के उपयोग में तेजी लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

कलकत्ता स्थित स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में धोखाधड़ी

636. **श्री राव कुमार राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता स्थित स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में पिछले तीन वर्षों के दौरान, और 30 जून, 1989 तक धोखाधड़ी के कुल कितने मामले पकड़े गए;

(ख) इनमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मामलों में दोषी पाए गए लोगों का ब्यौरा क्या है; और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों तथा 30-6-89 तक कलकत्ता स्थित इनकी शाखाओं में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है। अलबत्ता, बैंक ने सूचित किया है कि कलकत्ता में इनकी कॉठन स्ट्रीट तथा बराबौरन रोड शाखाओं में विवेकाधिकारों की सीमा से अधिक के बड़े अग्रिमों को मंजूर करने के सात मामले ध्यान में आये हैं। इन मामलों में, 22-6-89 की स्थिति के अनुसार 377.38 लाख रुपयों की निवल देनदारी थी। वसूली के लिए प्रयासों/सुरक्षा को सुदृढ़ करने के

अतिरिक्त, बैंक ने कलकत्ता में अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा वसूली के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को भी तैनात किया है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का येन में ऋण लिया जाना

637. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने विदेशी बैंकों के एक सहायता संघ से, जिसमें बैंक आफ टोकियो एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा है बारह बिलियन जापानी येन का ऋण लिया है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) इस ऋण पर ब्याज की दर क्या है और इसके भुगतान की अवधि क्या है; और

(घ) यह ऋण किस प्रयोजन के लिए लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) लागू ब्याज की दर उधार लेने की तारीख को प्रचलित जापानी दीर्घावधि मूल दर से 0.3 प्रतिशत कम अर्थात् 5.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और परिपक्वता अवधि आहरण की तारीख से 12 वर्ष की है।

(घ) ऋण की प्राप्तियों का उपयोग उधार लेने वालों को देकर उनकी विदेशी करेंसी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

चाय व्यापार निगम

638. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय चाय व्यापार निगम के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय चाय व्यापार निगम को यह घाटा होने के मुख्य कारण हैं ईरान और ईराक जैसे चाय के परम्परागत क्रेताओं द्वारा चाय की कम खरीद, बढ़ी हुई स्वदेशी खपत और टी० टी० सी० आई० द्वारा प्रबन्धित चाय बागानों में उत्पादन में कमी।

(ग) भारतीय चाय व्यापार निगम के निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। वे हैं :—

1. बागान नवीकरण योजना तैयार करना।

2. व्यापार आधार को बढ़ाना ।

3. हरी चाय के निर्यात पर विशेष ध्यान देने का प्रयास ।

4. श्रमिकों की संख्या का युक्तिकरण ।

उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन की स्थापना के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता

639. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने उड़ीसा के गोपालपुर में सभी मौसमों के लिए उपयुक्त एक पत्तन की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव को केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र पुणे से मंजूरी मिल गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

समस्तीपुर-दरभंगा रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

640. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समस्तीपुर-दरभंगा छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) 4.75 करोड़ रुपये की लागत पर समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन खण्ड (37 कि० मी० लम्बे) को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए 1974-75 में स्वीकृत किया गया था । हाल ही में, इस लाइन के आमान परिवर्तन की बजाय एक समानान्तर बड़ी लाइन बिछाने के लिए एक नया सर्वेक्षण किया गया था जिस पर 26 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान था । यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं पायी गयी और इसलिए इसे शुरू नहीं किया जा सका । यह विनिश्चिय कि क्या इसे 8वीं योजना में शुरू किया जाएगा, योजना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

आठवीं योजना में रेलवे के लिए पूंजी-निवेश

641. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे में कुल कितनी पूंजी-निवेश करने की मांग की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) अनुमान है कि आठवीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित रेलवे कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्य दल ने विभिन्न रेलवे कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग से लगभग 41,600 करोड़ रुपए के निवेश की सिफारिश की है। रेल मंत्रालय को योजना आयोग के प्रत्युत्तर की जानकारी नहीं है।

आठवीं योजना के दौरान दक्षिण मध्य जोन के लिए परिव्यय

642. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा आठवीं योजना के दौरान दक्षिण मध्य जोन के लिए कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या दक्षिण मध्य क्षेत्र के लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस जोन के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) रेलों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

चाय का उत्पादन

643. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 के दूसरी छमाही में चाय के उत्पादन में ह्रास हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में हो रही कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि के निवेश के तरीके में परिवर्तन

644. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गैर-सरकारी भविष्य निधि के निवेश के अपने तरीके में अप्रैल, 1986 से परिवर्तन किया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार को निवेश के तरीके में परिवर्तन के कारण भारी आर्थिक हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई क्षतिपूर्ति, निवेश के तरीके में किए गए परिवर्तन से राज्य सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूरी कर सकने में अपर्याप्त है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चालू तथा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गड़वी) : (क) से (च) गैर-सरकारी कर्मचारी भविष्य निधियों के निवेश के ढांचे में पहली अप्रैल, 1986 से संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार इन निधियों को डाकघर सावधि जमा खातों में निवेश करने की अनुमति नहीं है।

इस संशोधन के कारण महाराष्ट्र में संग्रहों में कमी का अनुमान लगाना संभव नहीं है। राज्यों को इस कमी की प्रतिपूर्ति करने के विचार से अल्प बचत संग्रहों में राज्यों का हिस्सा पहली अप्रैल, 1987 से 2/3 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया गया था। अल्प बचत संग्रहों में वृद्धि करने और राज्यों के संसाधनों में बढ़ौतरी करने के लिए इन्दिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना, डाकघर मासिक आय योजना, किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत पत्र-VIIIवां निर्गम नामक नई अल्प बचत योजनाएं शुरू की गई हैं। वर्ष 1988-89 के लिए महाराष्ट्र के सम्बन्ध में अल्प बचत ऋण का आयोजना अनुमान 567.70 करोड़ रुपए है जबकि इसकी तुलना में 636.61 करोड़ रुपए का ऋण जारी कर दिया गया है।

फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री का औद्योगिक एककों के लिए श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन योजना अपनाने का सुझाव

645. **श्री एस० एम० गुरुड़ी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने औद्योगिक एककों के लिए उनकी निर्यात क्षमता के आधार पर एक श्रेणी युक्त प्रोत्साहन योजना अपनाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा सरकार को कोई योजना भेजी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उक्त सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) इन्हें कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) औद्योगिक एककों को उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर अलग-अलग प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ ने एक सुझाव दिया है।

(ग) और (घ) सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से इस सुझाव पर विचार किया गया था। ऐसा महसूस किया गया कि अलग-अलग प्रोत्साहन को मानीटर करने में कठिनाई होगी।

सुपर-301 के अन्तर्गत अमरीकी कार्रवाई का मुकाबला करने हेतु जापान के साथ संयुक्त नीति

646. **श्री जी० एस० बासवराजू :**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या भारत और जापान ने अमरीका द्वारा अपने व्यापार अधिनियम के सुपर-301 प्रावधानों को लागू करने की एकपक्षीय कार्रवाई का मुकाबला करने हेतु एक संयुक्त नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई बैठक हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बैठक का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खड़गपुर-हावड़ा सेक्शन में अतिरिक्त रेल लाइनें बिछाना

647. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर से पंसकुरा के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने और पंसकुरा से हावड़ा तक चौथी रेल लाइन बिछाने के सम्बन्ध में इस बीच निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

दिल्ली में "कस्टम रिटेल शॉप"

648. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली "कस्टम हाउस" में कोई "कस्टम रिटेल शॉप" कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान इस शॉप से कौन सी प्रमुख वस्तुएं बेची गयी हैं और इससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ग) क्या "रिटेल शॉप" के कार्यकरण को सुदृढ़ और कारगर बनाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) कपड़ा, सिले-सिलाये वस्त्र, इलैक्ट्रोनिक माल नामश: वी० सी० आर०, वी० सी० पी०, घड़ियां, कैमरे, श्रव्य तथा वीडियो कैसेट और विविध प्रकार का उपभोक्ता माल आदि इस खुदरा दुकान के जरिए बेचा गया था । पिछले छः महीनों अर्थात् 1-1-89 से 30-6-89 तक की अवधि के दौरान इस खुदरा दुकान के जरिए की गई बिक्री से प्राप्त हुआ राजस्व 49,82,885.00 रुपए है ।

(ग) और (घ) इस खुदरा दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है । इसके अलावा, कुछ स्थान भी बढ़ाया गया है और बिक्री के लिए माल के प्रदर्शन कार्य में भी सुधार किया गया है ।

केरल में चाय बागान उद्योग

649. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत की यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसियेशन और केरल के एसोसियेशन आफ प्लांटर्स ने केरल में चाय बागान उद्योग को पुनः स्थापित करने हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) सामान्य रूप से चाय उद्योग और विशेष रूप से केरल चाय उद्योग की सहायता हेतु कौन से उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जी, हां । केरल में चाय बागान उद्योग के पुनर्स्थापन के लिए मास्टर प्लान में, मोटे तौर पर अगले दस वर्षों के दौरान 235 करोड़ रुपये के निवेश से उत्पादन बढ़ाने के लिए जिलावार कार्य योजना तैयार की गई है । यह उत्पादन इस शताब्दी के अन्त तक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार चाय बोर्ड, वित्तीय संस्थाओं आदि सभी एजेन्सियों के संयुक्त प्रयासों से बढ़ाकर 100 मि० कि० ग्राम तक कर दिया जाएगा, जबकि इस समय यह 56.9 मि० किलोग्राम ही है ।

(ग) देश में सभी चाय बागान, चाहे वे किसी भी आकार के हों, चल रही विभिन्न विकास सम्बन्धी स्कीमों से लाभ उठाने के पात्र हैं, जिनके अन्तर्गत चाय बोर्ड ऋण तथा उपदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है । कुछ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केरल के इडुक्की और वीनाड जिलों के कुछ भागों को बोर्ड के गैर-परम्परागत क्षेत्रों के लिए नई चाय एकक वित्त पोषण स्कीम के उद्देश्यों हेतु गैर-परम्परागत क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है । इस स्कीम में वाणिज्यिक स्तर पर नए चाय बागान खोलने के लिए लंबी अवधि के ऋण तथा उपदान के जरिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है । मनाटोडी तालुक में जनजाति लोगों के लिए चाय फैक्ट्री और चाय नर्सरी स्थापित करने के लिए भी विशेष सहायता दी जाती है ।

बिहार में नई रेल लाइनें बिछाना

[हिन्दी]

650. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में नई रेल लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) विगत में बिहार सरकार ने निम्नलिखित नयी रेल लाइन परियोजनाओं के निर्माण का सुझाव दिया था :—

(1) लालमटिया	—	कहलगांव
(2) हजारीबाग के रास्ते रांची	—	गिरिडीह
(3) देवगढ़	—	दुमका
(4) डेहरी आन सोन	—	पिपराडीह-
जादूनाथपुर	—	भवंतपुर
(5) आरा	—	सासाराम

उपर्युक्त लाइनों के लिए सर्वेक्षण किया गया था लेकिन किसी भी परियोजना को अर्थक्षम नहीं पाया गया । इसलिए इनका निर्माण कार्य शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केरल के अल्लेपी जिले में बैंकों द्वारा दी गई सहायता

[अनुवाद]

651. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अल्लेपी जिले के गांवों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा गांव अपनाये जाने की योजना के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुट्टानाड धान क्षेत्र, जिसे केरल का चावल भंडार कहा जाता है, के गांवों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस योजना में इन गांवों को सम्मिलित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मसालों के विकास हेतु मसाला बोर्ड की योजना

652. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड ने केरल तथा मसालों का उत्पादन करने वाले अन्य राज्यों में मसालों के विकास हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान मसालों के विकास के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) चुनिन्दा राज्यों में मसाला विकासा सम्बन्धी योजना के अधीन अभिज्ञात मसालो तथा राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

क्रम सं०	फसल	राज्य
1.	अदरक	केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश
2.	हल्दी	आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
3.	धनिया	आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश
4.	जीरा	राजस्थान और गुजरात
5.	सौंफ	—वही—
6.	मेंथी	—वही—
7.	अजमोद	पंजाब
8.	केशर	जम्मू और कश्मीर

इस योजना के अन्तर्गत अच्छी किस्म के मसालों के पौध रोपण सामग्री को बढ़ाने, प्रदर्शन के लिए भूखण्ड तैयार करने और किसानों को निवेश किटों की आपूर्ति का प्रस्ताव है।

(ग) इस योजना की कुल वित्तीय आवश्यकता 1.21 करोड़ रुपया है।

त्रिवेन्द्रम और वाराणसी के बीच सुपर फास्ट गाड़ी

653. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ इंडियन "वेलफेयर मूवमेंट" की इलाहाबाद यूनिट से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें त्रिवेन्द्रम से वाराणसी तक एक सुपर फास्ट गाड़ी चलाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

[हिन्दी]

654. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने विश्व के विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन के बारे में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या टिप्पणी की है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) विश्व बैंक द्वारा हाल ही में प्रकाशित की गई विश्व विकास रिपोर्ट, 1989 में विकास में वित्तीय पद्धति की भूमिका पर, जिसे इस वर्ष की रिपोर्ट में एक विशेष विषय के रूप में, प्रकाश डाला गया है। विकासशील देशों में वित्तीय पद्धतियों की चर्चा करते हुए, रिपोर्ट में भारत की स्वदेशी बैंकिंग पद्धतियों का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत में पूंजी बाजारों प्रभावी विकास का भी उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में समुद्र के किनारे दीवारों का निर्माण

[अनुवाद]

655. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्यों के तटीय क्षेत्रों में समुद्र के किनारे दीवारों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें केन्द्र की सहायता से इन दीवारों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में समुद्र के किनारे दीवारों के निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी, नहीं।

(ख) समुद्र से कटावों समस्या की गम्भीरता एवं विस्तार पर विचार करते हुए, केन्द्र सरकार को कुछ विशिष्ट पहुंचों में समुद्र के किनारे दीवार बनाने के लिए ऋण सहायता प्रदान कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बासमती के अलावा अन्य चावल का अफ्रीकी देशों को निर्यात

657. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अफ्रीकी देशों को बासमती के अलावा अन्य चावल निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान किन-किन अफ्रीकी देशों को बासमती के अलावा अन्य किस-किस किस्म का और कितना चावल निर्यात करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति सीमित उच्चतम-सीमा के अन्तर्गत दी गई है। निर्यातकों को उच्चतम सीमा स्लिपें जारी करने के लिए निर्यात की उच्चतम सीमा सम्बन्धी कार्य कृषीय प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को सौंपा गया है। एपीडा को अभी तक ऐसा कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें निर्यात को गंतव्य स्थान के रूप में किसी अफ्रीकी देश का उल्लेख हो।

भारत सहायता संघ द्वारा दिए गए सुझाव

658. **श्री परसराम भारद्वाज** :
श्री आर० एम० भोये :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता संघ ने भारत सरकार को बढ़ते हुए वित्तीय घाटे को कम करन का सुझाव दिया है, जिससे विकास दर को ऊंची बनाए रखने के लिए सुदृढ़ आधार बनाया जा सके;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) 19-20 जून, 1989 को पेरिस में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में, सदस्यों ने बजट घाटे को कम करने में भारत सरकार द्वारा की गई प्रगति की सराहना की थी। कुछ सदस्यों ने कहा कि वे इस दिशा में और सुधार होने की अपेक्षा करते हैं। तथापि, इस बारे में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया गया।

आन्दोलनों के दौरान रेल सम्पत्ति को क्षति

[हिन्दी]

657. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च-जून, 1989 के दौरान विभिन्न आन्दोलनों के परिणामस्वरूप रेल सम्पत्ति को जोन-वार कितनी क्षति हुई;

(ख) भविष्य में रेल सम्पत्ति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई सहयोग मांगा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) मार्च से जून, 1989 की अवधि के दौरान हुए विभिन्न आन्दोलनों के परिणामस्वरूप पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण पूर्व रेलवे पर रेल सम्पत्ति की निम्नलिखित क्षति हुई :—

पूर्व	—	लगभग 5,000 रुपये
पूर्वोत्तर सीमा	—	लगभग 17,56,000 रुपये
दक्षिण पूर्व	—	लगभग 3,75,000 रुपये

(ख) और (ग) ऐसे आन्दोलनों के दौरान रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

(i) आन्दोलनों की सम्भावना के बारे में सूचना मिलने पर सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों से रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा और रेलवे परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी निवारक उपाय करने का अनुरोध किया जाता है ।

(ii) जबकि राज्य सरकार के पुलिस प्राधिकारी रेलवे परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस/राजकीय रेलवे पुलिस को तैनात करते हैं और रेल सुरक्षा बल राज्य पुलिस की सहायता से महत्वपूर्ण रेलवे संस्थापनाओं और रेलवे सम्पत्ति की रक्षा करता है ।

(iii) राजकीय रेलवे पुलिस यात्री गाड़ियों का मार्गरक्षण करती है और माल गाड़ियों की सुरक्षा शस्त्रधारी रेल सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा की जाती है ।

(iv) रेलवे पुलों की सुरक्षा राज्य पुलिस द्वारा की जाती है ।

(v) रेल पटरियों पर गश्त लगाई जाती है ।

(vi) राज्य सरकार के उच्च स्तर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ नियमित समन्वयन बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि रेल परिसरों में रेल सम्पत्ति की बेहतर सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके ।

रेनीगुंटा (आन्ध्र प्रदेश) में रिपेयर वर्कशाप

[अनुवाद]

660. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में रेनीगुंटा स्थित कोच रिपेयर वैगन रिपेयर वर्कशाप के लिए गत तीन वर्षों के दौरान दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) उक्त वर्कशाप द्वारा रेल डिब्बों और वैगनों की मरम्मत का अपना निर्धारित लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने की सम्भावना है और क्या वहां मरम्मत कार्य में विलम्ब होता है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) यह योजना नहीं बनायी गई है कि तिरूपति (रेनिगुंटा के निकट) में स्थित दक्षिण क्षेत्र के लिए सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना मालडिब्बों की मरम्मत करें। विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में परियोजना के लिए किया गया परिव्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	परिव्यय
1986-87	7.00 करोड़ रु०
1987-88	8.15 करोड़ रु०
1988-89	10.00 करोड़ रु०
1989-90	5.24 करोड़ रु०

(ख) कारखाने में पहले ही काम शुरू हो गया है। मरम्मत का वर्तमान स्तर प्रतिमाह 50 सवारी डिब्बे है। योजना है कि 1995 तक मरम्मत का स्तर बढ़ाकर 150 सवारी डिब्बा कर दिया जाए। कारखाने द्वारा नवीं योजना अवधि में प्रतिमाह 200 सवारी डिब्बे की मरम्मत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लेने की सम्भावना है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टिकटों की अवैध बिक्री

661. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अनधिकृत व्यक्ति/ट्रैवल एजेंट और बिचौलिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरक्षित टिकटों की खरीद फरोख्त का कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और पिछले एक वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार अथवा दण्डित किया गया है;

(ग) क्या ऐसे अनधिकृत व्यक्ति सही और अनपढ़ यात्रियों को परेशान कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ग) ऐसे कुछ मामले नोटिस में आये हैं।

(ख) और (घ) दलालों/अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा आरक्षणों में किये जाने वाले कदाचारों पर काबू पाने के लिए किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(i) दलालों का पता लगाने तथा उन्हें पकड़ने के लिए नयी दिल्ली के आरक्षण कार्यालय पर

कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अनधिकृत ट्रेवल एजेंटों के परिसरों में अचानक जांच भी की जाती है। जुलाई, 1988 से जून, 1989 के दौरान 120 व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा अभियोग के लिए पुलिस को सुपुर्द किया गया।

(ii) जाली आरक्षणों का पता लगाने के उद्देश्य से भीड़-भाड़ की अवधियों के दौरान आरक्षण मांगपर्चियों की जांच की जाती है। सन्देहास्पद जाली मांगपर्चियों का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाता है और जहां से आरक्षण जाली पाये जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं।

(iii) जरूरतमंद यात्रियों को टिकटों की अनधिकृत खरीद/बिक्री के खिलाफ नोटिस तथा जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से बार-बार चेतावनी दी जाती है।

आन्ध्र प्रदेश में रेलवे अस्पतालों में दवाईयां उपलब्ध न होना

662. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में लालगुडा और सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशनों में कुछ दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अस्पतालों में दवाईयां और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) लालगुडा और सिकन्दराबाद स्थित रेलवे अस्पतालों में सामान्यतः दिन-प्रति-दिन के उपयोग के लिए अपेक्षित सभी अनिवार्य औषधियां उपलब्ध हैं लेकिन हो सकता है कि ये विशिष्ट ब्रांड के नाम वाली न हों। लालगुडा स्थित अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और इसे 1989-90 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

सरकारी विभागों द्वारा व्यय

663. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक सरकारी विभाग में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर व्यय का लेखा रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान वार्षिक व्यय का कितना प्रतिशत व्यय किया गया ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(1988-89 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

वार्षिक व्यय की प्रतिशतता

	1987-88	1988-89 (अनन्तिम)
पहली तिमाही	15.38	19.52
दूसरी तिमाही	20.55	20.13
तीसरी तिमाही	18.21	21.09
चौथी तिमाही	45.86	39.26

ये आंकड़े सरकारी ऋण को छोड़कर भारत की समेकित निधि से सम्बन्धित हैं।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाजार में भारतीय चाय की बिक्री को बढ़ावा

664. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाजार में भारतीय चाय की बिक्री में, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली कुल चाय की प्रतिशतता तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा आयात की जाने वाली कुल चाय, दोनों ही रूप में गिरावट आ रही है;

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाजार में भारतीय चाय की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाजार के लिए चाय के निर्यात में वृद्धि करने हेतु, यदि सभी निर्यातक देशों द्वारा संयुक्त रूप से कोई कदम उठाए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) विगत कुछ महीनों में ऐसी कोई स्पष्ट प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई।

(ख) ई० ई० सी० देशों में भारतीय चाय और मूल्यवर्धित चायों का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रमुख बाजारों में अनेक संवर्धनात्मक अभियान चलाए गए हैं। इसके अलावा, चाय बोर्ड भी ई० ई० सी० देशों में आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों आदि में भाग लेता है।

(ग) ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी की चाय परिषदों के कार्यक्रमों से ई० ई० सी० बाजार में चाय के निर्यात संवर्धन में सहायता मिली है। केवल भारत, श्रीलंका, केन्या आदि जैसे परम्परागत निर्यातक देश ही इन परिषदों के सदस्य हैं।

नेपाल को चीनी का निर्यात

666. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेपाल को चीनी निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नेपाल द्वारा दिए गए आर्डर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान नेपाल को कितनी चीनी निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) महामहिम नेपाल सरकार ने वर्ष 1989 के दौरान 15,000 एम० टी० चीनी की आपूर्ति का अनुरोध किया था जिस पर भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी थी।

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा गैर-सारणीबद्ध निर्यात

667. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अपना गैर-सारणी-बद्ध निर्यात बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) एस० टी० सी० द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(1) सहयोगी निर्यातकों को वित्तीय/विपणन और तकनीकी सहायता का प्रावधान।

(2) नई मदें और नए बाजारों के विकास के लिए एक निर्यात व्यापार विकास समूह की स्थापना।

(3) भारतीय निर्यातकों को अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ग्राहक सेवा केन्द्र खोलना।

(4) निर्यातकों को कच्चे माल सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए ओ० जी० एल० पर कच्चे माल के आयात के लिए योजना बनाना।

(5) विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि के लिए प्रति व्यापार और अपतट व्यापार में वृद्धि करना।

(6) छोटे विनिर्माताओं के लिए बल्क औषधियों हेतु कीमत समर्थन योजना बनाना।

(7) ग्रस्ट क्षेत्रों को अभिज्ञात करना और उत्पाद-विकास पर बल देना।

(8) एस० टी० सी० द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता बनाना और उसे उद्यमियों को प्रदान करना।

(9) ब्रांड विपणन का संवर्धन करना।

गैर-सरणीकृत निर्यातों के संवर्धन के लिए उपर्युक्त योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, एस० टी०

सी० ने ऐसा अनुमान लगाया कि गैर-सरणीकृत निर्यात जोकि वर्ष 1988-89 के दौरान 442 करोड़ रु० मूल्य के हुए थे बढ़कर वर्ष 1989-90 में 560 करोड़ रु० मूल्य के हो जाएंगे ।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने भी अपने गैर-सरणीकृत निर्यातों में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए हैं । इनमें शामिल हैं :—

— दीर्घावधि आधार पर संभाव्य बाजारों का चयनात्मक तौर पर अभिज्ञात किया जाना ।

— उन मदों की सप्लाई के घरेलू स्रोतों का चयनात्मक विकास जिनका चुनिन्दा बाजारों में संवर्धन किया जाएगा ।

— नए निर्यात बाजारों में भारतीय उत्पादों के लिए प्रवेश के लाभ हेतु परियोजना निर्यातों, प्रति-व्यापार जैसी योजनाओं का उपयोग ।

— गैर-सरणीकृत मदों के निर्यात के अभिमुख निगम के भीतर संगठनात्मक संवर्धन सृजन ।

— निर्यात विपणन, प्रबन्ध व्यवस्था तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में मानव संसाधनों का गहन प्रशिक्षण ।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप एम० एम० टी० सी० ने यह अनुमान लगाया है कि गैर-सरणीकृत मदों का निर्यात वर्ष 1989-90 में बढ़कर 427 करोड़ रु० का हो जाएगा जबकि यह वर्ष 1988-89 में 352 करोड़ रु० का हुआ था ।

सीधे विदेशी पूंजी-निवेश के बारे में दृष्टिकोण

668. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आर्थिक मंत्रालय और योजना आयोग, सीधे विदेशी पूंजी-निवेश के सम्बन्ध में विदेशी पूंजी-निवेशकों को परस्पर विरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं;

(ख) क्या सीधे विदेशी-पूंजी निवेश के प्रभाव के बारे में दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आया है जबकि निवेशक, निर्यातोन्मुख क्षेत्रों सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भाग लेने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) हमारी विदेश नीति के बुनियादी ढांचे का औद्योगिक नीति संकल्प सहित विभिन्न दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है । यद्यपि यह एक खुली नीति नहीं है तथापि इसमें पर्याप्त मात्रा में लचीलापन है । इस नीति के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रियाकलापों में तकनीकी और वित्तीय सहयोग की अनुमति है । सरकार का इरादा इस नीति के विस्तृत ढांचे के अन्दर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और अधिक प्रोत्साहित करने का है ।

नांगल बांध-तलवाड़ा रेल लाइन

669. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उत्तर से आगे अम्ब तक नांगल बांध-तलवाड़ा रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में अद्यतन (30 जून, 1989 तक के अनुसार) प्रगति क्या है;

(ख) उत्तर और अम्ब तक रेल लाइन कब तक तैयार हो जायेगी और प्रत्येक स्टेशन तक माल तथा यात्री यातायत हेतु कब तक चालू हो जाएगी; और

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस रेल लाइन के लिए आधारशिला 22 दिसम्बर, 1974 को रखी गई थी और इस प्रकार इसके निर्माण में पहले ही अत्यधिक विलम्ब हो चुका है, इसके निर्माण कार्य को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलों ने राज्य के राजस्व प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से ऊना से आगे अम्ब की ओर 10 कि० मी० भूमि चिह्नित की है परन्तु राज्य सरकार द्वारा अभी तक यह भूमि प्रदान नहीं की गई है।

(ख) और (ग) ऊना तक रेलवे लाइन 1989-90 की तीसरी तिमाही के दौरान पूरा हो जाने की आशा है। अम्ब तथा इससे आगे तलवाड़ा तक रेलवे लाइन का निर्माण राज्य सरकार द्वारा भूमि प्रदान करने पर निर्भर करेगा। योजना शीर्ष "नयी लाइनें" के लिए योजना आयोग द्वारा आबंटित धन की समग्र सीमा के भीतर इस परियोजना को यथोचित प्राथमिकता दी जा रही है।

पश्चिमोत्तर राज्यों में गाड़ियों में डीजल इंजन लगाना

670. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली उन डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के नाम क्या हैं जिनमें जुलाई, 1986 से डीजल इंजन लगाये गए हैं तथा जो दिल्ली/नई दिल्ली से चलती है अथवा होकर पश्चिमोत्तर राज्यों के विभिन्न भागों-पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, चंडीगढ़ और हरियाणा को जाती हैं; और

(ख) इनमें से कितनी गाड़ियों में अभी डीजल इन्जन लगाये जाने हैं तथा इनमें कब तक डीजल इन्जन लगाये जायेंगे और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) दिल्ली और हिसार के बीच 99/100 हरियाणा एक्सप्रेस (मीटर लाइन) अब भी भाप इन्जन से चलाई जाती है। माल भाड़ा यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद डीजल रेल इन्जनों की सीमित उपलब्धता के कारण इस गाड़ी का डीजलीकरण नहीं किया जा सका।

विवरण

निम्नलिखित गाड़ियों का डीजलीकरण किया गया :—

(i) 1-10-1987 से नयी दिल्ली और लुधियाना के बीच एक नई गाड़ी संख्या 405/406।

(ii) 1-5-1989 से 59/60 अमृतसर-नयी दिल्ली एक्सप्रेस चलायी गई।

(iii) मई, 1989 से सप्ताह में तीन बार चलने वाली 987/988 जम्मू तवी-गोरखपुर एक्सप्रेस चलायी गयी ।

(iv) मई, 1989 से 997/998 जम्मू तवी-हापा साप्ताहिक एक्सप्रेस चलायी गई ।

(v) दिल्ली और नंगल डैम के बीच चलने वाली मौजूदा गाड़ी 53/54 हिमाचल एक्सप्रेस का 1-5-1989 से डीजलीकरण किया गया ।

(vi) पहले से ही डीजलीकृत एक अन्य गाड़ी सं० 83/84 गंगा-यमुना एक्सप्रेस 1-5-1989 से भिवानी तक बढ़ायी गई है ।

कुराली और चंडीगढ़ के बीच रेल लाइन

671. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नांगल-सरहिन्द सेक्शन पर कुराली रेलवे स्टेशन को चंडीगढ़ से रेल लाइन से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो यह सर्वेक्षण कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) कुराली के ठीक दक्षिण में स्थित स्टेशन मोरिंडा के रास्ते लुधियाना-चंडीगढ़ के बीच नयी बड़ी रेल लाइन के लिए विगत में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, परियोजना असाध्यप्रद पाई गई थी । परिचालनिक दृष्टि से भी, इस रेल सम्पर्क की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुराली और चंडीगढ़ सरहिन्द और अम्बाला के रास्ते पहले ही जुड़े हुए हैं । अतः सुझायी गयी लाइन के लिए नया सर्वेक्षण कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

समुद्री क्षरण से तटीय क्षेत्रों का संरक्षण

672. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मानसून के दौरान होने वाले समुद्री क्षरण से तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) केन्द्रीय सहायता को चरण II कार्यक्रम तक बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें 158 कि०मी० की नई समुद्री दीवारों का निर्माण एवं लगभग 23 कि० मी० की लम्बाई तक विद्यमान समुद्री दीवारों को मजबूत बनाना सम्मिलित है ।

(ग) राज्य सरकार से तटीय प्रबन्ध कार्यों की आयोजना, डिजाइन एवं कार्यान्वयन के लिए एक संगठन की स्थापना करने का अनुरोध किया गया है, जिससे विचार करने के लिए तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्कीमों को वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया जा सके।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से सहायता

673. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक संकटग्रस्त राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता उड़ीसा में सहकारी भूमि विकास बैंकों को दी जा रही है अथवा देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों को दी जाने वाली राहत की किस्म उनके द्वारा सामना किए जा रहे संकट की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रदान की जाने वाली सहायता का निर्णय प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर लिया जाएगा। सामान्य स्थिति में ऐसे मामलों में प्रदान की गई सहायता में ऋणकर्ता के स्तर पर वर्तमान मांगों को स्थगित करना अतिदेय राशियों के मामले में आस्थगन की सुविधा, उन बैंकों को जिनका संगठन और प्रबंधन कमजोर है, पुनरूद्धार के वास्ते अनुदान प्रदान करना आदि शामिल होता है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का चिरकालिक चूककर्ता रहा है और चूक की सीमा मार्च, 1989 के अन्त तक 21 करोड़ रुपए की थी। फिर भी उपर्युक्त देय राशियों की तुलना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 7.87 करोड़ रुपए के 3 आस्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर दिए हैं।

दिल्ली-पुरी रेल गाड़ियों में यात्री सुविधाएं

674. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेल गाड़ियों, विशेष रूप से दिल्ली-पुरी के बीच चलने वाली गाड़ियों, में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं आवश्यकता से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन लम्बी दूरी की गाड़ियों में वर्तमान सुविधाओं में सुधार करने तथा यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सुविधाओं में निम्नलिखित सुधार किए जा रहे हैं :—

(i) दूसरे दर्जे के सभी शयनयानों में उत्तरोत्तर गद्दियों की व्यवस्था की जा रही है जिसके अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा होने की आशा है।

(ii) पहले दर्जे के पुराने डिब्बों का पुनर्स्थापन किया जा रहा है और पहले दर्जे के नए डिब्बों का निर्माण भी किया जा रहा है।

(iii) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में उत्तरोत्तर गलियारे की व्यवस्था की जा रही है।

(iv) लम्बी दूरी की कुछ गाड़ियों में दिन के समय चल सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी है।

टोंकपुरा के पास 916 डाउन नीलाचल एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

675. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 916 डाउन नीलाचल एक्सप्रेस 30 मई, 1989 को गया-धनबाद क्षेत्र में टोंकपुरा स्टेशन के पास पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो पटरी से उतरने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति जख्मी हुए; और

(घ) घायल यात्रियों को किस प्रकार का उपचार प्रदान किया गया तथा उन्हें गन्तव्य स्थान तक भेजने के लिए क्या व्यवस्था की गई?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) पूर्व रेलवे के धनबाद मण्डल में गया-गोमोह दोहरी लाइन विद्युतीकृत खण्ड पर टनकुप्पा स्टेशन पर 30 मई, 1989 को 916 डाउन नयी दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस एक मालगाड़ी के पिछले भाग से टकरा गयी और पटरी से उतर गयी।

(ख) दुर्घटना रेल कर्मचारी की गलती के कारण हुई।

(ग) 13 यात्री तथा 2 रेल कर्मचारी घायल हुए थे।

(घ) 13 घायल यात्रियों में से 10 ने टनकुप्पा स्टेशन पर आवश्यक चिकित्सा प्राप्त कर इसी गाड़ी से अपनी यात्री जारी रखी।

जिन 3 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती किया गया था बाद में रेलवे की लागत पर उनके गंतव्य स्थलों को भेज दिया गया।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण

676. **श्री टी० बाल गौड** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए कुल कितनी राशि का ऋण मंजूर किया गया;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि कार्यों के लिए उसी पैमाने पर ऋण दिए गए जिस पर अन्य राज्यों में दिए गए हैं;

(ग) क्या बैंक बिना किसी भेदभाव के सभी किसानों को ऋण दे रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वर्ष 1989-90 में आंध्र प्रदेश में किसानों को ऋण देने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के अनुसार (राज्यवार तथा व्यवसाय-वार) जून 1987 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया कृषि ऋणों की राशि 1333.2 करोड़ रुपए थी।

(ख) अलग-अलग राज्यों में कृषि के लिए बैंक ऋणों के संवितरण की कड़ाई से तुलना नहीं की जा सकती। कृषि कार्यों के लिए दिये जाने वाले बैंक ऋण अलग-अलग राज्य में एक समान नहीं होते जिनके कई कारण हैं : जैसे कि राज्य का आकार, जमीन का क्षेत्रफल जिस पर खेती की जा रही है और सिंचाई, बिजली, उर्वरक, बीज, श्रमिक, कृषि उत्पादों के लिए उपयुक्त विपणन सुविधाओं आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता।

(ग) और (घ) बैंकों को इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र किसानों को कृषि अग्रिम मंजूर करने के लिए कहा गया है।

(ङ) और (च) किसी खास राज्य में ऋण देने के वास्ते कोई विशेष लक्ष्य नहीं हैं। अलबत्ता, किसानों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रवाह में वृद्धि करने के प्रयोजन से, वाणिज्यिक बैंकों को, मार्च 1990 तक, कुल बकाया अग्रिमों में कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त का हिस्सा बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने के लिए कहा गया है।

महाराष्ट्र में कृषि ऋणों पर ब्याज की रियायती दर

677. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार के इस निर्णय का समर्थन करने का अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक छोटे किसानों को ब्याज की रियायती दर पर कृषि ऋण दे;

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुए थे; और

(ग) इस मामले पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से, किसानों को दिए जा रहे कृषि ऋणों को रियायती ब्याज दरों पर देने के अनुरोध को मान लेने की प्रार्थना की है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भी अनुरोध किया गया था कि वह महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को इस योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति दे।

(ख) योजना के अनुसार, ऐसे ऋणकर्ता जो सहकारी ऋण समितियों से 10,000/- रुपए तक के फसल ऋण प्राप्त करते हैं और जो अपनी देय राशियों की वापसी अदायगी नियत तारीख तक या उससे पहले अविलम्ब रूप से कर देते हैं, उनसे 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूल किया जाएगा और इस तरह वे ब्याज दर में छूट के पात्र होंगे। यह प्रस्ताव किया गया था कि ऐसी छूट की देयता इस शर्त पर राज्य सरकार और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक शेयर करेंगे कि राज्य सरकार पर वार्षिक भार 15 करोड़ रुपए या कुल राशि का 50 प्रतिशत, इसमें से जो भी कम हो, सीमित कर दिया जाएगा। ये प्रस्ताव मार्च और मई 1989 के बीच प्राप्त हुए थे।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक वसूलियां करने के वास्ते ब्याज माफ करने या ब्याज में छूट देने की किसी योजना के पक्ष में नहीं है क्योंकि यह भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन है। ऐसी योजना वसूली के वातावरण को खराब करती है और अन्ततः यह अनुत्पादकपूर्ण सिद्ध होती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अनुभव से पता चलता है कि सब्सिडी का किसानों पर कोई स्थाई प्रभाव नहीं होता है और संस्थागत एजेंसियों से लाभप्रद होने के स्थान पर ऐसी योजनाएं लम्बी अवधि में उनके लिए नुकसान-देह होती हैं क्योंकि ये योजनाएं ऋणकर्ताओं के दिमाग में और राहत प्राप्त करने की आशाओं को जगाती है। अतः किसानों को दी गई किसी भी प्रकार की सहायता को ब्याज दर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का विचार है कि सहकारी बैंकों को ऐसी योजनाओं में किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे इन बैंकों की आय अर्जित करने की क्षमता पर भारी बोझ पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा घोषित ब्याज दरों में कटौती के कारण हुई हानियों के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक एक ओर तो शिकायत कर रहा है वहीं दूसरी ओर वह 2 प्रतिशत के रूप में ब्याज सब्सिडी देने का प्रस्ताव कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का विचार है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी प्रकार की प्रस्तावित सहायता को सहकारी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से नहीं दिया जाना चाहिए।

"अंसल प्रापर्टीज" के आवासीय परिसरों और कार्यालयों में छापे

678. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**
चौधरी खुर्शीद अहमद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने "अंसल प्रापर्टीज, दिल्ली" के सभी कार्यालयों और आवासीय परिसरों में छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त छापों के क्या परिणाम रहे; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) आयकर विभाग ने मैसर्स अंसल प्रापर्टीज ग्रुप ऑफ दिल्ली के प्रधान कार्यालय तथा रिहायशी परिसरों की दिनांक 25 मई, 1989 को तलाशियां लीं।

(ख) इन तलाशियों के परिणामस्वरूप प्रथमदृष्ट्या लगभग 52.43 लाख रुपए के मूल्य की लेखा बाह्य परिसम्पत्तियों के अलावा बहुत बड़ी संख्या में दस्तावेज तथा लेखा पुस्तकें पकड़ी गईं।

(ग) पकड़ी गई लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों की संवीक्षा अनुवर्ती जांच-पड़ताल और प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अधीन यथापेक्षित ऐसी अन्य कार्यवाहियां की गई हैं।

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ऋण

679. **डा० वत्ता सामन्त :**
श्री शरद दिघे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को किसानों को खरीफ के मौसम में वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा ऋण देने के लिए 50 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है;

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने इस राशि पर कितना ब्याज लिया और किसानों को इस पर कितना ब्याज देना होगा;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस ऋण के बारे में कोई मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गड़वी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को दिसम्बर 1988 में पुनर्वित्त प्रदान करना बन्द कर दिया था क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में चलाई जा रही ब्याज सब्सिडी योजना की कार्यान्वयन सहकारी बैंकों के माध्यम से किया जा रहा था, जोकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई हिदायतों का उल्लंघन है और इसके कारण सहकारी बैंकों की सक्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को सूचित किया है कि उसे पुनर्वित्त सुविधा दोबारा तभी शुरू की जाएगी जब वह लिखित रूप में इस बात का आश्वासन दे कि वह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई हिदायतों का अतिक्रमण/उल्लंघन नहीं करेगा। चूंकि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने 12 जून 1989 तक अपेक्षित आश्वासन नहीं दिया था, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को कोई पुनर्वित प्रदान नहीं किया जा सका। इस बीच राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को राज्य सरकार से, जिसे राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने

अपने विचारों से अवगत करा दिया था, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने इस बात को मान लिया कि महाराष्ट्र के सहकारी बैंक ब्याज दर, वापसी अदायगी/ऋणों के पुनर्निर्धारण आदि से सम्बद्ध राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक की हिदायतों का पालन करेंगे। चूंकि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने अपेक्षित आश्वासन दे दिया है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को मौसमी कृषि कार्यकलापों के वित्त पोषण के लिए 60 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त जारी कर दिया है।

राज्य सहकारी बैंकों द्वारा मौसमी कृषि कार्यकलापों के लिए दिए गए वित्त पोषण के मामले में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त पर लिए जाने वाले ब्याज की दर, प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक के लिए अलग-अलग निर्धारित की जाती है। यह दर प्राइमरी कृषि ऋण समितियों पर केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर पर औसत बकाया के मुकाबले में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक से औसत उधारों के प्रतिशत के हिसाब से ली जाती है। उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

प्राइमरी कृषि ऋण समितियों द्वारा देय औसत बकाया के प्रतिशत के रूप में राष्ट्रीय बैंक से औसत उधार	पुनर्वित्त की ब्याज दर (प्रति वर्ष)
60 प्रतिशत तक	3 प्रतिशत
60 प्रतिशत से अधिक परन्तु 80 प्रतिशत से कम	4 प्रतिशत
80 प्रतिशत और अधिक	5 प्रतिशत

फसल ऋणों पर उधारकर्ताओं द्वारा देय ब्याज की दर इस प्रकार है :—

एस० ए० ओ० ऋण	उधारकर्ताओं द्वारा प्राइमरी कृषि ऋण समितियों को अदा की जाने वाली ब्याज की दर
7500 रुपए तक के ऋण	10 प्रतिशत
7500 रुपए से अधिक और 1500 रुपए तक के ऋण	11.5 प्रतिशत
15000 रुपए से अधिक परन्तु 25000 रुपए तक के ऋण	12 प्रतिशत
25000 रुपए से अधिक के ऋण	14 से 15.5 प्रतिशत तक।

नियमित क्षेत्र में कर चोरी

680. **डा० वसा सामन्त :**
श्री राम पूजन पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1989 'ब्लिटज' में "मासिक टैक्स इवेजन बाई कारपोरेट सेक्टर-20,000 करोड़ लूट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस समाचार का स्रोत वित्त मंत्रालय के कर अनुसंधान एकक द्वारा किया गया अध्ययन बताया गया है। तथापि, कर अनुसंधान एकक द्वारा हाल ही में ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में यह अनुमान लगाने के लिए कोई आधार नहीं है कि वर्ष 1988-89 में अप्रत्यक्ष करों का अपवंचन किसी भी तरह 20,000 करोड़ रुपये के लगभग है। अतः उक्त समाचार के सम्बन्ध में सरकार का कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को दिया गया ऋण

681. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के अन्त तक कमजोर वर्ग के लोगों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण की कुल कितनी बकाया राशि थी; और

(ख) वाणिज्यिक कार्य क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए दिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जून 1987 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के प्रति अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया अग्रिमों की राशि 6400.4 करोड़ रुपए थी। अलबत्ता, दिसम्बर 1988 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बकाया अग्रिमों की राशि 8297.9 करोड़ रुपये थी।

(ख) आंकड़ा सूचना प्रणाली से स्वरोजगार के अग्रिमों का व्यवसायवार विवरण प्राप्त नहीं होता। बहरलाल, जून 1987 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों के अन्तर्गत शिल्पियों, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों तथा शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना के हिताधिकारियों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया अग्रिमों की राशि क्रमशः 478.0 करोड़ रुपये तथा 42.9 करोड़ रुपए थी।

चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों का नया पंजीकरण

682. **श्री पी० एम० सईद** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय स्तर के ऐसे कौन-कौन से राजनीतिक दल हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग के पास नया पंजीकरण कराने के लिए अपने संविधानों में संशोधन किया है;

(ख) क्या चुनाव आयोग ने इन राजनैतिक दलों को चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें कौन-कौन से चुनाव चिन्ह आबंटित किए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 7 राष्ट्रीय दलों में से, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना-अपना संविधान संशोधित किया है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने भी निर्वाचन आयोग को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दिया है।

निर्वाचन आयोग को लोक दल और जनता पार्टी की ओर से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये आवेदन लोक दल और जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए श्री राम नरेश कुशवाहा और श्री इंदूभाई पटेल ने दिए हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) (संशोधन) आदेश, 1989 के निबंधनों के अनुसार ऐसे राष्ट्रीय दल, जो 14 अगस्त, 1989 तक रजिस्ट्रीकरण के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन देंगे उन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में माना जाएगा और वे, आयोग द्वारा उनके आवेदनों का निपटारा किए जाने तक, उनके आरक्षित प्रतीक भी वहीं रहेंगे जो उनके इस समय हैं। निर्वाचन आयोग ने प्राप्त आवेदनों को अभी तक निपटाया नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

683. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड से समूचे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में परिवीक्षाधीन अधिकारियों के पदों हेतु विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की परीक्षाएं लेने को कहा गया है;

(ख) यदि हां तो प्रत्येक जोन में इस प्रकार भरे जाने वाले रिक्त पदों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) आरक्षण कोटा के अन्तर्गत भरे जाने वाले बकाया रिक्त पद किन-किन राज्यों में हैं; और

(घ) वर्तमान रिक्त पदों को कब तक भर लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों से कहा गया है कि जहां आवश्यक हो, वहां वे अधिकारी संवर्गों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पिछले बकाये को पूरा करने के वास्ते अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से विशेष भर्ती परीक्षा आयोजित करें। 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वास्ते आरक्षित रिक्त स्थानों की पिछली बकाया लगभग 829 है जिन्हें अक्तूबर नवम्बर 1989 तक भरे जाने की आशा है।

गृह ऋण खाता योजना

684. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तैयार की गई गृह ऋण खाता योजना सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा और गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में कुछ बैंकों द्वारा शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में विभिन्न बैंकों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि 1 जुलाई, 1989 से सरकारी क्षेत्र के सभी 28 बैंकों, 27 अनुसूचित गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों, एक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक तथा सात अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों ने गृह ऋण खाता योजना प्रारम्भ करने की पुष्टि की है। इन बैंकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

भागीदारों बैंकों ने योजना के कार्यान्वयन के लिए अपने-अपने नियन्त्रण कार्यालयों तथा शाखाओं को विस्तृत मार्गनिर्देश/अनुदेश जारी किये हैं। इन बैंकों की शाखाओं के उपयोग के वास्ते पर्याप्त मात्रा में स्टेशनरी, जैसे गृह ऋण खाते खोलने के लिए आवेदन फार्म, पास बुक इत्यादि का पहले ही बन्दोबस्त कर दिया गया है। ये बैंक जनता के उपयोग के लिए स्थानीय भाषाओं में प्रचार-सामग्री को जारी करने के लिए भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बैंकों ने अपने कर्मचारियों को इस योजना की जानकारी देने के लिए बैठकें/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं।

विवरण

"गृह ऋण खाता योजना" में भाग लेने वाले बैंकों की सूची

(1 जुलाई, 1989 की स्थिति के अनुसार)

सरकारी क्षेत्र के बैंक	अनुसूचित गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक
1	2
1. इलाहाबाद बैंक	1. बैंक आफ कराड लिमिटेड
2. आन्ध्रा बैंक	2. बैंक आफ मदुरा लिमिटेड
3. बैंक आफ बड़ौदा	3. बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड
4. बैंक आफ इंडिया	4. बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड
5. बैंक आफ महाराष्ट्र	5. बैंक आफ तन्जावूर लिमिटेड
6. केनरा बैंक	6. बरेली कार्पोरेशन बैंक लिमिटेड
7. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	7. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
8. कार्पोरेशन बैंक	8. भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड
9. देना बैंक	9. केथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
10. इंडियन बैंक	10. सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
11. इंडियन ओवरसीज बैंक	11. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड

1	2
12. न्यू बैंक आफ इंडिया	12. फेडरल बैंक लिमिटेड
13. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	13. जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड
14. पंजाब नेशनल बैंक	14. कर्नाटक बैंक लिमिटेड
15. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	15. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
16. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	16. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
17. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	17. लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड
18. स्टेट बैंक आफ इंडिया	18. नैनीताल बैंक लिमिटेड
19. स्टेट बैंक आफ इन्दौर	19. नेडुनगाडी बैंक लिमिटेड
20. स्टेड बैंक आफ मैसूर	20. पंजाब को-ओ० बैंक लिमिटेड
21. स्टेट बैंक आफ पटियाला	21. पूर्वांचल बैंक लिमिटेड
22. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	22. रत्नाकर बैंक लिमिटेड
23. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	23. सांगली बैंक लिमिटेड
24. सिंडिकेट बैंक	24. साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड
25. यूको बैंक	25. तमिलनाडु मरकनटाइल बैंक लिमिटेड
26. यूनियन बैंक आफ इंडिया	26. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड
27. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	27. वैश्या बैंक लिमिटेड
28. विजया बैंक	
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	
1. उत्तर प्रदेश को आ० बैंक लिमिटेड	
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	
1. अभ्युदय को-ओ० बैंक लिमिटेड	
2. डिवेलपमेंट को०-ओ० बैंक लिमिटेड	
3. कालूपूर कमिशयल को-ओ० बैंक लिमिटेड	
4. सारस्वत को-ओ० बैंक लिमिटेड	
5. सांगली अरबन को-ओ० बैंक लिमिटेड	
6. शामराव विठल को-ओ० बैंक लिमिटेड	
7. सूरत पीपुल्स को-ओ० बैंक लिमिटेड	

सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत बैंकों की ग्रामीण, शहरी और अर्ध-शहरी शाखाओं की भूमिका

685. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार को इस बात की जानकारी है कि नगरपालिकाएं और अधिसूचित क्षेत्र समितियों वाले शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ शाखाओं को सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत कुछ गांव भी दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण शाखाओं के मुकाबले शहरी और अर्ध-शहरी शाखाओं को प्रमुख भूमिका देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जनगणना वर्गीकरण की परिभाषा के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण को ठीक से और तदनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का पुनः वर्गीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर लिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं को सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत गांव आबंटित किए जा सकते हैं। इसके अलावा शहरी केन्द्रों की उन शाखाओं को, जो ग्रामीण क्षेत्रों को काफी ऋण देते हैं उनके आस-पास के कुछ गांव आबंटित किए जा सकते हैं। इस तरह उन शहरी और अर्ध-शहरी केन्द्रों को भी जो नगरपालिकाओं/नोटीफाइड एरिया कमेटी में हैं, गांव आबंटित किए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी शाखाएं पहले से ही काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देने में लगी हुई हैं।

(ग) और (घ) ऊपर बताए गए तथ्यों को देखते हुए सेवा क्षेत्र योजना का पुनर्निर्धारण करने का कोई प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन नहीं है।

गैर-सरकारी निगमित क्षेत्रों को बैंकों द्वारा ऋण

686. **श्री भाटेश्वर तांती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र के गैर-परिवर्तनीय डिबेन्चरों को खरीदने की होड़ सी लग गई है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों और निगमित क्षेत्र की कम्पनियों को क्या लाभ मिले; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है उसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर बिहार में बाढ़ सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन

688. **श्री कृष्ण सिंह :**
श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर बिहार में निरन्तर होने वाली बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किस प्रकार किया गया है और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) यह मिशन बिहार में बाढ़ की समस्या के समाधान सम्बन्धी योजना एवं नीति कब तक तैयार कर लेगा ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस मामले में बिहार सरकार के विचार मांगे गए हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

उत्पादन शुल्क की चोरी

689. **श्री कृष्ण सिंह** : **क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पाद शुल्क की चोरी का पता लगाने के उद्देश्य से उन फर्मों की फाइल तैयार की है जो एक वर्ष में एक करोड़ रुपये तक का कर अदा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुमानतः कितनी राशि के उत्पाद शुल्क की चोरी की गई और वह अनुमान किन अध्ययनों पर आधारित हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समाहर्ताओं और महानिदेशक, करअपवंचन-रोधी को उन कम्पनियों की फाइलें तैयार करने के लिए निदेश दिए गए हैं जो प्रति वर्ष एक करोड़ रुपए या इससे अधिक का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अदा करती हैं ताकि राजस्व वसूली की मनीटरिंग करने, नीति सम्बन्धी निर्णय लेने और शुल्क अपवंचन के बारे में आसूचना एकत्रित करने के लिए आंकड़ों के सम्बन्ध में एक आधार की व्यवस्था की जा सके । इस समय ऐसी कम्पनियों की संख्या लगभग 1700 है ।

(ग) मामलों के वास्तविक स्वरूप को देखते हुए, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपवंचन के बारे में कोई अनुमान बता पाना सम्भव नहीं है । तथापि वर्ष 1987, 1988 और 1989 (मई तक) के दौरान केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन की वास्तविक रूप से से पता लगाई गयी राशि नीचे दी

गई है :—

वर्ष	पता लगाए गए शुल्क अपवंचन की राशि (करोड़ रुपयों में)
1987	1198.72
1988	355.43
1989 (मई, 1989 तक)	136.01
जोड़ :	1690.16

दावा जांच समिति

690. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक शिकायत निदेशालय ने इस बात की सिफारिश की है कि प्रत्येक जोनल रेलवे में एक अधिकार प्राप्त दावा जांच समिति होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समिति के मुख्य कार्य क्या होंगे; और

(ग) रेलवे की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) दावेदारों द्वारा क्षतिपूर्ति के दावे के मामलों में की गयी अपील पर किये गये विनिश्चयों की समीक्षा करने के लिए ।

(ग) अपील पर उच्च अधिकारियों द्वारा मामलों की समीक्षा करने के लिए वर्तमान नीति तथा प्रक्रियाओं की पहले ही व्यवस्था है । अतः प्रस्तावित दावा समीक्षा समिति का गठन करने से दोहरी व्यवस्था हो जायेगी । इनके अलावा, रेल प्रशासन के विनिश्चयों के विरुद्ध दावेदारों द्वारा दायर की जाने वाली अपीलों पर विचार करने के लिए रेलवे दावा अधिकरणों का शीघ्र ही गठन किया जा रहा है ।

बंगलौर और तुमकुर के बीच डीजल कार सेवा

691. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तुमकुर-बंगलौर के बीच प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधा के लिए बंगलौर-तुमकुर के बीच नियमित डीजल कार सेवा शुरू करने का है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

चुनाव-खर्च की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव

692. **श्री जगन्नाथ पटनायक :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को निर्वाचन आयोग से दिन-प्रतिदिन के बाजार मूल्यों तथा डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए आगामी लोकसभा तथा विधान सभा चुनावों में व्यय की अधिकतम सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में स्वयं रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा सहायता प्रदान करना

693. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शीर्षक बैंक पश्चिम बंगाल में पंजीकृत व्यक्तियों को स्वयं रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत और वितरित कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि "पंजीकृत बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना" पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की योजना है और यह योजना 18 से 40 वर्ष के आयु-वर्गों में आने वाले उन बेरोजगारों को सहायता देने के लिए बनायी गई है जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं। हिताधिकारी के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति हिताधिकारी को अधिक से अधिक 35,000/- रुपये का मिश्रित ऋण दिया जाता है और ऋण की रकम के 25 प्रतिशत की दर से सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। ऋण की वापसी अदायगी 5 से 7 वर्षों के बीच की जानी होती है और इन पर देय ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों के सम्बन्ध में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होती है। चूंकि यह राज्य द्वारा प्रायोजित योजना है, अतः योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नजर नहीं रखी जाती।

विदेशी ऋण

694. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाये जाने पर बल देने से संशोधित अनुमानित विदेशी ऋणों पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस समय विदेशी ऋण कितना है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री जी० के० गढ़वी) : (क) सरकार की यह नीति रही है कि अतिरिक्त निर्यात का सृजन किया जाए और अनावश्यक आयात पर नियंत्रण रखा जाए। निर्यात में ऐसी वृद्धि न केवल महत्वपूर्ण आयातों के वित्तपोषण के लिए और इस प्रकार व्यापार घाटे को प्रबंध योग्य सीमाओं के अन्दर रखने के लिए जरूरी है, बल्कि बड़े व्यापार घाटे के वित्तपोषण के लिए विदेशी उधार जैसे अनुचित साधनों का सहारा लेने की आवश्यकता से बचने के लिए भी यह बहुत जरूरी है।

(ख) 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर देश पर बकाया कुल विदेशी ऋण 68831 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

देशी प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

695. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने हाल ही में देशी प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या रबड़ उत्पादक केरल राज्य के खुले बाजार में इस रबड़ का मूल्य राज्य व्यापार निगम द्वारा घोषित मूल्य से बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ के व्यापार में प्रति किलोग्राम कितनी औसत धनराशि कम की जानी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) सभी प्रकार की रबड़ की रिलीज कीमत में वृद्धि की गई है।

(ख) से (घ) इस समय केरल में बाजार कीमत सामान्यतया राज्य व्यापार निगम घोषित कीमतों से कम है। कम उत्पादन वाले महीनों में देशी रबड़ की कीमतों में वृद्धि का रुख रहता है तथा बाद में

अच्छी सप्लाई होने पर ये स्थिर हो जाती है । आयात की गई रबड़ की कीमतें अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें/आयातित रबड़ पर लगाए गए कर/प्रभार, आदि ।

(ङ) राज्य व्यापार निगम द्वारा आर० एम० ए 1V ग्रेड की देशी रबड़ की खरीद पर खर्च की गई अनुमानित औसत रकम लगभग 19.09 रुपये प्रति किलोग्राम है ।

चाय पत्ती के मूल्यों में वृद्धि

696. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय पत्ती मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि के कारण सरकार का इसके मूल्यों में कमी लाने के लिए इसके निर्यात पर कुल प्रतिबन्ध लगाने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस वर्ष चाय पत्ती के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में इस लक्ष्य में कितनी वृद्धि की गई है;

(घ) क्या दक्षिण भारत में पिछले वर्ष की तुलना में चाय पत्ती का उत्पादन कम हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) इस समय चाय के निर्यात पर प्रतिबन्ध का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि चाय के सम्बन्ध में सरकार के उद्देश्य यह हैं कि चाय स्वदेशी बाजार में उचित कीमतों पर उपलब्ध हो और साथ ही चाय के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा का अर्जन हो ।

(ख) और (ग) सरकार का उद्देश्य यह है कि स्वदेशी बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सम्भव सीमा तक चाय का निर्यात किया जाय ।

(घ) और (ङ) दक्षिण भारत में चाय उत्पादन में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण गिरावट आई है । वर्ष 1989 के दौरान मई, 1989 तक दक्षिण भारत में 54.5 मी० किग्रा० चाय के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 76.4 मी० किग्रा० चाय का उत्पादन हुआ था ।

विदेशी ऋण

697. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों का विदेशी ऋण की राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) मार्च, 1989 की समाप्ति पर उक्त विदेशी ऋण पर कुल कितना ब्याज देय हो गया था और क्या ब्याज की इस धनराशि का भुगतान किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) 31-3-1987, 31-3-1988 और 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार विदेशी ऋण की बकाया राशि, जैसाकि प्रचलित विनिमय दरों पर परिकलित की गई है, क्रमशः 48348 करोड़ रुपए, 54408 करोड़ रुपए और 68831 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(ख) बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी प्रत्येक ऋण की शर्तों के अनुसार की जाती है। वर्ष 1988-89 के दौरान बकाया ऋण पर अदा किए गए ब्याज की राशि 2698 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है।

व्यापार संतुलन की स्थिति

698. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री रामपूजन पटेल :
श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त पर विदेश व्यापार असन्तुलन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी 1 अप्रैल, 1989 की स्थिति क्या थी;

(ग) क्या पिछले वर्षों की तुलना में विगत वित्तीय वर्ष में आयात और निर्यात का मूल्य अधिक था;

(घ) यदि हां, तो आयात और निर्यात सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान हमारे व्यापार संतुलन में इतना अन्तर आने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, भारत का व्यापार घाटा 1988-89 के दौरान 7411.95 करोड़ रुपये का था। यह 1987-88 के 66-2-366 करोड़ रुपए के अनन्तिम आंकड़ों की तुलना में अधिक था, लेकिन 1986-87 के दौरान 7643.82 करोड़ रुपये के तथा 1985-86 के 8762.10 करोड़ के व्यापार घाटे की तुलना में कम था।

(ग) जी, हां। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1988-89 दौरान भारत के निर्यात और आयात क्रमशः 20280.92 करोड़ रुपये तथा 27692.87 करोड़ रुपए के थे।

(घ) चालू वर्ष यानि अप्रैल-मई, 1989 के उपलब्ध नवीनतम अनन्तिम व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत के निर्यात 4059.67 करोड़ रुपये के थे, जबकि इसकी तुलना में अप्रैल-मई, 1988 के दौरान यह 2938.90 करोड़ रुपए थे। इस प्रकार 38.1 प्रतिशत की वृद्धि रही। अप्रैल-मई 1989 के दौरान आयात 5003.45 करोड़ रुपए के थे और इसकी तुलना में अप्रैल-मई, 1988 के दौरान यह 4273.55 करोड़ रुपये के थे, अतः 17.1 प्रतिशत की वृद्धि रही।

(क) चालू वर्ष के दौरान हमारे व्यापार संतुलन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अप्रैल-मई, 1989 के दौरान भारत का 943.78 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा अप्रैल-मई, 1988 के 1334.65 करोड़ रुपए के व्यापार घाटे से 390.87 करोड़ रुपये कम था।

पश्चिम दिल्ली में स्थित फैक्टरियों द्वारा अपनी आय छिपाना

[अनुवाद]

699. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली में त्रिनगर, रामपुरा आदि में स्थित प्लास्टिक फैक्टरियों द्वारा आयकर की चोरी और आय छिपाने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और दोषी फैक्टरियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत वर्षों के दौरान इन फैक्टरियों से कितना राजस्व वसूल किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पाँजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पश्चिमी दिल्ली में प्लास्टिक फैक्ट्री रखने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए दिल्ली के सभी कर-निर्धारितियों के आयकर निर्धारण के रिकार्डों की जांच की जानी होगी और इन व्यक्तियों के द्वारा अदा किए गए आयकर के ब्यौरों को उनके कर-निर्धारण रिकार्डों से एकत्रित किया जाना होगा। इस तरह की सूचना को एकत्रित करने में लगने वाला प्रयास और समय प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

न्यायालयों में सरकारी मुकदमों पर व्यय की गई धनराशि

700. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 महीनों के दौरान सरकार द्वारा मुकदमेबाजी पर मन्त्रालय-वार कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान व्यय की गयी धनराशि की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

701. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के पंसकूरा, दसपुर, कासपुर, पिंगला, सबंग, नारायणगढ़,

तालुक खण्डों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थानीय लोगों को दिए गए विभिन्न प्रकार के ऋणों का श्रेणी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक खण्ड में लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उपरोक्त प्रत्येक खण्डों में ऋण-जमा अनुपात कितना है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) बैंकों की वर्तमान आंकड़ा संग्रहण प्रणाली पूछे गए अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं करती ।

ऋण-जमा राशि अनुपात

702. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण-जमा राशि अनुपात कितना रहा;

(ख) क्या ऋण-जमा राशि अनुपात के निर्धारण के लिए कोई मार्गनिर्देश है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 1986, 1987 और 1988 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) ऋण-जमा अनुपात एक सांख्यिकीय युक्ति है जिसका उपयोग आमतौर पर बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के स्तर को उनके द्वारा देश/क्षेत्र/राज्य में जुटाई गई जमा रकमों की तुलना में मानीटर करने के लिए किया जाता है । बैंकों को इस बारे में कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं । यह अनुषक्त/निर्धारित प्रारक्षित नकदी अनुपात और सांविधिक नकदी अनुपात को बनाए रखने के बाद संवितरण के लिए बची जमा रकमों और अन्य निधियों की मात्रा पर निर्भर करता है ।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्यवार ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)

राज्य/क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	दिसम्बर 1986 ऋण जमा अनुपात	दिसम्बर 1987 ऋण जमा अनुपात	दिसम्बर 1988 ऋण जमा अनुपात
1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र	53.6	49.6	49.9
हरियाणा	65.5	61.9	60.5
हिमाचल प्रदेश	39.9	37.1	34.2

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	32.8	30.2	32.0
पंजाब	44.2	43.1	41.0
राजस्थान	64.9	60.5	60.3
चण्डीगढ़	166.5	99.2	71.4
दिल्ली	47.2	46.0	50.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**44.3**	**45.6**	**46.8**
असम	50.8	50.8	53.6
मणिपुर	67.0	64.8	60.9
मेघालय	27.4	22.6	20.9
नागोलैंड	43.5	43.9	43.3
त्रिपुरा	50.9	51.3	45.9
अरुणाचल प्रदेश	24.3	20.9	20.8
मिजोरम	8.2	22.7	25.5
सिक्किम	26.3	28.3	30.6
उत्तरी क्षेत्र	**46.0**	**45.8**	**45.6**
बिहार	35.6	34.8	36.1
उड़ीसा	77.4	78.2	78.1
पश्चिम बंगाल	46.8	47.0	45.9
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	37.8	34.4	35.0
मध्य क्षेत्र	**46.0**	**46.1**	**48.0**
मध्य प्रदेश	60.0	59.1	62.6
उत्तर प्रदेश	41.1	41.2	42.3
पश्चिमी क्षेत्र	**71.7**	**66.4**	**66.1**
गुजरात	55.7	54.8	58.2
महाराष्ट्र	79.7	72.8	70.9

1	2	3	4
गोवा, दमन और दीव	31.8	23.3*	23.1*
गोवा	—	30.8	32.5
दादरा और नागर हवेली	66.8	71.4	58.3
दक्षिणी क्षेत्र	**81.6**	**83.2**	**86.5**
आन्ध्र प्रदेश	78.9	79.2	84.7
कर्नाटक	86.3	91.9	95.6
केरल	60.0	61.9	62.7
तमिलनाडु	93.9	93.1	95.1
पांडिचेरी	50.8	51.9	51.8
लक्षद्वीप	27.7	25.0	16.7
अखिल भारत	61.3	59.2	60.0

*दमन और दीव से सम्बन्धित।

*आंकड़े अनन्तिम।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में बैंक शाखाएं खोलना

703. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के पंसकुरा एक तथा दो, दसपुर एक तथा दो, केशपुर, पिंगला, सबंग, नारायणगढ़, तथा तामलुक खंडों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की वर्ष-वार कितनी शाखाएं खोली गई;

(ख) किन-किन बैंकों की किन-किन स्थानों पर शाखाएं खोली गई; और

(ग) इस जिले में और अधिक शाखायें खोलने की मांग के कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गड़वी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के साथ-साथ समाप्त होने वाली 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 31-3-1989 तक (नवीनतम उपलब्ध) पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में 14 शाखायें नीचे दिए गए विवरणानुसार खोली हैं।

1. 1-4-1985 से 31-3-1988 तक की अवधि के दौरान खोले गए कार्यालय

2. 1-4-1987 से 31-3-1988 तक की अवधि के दौरान खोले गए कार्यालय :

केन्द्र का नाम	खण्ड का नाम	बैंक का नाम
सिंघाघाई	दसपुर I	इलाहाबाद बैंक
चाईपत	दसपुर II	युनाईटेड बैंक आफ इण्डिया
सेतुआ	केशपुर	भारतीय स्टेट बैंक
बुरापत	—वही—	युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
श्रीमतला	पंसकुरा-I	केनरा बैंक
आम्मा	पिन्गला	पंजाब नेशनल बैंक
नोनाकुरी बाजार	तुमलुक-II	—वही—
बुईहर	—वही—	इलाहाबाद बैंक

3. 1-4-1988 से 31-3-1989 तक की अवधि में खोले गए कार्यालय :

केन्द्र का नाम	खण्ड का नाम	बैंक का नाम
सरीबारा	दसपुर-II	युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
मुगबासन	केशपुर	पंजाब नेशनल बैंक
तेघारी	—वही—	इलाहाबाद बैंक
दालपारा	पन्सकुरा-I	भारतीय स्टेट बैंक
चाईपुरा बाजार	—वही—	इलाहाबाद बैंक
देमारीहाट	तमलुक-II	इण्डियन ओवरसीज बैंक

मिदनापुर जिले में बैंकों के पास निम्नलिखित 4 केन्द्रों के लाइसेंस लम्बित हैं :

केन्द्र का नाम	खण्ड का नाम	बैंक का नाम
जोतेघनश्याम	दसपुर-II	युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
कमालपुर	—वही—	इलाहाबाद बैंक
सिद्धा	पन्सकुरा-II	मल्लाभूम ग्रामीण बैंक
रामतरकहाट	तमलुक-II	—वही—

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मिदनापुर जिले में अधिक शाखाएं खोलने की मांग सम्बन्धी कोई अनुरोध लम्बित नहीं है। बहरहाल, सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने मिदनापुर जिले में बैंकों को 20 और केन्द्रों का आबंटन किया है।

लोकप्रिय उपभोक्ता उत्पादों की निर्माता कम्पनियों द्वारा कथित कर-अपवंचन

704. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :
चौधरी खुशीव अहमद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और बिक्री कर आयुक्त का कार्यालय, लोकप्रिय ब्रांड नामों के टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट, हेयर क्रीम आदि विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों का निर्माण करने वाली प्रसिद्ध कम्पनियों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे कथित कर-अपवंचन पर ध्यान देता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, वार्षिक अनुमानित कर-अपवंचन कितना है और इन कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन का क्या तरीका अपनाया जाता है; और

(ग) ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) बिक्री कर को इकट्ठा करने तथा इसके अपवंचन को रोकने की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे सुरक्षा बल के लिए भर्ती

705. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (रेलवे सुरक्षा) बल में भर्ती के बारे में धर्म/समुदाय-वार आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान समुदायवार/धर्मवीर की गयी इस प्रकार की भर्ती के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या भर्ती के मामले में व्यक्ति के धर्म/समुदाय को ध्यान में रखा जाता है और यदि नहीं, तो रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) चूंकि रेल सुरक्षा बल में भर्ती किसी जाति, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर नहीं की जाती है, इसलिए धर्मवीर/समुदायवार भर्ती के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। रेल सुरक्षा बल में खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती की जाती है और अपेक्षित अर्हताएं तथा शारीरिक स्तर के उम्मीदवारों को केवल गुण-दोष के आधार पर चुना जाता है।

राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया धनराशि

706. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई के खाते में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की ओर कितनी धनराशि बकाया है और विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा रेलवे को सप्लाई की गई बिजली की कितनी धनराशि रेलवे की ओर बकाया है और प्रत्येक मामले में इन दोनों धनराशियों का अन्तर कितना है; और

(ख) क्या एक अन्तर मंत्रालयीय समिति ने रेलवे-पथ के लिए लागत पर आधारित विद्युत प्रशुल्क का निर्धारण करने के प्रश्न पर विचार किया था, और भारतीय विद्युत अधिनियम के अवरोधक उपबन्धों का पाठ क्या है और वे उपबन्ध किस तरह से रेलवे को अपेक्षित राहत प्रदान करने में बाधक हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलों को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा 31-5-89 को देय राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बिजली का कनेक्शन कटने तथा जुर्माने से बचने के लिए रेलों द्वारा बिजली सप्लाई बिलों का भुगतान निर्धारित समय के भीतर कर दिया जाता है। 31-5-89 को इस लेखे में कोई राशि बकाया नहीं थी।

(ख) जी हां, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1984 का खन्ड 78 ए (1) इसमें आड़े आ रहा है। इस खण्ड में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

"अपने कार्यों को करने में बोर्ड का मार्गदर्शन नीति के मामलों पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले निदेशों द्वारा होगा।"

विवरण

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	4.71
2.	असम राज्य बिजली बोर्ड	1.21
3.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	4.14
4.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	10.98
5.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	38.25
6.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	31.03
7.	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	1.68
8.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	15.87

1	2	3
9.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	1.37
10.	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	0.01
11.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	7.21
12.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	1.06
13.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	6.13
14.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	71.81
15.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	8.55
	जोड़ :	204.11

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देना

707. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देने के बारे में चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश के बारे में 17 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3070 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आधा महीने के मूल वेतन के बराबर ब्याज मुक्त अग्रिम राशि देने के बारे में अब तक कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गड़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस मामले पर सरकार अभी भी सक्रियता से विचार कर रही है तथा यथा सम्भव शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा।

कलकत्ता भूमिगत रेल

708. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता भूमिगत रेल का अब तक कितना कार्य पूरा हुआ है;

(ख) क्या आगे निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कार्य कब तक आरम्भ किये जाने और पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 16.43 कि० मी० की कुल दूरी में से दो अलग-अलग खण्डों यथा एसप्लेनेड से टालीगंज तथा दम दम से बेलगछिया तक जो कुल मिलाकर 10 कि० मी० है, को पूरा कर लिया गया है तथा इन्हें वाणिज्यिक परिचालन के लिए खोल दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परियोजना के शेष भाग का कार्य चल रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा इसके निर्माण के लिए अपेक्षित शेष भू-खण्डों को उपलब्ध करा देने के बाद परियोजना के पूरा होने में 33 महीने का समय लगने की सम्भावना है।

रबड़ के मूल्यों में वृद्धि

709. **श्री चिन्तामणि जेना :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे रबड़ की वस्तुओं, विशेषकर टायरों के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) क्या उत्तरी भारत रबड़ निर्माता संघ ने सरकार से वर्तमान रबड़ संकट को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने और रबड़ के मूल्यों को नियन्त्रित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और रबड़ की कमी को दूर करने तथा बढ़ते हुए रबड़ के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) कम उत्पादन वाले महीनों में स्वदेशी रबड़ की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति रहती है और इससे बेहतर आपूर्ति होने पर कीमतों में स्थिरता आ जाती है। परन्तु आयातित रबड़ की कीमतें विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है; जैसे—अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें/आयातित रबड़ पर लगाए गए कर/प्रभार आदि।

विनिर्माताओं और उनके संघों ने जिनमें नार्दन इण्डिया रबड़ मैन्यूफेक्चरर्स ऐसोसिएशन भी शामिल है, रबड़ की कीमतों में वृद्धि के बारे में अभिवेदन दिए हैं और अनुरोध किया है कि रबड़ पर आयात शुल्क हटा दिया जाए।

सरकार कीमतों में वृद्धि की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त सभी सम्भव उपाय कर रही है जिनमें पर्याप्त आयात और समय पर उन्हें रिलीज करना शामिल है। जब भी आवश्यक होता है तो लेप-आधार पर प्राकृतिक रबड़ पर आयात शुल्क कम करने के लिए छूट के आदेश भी प्राप्त किए जा रहे हैं।

स्वर्ण, नकदी और जेवरात आदि की जब्ती

710. **श्री महेन्द्र सिंह :**
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई भावसि :
श्री मोहनभाई पटेल :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 की प्रथम छमाही के दौरान गुजरात और देश के अन्य भागों में आयकर, सीमाशुल्क और अन्य राजस्व प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा मारे गए छापों और इनमें जब्त किए गए स्वर्ण, नकदी, जेवरात और अन्य सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1988 और 1987 की छमाही के अलग-अलग तदनुरूपी आंकड़े क्या हैं; और

(ख) कितने मामलों में मुकदमें चलाये गए और कितने मामलों में वापस लिए गए और जब्त की गई सम्पत्ति का किस प्रकार निपटान किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) ली गई तलाशियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

अवधि	आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ी गई परिसंपत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपयों में)	सीमा शुल्क अधि-नियम के अन्तर्गत पकड़े गए माल का मूल्य (करोड़ रु० में)	स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा गया सोना (कि० ग्राम में)
1-1-89 से 30-6-89	59.78	288.40	1153.14 (मई 89 तक)
1-1-88 से 30-6-88	85.27	184.81	638.69
1-1-87 से 30-6-87	42.21	110.19	216.97

आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते, समाहर्त्तालयवार रखे जाते हैं।

(ख) 1-1-89 से 30-6-89 तक की अवधि के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत 924 व्यक्तियों के खिलाफ इस्तगासे की कार्रवाई की गई, 438 व्यक्तियों को दोषी सिद्ध किया गया तथा 165 व्यक्ति न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए गए (आंकड़े अनंतिम हैं) 1-1-89 से 31-5-89 तक की अवधि के दौरान स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत 57 मामलों में इस्तगासे की कार्रवाई की गई। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ी गई परिसम्पत्तियों पर, आयकर अधिनियम की धारा 132(5)

और 132(8) के उपबन्धों में निर्दिष्ट पद्धति से कार्रवाई की जाती है। सीमा शुल्क/स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियमों के अन्तर्गत पकड़ा गया/जब्त किया गया सोना भारत सरकार की टकसाल में जमा करा दिया जाता है। पकड़ी गई मुद्रा सरकारी खाते में जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर दी जाती है।

कर सम्बन्धी कानूनों में संशोधन

711. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने कर सम्बन्धी कानूनों में संशोधन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके सुझावों का ठीक ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने समय-समय पर अपने विभिन्न ज्ञापनों, पत्रों आदि के माध्यम से कर कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए सुझाव दिए हैं। जब भी इस तरह के सुझाव प्राप्त होते है उन पर विचार किया जाता है, तथा जहां कहीं कोई सुझाव स्वीकार्य पाया जाता है, उसे कर कानूनों में उपयुक्त संशोधन करके प्रभावी रूप दिया जाता है।

महानन्दा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा किया गया कार्य

712. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के सदस्यों का ब्यौरा क्या है, इसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं तथा आयोग की स्थापना के समय से लेकर अब तक इस पर वर्ष-वार कितना कार्य हुआ है;

(ख) स्वीकृत योजनाओं, कार्यान्वित की गई योजनाओं, कार्यान्वयनाधीन योजनाओं तथा विचाराधीन योजनाओं को ध्यान में रखकर महानन्दा बेसिन में बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में आयोग द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग, राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत उन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से, केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं; और

(घ) महानन्दा बेसिन के लिए स्थापक बाढ़ नियन्त्रण योजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) (i) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में अध्यक्ष और दो पूर्ण-कालिक सदस्यों के अलावा, गंगा बेसिन राज्यों से बाढ़ नियंत्रण के प्रभारी मुख्य इंजीनियर और सम्बन्धित केन्द्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं।

(ii) बाढ़ नियन्त्रण की व्यापक योजना तैयार करना, तकनीकी मामलों पर राज्य सरकारों को सलाह देना और बाढ़ प्रबन्ध स्कीमों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करना इसके मुख्य उद्देश्य हैं।

(iii) वार्षिक व्यय मुख्यतया स्थापना प्रभारों से सम्बन्धित होता है। वर्ष 1972 में इसके प्रारम्भ से मार्च, 1989 तक लगभग 2.85 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं।

(ख) बाढ़ प्रबन्ध कार्यों का प्रतिपादन तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) गंगा बेसिन राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी बाढ़ प्रबन्ध स्कीम का वित्त पोषण नहीं होता है।

(घ) प्रारम्भ में, महानन्दा के लिए बाढ़ प्रबन्ध के वास्ते व्यापक योजना वर्ष, 1977 में तैयार की गयी थी। इस योजना को वर्ष 1987 में और अद्यतन बनाया गया था।

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहायता

713. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यक बहुल 40 जिलों में दिसम्बर, 1988 और मार्च, 1989 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के कितने व्यक्तियों के खाते थे और उनमें कितनी-कितनी राशि जमा थी;

(ख) इन जिलों में प्राथमिकता क्षेत्र में दिए गए कुल ऋण का कितने प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को दिया गया;

(ग) क्या सरकार देश के प्रत्येक राज्य में प्रत्येक सरकारी बैंक द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वास्तव में दिए गए ऋण की मात्रा का पता लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार यह पता लगाने पर भी विचार कर रही है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वास्तव में दिया गया ऋण उनके द्वारा दिये गये कुल ऋण का कितने प्रतिशत है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गड़वी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दादर-कल्याण खण्ड में नयी सिगनल व्यवस्था

714. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दादर कल्याण खंड में नयी सिगनल व्यवस्था की स्थापना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : सम्भवत: यह संदर्भ मध्य रेलवे के उपनगरीय खंडों पर ई० एम० यू० गाड़ियों में सहायक चेतावनी प्रणाली लगाने की प्रगति के सम्बन्ध में है। बम्बई वी० टी० कल्याण तथा हार्बर ब्रांच उपनगरीय खंडों पर अब यह कार्य प्रगति पर है

जिस पर 4.79 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस कार्य के 30-6-90 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

बम्बई क्लीयरिंग स्कीम का कल्याण कम्पलैक्स में विस्तार

715. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई क्लीयरिंग स्कीम को महाराष्ट्र के उल्लासनगर और अम्बरनाथ क्षेत्र सहित कल्याण कम्पलैक्स में लागू करने की मांग लम्बे समय से की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र को क्लीयरिंग प्रयोजनों के लिए बम्बई में कब तक शामिल कर लिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बम्बई बैंकर्स समाशोधन गृह के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बम्बई बैंकर्स समाशोधन गृह के अध्यक्ष द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

गाड़ियों में वीडियो फिल्में

716. **श्री शांताराम नायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने किसी गाड़ी में वीडियो फिल्में दिखाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस विषय की जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली-अहमदाबाद रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

717. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार रेल से जयपुर होकर दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन को बड़ी लाइन में शीघ्र परिवर्तित करने की मांग करता आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य का आरम्भ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद मीटर लाइन का हाल ही में कतिपय यात्री गाड़ियों के लिए 100 कि० मी० प्रति घन्टे की अधिकतम रफ्तार की अनुमति प्रदान करने के लिए ग्रेड बढ़ा दिया गया है। इस लम्बे मार्ग को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी तथा इससे देश के उत्तरी भाग का दक्षिणी भाग के बीच मीटर लाइन नेटवर्क के महत्वपूर्ण सम्पर्क पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

"जीवन बीमा निगम द्वारा एक्सटर्नल कमेटी आफ एक्चूएरीज" की नियुक्ति

718. **श्री सांभाजीराव ककाड़े :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम में "एक्सटर्नल कमेटी आफ एक्चूएरीज" की नियुक्ति कर ली है जैसाकि मोरारका समिति ने अप्रैल, 1969 की अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था, सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत प्रत्येक सांविधिक मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले मूल्यांकन के आधार का निर्णय लेने के लिए एक्सटर्नल कमेटी आफ एक्चूएरीज की नियुक्ति के सम्बन्ध में मोरारका समिति द्वारा उनकी अप्रैल, 1969 की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/सुझावों पर निगम के बोर्ड की 29 अगस्त, 1969 को हुई बैठक में विचार किया गया था और इन्हें स्वीकार्य नहीं पाया गया था। यह निगम को मुख्यत: इसलिए स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बहुत सीमित संख्या में व्यक्ति एक्चूएरीज के रूप में कार्य रहे हैं, जिन्हें जीवन बीमा कार्य का कुछ अनुभव है और इसके अलावा बाहर से एक्चूएरीज के चयन के लिए उपयुक्त पद्धति निर्धारित करने में व्यावहारिक कठिनाइयां आने की भी उम्मीद थी। इन परिस्थितियों में निगम की विद्यमान प्रथा, जिसके अन्तर्गत मुख्य एक्चूएरीज मूल्यांकन के आधार के चुनाव करने के लिए जिम्मेवार होता है जो जीवन बीमा निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, जोकि एक्चूएरीज से परामर्श करके मूल्यांकन आधार का निर्णय करता है, से हटना न तो आवश्यक और न ही वांछनीय समझा गया था। इसके अलावा बीमा नियंत्रक को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 22 के उपबंधों के आधार पर यह विचार करने के लिए पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं कि क्या मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार वैध है अथवा नहीं और यदि मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार दोषपूर्ण पाया जाता है तो वह निगम को पुनर्मूल्यांकन के लिए कह सकता है।

बैंकों की शाखाएं खोलना

[हिन्दी]

719. **श्री हरीश रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्माण लिया गया है कि देश के जिन क्षेत्रों में सड़क परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर बैंक की शाखा खोलने की मांग किए जाने के बावजूद शाखाएं नहीं खोली जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के पीछे क्या औचित्य है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंक को और क्षेत्रीय तथा ग्रामीण बैंक इन स्थानों पर अपनी शाखयें नहीं खोल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन बैंकों के विरुद्ध सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे उन बिरले मामलों को छोड़कर जहां उपयुक्त स्थान, सभी मौसमों के लिए सड़कें, पुलिस स्टेशन और परिवहन आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं जो शाखा के सुचारू कार्यकरण के लिए आवश्यक होती हैं, उपलब्ध न हों, आबंटित केन्द्रों में शाखाएं शीघ्र खोलें।

(ग) बैंकों ने शाखाएं न खोले जाने का मुख्य कारण आबंटित केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं की कमी बताया है।

(घ) आधारभूत सुविधाएं शीघ्र प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह मामला राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के साथ उठाया था ताकि बैंक आबंटित केन्द्रों में अपनी शाखाएं खोल सकें। उन मामलों में जहां राज्य सरकार योजना अवधि के अन्दर-अन्दर आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, बैंक केन्द्र को उसी खण्ड में कहीं दूसरे स्थान पर खोले जाने का प्रस्ताव पेश करते हैं और इस प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में स्थापित कृतिक बल (टास्क फोर्स) द्वारा विचार किया जाता है ताकि वह क्षेत्र बैंकिंग सुविधाओं से वंचित न रह जाए।

बैंकों को परामर्श देने के लिए जिला स्तरीय समितियां

720. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों को उनके कार्यकरण के बारे में परामर्श देने हेतु बनी जिला स्तरीय समितियों में संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों को शामिल करने का निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1988 में, जिला ऋण आयोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के वास्ते, प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंकों द्वारा प्रति वर्ष जून तथा दिसम्बर के महीनों में आयोजित की जाने वाली जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठकों में संसद के सभी स्थानीय सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में रेल लाइनें

721. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश के उन जिलों में रेल लाइनों का निर्माण करने का विचार है, जहां कोई रेल लाइन नहीं है और यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के पांच पर्वतीय जिलों में, जहां कोई रेल लाइन नहीं है, रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) रेलों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश के जमरानी बांध की मंजूरी

722. **श्री हरीश रावत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के जमरानी बांध को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जमरानी बांध परियोजना मई, 1975 में अनुमोदित की गई थी । राज्य सरकार ने परियोजना प्रस्तावों को संशोधित किया और संशोधित परियोजना अप्रैल, 1986 में केन्द्र को भेजी । परामर्श समिति द्वारा इस पर विचार किया गया और अन्यों के साथ-साथ पर्यावरण और वन की दृष्टि से स्वीकृति एवं परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं पुन: स्थापन के पहलुओं को अन्तिम रूप देने के अध्यधीन स्वीकार्य पाया गया ।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

[अनुवाद]

723. **श्रीमती किशोरी सिंह :**
श्री एस० एम० गुरुङ्ग :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1989 से थोक मूल्य सूचकांक तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह वृद्धि बजट घाटे और करों के परिणामस्वरूप हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) फरवरी, 1989 के अन्त से जून, 1989 के अन्त तक की अवधि के सम्बन्ध में सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक (थो० मू० सू०) की घटबढ़ का मासिक ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष 1989 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में घटबढ़

मास के अन्त में	सूचकांक
फरवरी	440.9
मार्च	446.2
अप्रैल	454.5
मई	460.2 (अ०)
जून	462.8 (अ०)

अ० = अनन्तिम।

(ग) बजटीय घाटे अथवा करों और कीमतों में वृद्धि के बीच कोई समरूपता नहीं होती है। यद्यपि बजटीय घाटे से नगदी बाहुल्य दबाव उत्पन्न हो सकता है और उससे कीमतों में वृद्धि हो सकती है, तथापि सरकार का प्रयत्न, बजटीय घाटे को आय/उत्पादन में वृद्धि द्वारा वर्णित उचित सीमाओं के भीतर रखने का रहता है।

(घ) सरकार ने कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए, मांग और पूर्ति दोनों दिशाओं में एकजुट उपाय किए हैं। इन उपायों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना, कठोर राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन लागू करना, जमाखोरों और कालाबाजारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का बारीकी से अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) करना शामिल है।

वर्ष 1989-90 के लिए निर्यात का लक्ष्य

724. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1989-90 के लिए कोई निर्यात-लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात के क्षेत्र में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) वाणिज्य मंत्रालय विभिन्न निर्यात सम्वर्धन परिषदों के परामर्श से वर्ष 1989-90 के लिए निर्यात लक्ष्य को अन्तिम रूप देने की कार्रवाई कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे की आठवीं योजना आबंटन के लिए कार्यदल

725. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की आठवीं योजना में धनराशि आबंटन के लिए गठित कार्य दल ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गठित आठवीं पचवर्षीय योजना के लिए रेलवे कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है और उसे योजना आयोग को प्रस्तुत कर दिया है। ऐसा समझा जाता है कि कार्य दल ने विभिन्न रेलवे कार्यक्रमों, जिनमें अतिरिक्त परिवहन क्षमता बढ़ाने, परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना तथा रेल प्रणाली के आधुनिकीकरण करने आदि के कार्य भी शामिल हैं, के लिए योजना आयोग से 41,600 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है।

मुद्रास्फीति की दर

[हिन्दी]

726. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति की दर क्या रही है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने मूल्य के करेंसी नोट छापे गए तथा वे करेंसी नोट किन-किन देशों में छपवाये गए ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है।

वर्ष	मुद्रास्फीति की दर	छपे हुए नोटों की कीमत (करोड़ रुपए में)
1986-87	5.3%	13,306.30
1987-88	10.9%	13,906.00
1988-89	6.6%	15,018.20

करेंसी नोट किसी बाहर के देश में नहीं छापे जाते हैं।

बैंक शाखाओं का खोला जाना

[अनुवाद]

727. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, बैंक-वार और राज्य-वार बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) इस समय देश में राज्य-वार और बैंक-वार प्रत्येक बैंक की कितनी शाखाएं हैं;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो अगले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में खोले जाने वाली बैंक शाखाओं की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) गत दो वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की वर्ष-वार, राज्य-वार और बैंक-वार संख्या से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध सीमा तक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) 30 सितम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की राज्य-वार और बैंक-वार कुल संख्या क्रमश: संलग्न विवरण-1 और 2 में दर्शाई गई है ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को 5360 पात्र ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केन्द्र आवंटित किए गए हैं । इन केन्द्रों में से, बैंकों ने 20 जून, 1989 तक 3289 ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोल ली हैं । वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति अवधि में शेष 2071 ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केन्द्रों में अभी शाखाएं खोली जानी हैं । ग्रामीण ऋणों सम्बन्धी सेवा क्षेत्र योजना को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न राज्यों में शाखाएं खोलने के वास्ते विभिन्न बैंको को 1236 अतिरिक्त केन्द्र भी आवंटित किए गए हैं । चूंकि वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाली है, इसलिए नई नीति तैयार किए जाने तक अगले दो वर्षों के दौरान खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या बताना फिलहाल संभव नहीं ।

विवरण-1

बैंकों की शाखाओं की राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शाखाओं की कुल संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4342
2.	अरुणाचल प्रदेश	57
3.	असम	1040
4.	बिहार	4362

1	2	3
5.	गोवा	253
6.	गुजरात	3183
7.	हरियाणा	1230
8.	हिमाचल प्रदेश	630
9.	जम्मू और कश्मीर	731
10.	कर्नाटक	4060
11.	केरल	2782
12.	मध्य प्रदेश	3933
13.	महाराष्ट्र	5139
14.	मणिपुर	67
15.	मेघालय	137
16.	मिजोरम	50
17.	नागालैण्ड	68
18.	उड़ीसा	1831
19.	पंजाब	2061
20.	राजस्थान	2799
21.	सिक्किम	25
22.	तमिलनाडु	4083
23.	त्रिपुरा	147
24.	उत्तर प्रदेश	7808
25.	पश्चिम बंगाल	3700
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16
27.	चंडीगढ़	107
28.	दादरा और नागर हवेली	6
29.	दमन और दीव	10
30.	दिल्ली	1069
31.	लक्षदीप	5
32.	पांडिचेरी	66
	कुल :	55797

विवरण-2

क्रम सं०	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	9707
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	638
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	630
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	287
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	476
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	538
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	305
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	587
9.	इलाहाबाद बैंक	1440
10.	आन्ध्रा बैंक	880
11.	बैंक आफ बड़ौदा	2039
12.	बैंक आफ इंडिया	1981
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1031
14.	केनरा बैंक	1911
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2628
16.	कारपोरेशन बैंक	420
17.	देना बैंक	1002
18.	इंडियन बैंक	1142
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1119
20.	न्यू बैंक आक इंडिया	567
21.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	490
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	652
23.	पंजाब नेशनल बैंक	2585
24.	सिंडिकेट बैंक	1453

1	2	3
25.	यूको बैंक	1743
26.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1691
27.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1146
28.	विजया बैंक	689
29.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	18665
30.	अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	4198
31.	विदेशी बैंक	136
32.	गैर अनुसूचित बैंक	39
	कुल :	55797

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन मुकदमे

728. **श्री प्रकाश चंद्र :**

श्री शांताराम नायक :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में बहुत संख्या में मुकदमे निर्णयाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायालय-वार अब तक कितने मुकदमे निर्णयाधीन हैं; और

(घ) इन मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) बड़ी संख्या में मामलों के लंबित होने के कई जटिल कारण हैं जिनमें से एक न्यायालयों में अधिक मामलों का संस्थित किया जाना है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, उदाहरणार्थ, विधि के सामान्य प्रश्न वाले मामलों को एक ग्रुप में रखना और विशेष न्यायपीठों का गठन । उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 18 से बढ़ाकर 26 कर दी गई है और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 351 से बढ़ाकर 456 कर दी गई है । सरकार ने, न्यायालयों में लंबित मामलों की समस्या का अध्ययन करके उपचारात्मक उपाय बताने के लिए उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक समिति गठित की है ।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या

न्यायालय का नाम	तारीख 30-6-1989 को
उच्चतम न्यायालय	208799
उच्च न्यायालय	
1. इलाहाबाद	419836
2. आन्ध्र प्रदेश	73239
3. मुम्बई	142891
4. कलकत्ता	189338
5. दिल्ली	88973
6. गुवाहाटी	22099
7. गुजरात	67530
8. हिमाचल प्रदेश	1077 1*
9. जम्मू-कश्मीर	39767
10. कर्नाटक	68186
11. केरल	112390
12. मध्य प्रदेश	59004
13. मद्रास	211505*
14. उड़ीसा	42701*
15. पटना	68382
16. पंजाब और हरियाणा	71942
17. राजस्थान	59374
18. सिक्किम	63

*टिप्पणी : हिमाचल प्रदेश, मद्रास और उड़ीसा उच्च न्यायालयों से संबंधित आंकड़े 30-6-1988 को समाप्त होने वाले अर्ध-वर्ष के ही हैं ।

महाराष्ट्र बन्द के दौरान रेल सम्पत्ति को हुई क्षति

729. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1989 के प्रथम सप्ताह के दौरान बन्द का आह्वान किया गया था, जैसाकि दिनांक 3 जुलाई, 1989 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार छपा था; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप रेलवे सम्पत्ति को अनुमानतः कितनी क्षति हुई ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां। 3-7-1989 को महाराष्ट्र में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बन्द का आह्वान किया गया था।

(ख) इस बन्द के दौरान रेलवे सम्पत्ति को पहुंची क्षति के कारण लगभग 4.12 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

विदेशी मुद्रा की कमी का विकास पर प्रभाव

730. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक में नीति, योजना और अनुसंधान से सम्बद्ध वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा है कि विदेशी मुद्रा की कमी से विकास पर प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति से उबरने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

दिल्ली न्यायिक सेवा में अतिरिक्त पदों का सृजन

731. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली न्यायिक सेवा में 169 पद सृजित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री वी० शंकरानंद) : (क) जी, हां। दिल्ली प्रशासन ने 232 पदों के सृजन का प्रस्ताव रखा है।

(ख) इस विषय पर दिल्ली प्रशासन से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

दिल्ली विमान पत्तन में रसायन कार्यालय खोलना

732. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विमान पत्तन में रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्द्धन परिषद का एक कार्यालय खोलने के लिए कुछ अभ्यावेदन/अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यात्री गाड़ियों को नए नम्बर प्रदान करना

733. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यात्री गाड़ियों के अब तक दिए गए नम्बर के स्थान पर अधिक युक्तिसंगत एवं वैज्ञानिक आधार पर नए नम्बर देने की योजना को अन्तिम रूप देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यात्री गाड़ियों को किस प्रकार नए नम्बर प्रदान किए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

दिल्ली और बिहार में आयकर छापे

734. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :
श्री के० प्रधानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग द्वारा वर्ष 1988-89 के दौरान दिल्ली और बिहार में कितने छापे मारे गए;

(ख) इन छापों के दौरान जब्त की गयी नकदी, आभूषण और अन्य सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर-अपवंचकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) वित्त वर्ष 1988-89 के दौरान आयकर विभाग ने दिल्ली और बिहार में 1425 तलाशियां लीं। इन तलाशियों के दौरान प्रथमदृष्टया लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां निम्नानुसार अभिगृहीत हुईं :—

सोना-चांदी	नकदी	जेवर-जवाहिरात	अन्य	कुल
		(मूल्य : लाख रुपए में)		
70.62	593.88	617.86	752.72	2035.08

(ग) और (घ) इन सभी मामलों में प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के अध्यधीन यथापेक्षित समुचित कार्यवाही की गई है।

विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी के आगमन में तेजी लाने के सम्बन्ध में एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इण्डिया का सुझाव

735. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री आफ इण्डिया ने देश में विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी के आगमन में तेजी लाने के लिए एक नए विदेशी निवेश सूत्र का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इण्डिया द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) विभिन्न पक्षों से समय-समय यह हमारे निवेश सम्बन्धी वातावरण में सुधार के लिए सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है और जहां कहीं भी आवश्यक और व्यवहार्य होता है, उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाई की जाती है ।

तेलुगु गंगा परियोजना को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति

736. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेलुगु गंगा परियोजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस संबंध में आवश्यक स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय मुद्दे हल न होने के कारण परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गयी है ।

टेलीविजन निर्माताओं द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

737. **श्री तम्पन थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ टेलीविजन निर्माता उत्पाद शुल्क की चोरी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सभी मामलों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) वर्ष 1986 से 1989 (15-7-1989 तक) की अवधि के दौरान, टेलीविजन निर्माताओं के खिलाफ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अपवंचन के 95 मामलों का पता लगाया गया है जिनमें 21.05 करोड़ रुपए तक का शुल्क अन्तर्ग्रस्त है। इन मामलों में से कुछेक मामलों पर न्यायनिर्णयन हो चुका है जिनमें 1.24 करोड़ रुपए की पुष्टि कर दी गयी है और कुल मिलाकर क्रमशः 2.33 लाख रुपए तथा 25.35 लाख रुपए का दण्ड और अर्थदण्ड लगाया गया है। शुल्क के रूप में 20.53 लाख रुपए तथा दण्ड के रूप में 1.35 लाख रुपए और अर्थदण्ड के रूप में 0.82 लाख रुपए की कुल रकम अब तक वसूल कर ली गयी है।

भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

738. **श्री तम्पन थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमे दायर किए गए हैं या चल रहे हैं; और

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और जितनी भी सूचना उपलब्ध होगी उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

प्रेस कर्मचारियों के लिए अन्तर्विभागीय समिति का गठन

739. **श्री तम्पन थामस** :
श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** प्रेस कर्मचारियों के लिए अंतर्विभागीय समिति के गठन के बारे में 28 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7593 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों को इस बीच स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) अन्तर-विभागीय समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं तथा उन पर शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाएंगे।

निर्वाचन आयोग कार्यालय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच द्रुत संचार के लिए मशीन लगाना

740. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी आम चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग सचिवालय तथा राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों के बीच अति द्रुत संचार के लिए मशीन लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की व्यवहार्यता संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लाख और शल्क लाख का आयात

741. **डा० चन्द्रशेखर वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि देश में लाख और शल्क लाख का उत्पादन होता है, इनका आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान हुए लाख और शल्क लाख के उत्पादन का, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन दोनों मदों के निर्यात से उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ङ) सरकार का विशेषकर बिहार में लाख, शल्क लाख उत्पादकों की कैसे सहायता करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) लाखदाना/चमड़े का सीमित आयात होता है । आयात को मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पाटने के लिए ही आयात किया जाता है और इस सम्बन्ध में बाहरी संसाधनों की स्थिति का ध्यान रखा जाता है ।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है ।

(ङ) निर्यात संवर्धन परिषद और राज्य सरकारों के जरिए जरूरतमन्द उपजकर्ताओं को सीमित मात्रा में लाख-ऋण निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं । राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के तत्वावधान में, लाख-व्यापार की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक अध्ययन-ग्रुप स्थापित किया गया है । इस अध्ययन में ये संस्थागत वित्त, सुलभ ऋणों की व्यवस्था और लाख उपजकर्ताओं के आर्थिक उत्थान के लिए उपाय सुझाने पर विशेष बल दिया गया है ।

विवरण

देश में लाख-छड़ों का राज्य वार उत्पादन

राज्य	1987-88	1988-89
1	2	3
बिहार	7,575	9,075

1	2	3
मध्य प्रदेश	5,170	3,880
पश्चिम बंगाल	1,070	1,400
अन्य राज्य	785	665
योग :	14,600	15,020

(2 मी० टन लाख-छड़ों से लगभग 1 मी० टन निर्यात योग्य लाख चमड़ा, लाख-दाना आदि मिलता है।)

लाख दाना, चमड़ा आदि के निर्यात से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा लाख रु० में
1987-88	1,662
1988-89	1,908

स्रोत : शैलाक निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता।

सामान्य बीमा पालिसी के दावों का निपटान

[हिन्दी]

742. **श्री मदन पांडे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा पालिसी सम्बन्धी दावों और विवादों के शीघ्र निपटान के लिए सामान्य बीमा पालिसियों में कोई संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रीमियम आदि की राशि घटा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इससे कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) सामान्य बीमा उद्योग ने दावों को शीघ्रता से निपटाने के लिए समय-समय पर बहुत से विशिष्ट उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) दावे निपटान सम्बन्धी प्रक्रिया का सरलीकरण और मानकीकरण।

(2) दस्तावेजों को जारी करने और दावों के निपटान के लिए समय सीमाएं विनिर्धारित करना।

(3) सर्वेक्षक द्वारा हानि की पुष्टि किए जाने पर पुलिस रिपोर्ट/फायर ब्रिग्रेड रिपोर्ट का आग्रह न करना।

(4) सभी स्तरों पर दावा निपटान सम्बन्धी शक्तियों में वृद्धि करना।

(5) दावेदारों से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए बीमा कंपनियों और भारतीय साधारण बीमा निगम के सभी कार्यालयों में शिकायत कक्ष की स्थापना करना।

(6) मोटर दावों को शीघ्रता से निपटाने के लिए लोक-अदालत अभियान को सहायता प्रदान करना।

(ग) अग्नि-शुल्क को जुलाई, 1987 से युक्तिसंगत बनाकर संशोधित किया गया था और इस प्रक्रिया में कुछ जोखिमों की दरों में कटौती प्राप्त हुई थी। ऐसे मामलों में जहां युक्तिसंगत बनाए जाने के कारण प्रीमियम दरों में वृद्धि हुई थी उन मामलों में इस वृद्धि को तीन वर्षों में फैलाकर कष्ट राहत प्रदान की गई थी।

(ख) बीमा कंपनियां ऐसी कोई सूचना नहीं रखती हैं, अतः इस आंकड़े का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

743. **श्री मदन पांडे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में स्थित गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़ी संख्या में बैंक बन्द होने की स्थिति में पहुंच गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने बैंक बन्द होने की स्थिति में पहुंचे हैं और क्या जमाकर्ताओं ने इन बैंकों में अपनी जमा राशियों की सुरक्षा के बारे में आशंकाएं व्यक्त की हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का जमाकर्ताओं की आशंकाएं दूर करने करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार का जमाकर्ताओं की आशंकाएं किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक का परिसमापन नहीं हुआ है। अलबत्ता, वर्ष 1771 से पहले, जो 128 बैंकिंग कम्पनियां बन्द होने की स्थिति में पहुंच गयी थीं, उनका परिसमापन करने की कार्रवाई चल रही है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत-हंगरी व्यापार

744. **श्री मदन पांडे :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और हंगरी के प्रतिनिधियों ने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के सम्बन्ध में हाल ही में बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसमें कितनी वृद्धि की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 30 से 31 मई, 1989 तक हंगरी का दौरा किया। चर्चा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने तथा विविधीकृत करने से सम्बन्धित रही। निर्यात की अनेक मदों पर जैसे मारुति कार, मोपेड, लोह अयस्क पैलेट, सोया निस्सारण, वस्त्र तथा परिधान तथा आयात की अनेक मदों जैसे स्टील उत्पाद, रसायन तथा प्लास्टिक रसायन, भेषजीय उत्पाद, आटोमोबाइल कलपुर्जे, खाद्य संसाधन उपकरण, बूचड़खाना उपकरण, इलैक्ट्रानिक उपकरण, विद्युत उपकरणों पर विचार-विमर्श हुआ। परम्परागत व्यापार के अतिरिक्त संयुक्त उद्यमों, सर्विस क्षेत्र में सहयोग तथा उत्पादन क्षेत्र में सहयोग जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। वर्ष 1988 में भारत और हंगरी दोनों की सरकारें दो वर्ष की अवधि में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने के लिए प्रयास करने पर सहमत हुई थीं। हाल की बातचीत इन प्रयासों में सहायता के लिए की गई थी।

बम्बई वी० टी०-गोरखपुर रेलगाड़ियों का छपरा (बिहार) तक विस्तार

[अनुवाद]

745. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निश्चय किया गया है कि बम्बई वी० टी० और गोरखपुर के मध्य चलने वाली रेलगाड़ियों का छपरा (बिहार) तक विस्तार किया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या गोरखपुर-छपरा सेक्शन पर रास्ते के चयन के बारे में सही निर्धारण नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र के लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो गोरखपुर-छपरा सेक्शन पर रास्ते के चयन में त्रुटि को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नई मतदाता सूची में 18-21 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को शामिल करना

[हिन्दी]

746. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी आम चुनाव के लिए मतदाता सूची में 18-21 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को शामिल करने के सम्बन्ध में मई, 1989 तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या नई सूचियों में इन मतदाताओं को शालिल करने से सम्बन्धित कार्य पूरे देश में पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी तथ्यात्मक स्थिति क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने, 18 से लेकर 21 वर्ष तक के मतदाताओं के नामांकन के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण का कार्य, जनवरी, 1989 में ही प्रारम्भ कर दिया था। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य, अधिकांश राज्यों की बाबत नामावलियों का अंतिम प्रकाशन मई-जून, 1989 के दौरान विभिन्न तारीखों को सुनिश्चित करना था। निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में, मतदाताओं की गणना, नामित निर्वाचन अधिकारियों द्वारा गणकों के कार्य की जांच, प्रारूप नामावलियों का प्रकाशन, दावों और आक्षेपों पर विचार करना और अंत में नामावलियों का अंतिम प्रकाशन करना सम्मिलित है। अतः यह बताना संभव नहीं है कि विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस कार्य की बाबत मई, 1989 तक कितनी प्रगति हुई है।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि अब यह कार्य पूरा हो गया है और असम और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर के हिमाच्छादित क्षेत्रों को छोड़ कर, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की अन्तिम निर्वाचक नामावलियां प्रकाशित की जा चुकी हैं। असम के मामले में, 126 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 108 निर्वाचन क्षेत्रों में गणना पूरी की जा चुकी है और अन्य 13 निर्वाचन क्षेत्रों में यह लगभग पूरी होने को है। बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के हिमाच्छादित क्षेत्रों के मामले में अन्तिम निर्वाचन नामावलियां अब तक प्रकाशित हो जानी चाहिए थी यद्यपि निर्वाचन आयोग ने इसकी निश्चित रूप से पुष्टि अभी तक नहीं की है।

शहीद एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर तक चलाना

747. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहीद एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर तक चलाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां।

अप्रत्यक्ष करों में संशोधन

[अनुवाद]

748. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अप्रत्यक्ष करों में संशोधन करने का है;

(ख) क्या इस आशय के किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए जगाए जा रहे अप्रत्यक्ष करों की वर्तमान दरों की पूर्णत: पुनर्संरचना करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर का निदेशक बोर्ड

[हिन्दी]

749. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इन्दौर के निदेशक बोर्ड का कार्यकाल-सितम्बर 1988 को समाप्त हो गया था;

(ख) क्या इस बैंक के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसका पुनर्गठन कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) बैंक के निदेशक बोर्ड का सतत अस्तित्व होता है और समय-समय पर खाली होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए कार्यवाई की जा रही है । इस समय स्टेट बैंक आफ इन्दौर के निदेशक मण्डल में कुछ रिक्तियां हैं । इनको भरने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गयी है ।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के अधिकारी कार्यकारी की यात्रा पर व्यय

[अनुवाद]

750. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 से अब तक स्टेट बैंक आफ इन्दौर के महाप्रबन्धक से नीचे के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की यात्रा पर वर्षवार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान महाप्रबन्धक से नीचे के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की यात्रायें रद्द किये जाने के कारण कितनी धनराशि व्यय हुई और यात्रा रद्द किए जाने के प्रत्येक मामले के क्या कारण थे; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार व्यय रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) वर्ष 1987

से 1989 तक (13-7-89 तक) के लिए स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा दी गई सूचना नीचे दी गई :—

वर्ष	यात्रा पर व्यय (रुपए)	रद्द करने के प्रभार (रुपए)
1987	2,13,596.28	2409.00
1988	3,01,455.89	2114.00
1989	1,83,622.97	1907.00

रद्द करने के प्रभार मुख्यत: उन बैठकों के अन्तिम क्षणों में स्थगित हो जाने के कारण हवाई/रेल टिकटों को रद्द करने के कारण हुए, जिन बैठकों में अधिकारियों ने भाग लेना था। यद्यपि ऐसे प्रभारों से बचने के लिए बैंक सचेत रहता है, लेकिन बैठकें आदि जिनमें अधिकारियों को भाग लेना होता है, कभी-कभी स्थगित कर दी जाती हैं इसलिए रद्द करने के ऐसे प्रभार अपरिहार्य होते हैं।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर में धांधलियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट

751. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में कथित धांधलियों के मामले में अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और जितनी भी सूचना उपलब्ध होगी उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायिक मामले

752. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों (जून, 1989 तक) के दौरान, वर्षवार और श्रेणी-वार, स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने अपने कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में कितने मुकदमे दर्ज किए हैं; और

(ख) बैंक द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान, वर्षवार, इन मुकदमेबाजियों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार (जून 1989 तक) 1987-1989 की अवधि के दौरान स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा

दायर किए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है :—

(मामलों की संख्या)

	1987	1988	1989
पर्यवेक्षण कर्मचारी	2	—	2
एचार्ड स्टाफ	—	1	—

(इसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज अपराधिक मामले शामिल नहीं हैं)

गत तीन वर्षों के दौरान मामलों पर हुआ व्यय नीचे दिया गया है :—

वर्ष	खर्च (रुपए)
1987	16251.50
1988	1023.30
1989	10000.00

जम्मू ऊधमपुर रेल लाइन

753. **श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर)**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और ऊधमपुर के बीच कुल कितनी लम्बी रेल लाइन बिछाने का विचार है; और

(ख) इस परियोजना पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 53.20 कि० मी० ।

(ख) 1. 1986-87 1.5 करोड़ रुपए

2. 1987-88 5.0 करोड़ रुपए

3. 1988-89 11.70 करोड़ रुपए

लम्बी दूरी की गाड़ियों में प्राथमिक उपचार सुविधा

[हिन्दी]

754. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लम्बी दूरी की गाड़ियों में प्राथमिक उपचार सुविधा तथा खानपान सुविधा की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो इन गाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को लम्बी दूरी की गाड़ियों में यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों के लाभ के लिए तत्काल प्राथमिक उपचार सुविधा प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ङ) सभी सवारी गाड़ियों के गार्डों के पास प्राथमिक चिकित्सा पेटियों की व्यवस्था कर दी गयी है। लम्बी दूरी की अधिकांश गाड़ियों में खानपान सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

भारतीय साधारण बीमा निगम में विपणन एजेंट

[अनुवाद]

755. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में भारतीय साधारण बीमा निगम एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों में कितने विपणन एजेंट कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय साधारण बीमा निगम का विचार और विपणन एजेंटों की भर्ती करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) पूर्ण रूप से ग्रामीण और अन्य गैर-परम्परागत व्यवसाय और व्यक्तिगत बीमा विकसित करने के साथ-साथ बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय साधारण बीमा निगम ने सितम्बर, 1987 में विपणन एजेंट योजना शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत एक चरणबद्ध ढंग से पूरे भारत में 5000 एजेंट भर्ती करने का प्रस्ताव था। पहले चरण में साधारण बीमा निगम ने पहले ही नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार 1,619 एजेंट भर्ती कर लिए हैं।

क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	जोड़
पश्चिमी	178	163	341
उत्तरी	261	178	439
पूर्वी	145	169	314
दक्षिणी	350	175	525
	934	685	1619

भारतीय साधारण बीमा निगम मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत से पहले शेष विपणन एजेंटों की भर्ती करने के लिए भी आवश्यक उपाय कर रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत, शहरी क्षेत्रों से स्नातकों और ग्रामीण क्षेत्रों से वरिष्ठ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र वाले उम्मीदवारों को, जिनके कुल अंकों का औसत 50 प्रतिशत है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 40 प्रतिशत) और जो 18-30 वर्ष के आयु समूह में हैं, विपणन एजेंटों के रूप में भर्ती किया जाता है। उनके द्वारा प्राप्त किए गए व्यवसाय पर कमीशन की आय के अलावा उन्हें 400/- रुपए प्रतिमाह का समेकित पारिश्रमिक दिया जाता है। उन्हें व्यक्तिगत और ग्रामीण बीमा में 30,000/- रुपए प्रीनियम प्रतिवर्ष प्राप्त करना आवश्यक होता है। तिमाही आधार पर लक्ष्य तय किए जाते हैं और प्रत्येक तिमाही के अंत में उनकी पुनरीक्षा की जाती है। उन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने से पहले उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले बीमा के सम्बन्ध में दो सप्ताह का गहन बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। दो वर्ष की अवधि के अंत में भत्ता बन्द कर दिया जाता है परन्तु वे साधारण एजेंटों के रूप में कार्य कर सकते हैं। अच्छे कार्य-निष्पादन रिकार्ड और योग्यता वाले विपणन एजेंट विकास अधिकारी के पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

सिक्किम में केन्द्रीय आयकर कानूनों का कार्यान्वयन

756. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने समाचार-पत्रों में एक नोटिस जारी किया था, जिसमें सिक्किम के लोगों से केन्द्रीय आयकर कानून लागू करने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पूछा गया था;

(ख) यदि हां, तो यह नोटिस कब प्रकाशित हुआ था तथा सिक्किम से लोगों की कठिनाइयां प्राप्त करने के लिए कितना समय दिया गया था;

(ग) क्या दिल्ली के समाचार-पत्रों को गंगटोक पहुंचने में दो दिन लग जाते हैं;

(घ) क्या सुझावों के लिए निर्धारित दो दिनों का समय देना उपयुक्त एवं न्यायसंगत था;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का समाचार-पत्रों में सूचना को पुनः प्रकाशित करके समय-सीमा बढ़ाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 10 जून, 1989 को कुछ समाचार-पत्रों में नोटिस प्रकाशित किया गया था तथा कठिनाइयों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने का समय दिनांक 16 जून, 1989 दिया गया था।

(ग) दिल्ली के समाचार-पत्र गंगतोक में सामान्यतः अगले दिन पहुंचते हैं।

(घ) से (च) कठिनाइयों, यदि कोई हों, को दूर करने के सम्बन्ध में समिति के गठन के बारे में समाचार-पत्र में उक्त नोटिस के प्रकाशित होने से पूर्व उक्त समिति के गठन के बारे में प्रेस नोट जारी किए गए थे। अतः वह नोटिस पर्याप्त नोटिस था। वस्तुतः सिक्किम में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर कानूनों के कार्यान्वयन में कठिनाइयों की, यदि कोई हों, जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति के पास दिनांक 16 जून, 1989 के बाद भी पत्र प्राप्त हुए हैं। समिति की बैठक गंगतोक में भी हुई थी; तथा

कुछ एसोसिएशनों, चैम्बर्स आफ कामर्स, आदि जिनमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, ने प्रत्यक्ष कर कानूनों के कार्यान्वयन में संभावित कठिनाइयों के बारे में उल्लेख किया।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए समय-सीमा को बढ़ाना तथा उक्त नोटिस को पुन: प्रेस में प्रकाशित करना इस समय आवश्यक नहीं समझा गया है।

उज्जैन (मध्य प्रदेश) में स्टेट बैंक आफ इंदौर की शाखाओं में धोखाधड़ी के मामले

[हिन्दी]

757. **श्री शांतिलाल पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष (30 जून, 1989 तक) के दौरान मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में धोखाधड़ी करने के कितने मामलों का पता लगाया गया है और इनमें कितनी राशि का गोलमाल किया गया;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जहां बैंक कर्मचारियों का शामिल होने का पता लगा है; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और कितने मामलों में कार्यवाही अभी की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान अथवा वर्तमान वर्ष में इसकी उज्जैन शहर की शाखाओं में धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं पकड़ा गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा दिए गए ऋण

[अनुवाद]

758. **श्री शांतिलाल पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को ऋण मंजूर करने के सम्बन्ध में बैंकों को कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने भारतीय रिजर्व बैंक के इन अनुदेशों/मार्गनिर्देशों का पालन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को ऋण मंजूर करने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मार्गनिर्देश जारी करता है। ये मार्गनिर्देश

आवेदन फार्मों, ऋण प्रक्रियाओं, मार्जिन मनी, सुरक्षा मानदण्ड, ब्याज दर और लिए जाने वाले अन्य प्रभारों के बारे में होते हैं तथा इनका सम्बन्ध प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों की सभी श्रेणियों से होता है।

(ग) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों को स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा उल्लंघन किए जाने का कोई मामला सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व बैंक सहायता

759. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक द्वारा चालू वर्ष के दौरान भारत को कितनी आर्थिक सहायता की व्यवस्था किए जाने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी० के० गड़वी) : विश्व बैंक के राजकोषीय वर्ष की अवधि पहली जुलाई से अनुवर्ती वर्ष के 30 जून, तक होती है। बैंक के राजकोषीय वर्ष 1989 के दौरान, विश्व बैंक समूह (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ) द्वारा भारत को 11 परियोजनाओं के लिए 303.66 करोड़ अमरीकी डालर की सहायता का वचन दिया गया है।

जून, 1989 में आयोजित भारत सहायता संघ की बैठक में विश्व बैंक ने संकेत दिया है कि राजकोषीय वर्ष 1990 के लिए भारत को विश्व बैंक समूह द्वारा की जाने वाली सहायता सम्बन्धी वचनबद्धता सम्भवतः 2.9 अरब अमरीकी डालर की होगी।

ब्रिटेन से सवारी रेल डिब्बों का आयात

760. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश रेल इन्जीनियरिंग लिमिटेड ने भारत द्वारा आयात किए जाने वाले सवारी रेल डिब्बों के लिए कार्य-निष्पादन गारन्टी देने से मना किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) बड़ी तथा मीटर गेज लाइन के लिए आयात किए जाने वाले सवारी रेल डिब्बों का ब्यौरा क्या है और इस सौदे पर कितनी लागत आएगी?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) ब्रिटिश रेल इन्जीनियरिंग लिमिटेड पूर्णरूपेण तैयार सवारी डिब्बों के सन्तोषजनक कार्य-निष्पादन की समग्र जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हुई हैं।

(ख) वित्त मन्त्रालय के परामर्श से इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।

(ग) प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण सहित बड़ी लाइन के 42 सवारी डिब्बों के ढांचों की पोत पर्यन्त निःशुल्क लागत 20,194,414 पौंड है। प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के साथ-साथ इन सवारी डिब्बों के

डांचों के लिए बोगियां मैसर्स फीएट इटली से आयात करने का प्रस्ताव है जिसकी लागत 11,253,600 डी० एम० होगी । मीटर लाइन के सवारी डिम्बों का आयात नहीं किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा सागर बहु-उद्देशीय परियोजना के सम्बन्ध में विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सहायता का अनुरोध

761. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **जल संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन्दिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना के सम्बन्ध में विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

लघु समय सारिणी पुस्तिका

762. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने आम जनता की सुविधा हेतु हाल ही में एक लघु समय-सारिणी पुस्तिका प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो आम जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा; और

(ग) यह पुस्तिका मौजूदा जोनल समय-सारिणी पुस्तिका से कितनी बेहतर है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक पृष्ठीय अखिल भारतीय रंगीन "मिनी टाइम टेबल" देखने और लाने/ले जाने में आरामदायक है और इसकी एक प्रति केवल एक रुपए में बेची जाती है । क्षेत्रीय रेलवे टाइम टेबल और एक पृष्ठीय अखिल भारतीय "मिनी टाइम टेबल" का लक्ष्य विभिन्न प्रकार के यात्रियों की अपेक्षित विशिष्ट आवश्यकताएं पूरा करना है ।

बैंकों में समान ऋण कार्ड प्रणाली

[हिन्दी]

763. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न बैंकों द्वारा भिन्न प्रकार की ऋण कार्ड प्रणालियों का अनुसरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक ऑफ इण्डिया ने पूरे देश में एक समान ऋण कार्ड प्रणाली आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर कब तक विचार किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) प्रत्येक बैंक के ऋण कार्ड की अपनी अलग विशेषताएं हैं।

(ख) से (ङ) किसी बैंक द्वारा ऋण कार्ड अपनी वाणिज्यिक परख के आधार पर शुरू किया जाता है, जब तक दूसरे बैंकों के साथ उपयुक्त समझौता व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक किसी बैंक का ऋण कार्ड उसी बैंक की शाखाओं द्वारा जारी और स्वीकार किया जाता है।

बैंक आफ इण्डिया ने भी अपनी ऋण कार्ड योजना शुरू की है जो इसकी शाखाओं द्वारा जारी और स्वीकार की जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और बीमा सुविधाएं

764. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और बीमा निगमों द्वारा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाएं दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में इन्हें कोई और मार्ग-निर्देश, जारी करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये मार्ग-निर्देश कब तक जारी किए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां।

राष्ट्रीयकरण के बाद, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की संख्या जो जुलाई 1969 में 1860 थी, दिसम्बर 1988 में बढ़कर 31,845 हो गई। प्रतिशाखा कार्यालय औसत 1969 में औसतन 65,000 जनसंख्या के लिए पहले एक शाखा कार्यरत थी जो अब घटकर 12,000 रह गई है। इसी प्रकार, दिसम्बर 1988 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम 32,564 करोड़ रुपए अथवा कुल अग्रिमों का 45.1 प्रतिशत थे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बैंकों ने 166 लाख परिवारों को शामिल किया था तथा वर्तमान योजना अवधि के दौरान मार्च 1989 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 147 लाख परिवारों को बैंक ऋण प्रदान किया गया है। हाल ही में, ग्रामीण ऋणों सम्बन्धी सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत देश के सभी गांव विभिन्न बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं को आबंटित कर दिए गए हैं। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विकास की संभावनाओं और उन्हें आबंटित किए गए गांवों के लोगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक ऋण योजनाएं तैयार करें। आशा की जाती है कि सेवा क्षेत्र योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग के लिए एक नया मोड़ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

बीमा सुविधाओं के संबंध में साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1973 से राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की परिसंपत्तियों के बीमा के वास्ते पर्याप्त सुविधायें प्रदान की गयी हैं। इस संबंध में साधारण बीमा निगम ने आगे यह भी बताया है कि कुक्कुटों के अलावा ग्रामीण जनसंख्या के लाभ के लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मवेशियों, भैंसों और भेड़, बकरियां, सुअर जैसे अन्य पशुधन तथा काम करने वाले घोड़े, ऊंट, खच्चर आदि जैसे भार ढोने वाले पशुओं का बीमा करना है। बीमा उद्योग ने पूरे देश में किसानों की उपर्युक्त पशुधन परिसंपत्तियों और मवेशियों आदि का बीमा करने के लिए बीमा योजनायें तैयार की हैं। साधारण बीमा निगम ने ग्रामीणों की परिसंपत्तियों का बीमा करने के लिए कई अन्य योजनायें भी शुरू की हैं जैसे—कृषि पम्पों का बीमा, मत्स्य उद्योग बीमा/झींगा बीमा, रेशम-कीट बीमा, शहद-मक्खी बीमा, असफल कुंआ बीमा, फसल बीमा आदि।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

आभूषण निर्यात कम्पलेक्सों की स्थापना

765. **श्री चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आभूषण निर्यात कम्पलैक्स स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसे कम्पलैक्स स्थापित करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का इस तरह के कम्पलैक्स उत्तर प्रदेश में भी स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो किस स्थान पर और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ङ) जी, हां। एक 100% निर्यातोन्मुख कम्पलैक्स पहले से ही नई दिल्ली में कार्यरत है। आभूषण निर्यातक एककों की स्थापना शान्ताक्रूज इलैक्ट्रानिक निर्यात प्रोसैसिंग जोन, बम्बई में की जा रही है। ऐसे एकक कोचीन, मद्रास, फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नौएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित निर्यात प्रोसैसिंग जोनों में भी स्थापित किए जा रहे हैं।

आय कर विवरणी प्रपत्रों इत्यादि का उपलब्ध न होना

766. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** :
श्री के० एस० राव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञापनों इत्यादि के माध्यम से आयकर निर्धारितियों को 30 जून, 1989 से पहले आयकर अदा करने के लिए सूचित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर निर्धारितियों को देश के विभिन्न भागों में आयकर विभाग के

कार्यालयों में आयकर से छूट पाने के लिए निर्धारित प्रपत्रों तथा विवरणी प्रपत्रों की अनुपलब्धता के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा;

(ग) क्या आयकर विभाग सादे लिफाफों की कमी के कारण 4000 से भी अधिक "रिफन्ड" आदेश जारी नहीं कर सका तथा वैयक्तिकी रबर मोहरों के कारण सैकड़ों आदेश जारी नहीं किए जा सके; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न होने देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांडा) : (क) आयकर विभाग ने कर-दाताओं को आयकर-विवरणियों को दाखिल करने के लिए नई तारीखों के बारे में जानकारी देने हेतु विज्ञापन तथा एक प्रेस नोट जारी किए थे।

(ख) कुछेक स्थानों पर कुछ कर-दाताओं को नए निर्धारित प्रपत्रों की अस्थायी कमी के कारण कुछ असुविधा हुई होगी।

(ग) इस आशय की एक प्रेस रिपोर्ट दिनांक 18 जून, 1989 के दि टाइम्स आफ इण्डिया के बम्बई संस्करण में प्रकाशित की गयी थी। तथापि, पूछताछ किए जाने पर मुख्य आयुक्त (प्रशासन), बम्बई ने यह बताया है कि यह कहना ठीक नहीं होगा कि लिफाफों की कमी के कारण वापस-अदायगी के आदेशों को जारी करने में विलम्ब हुआ था अथवा यह कि रबर-स्टाम्पों की कमी के कारण कर-निर्धारण संबंधी आदेशों को पारित करने में विलम्ब हुआ था।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, जब कभी भी कर-दाताओं की कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता होती है, तब-तब अपेक्षित उपाय किए जाते हैं।

प्रमुख औद्योगिक घरानों का आयात और निर्यात कारोबार

[अनुवाद]

767. **डा० वत्ता सामन्त** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के लिए देश में 20 प्रमुख औद्योगिक घरानों के आयात और निर्यात कारोबार का मूल्य-वार तथा कम्पनी वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बड़े औद्योगिक घरानों का निर्यात कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) वर्ष 1987-88 के लिए देश के 20 सर्वोच्च औद्योगिक घरानों का आयात-निर्यात कारोबार संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1988-89 के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान 20 सर्वोच्च औद्योगिक घरानों की कुल कारोबार और निर्यात

क्रमशः 6,782 करोड़ रुपए और 918 करोड़ रुपए रहा। तदनुसार कारोबार का 3.4 प्रतिशत निर्यात हुआ। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा किए गए 581 बड़ी कम्पनियों के अध्ययन से यह पता लगा कि उनकी बिक्री का 3.6 प्रतिशत निर्यात हुआ।

(ग) वाणिज्य मन्त्रालय ने एक पैनल स्थापित किया है जिसे यह काम दिया गया है कि वह बड़े औद्योगिक घरानों के निर्यात निष्पादन की पुनरीक्षा करे और निर्यात कार्य में जिन रुकावटों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन पर विचार करके निर्यात बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाए।

विवरण

भारत में परिसम्पत्तियों के आधार पर 20 सर्वोच्च औद्योगिक घरानों के निर्यात और आयात का मूल्य—1987-88

(मूल्य करोड़ रुपए में)

क्रमांक	औद्योगिक घरानों के नाम	1987-88	
		आयात	निर्यात
1	2	3	4
1.	बिरला	174.39	426.27
2.	टाटा	240.46	283.82
3.	रिलायंस	6.79	187.68
4.	जे० के० सिंघानिया	21.60	104.06
5.	थापर	14.43	71.28
6.	मफततात	111.92	62.99
7.	बजाज	6.29	112.33
8.	लारसन एंड टाउब्रो	6.75	49.18
9.	मोदी	55.27	56.75
10.	एम० ए० चिदाम्बरम	2.85	82.63
11.	हिन्दुस्तान लिवर्स	127.98	54.06
12.	टी० वी० एस० आयंगर	7.55	73.97
13.	ए० सी० सी०	0.00	2.31
14.	श्री राम	17.08	62.15

1 2	3	4
15. बंगुर	17.85	29.75
16. बालचन्द	8.51	24.23
17. आई० टी० सी०	28.59	17.48
18. आई० सी० आई०	21.19	24.61
19. किरलोसकर	18.24	52.23
20. यूनाइटेड ब्रेवरीज	30.30	32.48

स्रोत : कम्पनी कार्य विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली ।

तमिलनाडु में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में धोखाधड़ी

768. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की कितनी शाखायें कार्यरत हैं और इन शाखाओं में वर्ष 1983 से 1985 तक की अवधि के दौरान धोखाधड़ी/दुर्विनियोग के कितने मामले हुए हैं;

(ख) इन मामलों में कितनी धनराशि की धोखाधड़ी हुई है;

(ग) इन मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि तमिलनाडु राज्य में बैंक की दो शाखायें कार्यरत हैं । बैंक ने यह भी बताया है कि 1983-1985 की अवधि में इसकी ग्राडबे, मद्रास स्थित शाखा में धोखाधड़ी की एक वारदात हुई थी जिसमें 6.58 करोड़ रुपए की रकम अन्तर्ग्रस्त थी ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) बैंक द्वारा दायर करवाए गए सिविल मुकदमे और आपराधिक शिकायतें न्यायाधीन हैं ।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्प संख्यक समुदाय के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति

769. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्प संख्यक समुदाय के वाच एण्ड वार्ड एवं सब-स्टाफ सहित अधिकारियों और कर्मचारियों को सुदूर स्थानों पर नियुक्त न करने तथा उन्हें महत्वहीन पदों पर तैनात न करने के लिए भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कितने किलो मीटर की सीमा निश्चित की गई है;

(ग) क्या उपर्युक्त निर्देशों का स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा अनुपालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण/उनकी नियुक्ति के मामले में उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। स्टेट बैंक आफ इन्दौर सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्प संख्यक समुदाय के अधिकारियों/कर्मचारियों सहित अधिकारियों कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतया सरकारी निर्देशों को ध्यान में रख कर किया जा रहा है।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र का कार्यकरण

770. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बैंकों के अध्यक्षों की बैठक में स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद और स्टेट बैंक आफ सौराष्ट के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव आमन्त्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो दिए गए सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रयास किया है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद और स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के कार्यकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा निरन्तर आधार पर नजर रखी जाती है। वित्त मन्त्री भी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समूचे कार्यकरण की समीक्षा करने के वास्ते, समय-समय पर बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ बैठकें बुलाते हैं। चालू वर्ष में दिनांक 30 जनवरी, 1989 और 30 जून, 1989 को ये बैठकें बुलायी गयी थीं। इन बैठकों में स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद और स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई खास सुझाव नहीं मांगे गए थे।

बलिया से छपरा तक बड़ी रेल लाइन

[हिन्दी]

771. **श्री राज कुमार राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलिया से छपरा तक बड़ी रेल लाइन बिछाने हेतु मन्जूरी प्रदान की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस रेल लाइन का काम कब तक शुरू होगा ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) 85.13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर छपरा-बलिया-गाजीपुर-औड़िहार मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को 1989-90 के बजट में अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना के कार्य का 28-6-89 को औपचारिक उद्घाटन किया गया है और इसके वास्तविक कार्य-निष्पादन के शीघ्र ही शुरू होने की आशा है।

आठवीं योजना की नीति

[अनुवाद]

772. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि में रेलवे में कुल कितनी धनराशि निवेश करने का प्रस्ताव है;

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) आठवीं योजना के लिए बनाई गई प्रायोजना से कहां तक परिवहन की बढ़ती हुई कितनी मांग पूरी होगी; और

(घ) नई रेलगाड़ियां, रेललाइनें आदि आरम्भ करने, विस्तार और इनके नवीकरण के बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) रेलों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

रिफेमुसिन का आयात

773. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान रिफेमुसिन का आयात करने सम्बन्धी कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) सम्भवतः यह प्रश्न रिफैम्पसिन से सम्बन्धित है। जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य व्यापार निगम की योजनाएं

774. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने लघु क्षेत्र के उद्योगों को अपनी योजनाओं का लाभ देकर उन्हें घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में सहायता देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम के भावी कार्यक्रम क्या हैं;

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा अब तक शुरू की गई योजनाओं के अन्तर्गत लघु क्षेत्र के कितने एकक लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) एस० टी० सी० द्वारा लघु क्षेत्र के उद्योग को घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में सहायता प्रदान करने सम्बन्धी स्कीमों/भावी कार्यक्रमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

— लघु क्षेत्र के निर्यातकों को आयातित कच्चे माल तथा मशीनरी की सप्लाई, क्वालिटी नियन्त्रण तथा वित्त सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था।

— भारत तथा विदेशों में मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता द्वारा लघु क्षेत्र के उत्पादों के लिए बाजार सहायता की पेशकश करना।

— एस० टी० सी० द्वारा अपनी उत्पादन क्षमताएं बनाना और उन्हें उद्यमियों को प्रदान करना।

— ऐसे मामलों में सार्थसंघों की स्थापना कर अरण्डी के तेल, चमड़ा माल तथा परिधानों जैसे उत्पादों का विपणन करना, जहां व्यक्ति विशेष निर्यातक निर्यात हेतु पूरी मात्रा आफर नहीं कर सकते हों।

— लघु क्षेत्र के निर्यातकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ग्राहक सेवा केन्द्र का खोला जाना।

— अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लघु क्षेत्र के एककों के अन्तिम उत्पादों के विपणन हेतु उत्पादन-कार्यकुशलता, डिजाइनों, क्वालिटी नियन्त्रण तथा पैकेजिंग के लिए एक सुविधा पैकेज की व्यवस्था।

— लघु क्षेत्र के निर्यातकों को आफ-दि-शेल्फ सुपुर्दगियां देने के प्रयोजन से ओ० जी० एल० पर कच्चे माल के आयात हेतु, एक योजना तैयार करना।

(ग) और (घ) एस० टी० सी० द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विगत वर्षों में अनेक लघु एककों को लाभ हुआ है। फिर भी, एस० टी० सी० ने हाल में जो नई योजना आरम्भ की है उसके अन्तर्गत लगभग 20 लघु एककों को लाभ हुआ है।

औषधियों और भेषजों का निर्यात

775. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों

के दौरान दिल्ली हवाई अड्डे से निर्यात किए गए औषधियों और भेषजों के नाम क्या हैं तथा इनका मूल्य-वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधों तथा भेषजों के कुल निर्यात नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	औषधों तथा भेषजों के निर्यात मूल्य
1986-87	222.95 करोड़ रु०
1987-88	289.69 करोड़ रु०
1988-89	467.50 करोड़ रु०

स्रोत : केमिक्सिल।

निर्यात आंकड़े पत्तन-वार नहीं रखे जाते और इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली एयर पोर्ट के जरिए औषधों और भेषजों के जो निर्यात किए गए उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

औषधों और भेषजों की जिन प्रमुख मदों का निर्यात किया जाता है वह है : सल्फामेथोक्साजोल, इम्बूप्रोफीन, टिनीडाजोल, ट्रीमथोप्रिम, एमोडिक्वाइन एच० सी० एल०, इरीथ्रोमाइसिन, एस्टोलेट, इरीथ्रोमाइसिन स्टियारेट, एम्पिसलरिनट्रिहाइड्रेट, पोटेशियम, आयोडाइड, पैरासीटामोल, इथाम्बुटोल एच०सी०एल०, सोडियम आयोडाइड, क्लोप्रोपामाइड, आक्सीफेन-ब्यूटाजोन, मेट्रोनिडाजोल, मेबेनडाजोल, मेथाइल डोपा, एम्पिसलीन, ट्रिहाइड्रेट, सेफालिक्सिन, डाक्सीसाइक्लिन एच० सी० एल०, पैंचिन तथा औषधीय अरण्डी का तेल ।

काफी बोर्ड द्वारा काफी उत्पादकों को बोनस

776. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड ने वर्ष 1989 के प्रथम पांच महीनों के लिए काफी उत्पादकों को दिए जाने वाले बोनस की प्रतिशतता पर निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को बोनस के मामले पर काफी बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) ऐसे अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जून, 1989 में 1988-89 मौसम के लिए बड़े उपजकर्ताओं को 7 रु० प्रति प्वाइन्ट की दर से तथा छोटे उपजकर्ताओं को 7.50 रु० प्रति प्वाइन्ट की दर से प्रारंभिक भुगतान की घोषणा की गई। यह पिछले वर्षों में किए गए ऐसे ही प्रारम्भिक भुगतान से कहीं ज्यादा है । मई, 1989 में बड़े उपजकर्ताओं को

1 रुपया प्रति प्वाइंट एक अन्य अग्रिम भुगतान किया गया और इतनी ही प्रतिपूरक राशि छोटे उपजकर्ताओं को दी गई। इससे कुल संघ भी भुगतान बड़े उपजकर्ताओं को 8 रु० प्रति प्वाइंट और छोटे उपजकर्ताओं को 8.50 रु० प्रति प्वाइंट तक हो गया। वर्ष 1987-88 के लिए 0.50 रु० प्रति प्वाइंट की दर से एक अन्य भुगतान करने की घोषणा जून, 1989 में की गई है। इससे उस मौसम के लिये कुल संचयी दर 11.50 रु० प्रति प्वाइंट हो गई है। उसके बाद की किस्तें बिक्री वसूली तथा धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी।

(ग) और (घ) बोनस के वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए काफी उपजकर्ताओं के एक वर्ग से अभिवेदन प्राप्त हुआ है। काफी बोर्ड को विपणन समिति की कीमत परिवर्तन मात्रक उपसमिति पहले ही सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखकर इस अभिवेदन पर विचार कर रही है।

कोंकण रेल परियोजना (मंगलौर उडूपि)

777. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 जून, 1989 की स्थिति के अनुसार मंगलौर से उडूपि के बीच कोंकण रेलवे लाइन पर निर्माण कार्य कितना पूरा हो गया है;

(ख) क्या अब तक जितना कार्य हुआ है, उस पर उसी अनुपात में व्यय हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत में होने वाली अनुमानित वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) मंगलोर तथा उडुपी दोनों छोरों से भूमि के नक्शों को तैयार करने तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाएं चल रही हैं। 7 कि० मी० भूमि को अधिग्रहण करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था तथा मंगलोर छोर पर 1.33 कि० मी० भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) परियोजना की लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

केरल में काजू बोर्ड की स्थापना

778. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में काजू बोर्ड की स्थापना के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या काजू बोर्ड की स्थापना कन्नोर में करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने बोर्ड के स्थापना स्थल के बारे में निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भाग (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

779. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 को उड़ीसा में कार्यरत बैंकों के नाम क्या हैं;

(ख) 31 मार्च, 1989 को राज्य में इन बैंकों की कुल कितनी शाखायें कार्यरत थीं;

(ग) उड़ीसा में प्रत्येक बैंक द्वारा कमजोर वर्गों के लोगों को गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है; और

(घ) इन ऋणों को किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० यशवी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1988 के अन्त तक के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों की 1857 शाखाएं कार्यरत थीं। इन शाखाओं का बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) आंकड़ों की सूचना सम्बन्धी वर्तमान प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती । तथापि, उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों में कमजोर वर्गों को दिए गए ऋणों की रकम इस प्रकार है :—

वर्ष	बकाया रकम (करोड़ रुपए)
दिसम्बर, 1985	167.84
दिसम्बर, 1986	201.82
जून, 1987 (अद्यतन सूचना के अनुसार)	23.29

(घ) कमजोर वर्गों को आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठाने के लिए बैंकों के माध्यम से चलाई जा रही मुख्य सरकारी योजनाएं ये हैं :—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), ब्याज की विभेदी दर (डी० आर० आई०), शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार (एस० ई० ई० यू० वाई०), तथा शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम (सेप्प) ।

विवरण

31-12-1988 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में कार्यरत शाखाओं की बैंकवार स्थिति

क्रम सं०	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	368

1	2	3
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2
4.	इलाहाबाद बैंक	41
5.	आन्ध्रा बैंक	65
6.	बैंक आफ बड़ौदा	13
7.	बैंक आफ इण्डिया	85
8.	केनरा बैंक	31
9.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	37
10.	कारपोरेशन बैंक	2
11.	देना बैंक	2
12.	इण्डियन बैंक	32
13.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	61
14.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	9
15.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	2
16.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2
17.	पंजाब नेशनल बैंक	16
18.	सिंडिकेट बैंक	21
19.	यूको बैंक	147
20.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	31
21.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	84
22.	विजया बैंक	5
23.	बैतरणी ग्राम्य बैंक	89
24.	बालासोर ग्राम्य बैंक	62
25.	बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक	144
26.	कटक ग्राम्य बैंक	120
27.	धेनकनाल ग्राम्य बैंक	48
28.	कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक	78
29.	कोरापुट पंचबटी ग्राम्य बैंक	88

1	2	3
30.	पुरी ग्राम्य बैंक	99
31.	ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक	70
32.	फेडरल बैंक लि०	1
33.	यूनाइटेड इण्डस्ट्रीयल बैंक लि०	1
	कुल :	1857

बिहार से आमों का निर्यात

780. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार से विदेशों, विशेषकर खाड़ी के देशों को आम का निर्यात किये जाने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए शत-प्रतिशत विदेशी शेयर पूंजी वाली कम्पनियां

781. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (ई० पी० जैड०) में शत-प्रतिशत विदेशी शेयर-पूंजी वाली उच्च प्रौद्योगिकी तथा अधिक पूंजी निवेश के कितने प्रस्तावों को अवगत मंजूरी दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हाल ही में किन्हीं शत-प्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों, जिनके पास निम्न प्रौद्योगिकी है तथा जो कम पूंजी निवेश करना चाहते हैं, के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) ऐसी स्वीकृतियों की संख्या 6 है जो विभिन्न निर्यात प्रोसेसिंग जोनों में 100% विदेशी स्वामित्वाधीन उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई है जिनमें लगभग एक करोड़ रु० से अधिक का पूंजीनिवेश लगा हो । किसी परियोजना का प्रौद्योगिकी-स्तर अन्योन्याश्रयी होता है जो कई पहलुओं पर निर्भर करता है जैसे— उत्पादन-प्रौद्योगिकी, उत्पाद विनिर्देश अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य निर्धारण तथा मांग अनुसन्धान तथा विकास के अन्तर्निविष्ट साधन, उत्पादों के अन्तिम उपयोग तथा अग्रता आदि । 1 जुलाई, 1989 की स्थिति के अनुसार 100% विदेशी स्वामित्व वाली एक कम्पनी से प्राप्त आवेदन-पत्र लम्बित हैं ।

इसमें एक करोड़ रु० से अधिक की राशि अन्तर्ग्रस्त है और यह नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग जोन में मैं० कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंग्स इन्क० द्वारा गैर-अल्कोहल वाले पेय पदार्थों के लिए सान्द्रण के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली प्रोप्राइटरी कम्पाउन्ड सामग्री के उत्पादन हेतु एक परियोजना स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में है।

बाढ़-नियंत्रण के सम्बन्ध में भारत और बंगलादेश के बीच बातचीत

782. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में बंगलादेश के साथ सरकारी स्तर पर बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) दोनों देशों द्वारा किए जाने वाले विशेष संयुक्त बाढ़ नियन्त्रण उपाय क्या हैं ?

जल संसाधन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली में सुधार करने तथा सामूहिक नदियों के साथ-साथ तटबन्ध बनाने के लिए व्यापक समझौता हो गया है।

तीव्रगति की रेलगाड़ियां चलाना

783. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शताब्दी एक्सप्रेस जैसी अब तक चलाई गई तीव्रगति की रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी और रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो किन मार्गों पर और कब तक ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 2001/2002 भोपाल-नयी दिल्ली और 2003/2004 कानपुर-नयी दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ियां।

(ख) जी, हां।

(ग) भविष्य में शताब्दी एक्सप्रेस जैसी तेज गति की गाड़ियां चलाने के लिए अब तक केवल दिल्ली-चण्डीगढ़ और हवड़ा-टाटानगर मार्गों को चुना गया है।

मानार्थ कार्ड पास

784. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान संगठनों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को कुल कितने मानार्थ कार्ड पास जारी किए गए; और

(ख) इन संगठनों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 55।

(ख) उन संगठनों और व्यक्तियों के नाम जिन्हें ये पास दिए गए हैं, संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

जिन संगठनों तथा व्यक्तियों को कलैण्डर वर्ष 1988 के दौरान मानार्ह कार्ड पास दिए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं

1. स्वामी तपानन्द, सेक्रेटरी, रामाकृष्ण मिशन, ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम, रांची।
2. श्री शील भद्र याजी, भूतपूर्व संसद सदस्य, उपाध्यक्ष, आई० एन० ए० मारटायर्स मेमोरियल कमेटी, नयी दिल्ली।
3. श्री बाल्मीकी चौधरी, महासचिव, डा० राजेन्द्र प्रसाद विचार संगठन, पटना।
4. मेजर ए० के० सिंह, 57 इन्जीनियर रेजीमेन्ट, मार्फत 56 ए० पी० ओ०।
5. डा० डी० जी० केलकर, आनरेरी डाइरेक्टर, राजा दिनकर केलकर म्यूजियम, पुणे।
6. श्री वी० आर० गौरीशंकर, एडमिनिस्ट्रेटर, श्री शृंगेरी मठ, शृंगेरी, कर्नाटक।
7. श्री स्वामी गहाननन्द/स्वामी गीतानन्द/स्वामी प्रभानन्द/आत्मस्थानन्द, जनरल सेक्रेटरी, रामाकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, हावड़ा।
8. स्वामी स्वरूपनन्द/प्रताप खोडके, सेक्रेटरी/जनरल सेक्रेटरी, रामाकृष्ण आश्रम, रामाकृष्णापुरी, ग्वालियर।
9. दी आल इण्डिया फेडरेशन ऑफ दी डेफ, 18, नार्थएण्ड काम्पलेक्स, रामाकृष्ण आश्रम मार्ग, नयी दिल्ली।
10. डा० सुशीला नायर, कस्तूरबा हैल्थ सोसाइटी, सेवाग्राम, वर्धा।
11. श्री एस० एल० बहुगुणा, चिपको सूचना केन्द्र, टेहरी गढ़वाल।
12. श्रीमती निर्मला रामदास गांधी, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा।
13. श्री जी० वी० कृष्णामूर्ति, 14, डा० बिशम्बर दास मार्ग, नयी दिल्ली।
14. श्री एस० पी० तारे, डाइरेक्टर, गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउन्डेशन, हिन्दी नगर, वर्धा।
15. श्री भगवान सिंह/आर्य भूषण भारद्वाज, पं० पन्त सेंटेनरी सेलीब्रेशन कमेटी, नयी दिल्ली।

16. श्री गुलजारी लाल नन्दा, भूतपूर्व गृह मंत्री, 14 नार्थएण्ड कॉम्पलेक्स, आर० के० आश्रम मार्ग, नयी दिल्ली ।

17. कुमारी निर्मला देशपांडे, प्रेसीडेन्ट हरिजन सेवक संघ, किंगसवे कैम्प, नयी दिल्ली ।

18. दीवान सैयद जैनुल अबेदीन अली खां, दीवान दरगाह, अजमेर ।

19. सरदार लक्ष्मण सिंह, नेशनल कमीशनर, भारत स्काउट एण्ड गाइड्स, नयी दिल्ली ।

20. श्री दुर्गा विजय पाण्डेय सुपुत्र श्री रघुनाथ पाण्डेय, ग्राम-जियापुर, डाकघर हरोरा, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।

21. कुमारी जी० सरला कुमारी, कुचिपुड़ी नृत्यांगणा, 32/3 आर० टी०, संजीवा रेड्डी नगर, हैदराबाद ।

22. श्री एम० ए० मलिक, कु० कमला कुमारी, संसद सदस्य के परिचर, 16 ए०बी०, पंडारा रोड, नयी दिल्ली ।

23. श्री विनोद शर्मा, क्रिकेट कोच, अम्बाला कैंट ।

24. स्वामी अमृतरूपानन्द, रामाकृष्ण मिशन के भिक्षुक, विवेकानन्द सोसायटी, जमशेदपुर ।

25. श्री राजेन्द्र कुमार नायक, कानूनी सलाहकार, लोक अदालत, जे०-92, साउथ एक्सटेंशन, नयी दिल्ली ।

26. श्रीमती कामेश्वरी देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्रा, भूतपूर्व रेल मन्त्री, 4, वी० के० कृष्णामेनन मार्ग, नयी दिल्ली ।

27. स्वामी हरीनारायणनन्द, चेयरमैन, भारत सेवक समाज, 22, सरदार पटेल मार्ग, नयी दिल्ली ।

28. श्री एम० जी० तपस्वी, विशेष प्रतिनिधि, दैनिक तरुण भारत, डी०-11/71, पंडारा रोड, नयी दिल्ली ।

29. श्रीमती आभा गांधी, कस्तूरबा आश्रम, कस्तूरबा धाम ।

30. अध्यक्ष/सचिव, इण्डियन सेक्यूलर सोसाइटी, ए-32, मैनून अपार्टमेंट, बम्बई ।

31. श्री सी० एस० रामाचन्द्रन, उप चयरमैन, आदी शंकरा विमाना मोंडप्पा कमेटी, डी-11/238, विनय मार्ग, नयी दिल्ली ।

32. प्रेसीडेन्ट/आनरेरी सेक्रेटरी, इण्डियन ह्यूमनीस्ट यूनियन, कोटवाड़ा हाउस, केसर बाग, लखनऊ ।

33. श्री माधव लाल डी० शाह, डांडी मार्चर, गुजरात ।

34. श्री गंगा सरन सिंह, 12, राजेन्द्र नगर, पटना ।

35. श्री रोहित बाल वोहरा, सामाजिक कार्यकर्ता, 17-ए/62, डब्ल्यू० ई० ए० जैड०, करौल बाग, नयी दिल्ली ।

36. श्री अविश अहमद, सामाजिक कार्यकर्ता, 14, डा० विशम्बर दास मार्ग, नयी दिल्ली ।

37. श्री के० अरुणाचलम, चेयरमैन, गांधी स्मारक निधि, राजघाट, नयी दिल्ली।

38. ब्रह्मचारी सुबुधानन्द, जगतगुरु शंकराचार्य के सेक्रेटरी, ज्योतिषपीठ बिहार, जिला सिंह भूमि।

39. श्री एस० एम० गावस्कर, 43 सूर्या अपार्टमेंट, बम्बई।

40. श्री एम० चौधरी/श्री नालिन भाई मेहता, सचिव/सदस्य, कस्तूरबा हैल्थ सोसाइटी, सेवाग्राम, वर्धा।

41. महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सेवाग्राम वर्धा के पदाधिकारी।

42. कुमारी अवन्तिका माकन, सुपुत्री स्व० श्री ललित माकन, भोपाल।

43. श्री के० पी० रेड्डी, एक्जीक्युटिव चेयरमैन, भारत कृषक समाज, ए-1, पश्चिमी निजामुद्दीन, नयी दिल्ली।

44. श्री मधुकर राव चौधरी, प्रेसीडेन्ट, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा।

45. श्री द्वारका दास वैद्य, संयुक्त सचिव, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा।

46. श्री राम आसरे पांडेय, सामाजिक कार्यकर्त्ता, आजमगढ़।

47. बिहार भूकम्प राहत समिति, नयी दिल्ली द्वारा नामित दो व्यक्ति।

48. प्रो० आशुतोष शर्मा, आनरेबल जनरल सेक्रेटरी, वूमैन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, 41-बी, करण नगर, एक्सटेंशन जम्मू।

49. बाबा आम्टे, निट इण्डिया मुवमेंट, आनन्द वन, चन्द्रपुर।

50. श्रीमती लाल बहादुर शास्त्री, 1, मोतीलाल नेहरू प्लेस, नयी दिल्ली।

51. श्री नारायण स्वरूप, ब्रह्मचारी, संचालक, अध्यात्मिक उत्थान मण्डल, द्वारका, गुजरात।

52. श्री रामायण राय, भूतपूर्व संसद सदस्य, 40, काली बाड़ी अपार्टमेंट, नयी दिल्ली।

53. श्रीमती डा० सत्य बाला तायल/श्रीमती नलिनी देवी, प्रेसीडेन्ट/सेक्रेटरी मातृ सेवा संघ, सीतावुलडे, नागपुर।

54. श्री संजय शर्मा, ग्राम सेतिया, जिला सिहोल, मध्य प्रदेश।

55. श्री सत्य पाल, सहयोगकर्त्ता, भारत जोड़ो आन्दोलन, सर्वेन्ट्स ऑफ पियुपल सोसाइटी, लाजपत भवन, लाजपत नगर, नयी दिल्ली।

रेलवे पुलों की सुरक्षा

785. **श्री शांताराम नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे पुलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन पुलों की सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) लगभग 1.14 लाख पुल हैं।

(ख) और (ग) रेलों पर पुलों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है तथा गृह मन्त्रालय ने राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से कहा है कि वे रेलपथ तथा पुलों को छेड़छाड़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं तथा इस सम्बन्ध में रेलवे प्राधिकारियों को हर सम्भव सहायता दें।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

786. **श्री शांताराम नायक :**
श्री सी० माधव रेड्डी :
श्री जी० भूपति :
श्री मानिक रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में, न्यायालय-वार, कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए;

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में, आज की स्थिति के अनुसार, न्यायालय-वार कितने पद रिक्त हैं; और

(ग) ये पद कब तक भर दिए जाएंगे ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्बद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों के परामर्श से की जाती है और यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक ये पद भर दिए जाएंगे।

विवरण

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	ता० 18-4-89 से 17-7-89 तक की गयी नयी नियुक्तियों की संख्या	ता० 18-7-1989 को न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	5	10

1 2	3	4
2. आंध्र प्रदेश	—	6
3. मुम्बई	7	3
4. कलकत्ता	—	3
5. दिल्ली	2	4
6. गुवाहाटी	2	—
7. गुजरात	—	6
8. हिमाचल प्रदेश	—	2
9. जम्मू-कश्मीर	—	—
10. कर्नाटक	—	6
11. केरल	—	2
12. मध्य प्रदेश	—	6
13. मद्रास	—	4
14. उड़ीसा	1	—
15. पटना	—	7
16. पंजाब और हरियाणा	—	2
17. राजस्थान	—	3
18. सिक्किम	—	2
कुल :	17	66*
उच्चतम न्यायालय	1	6

*इस अवधि के दौरान, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के कारण 10 पद रिक्त हुए। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या जो मई, 1989 में 381 थी जुलाई, 1989 में बढ़कर 392 हो गयी है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयंत्रों से रेलवे को सीधे बिजली की सप्लाई

787. श्री शांतिलाल पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयंत्रों से सीधे बिजली की सप्लाई किए जाने और अपनी "केपटिव ट्रांसमिशन लाइनें" स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या रेलवे ने इस सम्बन्ध में किसी व्यापक योजना का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है;

(घ) इससे रेलवे की समस्याएं किस हद तक दूर हो जायेंगी; और

(ङ) रेलवे को पहले जिस व्यवस्था से बिजली की सप्लाई की जाती की, उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) सिंचाई और बिजली मन्त्रालय से 1985 में एन० टी० पी० सी० के केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों की 15% अनाबंटित बिजली में से बिजली का कतिपय भाग आबंटित करने और राज्य विद्युत बोर्डों की मौजूदा प्रसारण लाइनों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया था। निजी प्रसारण लाइनों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पहले और साथ ही मौजूदा पद्धति में रेलवे को राज्य विद्युत बोर्डों से बिजली प्राप्त हो रही है।

भुगतान सन्तुलन की स्थिति

788. **श्री जी० एस० वासवराजू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की भुगतान सन्तुलन की स्थिति चिन्ताजनक है;

(ख) क्या आयात बिल में कटौती करने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) पूरे वित्तीय वर्ष के लिए भुगतान शेष के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े केवल 1987-88 तक उपलब्ध है। वर्ष 1988-89 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) 1-4-1988 तक के 7287 करोड़ रुपए से घटकर 1-4-89 को 6605 करोड़ रुपए का रह गया।

उपलब्ध संकेतों के अनुसार, प्रारक्षित भण्डारों में कमी मुख्यतः इस्पात, लौह धातुओं; पेट्रो-रसायन जैसी कुछ प्रमुख थोक (बल्क; वस्तुओं तथा अन्य आयातों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि, पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरक और इस्पात के आयात में वृद्धि, 1987-88 के अप्रत्याशित सूखे के कारण आवश्यक हुए गेहूं, चावल व अन्य मदों का आयात किए जाने और पिछले वर्ष की तुलना में सहायता की कम निवल प्राप्तियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अधिक वापसी अदायगियों के कारण हुई है।

सरकार द्वारा भुगतान शेष की स्थिति में सुधार के लिए तैयार की गई विशेष कार्रवाई योजना का उद्देश्य अतिरिक्त निर्यात करने, आयातों को कम करने, अनिवासी भारतीय जमा राशियों/बोडों के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने, अतिरिक्त प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निवेश करने और पर्यटन प्राप्तियों को बढ़ाने के उपाय करना है ।

अधिक मूल्य वाले सिक्के जारी करने हेतु प्रस्ताव

789. **श्री जी० एस० बासवराजू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिक मूल्य वाले सिक्के जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ग) जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित अधिक मूल्य के सिक्कों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप, इनसे क्या लाभ होने की सम्भावना है;

(घ) क्या दो रुपए के सिक्के बन्द कर दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) पांच रुपए मूल्यवर्ग के सिक्के कुछ समय पहले परिचालित किए गए थे । पांच रुपए से अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के जारी करने का अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

कोका कोला का नोएडा में निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने का प्रस्ताव

790. **श्री जी० एस० बासवराजू** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला का नोएडा में निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने के प्रस्ताव को परियोजना मन्जूरी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मन्जूरी बोर्ड द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति दे दी गयी है;

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (घ) सरकार कोका कोला कम्पनी के उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो अल्कोहल रहित पेय के सान्द्रणों के उत्पादन में

प्रयुक्त होने वाले सत्व और प्रोप्राइटरी कम्पाउन्ड की सामग्री बनाने के प्रयोजन से नोएडा निर्यात संसाधन क्षेत्र में एक एकक स्थापित करने के बारे में है। चूंकि इस प्रस्ताव में सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से मुख्य मुद्दों की व्यापक जांच करना निहित है, इसलिए ऐसी निश्चित समय-सीमा बता पाना व्यवहार्य अथवा संभव नहीं है कि इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपतट निधि की स्थापना

791. **श्री जी० एस० बासवराजू** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक को 100 मिलियन डालर की एक अपतट निधि स्थापित करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह निधि किस स्थान पर स्थापित की जाएगी; और

(ग) इस निधि की स्थापना से क्या लाभ प्राप्त होगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के अपतट निधि खोलने के प्रस्ताव का हाल ही में अनुमोदन कर दिया है।

(ख) निधि की स्थापना नीदरलैंड एंटिलेस में की जाएगी।

(ग) निधि स्थापित करने के संभावित लाभों में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(i) विदेशी मुद्रा जुटाना जिसका उपयोग प्रमुखतः भारतीय कम्पनियों के इक्विाटी शेयरों और प्रतिभूतियों में किया जाएगा।

(ii) विदेशी निवेशकर्त्ताओं को भारत और भारतीय पूंजी बाजार के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करना।

अमरीका व्यापार प्रतिनिधिमण्डल की भारत यात्रा

793. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** :
श्री एस० बी० सिदनाल :
श्री मोहन भाई पटेल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने अमरीकी ट्रेड बिल, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के निहितार्थ पर विचार करने हेतु मई-जून के दौरान भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत की मुख्य बातें क्या थीं;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार में सुधार हेतु कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) यू० एस० ओम्नीबस ट्रेड एण्ड कंपीटीटिवनेस अधिनियम के 'सुपर 301' नामक प्रावधान के अन्तर्गत भारत को प्रायरिटी देश के रूप में अभिज्ञात करने से पूर्व संयुक्त राज्य अमरीका के एक सरकारी शिष्टमण्डल ने मई, 1989 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली का दौरा किया। बातचीत के दौरान हमने विनियोजन, आयात लाईसेंसिंग, सरकारी खरीद, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों तथा बीमा जैसे क्षेत्रों में अपनी नीतियों के मूलाधार स्पष्ट किए तथ्य इस संबन्ध में स्पष्टीकरण दिए। एक हम इन क्षेत्रों में अपनी नीतियों में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में विचार-विमर्श हेतु सहमत नहीं हुए।

(ग) इन विचार विमर्शों के दौरान कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भूमिगत जल संसाधनों में वृद्धि की योजना

794. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** :
श्री एस० बी० सिदनाल :
श्री अमर सिंह राठवा :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सचिवों के सम्मेलन में भूमिगत जल संसाधनों को विकसित करने हेतु कुछ सुझाव दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में जल संसाधनों में वृद्धि करने हेतु कोई विशिष्ट योजना बनाई गई है;

(ग) इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन में कितनी धनराशि व्यय होगी और इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि भूजल संसाधनों का विकास एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इसमें यह भी सिफारिश की गई थी कि क्षेत्र-विशेष से संबंधित प्रणाली विज्ञान को विकसित करने तथा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड कई प्रयोगात्मक तथा संचालनात्मक पुनर्भरण परियोजनाएं क्रियान्वित करेगा। प्राकृतिक पुनर्भरण में वृद्धि करने तथा भूजल प्रणालियों का कृतिम पुनर्भरण करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकारें कार्रवाई कार्यक्रम तैयार करेंगी। इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के अनुसार चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय भूजल बोर्ड केन्द्र प्रायोजित स्कीमें भी तैयार कर सकता है।

राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय भूजल बोर्ड को इन सिफारिशों पर तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु सलाह दी गई है।

रेलवे अस्पतालों में डाक्टरों की कमी

795. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में 1 जनवरी 1988 से 30 जून, 1989 की अवधि के दौरान डाक्टरों के रिक्त पदों की संख्या का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिणपूर्व रेलवे के खड़गपुर जैसे कई बड़े अस्पतालों में रोग विज्ञान, विकलांग विज्ञान, आंख, नाक, गला और विकिरण चिकित्सा विभागों में डाक्टरों/विशेषज्ञों शल्य चिकित्सकों का अभाव है;

(ग) खड़गपुर में वैगनशाप में 23 मार्च, 1989 से डाक्टर नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी अस्पतालों/डिस्पेन्सरियों में पर्याप्त संख्या में डाक्टर/विशेषज्ञ नियुक्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) 30 जून, 1989 को भारतीय रेलों पर डाक्टरों की कुल 248 पदों की स्वीकृत संख्या तुलना में डाक्टरों की 172 स्पष्ट रिक्तियां थीं। इन रिक्तियों का रेलवे वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	रेलवे	स्पष्ट रिक्तियां
1	2	3
1.	मध्य	20
2.	पूर्व	28
3.	उत्तर	35
4.	पूर्वोत्तर	11
5.	पूर्वोत्तर सीमा	8
6.	दक्षिण	5

1 2	3
7. दक्षिण मध्य	1
8. दक्षिण पूर्व	31
9. पश्चिम	33
जोड़ :	172

(ख) रेलों पर विशेषज्ञों की कुछ कमी है। तथापि खड़गपुर अस्पताल में कान, नाक एवं गला विशेषज्ञ डाक्टर के सिवाय सभी विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सामान्य डाक्टरों तथा विशेषज्ञों की भर्ती करके रिक्तियों के भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

खुला सामान्य लाइसेन्स योजना का दुरुपयोग

796. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खुला सामान्य लाइसेंस योजना के दुरुपयोग को देखते हुए इसके अन्तर्गत आने वाली मदों के मामले में आयात नीति की समीक्षा करने का विचार है; और

(ख) सरकार को, पिछले 12 महीनों के दौरान खुला सामान्य लाइसेंस योजना के अन्तर्गत दुरुपयोग के कितने मामलों का पता चला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, नहीं। फिर भी अलग-अलग मदों के सम्बन्ध में आयात नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

खुले सामान्य लाईसेंस की सुविधा के उल्लंघन सम्बन्धी निश्चित मामलों पर कार्रवाई आयात तथा निर्यात (नियन्त्रक) अधिनियम, 1947 तथा उसके अधीन जारी आदेश के तहत की जाती है।

(ख) पिछले 12 महीनों (मई, 1989 तक) के दौरान सरकार के ध्यान में खुले सामान्य लाइसेन्स पर आयात सुविधा के दुरुपयोग के 22 मामले आए हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारियों की मांग

797. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर्मचारी अपनी सेवा-संरचना के पुनर्गठन के बारे में कुछ समय से आन्दोलन कर रहे हैं क्योंकि वे सीमाशुल्क कर्मचारियों के मुकाबले अधिक राजस्व वसूल करते हैं लेकिन उनके पदोन्नति के अवसर सीमा शुल्क कर्मचारियों की तुलना में कम हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर्मचारियों की मांग पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कर्मचारियों ने हाल में, बड़ी संख्या में एक दिन का आकस्मिक अवकाश लिया था जिसके कारण विभिन्न वस्तुओं का निर्यात एक दिन के लिए रुक गया था; और

(घ) यदि हां तो बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा छुट्टी लिए जाने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है और कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांडा) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी और सीमाशुल्क अधिकारी अपने-अपने पदोन्नति अवसरों में सुधार लाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए, सरकार ने पहले ही भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा की संवर्ग पुनरीक्षण में और समूह "क" पदों की वृद्धि करके 392 अतिरिक्त पद मंजूर कर दिए हैं, जिसके लाभ नीचे तक सभी सम्बन्धित ओहदों के कर्मचारियों को भी मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क विभागों में समूह "ख" "ग" और "घ" पदों की संवर्ग पुनरीक्षा विचाराधीन है और शीघ्र ही उसे अन्तिम रूप दे दिए जाने की आशा है। समूह "क" पदों में पदोन्नति के लिए समूह "ख" के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता का अन्य प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ समाहर्तालयों में कुछ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी 5 जुलाई, 1989 को ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। इसका प्रभाव निर्यातों पर और तदनन्तर विदेशी मुद्रा अर्जन पर मामूली सा ही रहा क्योंकि निर्यात सम्बन्धी मामले प्रमुख पत्तनों तथा एअर कार्गो कम्पलेक्सों में मुख्यतः सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा देखे जाते हैं।

बैंकिंग सेवा आयोग द्वारा लिपिकों का चयन

798. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग सेवा आयोग द्वारा संचालित-लिपिक ग्रेड परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जो बैंकिंग सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार में असफल घोषित किये गये/अस्वीकार किये गये तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या साक्षात्कार को समाप्त करने तथा लिखित परीक्षानुसार यथा-निर्धारित वरीयता के आधार पर नियुक्तियां प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) कार्मिकों को भर्ती के लिए, खासकर बैंकों जैसे सेवा क्षेत्र के लिए, व्यक्तित्व की विशेषताएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी की ज्ञानात्मक योग्यता। जबकि लिखित परीक्षा से उम्मीदवारों की ज्ञानात्मक योग्यता का पता

चलता है, साक्षात्कार से उम्मीदवारों के व्यक्तित्व की विशेषताओं का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। इसलिए, साक्षात्कार भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आमतौर पर साक्षात्कार के लिये बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों को 3 गुणा होती है। उम्मीदवारों का चयन बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है, जो उनकी ज्ञानात्मक और व्यक्तित्व की विशेषताओं के समग्र मूल्यांकन पर आधारित होता है, जिसका पता लिखित परीक्षा और साक्षात्कारों से चलता है। लेकिन, साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित नहीं किया गया है।

बैंकों के लिए कार्मिकों की भर्ती करने के वास्ते साक्षात्कार को समाप्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

न्यायिक विकास निधि की स्थापना तथा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि

799. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) न्यायिक अधिकारियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए न्यायालय शुल्क से न्यायिक विकास निधि की स्थापना करने; (दो) आई० ए० एस० संवर्ग में समान श्रेणियों के समकक्ष चयन ग्रेड जिला न्यायाधीशों तक न्यायिक अधिकारियों के लिए वेतनमानों में एकरूपता लाने; और (तीन) न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) (एक) और (दो) जी, नहीं।

(तीन) मुख्य न्यायमूर्तियों के दिसम्बर, 1987 में आयोजित सम्मेलन में जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक बढ़ा देने के लिए एक संकल्प पारित किया गया था। यह संकल्प 16-9-88 को राज्य सरकारों को, उनके विचार ज्ञात करने के लिए, भेजा गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में बैंक शाखाओं का खोला जाना

[हिन्दी]

800. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की कुल कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य के, विशेषकर सहरसा जिले में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये बैंक शाखाएं खोली जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर 1988 के अन्त में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों की 466 शहरी शाखाएं तथा 3977 ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाएं कार्य कर रही थीं।

(ख) और (ग) 1985-90 के लिये वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार में शाखाएं खोलने के वास्ते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को 384 ग्रामीण/अर्ध-शहरी केन्द्र तथा 29 शहरी केन्द्र आबंटित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 30 जून, 1989 तक बैंकों ने 176 ग्रामीण/अर्ध-शहरी तथा 29 शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोल ली हैं। शेष 208 लाइसेंस बैंकों के पास लम्बित पड़े हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण ऋणों सम्बन्धी सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत बैंकों को 148 और केन्द्र आबंटित किए हैं। बिहार के सहरसा जिले के सम्बन्ध में, ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के वास्ते बैंकों के पास निम्नलिखित 12 केन्द्रों के लाइसेंस लम्बित हैं :—

1. बलभद्रपुर
2. गरौल
3. सिमारी
4. चन्दौर
5. बेलवा
6. पिपरा खुर्द
7. भरोपापट्टी
8. सुरजापुर
9. भीमपुर
10. मानगंज
11. बखुरा
12. गनौरा

व्यय कर

[अनुवाद]

801. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान व्यय कर से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ख) इस कर की वसूली में अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) क्या सरकार का विचार व्यय कर के क्षेत्र को और व्यापक बनाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान व्यय कर की कुल वसूलियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	व्यय कर की कुल वसूली
1987-88	5.69 करोड़ रु०*
1988-89	36.74 करोड़ रु०**

* व्यय कर अधिनियम, 1987 दिनांक 1-11-1987 से लागू हुआ।

** अनन्तिम।

(ख) व्यय कर को अन्य प्रत्यक्ष करों से अलग करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि सभी प्रत्यक्ष कर अधिनियमों का संचालन करने वाले कर्मचारी एक ही हैं।

(ग) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, व्यय कर की दरों को दिनांक 1 जून, 1989 से 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरना

802. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं; और वे कब से रिक्त हैं; और

(ख) जून, 1989 तक प्रत्येक श्रेणी में ऐसे कितने पद भरे गए है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वाणिज्य मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

803. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कितने पदों को भरा नहीं गया है और वे कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) मई और जून, 1989 के दौरान प्रत्येक श्रेणी में कितने आरक्षित दर भरे गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आशुलिपिक ग्रेड 'डी' के दो पद मई, 1989 में भरे गए थे।

विवरण

समूह/पद नाम	खाली पड़े आरक्षित पदों की संख्या		अवधि जब से पद खाली पड़ा है		
	अ० जा०	अ०ज०जा०	भर्ती वर्ष	अ०जा०	अ०ज०जा०
1	2	3	4	5	6
समूह "क"					
सहायक मुख्य नियन्त्रक, आयात एवं निर्यात	10	3	1985	5	1

1	2	3	4	5	6
			1988	3	2
			1989	2	1
समूह "ख"					
सहायक	1	—	1984	1	—
आशुलिपिक ग्रेड "सी"	—	1	1986	—	1
समूह "ग"					
आशुलिपिक ग्रेड "डी"	—	3	1989	—	3
अन्वेषक	1	1	1986	1	—
			1988	—	1
अवर श्रेणी लिपिक	8	1	1987	4	—
			1988	4	1
समूह "घ"					
दफ्तरी	*1	—	1986	1	—
जमादार	*1	—	1989	1	—
	—	1	1986	—	1

*जुलाई, 1989 में पद भरे गए ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरना

804. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी पद भर लिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो रिक्त पड़े पदों की संख्या कितनी है तथा ये कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) मई और जून, 1989 के दौरान प्रत्येक श्रेणी में भरे गये आरक्षित पदों की संख्या कितनी है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

12.00 मध्याह्न

नियम 193 के अधीन चर्चा के बारे में

भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1989 का संख्या 2)—संघ सरकार—रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध फैक्टरियां) के पैरा 11 तथा 12

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिन से समस्त संसद तथा पूरा देश नियन्त्रक.महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से हिल गये हैं। क्या कारण है कि प्रधान मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं ? (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्रधान मंत्री सभा में क्यों नहीं हैं ?

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर आज और अभी चर्चा होनी चाहिए। वे चर्चा से क्यों भागते हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन पहले ही कार्य-सूची में है। आप इस पर चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : जब प्रधान मंत्री सन्देह के घेरे में हैं तो वह सभा में उपस्थित क्यों नहीं हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक ही समय आप सभी की बात कैसे सुन सकता हूं ?

(**व्यवधान**)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं ?

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : हम कोई चर्चा करना नहीं चाहते हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने करा है उसका।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर चर्चा को कार्य सूची में सम्मिलित किया है। अब क्या समस्या है ?

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर चर्चा करने का मतलब क्या है जब इसमें पहले ही सरकार पर आरोप लगाया है ? (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : क्या कभी ऐसा हुआ है ? देश के प्रधान मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं।

(व्यवधान)

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : वह आपके इशारे पर नाचने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वह अधिक जिम्मेवार हैं। (व्यवधान)

उन्हें पूरे देश की देख-भाल करनी है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : सदन में उपस्थित रहना उनकी जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : इस आरोप के पश्चात् वह कैसे सत्ता में रह सकते हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कभी तो रूल पढ़ लिया करो ? बैठ जाइए।

श्री वसुदेव आचार्य : रूल्स तो पढ़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : कहां पढ़े हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को विवश नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पूरी सरकार यहां बैठी हुई है। मैं यहां किसी से नहीं पूछ सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनना नहीं चाहते। हाऊस नहीं चलाना चाहते हैं आप लोग।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो रख दिया है। आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो करिए। जैसा आपने कहा कि आप मूव नहीं करना चाहते, तो मैं दूसरों को कह दूं कि वे मूव कर दें।

[अनुवाद]

आपने वापस लिया है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : और मैं क्या कर सकता हूं।

[अनुवाद]

यदि आप वापस लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं किसी और से कहूंगा।

[हिन्दी]

दोनों तरफ से हाऊस चलता है।

[अनुवाद]

मैं किसी को भी इस सभा में विवश नहीं कर सकता हूं। मुझे सभा में किसी की भी उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

यह तो आपका फर्ज है, आप आएं या न आएं। यह आपकी मर्जी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगली मद—सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

12.06 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 13 जून, 1989 को जारी किया गया आदेश, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 30 जून, 1988 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

विधि और न्याय मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, मैं वित्त मंत्रालय में वार्षिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. संविधान के अनुच्छेद 280 तथा वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1951 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 13 जून, 1989 को जारी किए गए आदेश, जो 16 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 457(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा 17 जून, 1987 की अधिसूचना संख्या का० आ० 581 (अ) में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8040/89]

2. (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) तथा धारा 23 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 30 जून, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा सामान्य निधि के लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 30 जून, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8041/89]

3. (एक) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा निगम की आस्तियों तथा दायित्वों और लाभ तथा हानि लेखाओं को दर्शाने वाला एक विवरण।

(दो) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8042/89]

4. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अन्तर्गत साधारण बीमा (पर्यवेक्षण कार्य, लिपिकीय तथा अधीनस्थ कर्मचारीवृन्द के वेतनमानों तथा उनकी अन्य सेवा शर्तों का सुव्यवस्थीकरण तथा पुनरीक्षण) दूसरा संशोधन स्कीम, 1989, जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 356(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8043/89]

5. जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सेवा के निबन्धन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1989, जो 12 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 515 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8044/89]

6. सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए निक्षेप स्कीम, 1989, जो 7 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 2/14/89-एन० एस० II में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8045/89]

7. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अन्तर्गत

बुलडाना ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) सेवा विनियम, 1988 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8046/89]

गर्म मसाला बोर्ड (संशोधन) नियम, 1989

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. गर्म मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 40 के अन्तर्गत गर्म मसाला बोर्ड (संशोधन नियम, 1989, जो 2 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 503(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8047/89]

2. चाय कम्पनी (रुग्ण चाय यूनिटों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1985 की धारा (2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 268(अ), जो 7 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 16 के प्रयोजनार्थ तारीख 28 अप्रैल, 1989 विनिर्दिष्ट की गयी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8048/89]

12.08 म० प०

वित्तीय समितियां (1988-89)—एक समीक्षा

महासचिव : महोदय, मैं "वित्तीय समितियां (1988-89)—एक समीक्षा" के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

12.09 म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि इस सदन में 24 जुलाई, 1989 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में शिशु दुग्ध खाद्य और पोषण बोतल (उत्पादन, प्रदाय और विवरण का विनियमन) विधेयक, 1986, विचार और पास करना।

3. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1989 पर विचार और पास करना ।

4. 29 जुलाई, 1987 को हस्ताक्षर किए गए भारत-श्रीलंका समझौते से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ।

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 1988, विचार और पास करना ।

6. अनुपूरक अनुदान मांगें (सामान्य) 1989-90 पर चर्चा और मतदान ।

8. बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1988 पर विचार और पास करना ।

[हिन्दी]

श्री नन्दलाल चौधरी (सागर) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :—

भारत में केन्टुनमेंट एरिया में निवास करने वालों को रक्षा भूमि खेती करने के लिए अस्थायी लीज पर दी गई हैं । उन भूमिधारियों को रक्षा मन्त्रालय द्वारा बार-बार भूमि खाली करवाने हेतु नोटिस दिए जाते हैं जिससे ऐसे लाखों भूमिधारी परिवारों का जीवन चिंतामय बना हुआ है । उन भूमिधारियों को लगभग सौ वर्ष का लम्बा समय भूमि पर खेती करते हुए गुजर गया है । उन्होंने उस भूमि पर कुए खोदे हुए हैं और मकान भी बनवा लिए हैं । ऐसे स्थाई रूप से रहने लगे पुराने भूमिधारियों को वह भूमि उन्हें स्थाई लीज पर दी जावे । यदि रक्षा सम्बन्धी उपयोग के लिए वह भूमि अत्यन्त ही आवश्यक हो तो भूमि खाली कराने के पूर्व भूमिधारियों को अन्यत्र सुविधाजनक स्थान पर दूसरी भूमि प्रदान की जावे तथा पर्याप्त मुआवजा दिया जावे ।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :—

तल्चर और बुजराजनगर उड़ीसा में दो औद्योगिक नगर हैं जहां जल और वायु प्रदूषण की समस्या गम्भीर है । तल्चर में पर्यावरण सम्बन्धी यह खतरा कोयला खानों, तापविद्युत केन्द्रों और उर्वरक संयत्र के कारण है । बुजराजनगर क्षेत्र में कोयला खानें तथा ओरिएण्ट पेपर मिल्स इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं ।

इन स्थानों पर इस प्रकार के प्रदूषण के बुरे प्रभावों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिएं ।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :—

(1) संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रस्तुत करता है । आमतौर पर यह

सभा इन रिपोर्टों पर विचार करती है और सदस्यगण, विभिन्न सेवाओं में भर्ती के मामले में संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका के सम्बन्ध में अमूल्य सुझाव देते हैं।

अफसरशाही, सरकार के प्रशासनिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह एजेन्सी, जो सरकारी परियोजनाओं और योजनाओं को चलाने के लिए श्रम शक्ति उपलब्ध कराती है, उसकी भूमिका की ओर पर्याप्त ध्यान दिए बिना इस सभा का कर्त्तव्य पूरा नहीं होता। इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों पर चर्चा आवश्यक है।

(2) पंचायती राज प्रणाली से सम्बन्धित संविधान (64वां संशोधन) विधेयक, 1989 तथा शहरी स्थानीय निकायों से सम्बन्धित एक अन्य संविधान संशोधन विधेयक पर इस सत्र में चर्चा की जाने वाली है तथा आशा है कि यह पारित हो जाएगा।

यह वांछनीय है कि अगले सप्ताह के दौरान ही इन मामलों पर चर्चा की जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर चर्चा के लिए अनुमति दे दी है। इससे अधिक और मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप प्रधान मन्त्री को सदन में उपस्थित होने के लिए क्यों नहीं कह सकते?

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकता। न ही आपको और न ही उन्हें।

(व्यवधान)

हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लाइए न नो कॉन्फिडेंस।

श्री दीप नारायण बन (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

1. इस समय गोण्डा जिले के बलरामपुर संसदीय क्षेत्र में राप्ती, बूढ़ा राप्ती, कुआना, बिसही एवं पहाड़ी नालों में भयंकर बाढ़ के कारण लाखों एकड़ भूमि की फसलें नष्ट हो गई हैं तथा हजारों घरों के गिरने के कारण लोग बेघरबार हो गए हैं। कृपया तत्काल राहत कार्यों को आरंभ करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई दक्षिण) : निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों द्वारा रेलवे की भूमि पर कब्जा किए जाने के कारण बम्बई में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन गन्दी बस्तियों के कारण परिवहन सुविधाओं की नहीं सुधारा जा सकता जिसकी बम्बई के लोगों को अत्यधिक जरूरत है। रेल प्राधि-

कारियों, बम्बई नगर निगम और राज्य सरकार के बीच कोई तालमेल नहीं है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह बम्बई में रेल भूमिका पर गन्दी बस्तियों की समस्याओं पर विचार किया जाए।

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : निम्नलिखित को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक तनाव चिंता का विषय है। धर्मनिरपेक्षता न केवल हमारे संविधान का आमुख है बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय एकता की ताकत है। साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए तमाम कदमों के बावजूद इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। खेलों के क्षेत्र में युवा पीढ़ी की सृजनात्मक प्रतिभा को सही दिशा देने के लिए उनके दिलोदिमाग में एक उत्कंठा उत्पन्न करने के लिए कोई नीति और कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, क्या यह बात उचित है कि सरकार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर समाचारपत्रों के माध्यम से आरोप लगा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस पर चर्चा करना चाहें तो हम यहां इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं इस सदन से बाहर की जाने वाली टिप्पणियों के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। यदि इस सदन में कुछ होता है तो मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : विशेषाधिकार सूचनाओं का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन पर कार्यवाही कर चुका हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मन्त्री अनुपस्थित हैं, रक्षा मन्त्री अनुपस्थित हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

[हिन्दी]

मेरे पास क्या है, क्या मैं आपको कह सकता हूं कि आप आओ ?

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्यों नहीं कह सकते।

[अनुवाद]

जब इतना गम्भीर अभ्यारोपण हो और जब सम्पूर्ण विपक्ष उनके त्यागपत्र की मांग कर रहा हो तो प्रधान मन्त्री यहां अनुपस्थित क्यों हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार यहां उपस्थित है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, निम्न विषय को आगामी सप्ताह की बैठक के एजेन्डा में सम्मिलित किया जाए :—

राजस्थान प्रदेश के सीमावर्ती बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में अभी तक संचार विभाग ने एस० टी० डी० सुविधा प्रदान नहीं की है जबकि राज्य के अधिकांश जिलों के मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गई है।

केन्द्र सरकार के संचार विभाग से निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश के सीमावर्ती बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के मुख्यालयों बाड़मेर एवं जैसलमेर में एस० टी० डी० सुविधा दिनांक 2 अक्तूबर, 1989 से पहले प्रदान करें।

देश में माफिया गिरोह आर्थिक दृष्टि से काफी शक्तिशाली है और विभिन्न स्तरों पर इनके प्रभाव का जाल बिछा हुआ है। इन गिरोहों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है।

अतः आग्रहपूर्वक निवेदन है कि केन्द्र सरकार माफिया गिरोह जो देश में सक्रिय हैं, उनके विरुद्ध ठोस कदम उठाएं।

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मैं सदस्यों के सुझावों को कार्य मन्त्रणा समिति में पेश कर दूंगा।

12.19 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

72वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 20 जुलाई, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए बहत्तरवें प्रतिवेदन के इस संशोधन के साथ सहमत है कि प्रतिवेदन के पैरा 3 में "गुरुवार, 20 जुलाई, 1982" के **स्थान पर** "सोमवार, 24 जुलाई, 1989" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव इस प्रकार है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 20 जुलाई, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए बहत्तरवें प्रतिवेदन के इस संशोधन के साथ सहमत है कि प्रतिवेदन के पैरा 3 में "गुरुवार, 20 जुलाई, 1989" के **स्थान पर** "सोमवार, 24 जुलाई, 1980" **प्रतिस्थापित किया जाए।**"

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट के बारे में है।

[हिन्दी]

आप तो अभी करके आए हैं और आप चाहते हैं कि डिबेट सोमवार को हो।

श्री वसुदेव आचार्य : हम नहीं चाहते (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं चाहते,

[अनुवाद]

आप इस पर चर्चा नहीं चाहते ?

श्री वसुदेव आचार्य : नहीं (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस नहीं चलाने देना चाहते तो दूसरी बात है। मैं तो कुछ हार्श कदम नहीं उठाना चाहता।

[अनुवाद]

मैं कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहता। मैं सदन की कार्यवाही चलाना चाहता हूं। यदि आप इस प्रकार करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं ? यदि आप इन सभी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैं लाचार हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके साथ मेरी एक बैठक हुई थी और यदि आप बैठक में लिए गए निर्णय को मानने से इन्कार करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैं इस बात से सहमत हुआ था यदि आप प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते तो कोई और करेगा। यदि आप यह नहीं करना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने की कोई तुक नहीं है। मुझे या तो कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा या सदन की कार्यवाही स्थगित करनी होगी। मैं नहीं जानता कि मैं इस बारे में क्या करूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप शोर मचाते रहिए, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान, मैंने आपके सभी विचारों को शामिल करने का प्रयास किया है। मैंने आपको बैठक में बुलाया और वहां हमने निर्णय लिया। यदि अब आप ऐसा करना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैंने सब कुछ किया। मैं जो कुछ भी कर सकता था, मैंने किया। अब यदि आप प्रस्ताव से अपने नाम वापिस लेना चाहते हैं और इसे प्रस्तुत करना नहीं चाहते तो यह आपकी इच्छा है। यदि अब भी आप ऐसा करना नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपके विचारों को शामिल करने का हर सम्भव प्रयास किया किन्तु यदि आप ऐसा करना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं ?

मैं सभा को 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित करता हूं।

12.26 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.00 म० प०

लोक सभा 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

कार्य मंत्रणा समिति

72वां प्रतिवेदन—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय आपको करना है कि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं या नहीं।

(व्यवधान)

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : क्या नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक की किसी रिपोर्ट पर पहले कभी चर्चा की गई है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह निर्णय आपको लेना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसका हक नहीं है। सदन में आपको निर्णय लेना है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, क्या आप भारत के राष्ट्रपति से सम्बन्धित मामलों पर सदन पर चर्चा कर सकते हैं ? आप ऐसा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : नियन्त्रक—महालेखा परीक्षक संवैधानिक रूप से मान्य अधिकारी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे यह संवैधानिक है या नहीं। यह केवल सदस्य द्वारा पेश किया गया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय आपको लेना है कि क्या आप इस मामले को उठाना चाहते हैं अथवा नहीं। मैं नहीं जानता। यह निर्णय आपको लेना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां आप नियंत्रक—महालेखा-परीक्षक की संवैधानिक स्थिति की सच्चाई पर कोई सन्देह व्यक्त नहीं कर सकते। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपनी राय नही दे रहा हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय सदस्यों पर छोड़ा जाता है कि वह इस पर चर्चा करना चाहते हैं अथवा नहीं। यह आप पर निर्भर है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप एक-एक करके बोलें, तो मैं आपकी बात सुन सकता हूं। यदि आप सब एक साथ बोलेंगे तो मैं कैसे सुन सकता हूं। मेरे केवल दो ही कान हैं; वह भी दोनों ओर एक-एक।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सुबह, श्री एच० के० एल० भगत पहले ही से कार्य मंत्रणा समिति से संबंधित एक प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। मेरे पास केवल इसी की सूचना है। पहले मैं उसी प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह आप पर निर्भर है कि आप इसे स्वीकार करते हैं अथवा नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हम चर्चा के लिए आपका समर्थन करते हैं। आप इससे पीछे क्यों हटे? (व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक ने यह शिकायत की है कि जब उन्होंने रक्षा-मन्त्रालय से बोफोर्स से सम्बन्धित फाइलें मांगी तो वे फाइलें दो वर्षों तक रोकी रखी गईं। इसका अर्थ है···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं सुन पा रहा। जब तक आप सब अपनी सीट पर नहीं बैठ जाते। मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सब एक साथ बोलेंगे तो मैं आपकी बात कैसे सून सकता हूं? मैं आपकी बात सुनने को स्थिति में नहीं हूं।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप मेरा निवेदन सुनेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : पहले सबको अपनी सीट पर बैठ जाने दीजिए। फिर मैं सब की बात सुनूंगा।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें बैठने दीजिए। फिर मैं आपकी बात सुनूंगा।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरी बात सुनने का उनके बैठने से कोई ताल्लुक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें बैठने दीजिए। फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। आप अपने मित्रों से अपनी सीट पर बैठने के लिए क्यों नहीं कहते?

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप ही उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं उनसे कैसे कह सकता हूं कि वे आपकी बात सुनें? मैं पक्षपात नहीं कर सकता।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। कृपया पहले उन्हें सीटों पर बैठने दीजिए।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि·····

(**व्यवधान**)

प्रो० एम० जी० रंगा (गुंटूर) : उस शब्द पर मुझे कड़ी आपत्ति है। क्या उन्होंने ठीक आचरण किया है? श्रीमान दण्डवते आपकेमुंह से आचरण की बात करना शोभा नहीं देता। आप स्वयं इस तरह शोर मचाते हैं और फिर आचरण की बात करते हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय उपाध्यक्ष महोदय·····

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : जी हां, महोदय·····

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने सोचा था कि उपाध्यक्ष के पद का विकेन्द्रीयकरण हो गया है।

मैं आपसे पूछताछ कर रहा था। मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव के दो नोटिस दिए हैं, एक नोटिस यह है कि नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि 1986 से 1988 तक पूरे दो वर्षों के दौरान रक्षा मंत्रालय ने नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक को वे फाइलें और दस्तावेज नहीं दिए, जो उन्होंने मांगे थे···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने दो विशेषाधिकार प्रस्तावों के नोटिस दिए हैं। आपने जिन दो विशेषाधिकार प्रस्तावों का नोटिस दिया है वह पहले ही रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री के पास भी भेजे जा चुके हैं। हम उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने विशेषाधिकार प्रस्तावों के दो अलग-अलग नोटिस दिए है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन पर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के विचार जानने के लिए हम पहले ही इन्हें उनके पास भेज चुके है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, एक विशेषाधिकार नोटिस में यह कहा गया है कि 20 अप्रैल, 1989 को रक्षा मंत्री ने लिखित विवरण में और प्रधानमंत्री द्वारा श्री दत्ता को दिए गए मौखिक जवाब में यह कहा कि बोफोर्स सौदे में कोई बिचौलिया नहीं है और इसमें कोई कमीशन नहीं ली गई और आज के नियन्त्रक—महालेखापरीक्षक यह कहते हैं कि कमीशन ली गई थी···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : आप चर्चा शुरू कीजिए और फिर उस चर्चा में आप ये सब बातें कह सकते हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि हमें दो नोटिस मिले हैं और हम उन्हें रक्षा मन्त्री और प्रधानमंत्री के पास भेज चुके हैं। हम इन पर उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी टिप्पणियां जानने के बाद हम आपको इसकी जानकारी देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका अर्थ है कि वे लम्बित पड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, वे लम्बित हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें उनकी टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। उसके लिए अनुस्मारक भी भेजे गए हैं और इन पर उनकी टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद, मैं आपको जानकारी दूंगा।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, प्रधानमन्त्री को सदन में आकर उस झूठ का स्पष्टीकरण करना चाहिए, जो उन्होंने बोला है। (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, मुझे एक बात कहनी है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनी है। आप मुझे उनकी बात क्यों नहीं सुनने देते। मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहती हैं। मुझे उनकी बात सुनने दीजिए और उसके बाद आप जो चाहें कह सकते हैं। जी हां, महोदया।

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, मुझे एक बात कहनी है। प्रो० मधु दण्डवते ने दो विशेषाधिकार प्रस्तावों के बारे में पूछा है, एक नोटिस रक्षा मन्त्री के खिलाफ है और दूसरा प्रधानमंत्री के खिलाफ। आपने उन्हें इन प्रस्तावों के बारे में बताया है। आपने उन्हें अपने विचार देने के लिए पर्याप्त समय दिया है। अब हमें सभा का कार्य जारी रखना चाहिए। विपक्षी सदस्य बस हर समय शोर मचाना चाहते हैं मानो सिर्फ उन्हीं को अपनी बात कहनी है और किसी को कुछ नहीं कहना है। (**व्यवधान**)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मुझे व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने प्रोफेसर को बुलाया है। उन्हें बोलने दीजिए।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या उन्होंने मेरे विशेषाधिकार नोटिसों के बारे में स्पष्टीकरण देने के बारे में कहा है? मैं उनके बारे में आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं?

श्रीमती शीला दीक्षित : प्रो० मधु दण्डवते ही नियम 193 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या वे उसे लाना चाहते हैं अथवा नहीं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। केवल तभी मैं आपकी बात सुन सकता हूं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा में व्यवस्था कायम हो जाए, केवल तभी मैं व्यवस्था के प्रश्न के बारे में सुन सकता हूं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि व्यवस्था का प्रश्न सुना जाए, तो दोनों पक्षों को अवश्य समझौता करना चाहिए। यदि मैं पक्ष के एक माननीय सदस्य को अनुमति देता हूं, तो मुझे विपक्ष के एक माननीय सदस्य को भी अनुमति देनी होगी। यदि दोनों पक्ष धैर्य से सुनने को तैयार हैं, केवल तभी मैं अनुमति दे सकता हूं। यदि एक पक्ष बोलना जारी रखता है और दूसरा पक्ष चिल्लाना जारी रखता है, तो मैं सुन नहीं सकता हूं। सभा में शान्ति कायम होने दीजिए, मैं सभी की बात सुनने के लिए तैयार हूं। मैं सभी को अवसर दूंगा। पहले प्रो० मधु दण्डवते बोल चुके हैं। अब आप महोदया को बोलने दीजिए, तब इसके बाद, मैं आपको बुलाऊंगा। यदि आप सभी सहयोग करेंगे तो मैं आपको अवसर दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उनकी बात सुनने दीजिए। मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले आप इस पक्ष से माननीय मन्त्री की बात सुनिए। तब मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : पहले आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस पक्ष को सुनने के बाद, मैं आपकी ओर आऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस तरीके से सभी की बात नहीं सुन सकता। मैं सभी की बात सुनने को तैयार हूं लेकिन इस तरीके से नहीं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पहले आप हमारी बात सुनिए **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : नहीं।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : नहीं।

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : नहीं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए। कृपया अपने स्थानों को लौट जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विनम्रतापूर्वक, मैं सभी को अपना-अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको किसी भी मुद्दे पर बोलने का अधिकार है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, आप मन्त्री महोदया श्रीमती दीक्षित को बुला सकते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बुलाऊंगा। मैं उन्हें बुला रहा हूं। यदि वह तैयार नहीं है, तो मैं उससे अगले सदस्य को बुलाऊंगा। कृपया अपने-अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती शीला दीक्षित।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब मन्त्री महोदया को बोलने के लिए बुलाता हूं। उसके बाद मैं आपकी बात सुनुंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्य जैसा चाहें वैसा बोलें। कृपया मेरी बात सुनिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी अनुमति के बिना कोई बोले।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपको बताया है कि मैं आपकी बात को सुनुंगा। मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। आपको भी अपनी बात पर कायम रहना होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, अब महोदया को बोलने के लिए बुलाता हूं। कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने पर कितना जोर डाल रहे हैं। आप अपनी सारी शक्ति व्यर्थ कर रहे हैं। आप इसे इस प्रकार व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? मैं आपको अवसर देने के लिए तैयार हूं और आपको सुनने के लिए तैयार हूं। यदि आप व्यवस्थित तरीके से बोलेंगे तो मैं सभी को बोलने की अनुमति दूंगा। महोदया को सुनने के बाद, मैंने अगले सदस्य को बुलाया होता और इसी प्रकार मैंने सभी को अवसर दिया होता। लेकिन आप अनावश्यक रूप से अपना तथा सभा का समय नष्ट कर रहे हो।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सार्वजनिक धन भी व्यर्थ किया जा रहा है। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं श्री एच० के० एल० भगत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रख सकता हूं ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

महोदय, आप प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखिए···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए···

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसाकि मैंने आपको बताया यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब कोई कार्यवाही नहीं होगी। मैंने केवल प्रो० मधु दण्डवते को सुना और उस पर मैंने अपना निर्णय दे दिया है। अब महोदया शीला दीक्षित बोलना चाहती हैं। केवल उसके बाद ही व्यवस्था का कोई प्रश्न हो सकता है···

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, आपने मेरे साथ वायदा किया था कि आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुनेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भी सुनूंगा लेकिन पहले महोदया को बोलने दीजिए···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए मैं क्या कहा रहा हूं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 20 जुलाई, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए बहत्तरवें प्रतिवेदन से इस संशोधन के साथ सहमत है कि प्रतिवेदन के पैरा 3 में—

"शुक्रवार, 20 जुलाई, 1989" के स्थान पर "सोमवार, 24 जुलाई, 1989" प्रतिस्थापित किया जाए।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे "हां" कह सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके विपक्ष में हैं, वे "नहीं" कह सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय "हां" के पक्ष में हुआ, निर्णय "हां" के पक्ष में हुआ है।

कुछ माननीय सदस्य : निर्णय "नहीं" के पक्ष में हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 20 जुलाई, 1989 को सभा में प्रस्तुत किए गए बहत्तरवें प्रतिवेदन से इस संशोधन के साथ सहमत है कि प्रतिवेदन के पैरा 3 में।

"गुरुवार, 20 जुलाई, 1989" के स्थान पर "सोमवार, 24 जुलाई, 1989" प्रतिस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय, वे सभा के नियमों और प्रक्रिया का निरादर कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को बाद में सुनंगा। अब, श्रीमती शीला दीक्षित कुछ कहना चाहती हैं। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कम से कम श्री शंकरानन्द को अपना विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दें।

(व्यवधान)

2.52 म० प०

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक*

विधि और न्याय मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, आपने मुझे कहा था कि आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुनेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया था कि मैं आपको निश्चित रूप से अनुमति दूंगा। लेकिन एक अन्य विषय भी है। श्री भजनलाल वक्तव्य देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : आपने कहा था कि आप मुझे अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर देने से इन्कार नहीं कर रहा हूं। मैं आपको निश्चित रूप से अवसर दूंगा। श्रीमती शीला दीक्षित इस विषय पर कुछ कहना चाहती हैं।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें कहने दीजिए कि उनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। मैं इस बात पर जोर नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करने के लिए जोर नहीं दूंगा। श्री भजनलाल को वक्तव्य देने दीजिए। फिर मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

---

*दिनांक 21 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, हम देश के नारियल उत्पादकों के हित की बात करने जा रहे हैं, आप सुनने की कृपा कीजिए, मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं वह फारमर्स के हक में है। आप जरा सुन तो लीजिए (व्यवधान)

लगता है कि आप किसान-विरोधी हो गए हैं। हम यहां किसानों के हित की बात करने जा रहे हैं।

2.56 म० प०

वर्ष 1989 के मौसम के लिए गोला गिरी के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए, गिरी को समर्थन मूल्य नीति की परिधि के अन्तर्गत लाया गया है। तदनुसार, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार ने पहली बार 1989 मौसम के लिए अच्छी औसत किस्म की गिरी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1500 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

2. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) को, राज्य सहकारी विपणन एजेंसियों अथवा राज्य सरकारों द्वारा नामित एजेंसियों के सहयोग से आवश्यकतानुसार 1989 मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गिरी की खरीद के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यदि खरीद तथा बिक्री कार्य में कोई हानि होती है तो केन्द्रीय सरकार नेफेड को उसकी पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति करेगी।

3. मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा होगी।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : हम प्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री को इस घोषणा के लिए बधाई देते हैं·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री राव को बुलाता हूं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। मैं आपको श्री राव के व्यवस्था के प्रश्न के बाद बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मेरे साथ सहयोग करना चाहिए। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : महोदय, मैं बैठ जाऊंगा लेकिन एक बात यह है—हम सब अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे संसदीय कार्य मन्त्री·····(व्यवधान) मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप उन्हें सब कुछ कहने की अनुमति दे रहे हैं। फिर भी वे सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। यह बहुत गलत बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अब ठीक रहेंगे, चिंता नहीं कीजिए। मैं उनका ध्यान रखूंगा। कृपया बैठ जाएं।

एक माननीय सदस्य : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में। श्री राव के बाद मैं आपको बुलाऊंगा। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

2.59 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा के बारे में

[—जारी]

भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1989 का संख्या 2)—संघ सरकार—रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध फैक्टरियां) के पैरा 11 तथा 12

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : इससे पहले कभी भी इस सभा में नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की गयी थी। अब नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को चर्चा के लिए लाने पर इस बात की पूरी सम्भावना है तथा पहले ही हमें इसका कुछ अनुभव है क्योंकि सत्तारूढ़ दल के कुछ माननीय सदस्य नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की पहले ही निन्दा कर चुके हैं और चर्चा के दौरान जब माननीय सदस्य रिपोर्ट की निन्दा करते हैं तो इससे सदा इस बात को बढ़ावा मिलता है·····(व्यवधान)

3.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसके बाद अनुमति दे दूंगा । उनके बोलने के पश्चात् मैं महोदया को बुलाऊंगा और फिर मैं अपना विनिर्णय दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या इन निन्दाओं का इस उच्च संस्था के स्वतन्त्र कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ? (व्यवधान) इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले बोफोर्स के साथ ठेके पर काफी चर्चाएं हो चुकी हैं और अन्ततः नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक ने रिपोर्ट दे दी है अब केवल कार्यवाही ही की जानी चाहिए । किसी भी चर्चा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय नहीं दे रहा हूं । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि चूंकि न केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्यों बल्कि विपक्ष के सदस्यों ने भी नोटिस दिया है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको नाम दे दूंगा···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते, श्री जयपाल रेड्डी, श्री बसुदेव आचार्य, कुमारी ममता बनर्जी, श्री शरद दिघे, श्री हरीश रावत और श्री नारायण चौबे सभी ने नोटिस दिया है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरा विनिर्णय चाहते हैं तो पहले मुझे सबकी बात सुनने दीजिए···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय नहीं दे रहा हूं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उपाध्यक्ष हूं या आप उपाध्यक्ष हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सुनने के लिए तैयार हूं । पहले मैं प्रो० मधु दंडवते को सुनूंगा और फिर श्री राव को । तत्पश्चात्, मैं महोदया को बुलाऊंगा·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो वही मुद्दा है जो उठाया जा रहा है। मैं अन्य सदस्यों को भी सुनना चाहता हूं। केवल तभी मैं अपना विनिर्णय दे सकता हूं.....

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : सारा देश नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बारे में चिन्तित है। प्रधान मंत्री को यहां आना चाहिए। वह कहां हैं ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, अब तक आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। आप कुछ और समय के लिए सहयोग क्यों नहीं दे सकते हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : श्री सैफुद्दीन चौधरी बोलेंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी इजाजत के बगैर यदि कोई बोलेगा तो इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मुझे इस बात का खेद है कि विपक्ष वाद-विवाद से भाग रहा है। इन्होंने नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रस्तावों के जरिए चर्चा की मांग की थी। प्रो० मधुदंडवते अब चर्चा से बचना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बाद में बुलाऊं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने उन्हें इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : पुरुषोत्तमन जी, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पक्ष को एक मौका देना चाहता हूं और फिर मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : ठीक है, आप उन्हें मौका दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन बजे **बजे मध्याह्न पश्चात गैर** सरकारी सदस्यों के कामकाज को लेना होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब आप सभा को 3.30 बजे म० प० तक के लिए स्थापित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्यों ? केवल 10 मिनट का समय बचा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभी ऐसे मूड में होंगे······

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी को यह स्वीकार्य है, केवल तभी मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं स्वयं ऐसा कैसे कर सकता हूं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह बेहतर होगा कि पहले सब शान्त हो जायें और फिर गैर सरकारी सदस्यों का काम-काज शुरू करें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुमारी ममता बनर्जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। श्री राव पहले ही एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठा चुके हैं और मुझे अपना विनिर्णय देना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही चला रहा हूं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : यह एक चिन्ता का विषय है कि वे रोज अनावश्यक रूप से हमारा वक्त बरबाद कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहते थे। आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। उसके बाद मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी को बुलाऊंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : मधु दण्डवते जी ने नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस दिया है। सबसे पहले, यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि वे इस मामले पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री इस्तीफा दे दें। यदि उनमें हिम्मत है तो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए; उसके बाद परिणाम उनके सामने आएंगे। अन्यथा इस विषय पर सभा में चर्चा होनी चाहिए। हम नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर सभा में चर्चा करना चाहते हैं। वे जनता के पैसे की इस तरह दुरुपयोग नहीं कर सकते···(**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कह रही हैं ? मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

कुमारी ममता बनर्जी : आप चर्चा की अनुमति दीजिए। हम इस रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहते हैं। दण्डवते जी ने इसके लिए नोटिस दिया है। वह उस पर चर्चा करना चाहते थे। अब मैं नहीं जानती कि वह पीछे क्यों हट रहे हैं। परन्तु हम आज ही इस पर चर्चा करना चाहते हैं। हम इस पर कार्य-मन्त्रणा समिति में निर्णय ले चुके हैं। मैं यह इसलिए जानती हूं क्योंकि मैं भी कार्य-मन्त्रणा समिति की सदस्य हूं। कृपया आज ही इस पर चर्चा की अनुमति दीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कल के गतिरोध के बाद, आज बाहर काफी लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमन्त्री सभा में उपस्थित होंगे···(**व्यवधान**) परन्तु हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि प्रधानमन्त्री सभा में आकर उसका सामना करने का साहस नहीं जुटा पाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चौधरी जी, कृपया मेरी बात सुनिए। क्या आप श्री शोभनाद्रीश्वर राव द्वारा उठाए गए व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न के बारे में कहना चाहते हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस पर व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर विचार सोमवार को किया जाएगा, आज नहीं। आज प्रश्न यह है कि प्रधानमन्त्री सभा में उपस्थित क्यों नहीं हैं। हम यह मांग करते आ रहे हैं। वह सभा में आने का साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बोफोर्स सम्बन्धी समस्त विवाद प्रधानमन्त्री के इर्द-गिर्द घूम रहा है और सरकार में या सत्ता पक्ष की ओर से कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। सभा को जानने का अधिकार है। विपक्ष के सदस्यों की हैसियत से हमें आपसे यह निवेदन करने का अधिकार है कि आप यह बात स्पष्ट करें कि प्रधानमन्त्री जी क्यों नहीं आए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं है।

(**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, संविधान के अनुच्छेद 148 के अन्तर्गत नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देनी चाहिए जो इसे सभा के समक्ष रखेगा और सभा को इस पर चर्चा करने का अधिकार है। (**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए ।

श्री ए० चार्ल्स : मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है । इस पर चर्चा करना सभा का अधिकार है । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि·····

(**व्यवधान**)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : आपके विनिर्णय देने से पहले मैं अपने सुने जाने के अधिकार पर बल देता हूं । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा है; हर कोई अपनी मर्जी से चिल्ला रहा है ।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको केवल श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव के व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर ही बोलने की अनुमति दूंगा । सभा के समक्ष रखी गई किसी भी रिपोर्ट पर हमें चर्चा करने का अधिकार है । हमने नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पहले कभी चर्चा नहीं की है । परन्तु जब दोनों पक्षों के सदस्यों ने चर्चा के लिए अनुरोध किया तब अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दी है । कार्य-मन्त्रणा समिति ने इसे स्वीकृति दे दी और इस सभा ने भी इसे स्वीकृति दे दी । अब मैं पीछे कैसे हट सकता हूं ? हमने पहले ही निर्णय ले लिया है और इस विषय में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । जब सभा कार्य-मन्त्रणा समिति की रिपोर्ट को पहले ही स्वीकार कर चुकी है तो मैं क्या कर सकता हूं ? यह मेरी इच्छा नहीं है । यह सभा की इच्छा है ।

(**व्यवधान**)

3.20 म० प०

सभा की बैठक का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि सरकारी कार्य निपटाने के लिए सभा की बैठक का समय 7.00 म० प० तक बढ़ा दिया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब, यह बात सभा पर छोड़ी जाती है । प्रश्न यह है :

"कि सरकारी कार्य निपटाने के लिए सभा की बैठक का समय 7.00 म० प० तक बढ़ा दिया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें ।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां' ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विपक्ष में हैं वे 'नहीं' कहें ।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं' ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इसके पक्ष में अधिक सदस्य हैं । पक्ष में सदस्यों की संख्या अधिक है ।

कुछ माननीय सदस्य : इसके विपक्ष में सदस्यों की संख्या अधिक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मत-विभाजन चाहते हैं ? ठीक हैं । दीर्घाएं खाली कर दी जाएं । अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं । मैं इसे फिर रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि सरकारी कार्य निपटाने के लिए सभा की बैठक का समय 7.00 म० प० तक बढ़ा दिया जाए ।"

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : पहले ही सायं के 3.30 बज चुके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कल समय बढ़ाने के बारे में इसी बात पर अध्यक्ष ने विनिर्णय दिया था । हमने यह प्रक्रिया 3.30 म० प० से पहले शुरू की थी ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे परेशान मत कीजिए । मैं क्या कर सकता हूं ? आपको उनसे बात करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात है तो आप इस पर संसदीय कार्य मन्त्री से बातचीत कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आप कार्यवाही वृत्तांत का अध्ययन कीजिए । यह प्रक्रिया 3.30 म०प० से पहले शुरू हुई थी ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं । प्रश्न यह है :

"कि सरकारी कार्य निपटाने के लिए सभा की बैठक का समय 7.00 म० प० तक बढ़ा दिया जाए ।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया "हां" कहें ।

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विरोध में हों, वे कृपया "नहीं" कहें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ। 'हां' वालों के पक्ष में निर्णय हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की अवधि एक घण्टा और बढ़ाई जाती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 3.45 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

3.39 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 3.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.48 म० प०

लोक सभा 3.48 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य लेगी। श्रीमती बसवराजेश्वरी।

एक माननीय सदस्य : सभा का समय बढ़ाने से सम्बन्धित प्रस्ताव का क्या रहा ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बारे में मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं। इस पर घोषणा नहीं हुई है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैंने इसकी घोषणा की थी।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, आपने नियमों का पालन नहीं किया है। आपने दीर्घाएं खाली करने के लिए कहा था। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली हो जाने के बाद उस समय मैंने सभा को स्थगित कराया और जब एक बार पुनः यह घोषणा की कि सभा का समय 7 म० प० तक बढ़ा दिया गया है तो किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की। तब मैंने सभा को 3.45 म० प० तक स्थगित कर दिया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस मुद्दे को फिर से उठाना चाहते हैं तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ? आप कार्यवाही-वृत्तान्त को देखिए।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आपने मत-विभाजन के परिणाम की घोषणा की थी ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस पर चुनौती देना चाहते हैं तो आप ऐसा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद 6.00 म० प० पर कीजिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : उस समय क्यों?

एक माननीय सदस्य : इस सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया ठीक नहीं थी···(**व्यवधान**)।

श्री वसुदेव आचार्य : हमने उस समय आपत्ति की थी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मुझे एक निवेदन करना है। हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में भाग लेना चाहते हैं बशर्ते कि सभा का समय 6 बजे के बाद और न बढ़ाया जाए।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : इस बारे में सभा को निर्णय लेना है, श्री जयपाल रेड्डी को नहीं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जो कुछ सभा निर्णय लेगी उसे स्वीकारने के लिए तैयार हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : 3.30 म० प० पर सभा द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने निर्णय की घोषणा कर दी थी। अब, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य—पुरःस्थापित किए जाने के लिए विधेयक।

3.52 म० प०

विधवा कल्याण विधेयक

श्रीमती वसुधराजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधवाओं को पेंशन का संदाय करने और उनके लिए अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधवाओं को पेंशन का संदाय करने और उनके लिए अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती वसुधराजेश्वरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

3.54 म० प०

उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री जी० एस० बासवराजु द्वारा 21 अप्रैल, 1989 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि उचित दर दुकानों के कार्यकरण को विनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित मामलों के विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक पर आगे चर्चा करने से पूर्व, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के लिए सभा द्वारा आबंटित चार घण्टों में से पहले 3 घण्टे और पचपन मिनट पहले ही लिए जा चुके हैं। अब, आगे चर्चा के लिए समय बढ़ाना पड़ेगा। क्या सभा चाहती है कि इस विधेयक के लिए समय को एक घण्टा और बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए समय एक घण्टा और बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जी० एस० बासवराजु द्वारा प्रस्तुत उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक का मैं स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश के गांवों में घी, शक्कर, केरोसीन ऑयल और अनाज आदि, ये जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी उपलब्धि वास्तव में कठिनाई से होती है। मनुष्य के जीवन के लिए जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ये जीवन के उपयोग की आवश्यक वस्तुएं मनुष्यों को मिलती रहें, इसके लिए राज्य सरकारों का ही नहीं, केन्द्र सरकार का भी दायित्व होता है। इस प्रकार हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने गांव के अन्दर लोगों को रोजगार देने के लिए जो योजनाएं चलायी हैं और जिस प्रकार से पंचायती राज की तरफ ध्यान देने के लिए एक नई जागृति पैदा की है, उसी प्रकार से मैं समझता हूं कि जिस माननीय सदस्य ने यह बिल यहां पेश किया है, वे धन्यवाद के पात्र हैं। इस बिल के जरिए हम उन दूर-दराज के गांवों के अन्दर, शहरों के अलावा उन गांवों के अन्दर जहां लोगों को जीवन की आवश्यक वस्तुएं सहज में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उनको अनाज के लिए, कपड़े के लिए, तेल और घी के लिए व अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनकी इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह इस प्रकार का बिल यहां प्रस्तुत किया गया है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह बिल सार्थक-सिद्ध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्दर यह बात कही गयी है कि एक सेंट्रल बोर्ड स्थापित होगा और राज्यों के अन्दर अलग-अलग बोर्ड स्थापित होंगे और उनमें सामंजस्य होगा। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य स्तर पर जो बोर्ड बनें, इसके साथ ही जिला स्तर पर समितियां होनी चाहिएं। जिस प्रकार से हमारा विकेन्द्रीकरण का ढांचा है और इसके अन्तर्गत जिस प्रकार से जिलों को उत्तर-दायित्व दिया जा रहा है उसी प्रकार से राज्य स्तर के बोर्ड का तालमेल जिला स्तर की समितियों से रहे और राज्यों के स्तर के बोर्ड का तालमेल केन्द्र के बोर्ड से रहे। महोदय, आज जितने भी अनाज हैं, चाहे गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो, इनका जो आबंटन होता है।

[अनुवाद]

श्री हेतराम (सिरसा) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति की घण्टी बजाई जाए.....अब, गणपूर्ति है । श्री शंकर लाल ।

[हिन्दी]

4.00 म० प०

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि लोगों को, कन्ज्यूमर्स को जीवन की आवश्यक वस्तुएं फेयर प्राइस शाप के जरिए उपलब्ध हो सकें, आसानी से मिल सकें, सस्ती दर पर मिल सकें, इसके लिए विकेन्द्रीकरण वास्तव में आवश्यक है । इसलिए सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और इनके अलावा जिला-स्तर की समितियां हों और ये समितियां तय करें कि कितनी दुकानें किन-किन स्थानों पर खोली जानी चाहिएं । प्रत्येक गांव में अगर सम्भव न हो तो प्रत्येक गांव पंचायत के ऊपर एक फेयर प्राइस शाप होनी चाहिए जिससे आम मनुष्य को 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर न जाना पड़े । आज कई जगह लोगों को 5, 5 और 7, 7 किलोमीटर दूर जाकर आवश्यक वस्तुएं लानी पड़ती हैं । जिन एरियाज में क्षेत्रों में जिन वस्तुओं की खपत अधिक होती है, जहां चावल की खपत अधिक होती है वहां पर चावल का डिस्ट्रीब्यूशन अधिक हो और जहां पर गेहूं की ज्यादा आवश्यकता हो, वहां पर आप गेहूं की चीजें ज्यादा उपलब्ध कराएं । जहां तक कपड़े का सम्बन्ध है यह भी जीवन की बहुत आवश्यक चीज है ।

हम देखते हैं कि जो मिडिल मैन हैं, बिजनेसमैन हैं जो केवल मुनाफा कमाने वाले हैं, इन चीजों का जो एलाटमेंट भारत सरकार के जरिए राज्य सरकारों को होता है और राज्य सरकारें उन चीजों का एलाटमेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करती हैं और वहां से जो दुकानों का वितरण होता है उनमें वहां के बिचौलिए, बिजनेसमैन उन दुकानों को अपने नाम से ले लेते है और मुनाफा कमाने वाली चीजें होते हुए भी लोगों को नहीं देते और उसमें कई जगह ब्लैक मार्केटिंग होती है । इस कालाबाजारी को खत्म करने के लिए, बिचौलियों के मुनाफे को खत्म करने के लिए और इसके साथ ही कन्ज्युमर्स को आवश्यकता की चीजें मिले, उसके लिए मैं समझता हूं कि सेंट्रल बोर्ड, राज्य स्तर के बोर्ड और जिला स्तर की समितियां बहुत सार्थक सिद्ध हो सकती है ।

इस बिल में कहा गया है कि किस प्रकार से फेयर प्राइस शाप्स के जरिए कमोडिटिज का डिस्ट्री-ब्यूशन हो, प्रत्येक दुकान पर कितने कस्टमर्स हों, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो । यह भी उसमें कहा गया है कि जहां पर गांवों में अनपढ़ लोग हैं, जो इस व्यवस्था को नहीं जानते हैं, उन तक माल पहुंचाने के लिए आज हम शहरों में तो यह देखते हैं कि मोबाइल वैन इन चीजों को लेकर घूमती हैं, मौहल्लों में जाकर इन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करती हैं लेकिन जहां तक गांव का सवाल है, जहां पर बिजली नहीं है, जहां लोगों को खाने की चीजें नहीं मिलती हैं, जहां पर उनको इन चीजों के लिए दूर-दूर जाने की बात होती है तो उनके लिए इस प्रकार का बिल लाया जाए और उसके जरिए सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्डों की स्थापना की जाए और यह देखा जाए कि यह गठन किस प्रकार हो ?

इसमें जो यह बात कही गई है कि इसमें जो चेयरमैन एपाइन्ट होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और एक आदमी प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट का और यूनियन टैरिटरी का होगा । मैं इसमें निवेदन करना

चाहूंगा कि यह जो स्टेट बोर्ड का गठन हुआ है उसके अन्दर जिला परिषदों का प्रमुख या प्रतिनिधि जरूर होना चाहिए जिससे यह चीजें गांवों तक पहुंच सकें। अगर शहरों के लोग इसके अन्दर आ गए तो वही इनका पूरा फायदा उठा लेंगे। नतीजा इसका यह होगा कि गांव के लोगों को आवश्यक वस्तुएं सही मात्रा में मिल नहीं सकेंगी। अतः मेरा यही कहना है कि स्टेट बोर्ड में जिला परिषदों के प्रतिनिधि अवश्य होने चाहिएं।

इसमें बिजिलेंस की भी बात कही गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फेयर प्राइस शाप्स इंडीविजुअल्स को न देकर कोआपरेटिव सोसायटियों को दी जाएं। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि देश के उत्थान के लिए तीन इंस्टीट्यूशन्स की जरूरत है—एक तो प्रत्येक गांव के अन्दर एक स्कूल हो, एक कोआपरेटिव सोसायटी हो और एक ग्राम पंचायत हो। हमने ग्राम पंचायतों के ढांचे को मजबूत किया है और हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ये फेयर प्राइस शाप्स गांव के लोगों को ही दी जाएं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सहकारी समितियों के माध्यम से अगर गांवों के अन्दर आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर सकेंगे तो यह बोर्ड ज्यादा सार्थक हो सकेंगे। इसमें एक प्रावधान यह होना चाहिए कि हम कोआपरेटिव सोसायटियों को प्राथमिकता देंगे और इंडीविजुअल लोगों को जहां तक होगा उसके अन्दर प्राथमिकता नहीं देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वास्तव में, दुर्भाग्य से पिछले तीन दिनों से सभा में अधिक कार्य नहीं हुआ है। सम्भवतः यह विधेयक पहला विधेयक है। हालांकि जिस विधेयक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक है।

इस सम्बन्ध में मैं भरे मन से यह भी कहता हूं कि संसद का समय बहुमूल्य है और लोगों को भी संसद सदस्यों से अत्यधिक आशाएं हैं। लेकिन विपक्ष के असामान्य व्यवहार तथा असंसदीय व्यवहार के कारण पिछले तीन दिनों में इस सभा में क्या कार्य-निष्पादन हुआ है ? इस स्थिति से वहां पर लोकतन्त्र पर कलंक लगा है। (व्यवधान)

मैं इस विधेयक को पेश करने वाले माननीय सदस्य को भी धन्यवाद करता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अन्ततः यह विधेयक वापस ले लिया जाएगा। लेकिन तब तक हमारे देश में कार्यरत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने का मुझे अवसर मिला है। विधेयक का उद्देश्य देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना या इसे सरल बनाना है। मैं विधेयक की भावना को भी अपना समर्थन देता हूं। मैं यह नहीं कह रहा कि विधेयक मौजूदा रूप में स्वीकृत हो जाए या स्वीकृत होना चाहिए; लेकिन इससे हमें इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध भी करता हूं कि चर्चा के दौरान आ रहे सभी सुझावों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें।

सरकार को चर्चा तथा माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को मद्देनजर रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने का भी प्रयास करना चाहिए। हमारे देश में इस वर्ष को सार्वजनिक

वितरण प्रणाली का स्वर्ण जयन्ती वर्ष कहा जा सकता है। पचास वर्ष पूर्व 1939 में पहली बार महाराष्ट्र में कुछ आवश्यक वस्तुओं का वितरण सरकार की उचित दर की दुकानों द्वारा किया गया था। उस समय भुखमरी की स्थिति थी, लगभग अकाल की स्थिति थी। आजादी से पूर्व सरकार को 1939 में ऐसी व्यवस्था अपनानी पड़ी। फिर 1943 में पश्चिम बंगाल द्वारा भी इसे अपनाया गया, वहां भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, यह भुखमरी की स्थिति, अकाल की स्थिति वहां पर विद्यमान थी।

युद्ध-काल के दौरान हम अर्थव्यवस्था पर दबाव से वाकिफ है तथा जानते हैं कि किस प्रकार मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए थे। तब भी कुछ वस्तुएं सरकारी दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता को सप्लाई की गई थीं। आजादी के बाद से निःसन्देह लोकप्रिय सरकार का यह प्रयास रहा है कि देश के विभिन्न भागों में इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक से अधिक आवश्यक वस्तुएं सप्लाई की जाएं। इस साधारण तथ्य से यह साफ पता चलता है कि इसमें इतनी वृद्धि कैसे हुई है; सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने भी अपनी जड़ें मजबूत की हैं तथा उचित दर की दुकानों और उनके द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में भी आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। सन् 1962 में, देश में 47,000 उचित दर की दुकानें थीं; जो अब बढ़कर चार लाख के करीब हो गयी हैं। हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अब करीब चार लाख उचित दर की दुकानें हैं। हमारे देश में करीब सात लाख गांव हैं। मैं यह नहीं जानता कि यह चार लाख के आंकड़े सही हैं अथवा नहीं। इसमें मुझे कुछ सन्देह है, फिर भी मैं इसे काफी सन्तोषजनक समझता हूं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उचित दर की दुकान जरूर उपलब्ध होनी चाहिए; लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में एक ग्राम पंचायत में एक उचित दर की दुकान काफी नहीं है; ऐसे स्थानों पर एक से ज्यादा उचित दर की दुकानों की आवश्यकता है। साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगा कि विशेषकर हमारी जैसी परिस्थिति में इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या है? हमारे देश की जनसंख्या करीब 80 करोड़ है। आवश्यक वस्तुओं की कुल आवश्यकता, अर्थात् खाद्य पूर्ति, खाद्य संग्रह, कपड़ा, मिट्टी का तेल, दियासलाई, नमक और अन्य चीजों की, देश की विद्यमान स्थिति, विद्यमान अर्थव्यवस्था, विद्यमान सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था, विद्यमान या वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति के अन्तर्गत समस्त आवश्यकताओं की कुल जनसंख्या को उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था और अनियन्त्रित बाजार है और साथ ही हमारे यहां नियन्त्रित बाजार और नियन्त्रित प्रणाली भी है। सहज ही इसका मतलब है कि सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं, गरीब वर्ग के प्रति इनकी वचनबद्धता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व है; बाकी सम्पूर्ण जनसंख्या के प्रति। क्योंकि जब कोई कृषक अपने उत्पाद को कहीं भी और किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपने उत्पाद को मात्र सरकारी एजेंटों के हाथों बेचना है। अतः हम सम्पूर्ण जनसंख्या की समग्र आवश्यकताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा पूरा किए जाने की आशा नहीं कर सकते, वह भी प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा। स्वभावतः, गरीब लोग, पददलित लोग और वे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, खुले बाजारों में जाकर अपनी आवश्यकताओं का सामान नहीं खरीद सकते हैं जहां कीमतें बहुत अधिक रहती हैं, विशेषकर कमी वाले महीनों में, उदाहरण के लिए मानसून के दौरान। उस समय खाद्यान्न की कीमतें काफी ऊंची हो जाती हैं। जब खाद्यान्न, कटाई के समय अनेक जगहों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है तो उचित दर दुकानों के वितरक खाद्यान्न को नहीं उठाते। यह मेरा अनुभव रहा है। यह मेरा सौभाग्य था कि मैंने कुछ समय

के लिए, करीब दो वर्षों तक उड़ीसा में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का कार्यभार सम्भाला था। उस समय बहुत खराब स्थिति थी। वर्ष 1974-75 के दौरान अकाल जैसी स्थिति थी। खाद्यान्नों की खरीद बन्दूक की नोक पर करनी पड़ती थी। उस समय उड़ीसा में बहुत खराब स्थिति थी। केन्द्रीय सरकार के आदेश पर हमें ऐसे दुःखद कार्य के लिए बाध्य होना पड़ा था। और सहज ही कटाई के वक्त चावल की कोई मांग नहीं होती थी, लेकिन जब गर्मी का आगमन होता था, कमी वाले महीने होते या मानसून का आगमन होता है तो दबाव बढ़ जाता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खाद्यान्नों की खरीद करती है तथा चावल, गेहूं इत्यादि का संचय करती है, और फिर देश के विभिन्न भागों में व्याप्त स्थिति के अनुसार इसका आवंटन करती है। वे अपने विवेक के अनुसार निर्णय कर इसका आवंटन करते हैं। अतः हमें धनी और निर्धनों के बीच, अमीर और गरीब लोगों के बीच अन्तर रखना होगा।

अब हर वर्ग के लोगों की यह प्रवृति हो गयी है कि वे प्रत्येक चीज के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर करते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हम इसकी अनुमति कदापि नहीं दे सकते हैं। दूसरी ओर मैं यह सुझाव दूंगा कि निर्धन लोगों की समस्त आवश्यकताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही खाद्यान्नों की मात्रा में भी वृद्धि का प्रयत्न किया जाना चाहिए इसको ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरत की सभी वस्तुएं गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही, हमें ऐसे स्थिति का निर्माण करना होगा जिससे की अमीर, सम्पन्न और मध्यम वर्ग के लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग न करे।

जहां तक चावल और गेहूं का प्रश्न है तो वह खुले बाजारों में प्रचुर मात्रा में कुछ ऊंची कीमतों पर उपलब्ध हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ-भोगियों के प्रति सरकार को अपने रवैये पर पुनः विचार करना चाहिए।

चीनी के सम्बन्ध में भी प्रतिवाद है। निर्धन लोगों को यह बहुत कम मिलती है जबकि अमीर लोग जो शहर में रहते हैं वे कार्ड पर ज्यादा चीनी पाने में सफल होते हैं। लोगों के बीच यह भावना भी व्याप्त है कि गांव और शहर में रहने वाले लोगों के बीच भेदभाव है। गांव के लोग यह अनुभव करते हैं कि उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जारहा है और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। ऐसा क्यों ? जो सम्पन्न हैं वे खुले बाजार में चले जाते हैं पर निर्धन लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। निर्धन लोगों को उनके कार्डों पर ज्यादा चीनी दी जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्ड की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्ड व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए। उचित दर की दुकानों में चावल, गेहूं और चीनी के अतिरिक्त और भी वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए जैसे मिट्टी का तेल इत्यादि। इसकी आपूर्ति नियमित ढंग से नहीं की जाती है। उदाहरणार्थ, पामोलीन तेल की भी सप्लाई नहीं की जाती है और इसके वितरण में भी बहुत काला-बाजारी होती है, और इसकी पूर्ति सही ढंग से की जानी चाहिए। खुले बाजारों में कुछ वस्तुओं की कीमतों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सप्लाई की जाने वाली कुछ वस्तुओं की कीमतों के बीच बहुत ज्यादा अन्तर है। हमें उनके वितरण पर निगरानी रखनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कीमतों में अन्तर होने के कारण यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि उचित दर के वितरक काले बाजार में अपनी वस्तुएं ऊंचे दामों पर बेचते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद

देते हैं। हम पंचायती राज्य व्यवस्था को मजबूत करने, उसमें क्रांति लाने जा रहे हैं। और जब पंचायती राज्य व्यवस्था मजबूत होंगी तो इसमें लोगों का और भी ज्यादा योगदान स्वाभाविक है। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पंचायती राज्य, जिला-परिषद आदि के सुपुर्द भी कर सकते हैं। इस दिशा में सहकारी समितियों द्वारा निश्चय ही उत्तम कार्य किया जा सकता है। सन् 1970 में उड़ीसा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, पंचायतों का प्रयोग किया गया था वहां कार्य काफी सुचारू रूप से किया गया था। निश्चय ही, हमें पंचायतों को वित्त उपलब्ध कराना होगा। और उन्हें इसके उपयोग की अनुमति देनी होगी जिससे वे यह कारोबार चला सकें। अगर पंचायत को यह कार्य सौंपा गया और उस पर कड़ी निगरानी रखी गयी, तो काला-बाजारी या तो पूर्णतया समाप्त हो जाएगी या इसे कम किया जा सकेगा। अनेक जगहों पर हम साप्ताहिक बाजार देखते हैं, जहां लोग इकट्ठे होते हैं। अगर विभिन्न वस्तुओं को साप्ताहिक बाजार या हाट बाजार में बेचा जाता है तो यह संतोषजनक रूप से कार्य करेगा। यह हमारा अनुभव रहा है। सूखे की स्थिति में जब लोगों के पास समय नहीं रहता और उन्हें इसकी उपलब्धता का पता नहीं रहता तो कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं। अगर इसे साप्ताहिक बाजार में बेचा गया, तो इससे निर्धन लोगों को फायदा होगा।

परिवहन शुल्क के सम्बन्ध में भी हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैंने कुछ खुदरा विक्रेताओं से बातचीत की है जो काला-बाजारी के धन्धे में लिप्त थे। उन्होंने कहाकि अगर एक संयासी भी आकर जोर-शोर से कारोबार चलाता है तो वह भी वर्तमान परिवहन प्रभारों के रहते इसे बिना लाभ, हानि के आधार पर नहीं चला सकता है। उनके अनुसार जब तक इसमें बदलाव नहीं किया जाता, यह यथार्थवादी नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से धन खर्च कर लोगों की सेवा नहीं कर सकता है। इसे यथार्थवादी होना चाहिए। परिवहन शुल्क में परिवर्तन किया गया या नहीं यह मैं नहीं जानता। गोदामों के अनेक लोगों ने भी कहा है कि जब भार-तौल होता है तब उठाईगीरि होती है। शायद ही कोई ऐसा थैला वहां नहीं होता जो 100 किलोग्राम का भार का हो और उसमें 100 किलोग्राम भार का सामान हो। जानबूझकर और अनेक लोगों के साथ सांठ-गांठ कर कुछ वस्तुओं जैसे चीनी की काला-बाजारी जारी रहती है। जब हम ज्यादा सख्त होना चाहते हैं तो हमें इसके परिवहन शुल्क पर किए गए वैधानिक खर्च और कमीशन के रूप में किए गए खर्च के प्रति भी यथार्थवादी होना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ग्राम-पंचायतें और सहकारी समितियां इस व्यवस्था में सम्मिलित हुई थी और जब वे इस विसंगति को सामने लाए तब हमने भी यह स्वीकार किया कि अगर आप निर्धारित दर से पांच पैसा प्रति किलो भी ज्यादा लें तो कोई व्यक्ति इसे महसूस नहीं करेगा। भारत सरकार ने इन दरों में संशोधन की मांग स्वीकार नहीं की। मैं यह समझता हूं कि हमें अपने अनुभव से सीखना है। हमें यथार्थवादी होना चाहिए। तत्पश्चात् किसी प्रकार के कालेबाजारियों को दण्डित किया जाना चाहिए। चीन और अन्य देशों में क्या हो रहा है? हमारे प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने जिनकी इस वर्ष जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, कहा था कि काले-बाजारियों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए। परन्तु इन बातों पर अमल नहीं किया गया। हमारी व्यवस्था इतनी उदार है कि वकील तथा कुछ लोग, जो संसद में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के बाहर जाकर देश विरोधी बातें करते हैं। इस प्रकार व्यवस्था इतनी उदार है कि बदनाम काले बाजारिये भी प्रतिष्ठित वकील रखकर स्वतन्त्र घूमते हैं। कानून और विनियमों को सख्त बनाने की आवश्यकता है। हमने कड़े कानून जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा एम० आई० एस० ए० बनाये हैं और कभी-कभी उन्हें लागू भी किया है। परन्तु दल संबंधों को देखे बिना इस दिशा में कुछ विचार करना चाहिए।

इस सबके बावजूद भी सरकार प्रशंसनीय कार्य कर रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने के लिए अर्थात वस्तुओं अधिक मूल्य पर लेकर उन्हें कम मूल्य पर वितरित करने के लिए 2000 करोड़ रुपये की राजसहायता दी है। हमने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं—कल मंत्री महोदय एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे—जिनमें कुछ राज्य सरकारें आदिवासी लोगों क्या गरीब लोगों को दो रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल दे रही हैं परन्तु यह उन्हें भारत सरकार से 1.85 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। हमें सुनिश्चित करना है कि बिचौलियों और निहित स्वार्थी तत्वों को यथासम्भव समाप्त किया जाए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है ? यदि पंचायतें और सहकारी संस्थायें इस कार्य में सहायता करेंगी तो इसकी उचित ढंग से निगरानी की जा सकती है। यह बिल्कुल सम्भव है तथा यह कार्य संतोषजनक ढंग से किया जा सकता है क्योंकि इसका प्रयोग उड़ीसा में किया गया था। इस प्रणाली को समूचे देश में अच्छा बताया गया है।

उचित दर की दुकान से सम्बद्ध लोकप्रिय समिति का गठन किया जाना चाहिए। पांच सदस्यों की, एक समिति का गठन किया जाए जिसमें एक जनजाति, एक हरिजन तथा एक महिला सदस्य होना चाहिए, जो स्टाक की जांच करेगी। उनकी सिफारिश से, कि आबंटन उचित ढंग से किया गया, डीलर को अगला आबंटन मिल सकता है। यदि इस प्रणाली को अपनाया जाएगा तो प्रणाली में बहुत सुधार होगा।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : सबसे पहले मैं श्री बासवराजु को यह विधेयक पुरःस्थापित करने तथा इस महत्वपूर्ण विषय जो राजनैतिक विचारधाराओं और अन्य बातों को देखे बिना मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है, पर चर्चा करने हेतु इस सम्मानित सभा को अवसर प्रदान करने के लिए बधाई देता हूं।

मैं इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के कथन तथा उपबन्धों से सहमत हूं। बुनियादी तौर पर इसमें असहमति व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं है। सिद्धान्त रूप से हम इन सुझावों से सहमत हैं। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय दोनों पक्षों के इन कीमती सुझावों पर विचार करके तथा उनको इस विधेयक में सम्मिलित करके एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

यह बड़ी विडम्बना है कि यद्यपि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 80 प्रतिशत उचित दर की दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, परन्तु 80 प्रतिशत खाद्यान्न, जो जनता में वितरित किए जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण जनता को न्याय मिले तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति की जाए।

यद्यपि सूची में 19 वस्तुयें हैं परन्तु हमारे राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को केवल चावल तथा कुछ अन्य राज्यों में गेहूं, मिट्टी का तेल, चीनी और पामोलीन तेल मिल रहे हैं। उन्हें दूसरी वस्तुयें नहीं मिल रही हैं। परन्तु शहरी क्षेत्र की जनता को अन्य वस्तुयें भी मिल रही हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस पहलू की जांच करें और सुनिश्चित करें कि ये वस्तुयें ग्रामीण क्षेत्रों में भी भेजी जायें ताकि जनता की आवश्यकतायें पूरी हो सकें।

4.32 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

हमारे राज्य आन्ध्र प्रदेश में 1978 से 1983 तक की अवधि के दौरान 30,851 उचित दर की दुकानों के बदले, श्री एन० टी० रामाराव की सरकार बनने के बाद, अब 36,045 उचित दर की दुकानें हैं। हमारी सरकार हरे कार्डों के माध्यम से पांच सदस्यों वाले 100 लाख परिवारों को पच्चीस किलो प्रति माह के हिसाब से चावल उपलब्ध कराती है। इसे पहले का अनुभव उत्साहवर्धक नहीं था। पूर्व शासन के दौरान गरीबों को दी जाने वाली ये वस्तुयें गरीबों तक नहीं पहुंचती थीं। उचित दर की दुकान के डीलर गरीबों से कार्ड लेकर जमा कर लिया करते थे और उन्हें अपने पास स्टाक जमा करके काले बाजार में बेच दिया करते थे। इसके पश्चात् श्री रामाराव की सरकार ने यह दो रुपये प्रति किलोग्राम की योजना चलाई जिससे गरीब सचेत हो गए। प्रत्येक महीने यह जानने के बाद कि चावल आ गया है, लोग जाकर अपने कोटा के लिए दबाव डालते हैं तथा उचित दर की दुकान के दुकानदार को कोई धोखा नहीं देने देते। निस्संदेह कुछ क्षेत्रों में अब भी कुछ प्रतिशत ऐसे लोग हो सकते हैं परन्तु आज गरीब लोग उस दुकानदार को अपना चावल बाहर बेचने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। कभी-कभी उन्हें चीनी की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए वे चीनी के लिए अधिक दबाव नहीं डालते हैं परन्तु उचित दर की दुकान के दुकानदार पर चावल कोई नहीं छोड़ रहा है।

मेरे माननीय साथी श्री पाणिग्रही ने अभी कहा है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल बेच रही है जबकि संघ सरकार इसकी आपूर्ति 185 क्विंटल के हिसाब से कर कर रही है। ऐसा प्रारम्भिक स्थिति में हुआ था तथा यह अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में था। बहुत कम चावल आम किस्म का था जबकि अधिकांश चावल बढ़िया किस्म तथा कुछ सर्वोत्तम किस्म का था। राज्य सरकार एक करोड़ परिवारों को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल दे रही थी। सरकार एक समान नीति बनाना चाहती थी। भारत सरकार अनुसूचित क्षेत, जनजाति के लोगों तथा गिरिजनों को चावल की आपूर्ति कर रही थी जबकि हमारी तेलगु देशम पार्टी की सरकार अनुसूचित क्षेत्र के बाहर केवल गिरिजनों को ही नहीं बल्कि हरिजनों, पिछड़े वर्गों तथा समुदाय या जाति को न देखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, जिनकी वार्षिक आय 6000 रुपए से कम है, 2 रुपए प्रति किलो की दर से चावल दे रही है। इन सब लोगों को चावल पाने का अधिकार है इसलिए हमारी सरकार लोगों को दो रुपए प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मूल्यों में संशोधन के बाद हमारी सरकार आम किस्म के चावल पर 19 पैसा, अच्छी किस्म के चावल पर 75 पैसा और सर्वोत्तम किस्म के चावल पर एक रुपया प्रति किलो के हिसाब से वहन कर रही है। इसलिए इस आलोचना को नहीं माना जा सकता कि श्री रामराव के पास गरीबों को घटिया किस्म के चावल की आपूर्ति का पता लगाने का समय नहीं है। चावल भारतीय खाद्य निगम से आ रहा है। श्री रामाराव गरीबों के अग्रदूत हैं इसलिए उन्होंने यह 2 रुपए प्रतिकिलो की योजना चलाई है। राज्य सरकार पर कुछ भी बोझ पड़ रहा है, लेकिन वह इस योजना को आगे चला रहे हैं क्योंकि चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने स्वय गरीबों की दयनीय दशा देखी थी। अनेक स्थानों पर, जहां धनी और मध्यमवर्ग की शादियों के बाद पत्तलों पर बचा हुआ भोजन फेंक दिया जाता है करुणाजनक दृश्य यह होता है जब गरीब लोग, जो भूखे और बहुत गरीबी में होते हैं, पत्तलों पर बचे भोजन को पाने के लिए कुत्तों से संघर्ष करते हैं। चुनाव अभियान के दौरान श्री रामाराव ने आश्वासन दिया था कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आयी तो दो रुपए प्रति किलो की दर से चावल की आपूर्ति वाली योजना लागू करेगी।

नवीनतम मूल्य से राज्य सरकार को इस पर प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करना पड़ रहा है परन्तु हमारी सरकार जाति और समुदाय को न देखते हुए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों की कम से कम कुछ आवश्यकतायें पूरी करने के लिए दिए गए आश्वासन सम्बन्धी योजना को आगे बढ़ा रही है। 'इक्नोमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार वे कहते हैं कि अनेक राज्यों की, चाहे महाराष्ट्र हो या तमिलनाड् या उत्तर प्रदेश या कर्नाटक—राज्य सरकारें संघ सरकार से चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अधिक मात्रा उपलब्ध कराने का अनुरोध कर रही हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश मैं नहीं जानता कि क्या प्रतिबन्ध और सीमाएं हैं। भारत सरकार राज्यों को अपेक्षित आपूर्ति नहीं कर रहा है जिसका इन राज्यों विशेषतः शहरों में मूल्य स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अभी हमारे पास खाद्यान्नों को पर्याप्त भंडार हैं। विगत वर्ष मानसून बहुत अच्छा था। इसके अतिरिक्त हमने कुछ खाद्यान्नों का आयात भी किया है। मेरे विचार से विभिन्न राज्यों की आवश्यकतायें पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम ही भारत सरकार द्वारा वहन की जाने वाली राजसहायता की बड़ी राशि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। महोदय, आपको सार्वजनिक मामलों में काफी अच्छा अनुभव होने के कारण यह जानकारी होगी कि खुले में कई स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम—गेहूं तथा चावल जैसे खाद्यान्नों का भंडारण करता है। बहुत से स्थानों पर खाद्यान्नों को तिरपाल से ढका जाता है। ये तिरपालें या तो फटी हुई होती हैं या वह ठीक हालत में नहीं होती और जब वर्षा होती है तो चावल व गेहूं खराब हो जाते हैं और कुछ समय बाद वे उन खाद्यान्नों को फेंक देते हैं जो जानवरों के खाने योग्य भी नहीं होते। अगर इन खाद्यान्नों को अत्याधिक खराब होने से पहले बेच दिया जाए तो कम से कम जानवरों को खिलाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को कुछ पैसा मिल सकता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में कुछेक प्रशासनिक खामियों, नौकरशाही की गड़बड़ियों आदि के कारण भी ऐसा नहीं किया जाता।

इसी तरह जहां तक परिवहन लागत का सम्बन्ध है चावल की परिवहन लागत प्रति क्विंटल लगभग 35 रुपये आती है। मुझे अपनी के० सी० पी० चीनी मिल का अनुभव है जो दक्षिण भारत में वुय्यूर में बहुत बड़ी चीनी मिल है। उस मिलसे चीनी निजामाबाद जिले में भेजी जाती थी जहां बोड़ोन में निजाम चीनी मिल है। बोडोन चीनी मिल से हमारे यहां वुय्यूर में चीनी आती थी जहां प्रचुर मात्रा में के० सी० पी० चीनी थी। मैं सरकार पर उच्च स्तर पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन निम्न स्तर के अधिकारियों के, निहित स्वार्थों के कारण, कुछ परिवहन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने या अन्य कारणों से, वे परिवहन ठेकेदारों का पक्ष लेते हैं जिससे कि लोगों को अपरिहार्य परिवहन लागत का खर्चा उठाना पड़ता है। अगर उचित योजना और सावधानीपूर्वक कार्य किया जाए तो इस अपरिहार्य परिवहन व्यय को समाप्त किया जा सकता है और इससे खरीद मूल्य और बेचे जाने वाले मूल्य में जो अन्तर है वह भी कम हो जाएगा और सरकार को अधिक धन नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

महोदय, इसी तरह गोदामों के बारे में भी एक पक्ष नहीं जानता कि दूसरा पक्ष क्या करता है। यद्यपि वेयरहाऊसिंग कारपोरेशन के गोदामों में भण्डारण की काफी जगह है फिर भी भारतीय खाद्य निगम और अधिक गोदाम बनाने का प्रयास करता है। महोदय, ऐसा क्यों है? क्या सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग के गोदाम हमारे गोदाम नहीं हैं। मान लीजिए यदि 'सी० डब्ल्यू० सी०' के गोदाम नहीं हैं तो राज्य वेयरहाऊसिंग के गोदाम तो होंगे। हमें उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। आखिरकार, यह सार्वजनिक धन है। चाहे केन्द्र सरकार का हो या राज्य सरकार का और वे अनावश्यक

रूप से गोदामों का निर्माण कर रहे हैं और कभी-कभी वे प्राइवेट गोदाम लीज पर या किराए पर लेते हैं। इस तरह उनमें से कुछ को सही कर काम में लाया जाए और कमियों को दूर किया जाना चाहिए जिससे अन्ततः बेचे जाने वाले मूल्य को कम करने में सहायता मिलेगी।

महोदय, माननीय सदस्य श्री बासवराजु का राज्य स्तर पर बोर्ड स्थापित किए जाने का सुझाव बहुत अच्छा है इसमें कुछ गलत नहीं है। हमारा अनुभव यह है कि मण्डल स्तर पर खाद्य सलाहकार समिति की बैठकों में कमजोर वर्गों, महिलाओं और सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं और जिला स्तर पर भी जिलाधीश सभी राजनैतिक पार्टियों, विभिन्न राजनैतिक दलों के अध्यक्षों अथवा सचिवों और जनता के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाता है और जिसमें गहन संवीक्षा की जाती है। किन्तु मेरा अनुभव यह है कि शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं अथवा नगर निगमों में समय-समय पर इस तरह की संवीक्षा पर्याप्त रूप से नहीं की जा रही है। मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि वह सभी राज्य सरकारों को समुचित मार्गदर्शी सिद्धान्त और निर्देश जारी करें, ताकि शहरी क्षेत्रों में भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की निष्पक्ष रूप से संवीक्षा और जांच सुनिश्चित की जा सके।

अन्ततः महोदय, मैं मन्त्री जी को एक सुझाव और दूंगा। आप कृपया हमारी आन्ध्र प्रदेश राज्य की एजेन्सी को अनुमति दीजिए कि वह केन्द्रीय पूल से एक प्रमाणिक सार्वजनिक एजेन्सी के रूप में खरीद मूल्य पर इस शर्त पर चावल खरीदे कि उसकी ढुलाई की लागत राज्य की एजेन्सी द्वारा ही वहन की जाए और भारत सरकार पर इसकी कोई जिम्मेदारी न हो। लेकिन राज्य एजेन्सी एकमात्र यह रियायत चाहती है कि उसे ब्याज की रियायती दरों पर ऋण दिया जाए क्योंकि हमारे राज्य आन्ध्र प्रदेश में चावलों की कुल मांग 22 लाख टन है। जबकि आप हमें केवल 10 लाख टन चावल दे रहे हैं। शेष चावल राज्य सरकार को खुले बाजार से मिल मालिकों द्वारा निर्धारित मूल्यों पर खरीदना पड़ता है जोकि भारतीय खाद्य निगम के मूल्य से बहुत अधिक होता है।

सभापति महोदय : क्या आप अपने राज्य में आत्मनिर्भर नहीं हैं ?

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव : जी हां, महोदय।

सभापति महोदय : पहले हम आपके राज्य से चावल लेते थे।

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव : महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे राज्य में सरकार 6000 रुपए से कम आमदनी वाले एक करोड़ परिवारों को सार्वजनिक वितरण की इन दुकानों से 2 रु० प्रति किलो के मूल्य पर चावल बेच रही है। अन्य लोगों के लिए हमें खुले बाजार से खरीदना पड़ता है और हम आपके केरल राज्य को भी दे रहे हैं। सरकार पर पहले ही करोड़ों रुपए का भार है। अतः, अगर आप इस रियायत को बढ़ा दें तो हमारी राज्य एजेन्सियां, वित्तीय संस्थाओं से रियायती ब्याज दर पर प्राप्त ऋण से चावल खरीद सकती हैं इससे गरीब लोगों को काफी हद तक सहायता मिलेगी। मुझे आशा है मन्त्री जी इससे सहमत होंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस ओर मैं आपका ध्यान

आकर्षित करना चाहता हूं। इस बिल को पढ़ने से माननीय मन्त्री जी के ध्यान में यह आया होगा कि हमारे यहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो जाल पूरे देश में बिछा रखा है, उसके माध्यम से हमारे देश के गरीब और मजदूर लोगों को उचित दर पर खाद्यान्न मिल सके, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। आज इस समस्या के दो पहलू बन गए हैं, एक तरफ तो हम यह देखते हैं कि पर्याप्त अनाज, पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुएं, समय पर राशन की दुकानों में नहीं मिलती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कुछ तो हमारे यहां एसेंश्यल कमोडिटीज का शॉर्टेज होने की वजह से ऐसा होता है और दूसरा कारण यह है कि दुकानदार लोग इन चीजों को ब्लैक में बेच देते हैं। निश्चय ही मैं यह समझता हूं कि ये फेयरप्राइस शॉप वाले ब्लैक मार्केट में सामान बेचते हैं। उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इस सजा का प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि यह इतनी कड़ी हो जिससे उनको डर लगे और उस डर की वजह से वे गड़बड़ न कर सकें। किन्तु साथ में उनका दूसरा पहलू यह भी है कि हम जो माल देते हैं फेयर प्राइस शॉप वालों को, उसमें उसका मार्जिन बहुत कम होता है। हमने उसे गोडाउन पर माल लेने के लिए खड़ा कर दिया, वह सरकार का एजेन्ट है, परन्तु क्या उसको इतना मार्जिन उसमें है कि वह अपनी खुद की रोजी-रोटी कमा सके। यदि उसको कम से कम एक हजार रुपया मिले, तो उसके परिवार का पालन-पोषण हो सकता है। आज यदि कोई दुकान खोलकर बैठता है, तो उसको कम से कम एक हजार रुपया तो मिलना ही चाहिए जिससे वह अपने परिवार की रोजी-रोटी चला सके। यदि हम उसको कम से कम एक हजार रुपया भी नहीं दे पाते हैं, तो नतीजा यह होता है कि वह बेईमानी करता है। यह बात हमारे ध्यान में कई बार आई है।

सभापति महोदय, हम एक फेयर प्राइस शॉप वाले को जो मार्जिन देते हैं, उससे ज्यादा पैसा तो उसका, उस माल को गोडाउन से अपनी दुकान तक लाने में ही खर्च हो जाता है। उसका ट्रांसपोर्टेशन में ही बहुत खर्च आ जाता है, तो फिर बताईए वह कैसे ईमानदारी से गरीब के घर में उसी भाव पर माल बेच सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय मन्त्री जी इस बात पर गम्भीरता से विचार करें। महोदय, इस बिल में प्रॉविजन किया गया है कि जो एसेंश्यल कमोडिटीज दें, वह पूरी मात्रा में दें और वह माल उसकी दुकान तक पहुंचे। यदि उसको 50-100 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है, तो दुकानदार का मार्जिन ट्रांसपोर्टेशन में खत्म हो जाता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जितनी यूनिट हम उसको दें, वे इस बात को ध्यान में रखकर दें कि दुकानदार को कम से कम एक हजार रुपया मिल जाए। यदि ऐसा होगा, तो वह बेईमानी नहीं करेगा। इतना करने के बाद भी यदि कोई ब्लैक मार्केट में सामान बेचता है और बेईमानी करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी और भयंकर सजा दीजिए। यदि एक बार भी वह पकड़ा जाता है, तो उसको कम से कम छः महीने जेल में डालिए, फिर वह एक बार भी बेईमानी नहीं करेगा।

महोदय, इसमें मेरा एक निवेदन है कि इसमें और आइटम भी बढ़ाएं। इन आवश्यक वस्तुओं के साथ ही आप इन दुकानों के माध्यम से कपड़ा, साड़ियां आदि इस तरह की चीजें भी यदि आप इनके माध्यम से दे सकें, तो इससे फेयरप्राइस शॉप वाले की रोजी-रोटी चल सकती है। उसकी इनकम में कुछ बढ़ोत्तरी हो सकती है। महोदय, यदि हमें असेसमेंट करने की आवश्यकता है और यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एसेंश्यल कमोडिटीज नहीं हैं, तो हमने शहरों में यह कायदा यों बना रखा है कि जितने भी नागरिक हैं, यदि कोई भी नागरिक एप्लाई करता है, तो हम उसको राशन कार्ड बनाकर दें, चाहे वह गरीब, मजदूर हो, चाहे वह करोड़पति हो। मेरा निवेदन है कि आपको इसमें सुधार करना चाहिए। इसमें प्रैक्टिकली होता क्या है कि जितने राशन-कार्ड के यूनिट बनते हैं उसमें से 50 परसेन्ट लोग जिनको राशन की आवश्यकता है, वह राशन के लिए चक्कर काटते रहते हैं और जिनको जरूरत नहीं है, जिनकी

इसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर जगह आपने टू-टायर सिस्टम बना रखा है तो ज्यादा पैसे वाले ये चीजें बाहर से लेते हैं और उनका बचा हुआ माल दुकानदार ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। जिसको एक बार ब्लैक मार्केटिंग की आदत पड़ जाती है, उसको कन्ट्रोल करना मुश्किल है और यह अड़चन हर जगह आ रही है, राशन के अफसरों को आ रही है तो इस पर भी हम सबको ध्यान देना चाहिए।

आज बाजार में जो सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है, वह क्वालिटी के बारे में हो रही है। गेहूं का जहां तक सवाल है, हमने नागपुर में इसकी जांच की। मैं मन्त्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कम-से-कम दो तीन तरह की क्वालिटी के गेहूं बाजार में हैं, सुपीरियर भी हैं और इन्फीरियर भी हैं। जो माल आपके गोदाम से सप्लाई होता है, उसमें से मैदा मिल वालों को, फ्लोर वालों को भी होता है और वहीं से राशन के दुकानदार भी माल उठाते हैं। तो होता क्या है ? वहां पर बहुत भ्रष्टाचार होता है। एक्चुअली जो हल्की क्वालिटी का गेहूं है वह प्रासेसिंग करने वालों को फ्लोर मिल वालों को जाना चाहिए, उनके पास सब साधन हैं और वह प्रासेस कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए फ्लोर मिल वाले भ्रष्टाचार करके अच्छी क्वालिटी का गेहूं ले जाते हैं और हल्की क्वालिटी का गेहूं, जो कंजम्पशन के लायक नहीं है, जिसमें शार्टेज भी होती है, वह राशन की दुकानों को दिया जाता है। आम लोगों को इस तरह से हल्की क्वालिटी का गेहूं मिलता है। इस पर भी माननीय मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की गड़बड़ न हों। इस तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, यह मुद्दे की बात है और अहम बात है इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पर्सनली यह बात मेरे चैक में आई है। मैदा मिल वाले इस तरह से बोस्ट करते हैं, जो मजदूर लोग वहां पर काम करते हैं उनसे हमको यह जानकारी मिलती है।

एक तरह का भ्रष्टाचार स्टोरेज में भी होता है। गोदामों में जो माल स्टोर होता है, उसमें सर्टेन परसैंटेज आप कटौती देते हैं। आपका गोदाम का जो मैनेजर होता है उसको भी सर्टेन परसैंटेज अगर माल कम हो गया तो उसको उसकी माफी होती है। एक्चुअली स्टाक की आपके पास चैकिंग नहीं है। यदि दो महीने बरसात हो गई तो हवा की वजह से उसमें 4, 4 परसैंट की इन्क्रीज हो जाती है लेकिन वे लोग जो मायस्चर से इन्क्रीज होती है उसको भी बोरों में से निकाल कर बेच खाते हैं ; मान लीजिए एक परसैंट शार्टेज होती है तो आप 2 परसैंट तक छोड़ देते हैं तो वे लोग उस एक परसैंट माल को भी निकाल कर बेच देते हैं यह आज आपके यहां चलता है। इस पर आपका कन्ट्रोल नहीं है, इस पर कन्ट्रोल करने की जरूरत है।

नुकसान शुरू से ही होता है, जब मंडियों में अनाज खरीदते हैं, तो वहां पर भी गोदाम पर्याप्त नहीं होते हैं, व्यापारी लोग उसे खुले में रख देते हैं और उस पर ट्रिपोलिन डाल देते हैं और अनाज बर्बाद होता रहता है। उसके बाद रेलों से माल जगह-जगह रुकता हुआ अपने डैस्टीनेशन पर पहुंचता है, वहां पर भी आंपन में रेलवे वाले माल उतार कर रख देते हैं और वहां भी नुकसान होता है। उसमें भी बहुत डैमेज होता है और बाद में वह अनफिट फार ह्यूमन कंजम्पशन करके बाजार में बिक जाता है और उसमें भी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। इन सब बातों पर चैक रखने के लिए एक अच्छी मशीनरी आपको बनानी होगी और वह तभी हो सकता है कि जब कुछ ईमानदारी समाजसेवी, कुछ पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव्ज और कुछ अच्छे आफिसर्स हर स्तर पर हों और वह इसे देखें तो निश्चय ही इस तरह की गड़बड़ नहीं हो सकती है। अधिकार प्राप्त इस तरह की समितियां आप हर जगह स्थापित कीजिए तालुका लैवल पर और शहरों में वार्ड लैवल और जिला लैवल पर इस तरह समितियां बनेंगी तो निश्चय ही इस तरह भ्रष्टाचार को यह रोक सकती है।

मेरा यही निवेदन है कि यदि पर्याप्त एसेंशियल कमोडिटीज हमारे पास नहीं हैं तो आपको प्रायर्टी गरीब और वीकर सैक्शन को देनी चाहिए। आप एसेस कीजिए कि आने वाले वर्ष में क्या परिस्थिति रहेगी और इनकम की बेसिस पर जिनकी ज्यादा इनकम है उनको आप राशन कार्ड न दें। वे ऐसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई बाजार से ले सकते हैं अगर किसी की 1000 रुपये का खर्च है तो वह 1100 रुपये खर्च कर सकता है और वह 10 परसैंट ज्यादा खर्च करके मार्केट से अच्छी चीज ले सकता है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परन्तु गरीब वंचित न रह जाए। आज होता है कि गरीब आदमी को समय पर आवश्यक वस्तुयें नहीं मिलती हैं और वह दुकान के कई चक्कर काटता है। जब गेहूं मिल जाता है तो शक्कर उसे नहीं मिल पाती है। आपको ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे उसे एक बार में ही गेहूं, चावल, शक्कर और कैरासिन ऑयल आदि मिल सकें। यह एक बार गेहूं लेने के लिए और दूसरी बार चावल लेने के लिए और तीसरी बार शक्कर लेने के लिए लाईन में खड़ा होता है। इससे ह्रासमेंट होता है। आपको चाहिए कि आप महीने के शुरू में या महीने के मध्य में सारी राशन की दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करें। इससे एक मजदूर जिसको कि एक तारीख को तनख्वाह मिलती है, उसे सारी चीजें उसी दिन मिल सकेंगी। इससे उसका समय भी बचेगा और उसे कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा। आज परिस्थिति यह है कि एक मजदूर के पूरे 30 दिन दुकान के चक्कर काटने में ही लग जाते हैं। कभी तेल, कभी शक्कर, कभी गेहूं और कभी चावल लेने में उसका व उसके परिवार का परिश्रम चला जाता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पुरोहित सच यह है कि गरीब लोगों के पास पूरे महीने का सारा राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सर्टेनली सर, वही जैनरेट करने का एक हिस्सा है। परन्तु वह चीजें गांवों में रहनी चाहिए। हमारा अनुभव यह है कि उनको आवश्यक चीजें लेने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं और लम्बी लाइनों में लगना पड़ता है। एक दिन कैरोसिन आयल मिलता है, फिर तीन दिन के बाद गेहूं मिलता है, फिर चार दिन के बाद शक्कर मिलता है। आप चाहें तो इसको दो हिस्सों में कर दें या फिर विकली कर दें। परन्तु एक साथ आवश्यक वस्तुएं उन्हें मिलनी चाहिए। इतना ही मेरा निवेदन है।

यह एक बहुत अच्छी योजना है। माननीय सदस्य ने यह जो बिल रखा है और जो बातें इसमें दी हुई हैं वे सब माननीय मंत्री जी की तरफ से आनी चाहिए थी। मेरा मंत्री जी से यही निवेदन है कि वह इस बिल को मंजूर कर लें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे विचार से इस विधेयक के लिए दिया गया समय लगभग समाप्त हो गया है। क्या हम इस विधेयक के लिए समय बढ़ाएं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : ठीक है। प्रथम, हम एक घंटे का समय बढ़ाते हैं। इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

5.00 म० प०

***श्रीमती बसवराजेश्वरी** (बेल्लारी) सभापति महोदय, मैं श्री बासवराजु द्वारा प्रस्तुत उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक का समर्थन करती हूं।

स्वतन्त्रता के समय हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था। उस समय हमारे देश ने संयुक्त राज्य अमरिका से खाद्यान्न भेजने का अनुरोध किया था। हमने अपनी आंखों से लोगों को अनाज की कमी का सामना करते हुए देखा है। अब स्थिति अलग है। कुछ वर्ष पूर्व, देश के बहुत से भागों में सूखा पड़ा था। फिर भी देश में खाद्यान्न की समस्या नहीं थी। हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार हैं और हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, चाहे बाढ़ आए या सूखा पड़े। यह किसानों की मेहनत का फल है जिससे हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं। इसलिए खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता का सारा श्रेय इस देश के किसानों का दिया जाना चाहिए। हमने उचित दर की दुकानों के माध्यम से लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल उद्देश्य देश के गरीब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे दुःख है कि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक राजनीतिक वितरण प्रणाली बन गई है। स्थानीय पार्टी के सदस्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। वे अपनी जान पहचान के लोगों को उचित दर की दुकानों के लाइसेंस दिलाते हैं और काफी बड़ी धनराशि इकट्ठी करते हैं जिसे अपनी पार्टी की गतिविधियों और चुनावों के लिए इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोगों को इन उचित मूल्य की दुकानों से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को कार्यकुशलता व भली प्रकार चलाने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। कर्नाटक में शहरों में इस प्रणाली को जिला परिषदें देख रही हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रणाली के प्रभारी अधिकारीगण हैं। राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दोहरी प्रणाली है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। समूचे देश में केवल एक प्रकार की प्रणाली होनी चाहिए। जो लोग लाइसेंस जारी करते हैं उन्हें निरीक्षण भी करना चाहिए। उन लोगों के लाइसेंसों को तुरन्त रद्द कर दिया जाना जो कदाचारों में शामिल हैं।

खरीद की प्रक्रिया में भी सुधार किया जाना चाहिए। मूल्यों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। खाद्यानों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। खाद्यानों और अन्य आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को हमेशा के लिए रोका जाना चाहिए। खरीदे गए खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले खाद्यान्न एक जैसे होने चाहिएं। गरीब गांववालों को तोल में धोखा दिया जाता है। इसकी शीघ्र जांच की जानी चाहिए।

गांववालों के पास उचित मूल्य की दुकानों को चलाने के लिए धन नहीं होता। वह व्यापारियों से सम्पर्क करते हैं तथा आबंटन हेतु उनसे आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। इसलिए वह हमेशा नैतिक रूप से व्यापारी के अधीन रहेगा अतः जिस व्यापारी सेउसने वित्तीय सहायता प्राप्त की थी वह उसे राशन भेजता है। उसके बाद बाकी का राशन उचित मूल्य की दुकान पर लाया जाता है। जो राशन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया जाता है वह तीन चार महीने तक उन विशेष उचित मूल्य की दुकानों पर नहीं पहुंचता। इसकी बिक्री शहरों और कस्बों में की जाती है लेकिन राशन गांवों में नहीं पहुंचता

*मूलतः कन्नड़ में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है। इसलिए सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि आबंटित वस्तुएं जितनी जल्दी हो सके सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानों पर पहुचें। यदि कोई मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं, तब उचित दर की दुकानों पर नियमित बिक्री होती है। अन्यथा वास्तविक बिक्री केवल शहरों में ही होती है। यह व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। गांवों में समाज के एक वर्ग को ही इन दुकानों से लाभ पहुंच रहा है। शिक्षित और अन्य जानकार लोगों को इन उचित दर की दुकानों से लाभ पहुंचता है। ग्रामीण जनसमुदाय, जो ज्यादातर भोले और अनभिज्ञ हैं, की उपेक्षा की जाती है। एक समय मैंने सरकार से सर्वेक्षण करके ऐसे लोगों का पता लगाने की अपील की थी। इन लोगों को इस प्रणाली से लाभान्वित किए जाने की जरूरत है और इन्हें आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाना चाहिए। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चावल 2 रुपये प्रति किलो बिकता है तो खुले बाजार में चावल की कीमत छह रुपये भी हो सकती है। गरीब लोगों के लिए यह संभव नहीं है कि वह यह कीमत दे पायें। इसलिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रणाली का विस्तार किया जाना चाहिए अन्यथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अपने उद्देश्य की प्रगति में सफलता नहीं मिलेगी। थोक बिक्री और खुदरा बिक्री में अंतर है। एक क्विंटल चीनी थोक में खरीदी जाती है वह चीनी खुदरा बिक्री में बेची जाती है। यह स्वाभाविक है कि खुदरा बिक्री के समय बेचते हुए कमी होगी कमी की इस समस्या को भी सरकार द्वारा देखा जाना चाहिए और सुधार के उपाय किए जाने चाहिए।

प्रत्येक राज्य में चीनी की मिलें हैं। लेकिन कर्नाटक में उत्पादित चीनी को महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में उत्पादित चीनी को कर्नाटक भेज दिया जाता है। इससे परिवहन के खर्चों के रूप में भारी हानि होती है। इसलिए जहां तक संभव हो हमें देखना चाहिए की एक क्षेत्र विशेष या राज्य में उत्पादित वस्तु का वितरण उसी क्षेत्र में होना चाहिए। इससे परिवहन पर होने वाले खर्चे समाप्त हो जाएंगे। श्री वासवराजू ने 3 या 4 अच्छे सुझाव दिए हैं। राज्यों के स्तर पर और जिला स्तर बोर्ड का गठन होना चाहिए। इन बोर्डों के पास अधिकार होने चाहिए और उन्हें उचित वितरण, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के मामले देखने चाहिए।

केरल और अन्य दक्षिणी राज्यों में ज्यादातर लोग चावल खाने वाले हैं। उत्तर के राज्यों में गेहूं ही मुख्य खाद्यान्न है। महाराष्ट्र में ज्वार मुख्य खाद्यान्न है। यदि किसी खाद्यान्न की कमी है तो लोगों को उसी खाद्यान्न के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। यदि वह अड़े रहेंगे तो इससे काला बाजारी को बढ़ावा मिलेगा। इस सम्बन्ध में लोगों को अन्य खाद्यान्न इस्तेमाल करने के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग ज्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं और अन्य को चीनी अधिक पसंद है। हमारी खाने की आदतों में लचीलापन होना चाहिए। यदि इसमें लचीलापन नहीं होगा तो हम बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा गंवा बैठेंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर बोर्डों का गठन किया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तुएं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित् की जाती हैं उनके मूल्य समूचे राष्ट्र में एक जैसे होने चाहिए। आज हम देखते हैं कि कर्नाटक में कुछ मूल्य और आन्ध्र प्रदेश में कुछ। इस प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए और समूचे राष्ट्र में एक समान मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए।

स्वर्गीय इंदिराजी के शासनकाल के शुरू में हमने अमरीका से खाद्यान्न मंगाए थे। कुछ ही समय के अंतराल में हमारी स्वर्गीय इंदिराजी के नेतृत्व में राष्ट्र में हरित क्रांति हुई। उन्होंने किसानों को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया और आज हम खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हैं अपितु अन्य देशों को भी खाद्यान्न दे रहे हैं।

दो वर्ष पूर्व हमारे राष्ट्र में भारी सूखा पड़ा था। नौ राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए थे। यहां तक कि उस संकट की घड़ी में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी। यह केन्द्र में अच्छे प्रशासन की वजह से और आवश्यक वस्तुओं के उचित वितरण से संभव हो सका।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री सार्वजनिक वितरण-प्रणाली में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाएंगे। अभी तक इस क्षेत्र में उन्होंने अच्छी सेवा दी है और मुझे आशा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करेंगे इससे लोगों को, विशेषकर उन लोगों को जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, बेहतर जीवन यापन में मदद मिलेगी। सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रहाद योगेश (चतरा) : सभापति जी, मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए धन्यवाद। सदन में चार दिनों तक हंगामा रहा, उससे लगता है कि नीम खाने के बाद उसका स्वाद मालूम हो जाता है। सदन से बाहर जिन लोगों ने सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, उससे विरोधी पार्टी की छवि उजागर हो जाती है कि किस तरह से लोकतन्त्र की परम्परा को नष्ट करने पर ये उतारू हैं। चार दिनों से कोई कार्यवाही न चलने से सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है और इसके दोषी विरोधी दल के लोग हैं।

सभापति महोदय, आज का यह जो गैर-सरकारी बिल आया है, इसके लिए मैं श्रीमान् बसवराजू जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जनहित से जुड़ी हुई समस्या को सदन के सामने रखा है और बड़ी समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है. इसका आम लोगों को विशेष लाभ होगा। कालाबाजारी की चर्चा अक्सर होती है, सप्लाई को लेकर, डिमांड को लेकर। इस काला-बाजारी का जन्म-दाता भारत है। प्रथम विश्व युद्ध में जबकि दुनिया के देशों में अनाज की कमी हुई और दूसरे खाद्य पदार्थों की कमी होने के कारण राशनिंग सिस्टम शुरू किया गया और वहां पर यह सिस्टम बहुत सफल हुआ, लेकिन भारत में जब राशनिंग सिस्टम इन्ट्रोड्यूज किया गया तो भारत में काला बाजारी का सर्वप्रथम जन्म हुआ और तभी से यह समस्या बनी हुई है। हालांकि हम काफी संघर्ष इसके खिलाफ कर रहे हैं। जब तक देश की वितरण प्रणाली चुस्त और व्यावहारिक नहीं होगी तब तक आम लोगों की समस्याओं का निदान नहीं होगा। गरीबी हटाने की दिशा में जन वितरण प्रणाली की कारगर भूमिका होगी और इसको सही और ठोस रूप देने की आवश्यकता है। इसलिए इसके कुछ मूल कारणों की ओर ध्यान देना होगा।

हमारे देश की भौगोलिक स्थिति विभिन्न प्रकार की है, तरह-तरह के मौसम हैं और विभिन्न इलाकों में विभिन्न खाद्य पदार्थ बहुतायत से पैदा होते हैं, किन्तु उनका मूवमेंट और वितरण समानरूप से किये जाने, दूसरी जगह ले जाने का वैज्ञानिक तरीका ढूंढ निकाला जाए तो हमारी समस्याओं का निदान हो सकता है। जैसे पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गेहूं तथा दूसरे खाद्य-पदार्थों का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, उसके मुकाबले में पठारी इलाकों में, औद्योगिक तथा शहरी इलाकों में गेहूं बड़ी मात्रा में पैदा नहीं होता। यह ऐसा अन्न है जिसको सभी लोग समानरूप से ग्रहण करते हैं और सस्ता भी पड़ता है, इसलिए गेहूं और दूसरे खाद्य पदार्थों का जो मूवमेंट है वह समानरूप से, अबाधगति से होना चाहिए और इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। ऐसे राज्यों में जहां पर यह

बहुतायत से पैदा होता है वहां से इसको ले जाने पर रोक नहीं लगानी चाहिए। यह हकीकत है, जैसा कि दूसरे साथियों ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में काफी गेहूं होता है और गेहूं का स्टाक रहता है, स्टाक पड़ा-पड़ा सड़ जाता है, उसका मूवमेंट समय पर न होने की वजह से वह लोगों को नहीं मिलता। इसका कारण मूवमेंट का सही ढंग से न होना और वितरण में असुविधा है। यह स्वाभाविक है कि अगर किसी जगह किसी चीज का अभाव बना रहेगा तो कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो लेवी की परम्परा है, जिन इलाकों में या प्रान्तों में किसी खाद्यान्न का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, वहां पर दुकानदारों से लेवी ली जाती है, उससे भी उसकी कीमतों में वृद्धि होती है और। इसमें दुकानों की कीमतों में तथा फेयर प्राइस शाप्स की कीमतों में काफी फर्क होता है।

फेयर प्राइस शाप्स के खाद्यान्नों को ब्लैक मार्किट में बेचने में उसके प्राफिट का जो मारजीन है, वह उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। यह एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मार्किट प्राइस और जन वितरण प्रणाली के दामों में बहुत ज्यादा अन्तर नहीं आना चाहिए। हर हालत में इनके दामों में बहुत कम फर्क होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उन शहरी इलाकों की ओर भी दिलाना चाहूंगा जहां आबादी घनी है और झुग्गी-झोंपड़ियों में लोग रहते हैं। दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में काफी लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। जिनके पास राशन कार्ड होते हैं उनके कार्डों को राशन की दुकानवाला दुकानदार रख लेता है और मनमाने ढंग से गरीबों को अनाज देता है। जितना चाहते हैं देते हैं और जब नहीं देना चाहते तो नहीं देते। चीनी तथा अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की सप्लाई भी नहीं करते हैं। दूकान वाला उनके कार्ड रखकर कहता है कि तुम्हारे बच्चे यहां नहीं हैं और उनकी उम्र में कटौती कर लेता है और इस तरह उनके बच्चों के राशन को ब्लैक मार्किट में बेचा देता है। इस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। निगरानी रखने के लिए माननीय बसवराजेश्वरी जी ने जो सुझाव दिया है, उससे असहमति नहीं है। प्रखण्ड के स्तर पर निगरानी कमेटीज बना हुई हैं और कुछ निगरानी होती भी है। इसके बावजूद भी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। अभी पुरोहित जी बता रहे थे कि फेयर प्राइस शाप्स के दुकानदार को कुछ इस तरह से हिसाब रखना होता है कि अगर वह ईमानदारी से काम करे तो प्राफिट का मारजीन नहीं के बराबर होता है इसलिए कोई भी मुफ्त में काम करना नहीं चाहेगा। इससे निश्चित रूप से उसको गलत काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। कम मारजीन होने से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार करेगा और दूसरे को भी भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करेगा। भ्रष्टचार का माध्यम बने रहने से आप लोगों के लिए कठिनाई बनी रहेगी। निगरानी कमेटी में जनप्रतिनिधि हों, उसके लिए कोई एतराज नहीं है लेकिन जो कार्ड होल्डर्स हैं उन कंज्युमर्स में से कमेटी बने और जो महीने में कम से कम एक बार छानबीन करे और लोगों से पूछताछ करे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। जहां पर आबादी घनी नहीं है और स्कैटर्ड हैं वहां निश्चित रूप से दो-दो, तीन-तीन मील की दूरी पर फेयर प्राइस शाप के लिए जाना पड़ता है। इस वजह से गरीब आदमी का सारा दिन तो अनाज लाने में ही निकल जाता है जबकि वह प्रतिदिन की मजदूरी पर गुजारा करता है, उसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई है। जहां पर बाजार लगते हैं वहां पर बाजार के दिनों में मोबाइल फेयर प्राइस शाप का प्रबन्ध हो जिससे गरीबों को न केवल राशन बल्कि अन्य आवश्यक चीजें जैसे मस्टर्ड आयल आदि भी मिल सके क्योंकि ऐसी चीजों के लिए देहात के लोगों को मार्किट में काफी कीमत देनी पड़ती है। ऐसी चीजों की आपूर्ति के लिए मोबाइल फेयर प्राइस शाप की बहुत आवश्यकता है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि जन वितरण प्रणाली के अन्दर

केवल राशन या चीनी ही नहीं, बल्कि कपड़ा भी मिले। क्योंकि कपड़ा भी अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ मिलने पर उसे सुविधा हो जायेगी। उसे एक जगह जाने पर ही अपनी सारी आवश्यकता की वस्तुएं मिल जायेंगी और उसको इससे सहूलियत होगी।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह एक व्यापक विधेयक लाएं जिस पर विचार हो और जिसे समूचे राष्ट्र के लाभ के लिए पारित किया जाये। मैं उनके ध्यान में अपने राज्य की कुछ बातें लाना चाहूंगा जिसकी उन्हें अच्छी जानकारी है। आज पश्चिम बंगाल के सभी समाचारपत्रों में एक समाचार श्री गनी खां चौधरी के फोटोग्राफ के साथ छपा है। श्री गनी खां चौधरी सचिवालय में हमारे मुख्य मंत्री से मिले। मुख्य मंत्री ने उन्हें सादर आमन्त्रित किया था और उन्हें चावल के नमूनों के तीन पैकेट दिये जोकि पश्चिम बंगाल की उचित-दर की दुकानों द्वारा दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि मेरा राज्य राष्ट्र में जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है। यह अच्छा होगा कि जिस भूमि पर चावल उगाया जाता है उसका इस्तेमाल जूट उगाने के लिए किया जाएं यह एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। यह एक सच्चाई है जिसे मैं भी स्वीकार करता हूं और जो समाचारपत्रों में भी छपी है हालांकि चावल का रिकार्ड उत्पादन हुआ है तथापि वसूली संतोषजनक नहीं हो पायी है···(**व्यवधान**) आपका राज्य सरकार के साथ झगड़ा हो सकता है। हमारे खाद्य मंत्री श्री निर्मल बसु नमूने देखने के लिए भारतीय खाद्य निगम के कुछ गोदामों में गये थे। कुछ कांग्रेस (आई०) के लोगों ने पूछा था कि वह उनके गोदामों में ही क्यों आएं हैं और उन्हें राज्य के गोदामों में भी जाना चाहिए और उन्होंने कहा कि वहां भी उन्हें ऐसे ही खराब किस्म के चावल मिलेंगे। इस तरह की बातें चलती रहती हैं। लेकिन वास्तव में न केवल कलकत्ता शहर अपितु अर्ध-शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चावल, गेहूं और किसी भी किस्म का तेल उपलब्ध नहीं है। उन्हें केवल चीनी और मिट्टी का तेल मिलता है। जहां तक अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है कलकत्ता के लोगों को कुछ वस्तुएं मिलती हैं लेकिन संशोधित राशन क्षेत्रों को केवल चीनी और मिट्टी का तेल ही मिलता है। उन्हें चावल दो-तीन महीनों में एक बार मिलता है। सारी चीज खुले बाजार पर निर्भर है। यह एक बहुत ही खराब स्थिति है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। आप इसे कैसे करेंगे ? क्या सारा दोष राज्य सरकार पर मढ़ कर और राज्य सरकार द्वारा सारा दोष आप पर मढ़ कर समस्या का समाधान हो सकता है। आखिरकार जनसामान्य को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमें मिल-जुलकर संयुक्त प्रयास से इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : इसका शीघ्र ही समाधान खोजा जाना चाहिए। राज्य और केन्द्र सरकार को मिलजुलकर इस पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए···(**व्यवधान**) जब भी कोई वाजिब कारण हो हम सबको एक हो जाना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : एक अन्य बात जो मैं सुखराम जी के ध्यान में लाना चाहूंगा वह यह है कि तस्करी द्वारा बड़ी संख्या में चावल पश्चिम बंगाल से बंगलादेश जा रहा है।

[हिन्दी]

राईस का स्मलिंग होता है···(**व्यवधान**) तुम कहां बैठे हो, आखिर सैंट्रल गवर्नमैंट क्या देखता है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सीमा सुरक्षा बल का नियन्त्रण हमारे पास नहीं है। मैं केवल सच्चाई बता रहा हूं। बंगलादेश में चावल 20 रुपये प्रति किलो है और पश्चिम बंगाल में 4.5 रुपये या 5 रुपये प्रति किलो। तस्करी को तो बढ़ावा मिलेगा ही। हम दिल्ली, बंगलौर या मद्रास में तस्करी का माल कैसे पाते हैं? तस्करी के माल की आवाजाही जारी है। यह कोई नई बात नहीं है यह एक राष्ट्रीय समस्या है। बंगलादेश में चावल की कमी है। वास्तव में वहां कई चीजों की कमी है। कई चीजें आनी है और कई चीजें जातीं हैं। कम-से-कम आज जब हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं, चावल की तस्करी रोकी जानी चाहिए।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : और राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं है।

श्री नारायण चौबे : आप उनके साथ बैठिये। आप राज्य सरकार पर आरोप लगाते हैं और वह आप पर इससे समस्या नहीं सुलझेगी। राज्य सरकार इन सब मामलों, तस्करी को रोकना इत्यादि, में आपकी मदद करेगी।

अब खाद्य तेल को लीजिए। मैं नहीं जानता किस दिन आप उचित दर की दुकानों पर खाद्य तेल पायेंगे। हम इसको भूल गए हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है। इसके बाद गुणवत्ता को लीजिए। दूसरी ओर के मित्रों ने गुणवत्ता के बारे बिलकुल ठीक कहा है, इसमें कैसे हेरा-फेरी की जाती है। अच्छी किस्म का जो माल उचित दर की दुकानों को दिया जाता है उसे निजी दुकानदारों के पास ले जाया जाता है और वह इसे घटिया माल से बदल देते हैं। यह वस्तु-स्थिति है। इसके लिए, निगरानी समितियों का सुझाव अच्छा और समझदारीपूर्ण है। यदि इसे लागू किया जाए तो इसे नियन्त्रण में इससे बड़ी मदद मिलेगी।

राशन कार्ड के बारे में उन्होंने सही कहा है। गरीब व्यक्ति का राशन कार्ड उसके घर में नहीं रहता वह तो राशन की दुकान पर रहता है जिसे उसका मालिक रखता है। नागपुर से कुछ लोग आए कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति जाए तो उसे एक ही बार में सारा समान मिल जाए। लेकिन अन्य क्षेत्र भी हैं जहां गरीब और उत्पीड़ित लोग रहते है। वह सप्ताह में दो बार राशन की वस्तुएं खरीदने की सुविधा चाहते हैं। जब वह जाते हैं तो उनके पास केवल चावल खरीदने के पैसे होते हैं। उस समय दुकान मालिक कहता है कि यदि वह चावल लेते हैं तो बाद में उन्हें अन्य सभी चीजें चीनी इत्यादि नहीं मिलेगी। इसे रोकने के लिए आपको उन लोगों को सप्ताह में दो बार राशन खरीदने की सुविधा देनी चाहिए। मैं जानता हूं, यह बहुत कठिन है। कठिनाई यह है कि राशन की दुकानें पूरे सप्ताह में दो-तीन दिन ही खुली रहती हैं। वह शनिवार और रविवार को खुली रहती हैं। एक दिन कुछ लिपिकीय कार्य किया जाता है, फिर वे तहसील या जिला मुख्यालयों में जाते हैं, फिर उन्हें कोई चलान दिया जाता है और सामान उठाने में तीन-चार दिन लग जाते हैं। स्वाभाविक है कि गांवों में राशन की दुकानें पूरे सप्ताह में दो-तीन दिन ही खुलती हैं।

सभापति महोदय : सभी जगह ऐसी बात नहीं है। हमारे राज्य में तो ये दुकानें पूरे छः दिन खुली रहती हैं।

श्री नारायण चौबे : केरल एक अपवाद है। केरल के लोग इन कामों को बहुत अच्छी तरह

अनेक वर्षों से करते आए हैं। लेकिन मैं आपको बतलाता हूं कि मेरे राज्य में गांवों में राशन की दुकानें सिर्फ एक या दो दिनों के लिए खुलती हैं। ऐसे स्थान भी हैं जहां एक क्षेत्र में 25,000 लोग रहते हैं लेकिन राशन कार्ड की यूनिटें 40,000 हैं अर्थात् एक विशेष क्षेत्र की आबादी से अधिक यूनिटें हैं। अतः इसे कैसे रोका जाये ? इस प्रकार से राशन की दुकान वाले मुनाफा कमाते हैं। राशन की दुकान वाले बहुत अधिक अमीर लोग नहीं होते हैं लेकिन वे सभी प्रकार की काला बाजारी में शामिल होते हैं। आप बहुत आसानी से मुनाफे का हिसाब लगा सकते हैं। आप दुकान का किराया, उन्हें मिलने वाले कमीशन तथा परिवहन खर्चे को लीजिए तथा मुनाफे का हिसाब लगाईये। आप 300 रुपए प्रतिमाह का मुनाफा भी नहीं दिखला सकते हैं। अतः वे जाली राशन कार्डों द्वारा मुनाफा कमाने का उपाय करते हैं।

सभापति महोदय : अधिकांश बातें आप जो कह रहे हैं वह राज्य सरकार के समक्ष कही जानी चाहिए।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, उन्हें उस सरकार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। यही समस्या है।

श्री नारायण चौबे : महोदय, यह बात नहीं है। चाहे यह एक विशेष राज्य अथवा केन्द्र की समस्या रही हो, लेकिन यह देश की आम जनता की समस्या है। चूंकि आपका राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा इन चीजों का प्रबन्ध अधिक बेहतर ढंग से कर रहा है, आप यह मत कहिये कि यह समस्या है ही नहीं। यदि आप बिहार में जायें तो पायेंगे कि लोग वहां राशन के बारे में जानते ही नहीं हैं। मेरे राज्य में कम से कम लोग जानते हैं कि राशन की दुकानें होती हैं, अनेक ऐसी जगह भी हैं जहां लोग इनके बारे में जानते भी नहीं हैं। दुकान वाले चाहें वे अमीर हो या गरीब, वे जमींदारों की तरह व्यवहार करते हैं और वे अक्सर कह देते हैं कि दुकान में कोई सामग्री नहीं है। लोग यह नहीं जानते हैं कि किसके पास शिकायत करनी है। यह स्थिति सिर्फ एक राज्य की नहीं है, यह स्थिति देश के अनेक भागों में है। आपका राज्य, केरल एक अपवाद है। अतः आपको इस बात पर ध्यान देना है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए।

मैं आपको परामर्श दूंगा कि इस बारे में आप कृपया एक विधेयक लायें और मेरे राज्य की समस्याओं का समाधान करें जिनका जिक्र मैंने अभी-अभी किया है। आज एक प्रकार का प्रचार युद्ध चल रहा है और मैं कहूंगा कि आप कृपया राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच, भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के बीच तथा राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चलने वाले इस प्रचार युद्ध को रोकें। आप कृपया पश्चिम बंगाल में पर्याप्त खाद्यान्न विशेषकर चावल और गेहूं की सप्लाई करने की व्यवस्था करें क्योंकि वर्षा ऋतु आ रही है, पूजा की छुट्टियां होने वाली हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन सब बातों पर विचार करेंगे। मैं किसी द्वेष की भावना से इन बातों को नहीं कह रहा हूं, मैं उत्तरदायित्व की भावना से इन बातों को कह रहा हूं।

***श्री बी० कृष्ण राव** (चिकबल्लापुर) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री जी०एस० वासवराजु द्वारा प्रस्तुत उचित दर दुकान (विनियमन) विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ कुछ उपयुक्त सुझाव देना चाहूंगा।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

एक समय था जब देश के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था। हम खाद्यान्न का आयात किया करते थे। स्वतन्त्रता के बाद विशेष रूप से हमारी स्वर्गीय नेता इन्दिरा जी के योग्य प्रशासन के अन्तर्गत खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों के मामले में हम आत्म-निर्भर हो गए हैं तथा हम विभिन्न देशों को खाद्यान्न का निर्यात भी कर रहे हैं। इसके बावजूद खाद्यान्नों का वितरण विशेषरूप से गांवों के गरीब लोगों में संतोषजनक नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनेक त्रुटियां हैं। जैसाकि मेरे कुछ मित्रों ने पहले ही कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी निःस्वार्थ व्यक्तियों को उठानी चाहिए। जब तक कि ऐसा नहीं किया जाता है इस सम्बन्ध में होने वाली विभिन्न परिचर्चाओं, भाषणों, नारों आदि का कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत हमारी सरकार 2000 करोड़ से अधिक रुपए की सहायता दे रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह सहायता देश के उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है जो देश के दूर-दराज के हिस्सों में रहते हैं।

मैं गांव का निवासी रहा हूं। मुझे ग्राम पंचायत का व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त है। इन गांवों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। नगरों और शहरों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हैं। नगरों और शहरों में लोगों को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्रियां वितरित की जाती रही हैं। गांवों में यह व्यवस्था सिर्फ नाम के लिए ही है। इन उचित दर दुकानों से लोग जरा भी लाभान्वित नहीं होते हैं। मैं पूरे उत्तरदायित्व के साथ यह बयान दे रहा हूं, गांवों और नगरों में इस व्यवस्था में अन्तर क्यों है।

संसद में पंचायत विधेयक प्रस्तुत कर हमारे प्रधानमन्त्री ने साहसिक कदम उठाया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पंचायतों को अधिकार प्रदान करना है। ग्रामीण पंचायतों में समितियां गठित की जा सकती हैं तथा सभी आवश्यक सामग्रियों के उचित वितरण की जिम्मेदारी इन समितियों को सौंप दी जानी चाहिए। तब ही ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावकारी ढंग से कार्य कर सकती है।

अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न पांच या छः महीनों तक उचित दर दुकानों में नहीं पहुंचते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर दुकानों में खाद्यान्नों की सप्लाई के सम्बन्ध में उन नगरों और कस्बों में इन्दराज किए जाते हैं तथा रसीदें काटी जाती हैं जहां कि अनाज के डिपो हैं। इस तरह से ग्रामीण लोगों को धोखा दिया जाता है। हमारे माननीय मन्त्री को यह हेराफेरी रोकनी चाहिए। जैसाकि विधेयक में जिक्र किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संतोषप्रद ढंग से कार्य करने के लिए ताल्लुक, मंडल और राज्य स्तर पर बोर्डों की स्थापना करनी होगी। इसके लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाना चाहिए तथा हेराफेरी करने वाले व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। हमारे यहां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। मैं माननीय मन्त्री महोदय श्री सुखराम जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में कितने लोगों को इस उपभोक्ता संरक्षण नियम के अन्तर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है। इस देश में अनेक सहकारी समितियां हैं। इनमें से कितनी उचित ढंग से काम कर रही हैं? यह सरकार को सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानों में सभी सामान पहुंच जाए। खाद्यान्नों के सम्बन्ध में जैसे ही विधेयक तैयार हो जाए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये अपने निश्चित दुकानों में शीघ्र पहुंच जायें। मैं नहीं जानता हूं कि पामोलिन के टीन कहां चले जाते हैं। गांवों के लोगों के लिए यह एक दुर्लभ सामग्री है। ग्रामीण इलाकों में स्थित उचित दर दुकानों को

आबंटित सारा माल ही करीब-करीब काले बाजार में चला जाता है। इसका शीघ्र समाधान करना होगा। लाइसेंस जारी करते समय लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप उचित दर दुकान चलाने वाले व्यक्ति की क्षमता हमें आंक लेनी चाहिए।

देश में खाद्यान्नों, चीनी, खाद्य तेल आदि में भारी पैमाने पर मिलावट हो रही है। यहां तक कि औषधियां भी मिलावट से नहीं बच पाई हैं। ऐसा करने वाले व्यक्तियों को फांसी दे देनी चाहिए। मिलावट करने की प्रवृत्ति को सिर्फ कठोर दण्ड देकर ही रोका जा सकता है।

मिट्टी का तेल लेने के लिए लोगों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही लम्बी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा काला बाजारी के कारण हो रहा है। काला बाजारी को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने का सरकार के पास यही समय है। प्रत्येक राज्य में सतर्कता विभाग की एक शाखा होनी चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, कपड़े, साबुन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित दर की दुकानों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा बिचौलियों को पूरी तरह हटा देना चाहिए। उचित दर की दुकानों की कार्य प्रणाली की देख-रेख करने के लिए मंडल स्तर, जिला स्तर आदि पर समितियां गठित की जानी चाहिए। इन समितियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को प्रतिनिधित्व अवश्य दिया जाना चाहिए।

उन गोदामों की क्या स्थिति है जो आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण के लिए बने हैं। खाद्यान्न तथा अन्य सामग्रियां इन गोदामों में सड़ रहे हैं। यहां तक कि सुअर और मवेशी भी इन खाद्यान्नों को नहीं खाते हैं। इन गोदामों की उचित देख-रेख करनी होगी।

अब मैं कर्नाटक राज्य से सम्बन्धित कुछ तथ्यों को माननीय मन्त्री के ध्यान में लाना चाहूंगा। वहां 36 लाख "ग्रीन-कार्ड" धारी व्यक्ति हैं। 26 लाख करीब "येलो-कार्ड" धारी हैं। फरवरी 1988 तक केन्द्र 60,000 टन चावल की सप्लाई कर्नाटक को कर रहा था। अब यह मात्रा कम करके 40,000 टन कर दी गयी है। इसी प्रकार 25,000 टन से घटा कर 15,000 टन करके गेहूं की सप्लाई में भी भारी कमी कर दी गई है। खाद्य तेल की मात्रा 1300 टन से घटकर सिर्फ 600 टन हो गयी है। कर्नाटक को दी जाने वाली चीनी की मात्रा केवल 18,000 टन है। कर्नाटक राज्य में इन सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में कमी किए जाने के सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा। कर्नाटक राज्य ने क्या गुनाह किया है जिसके कारण वहां आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में इतनी कमी कर दी गयी है। मैं माननीय मन्त्री से आग्रह करता हूं कि अगले माह से वहां चीनी की सप्लाई बढ़ाकर कम से कम 25,000 टन कर दी जाए। कर्नाटक में मिट्टी तेल की मात्रा में वृद्धि करना बहुत ही आवश्यक है। यह मात्रा कम से कम 45,000 किलो लीटर होनी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री से पूरे देश में गोदामों के रख-रखाव पर ध्यान देने का अनुरोध भी करता हूं।

इस सामान्य सभा में यह रचनात्मक विधेयक लाने के लिए मैं माननीय सदस्य श्री जी० एस० वासवराजु को बधाई देता हूं और उनके साहसिक राजनीतिक कदम के लिए उन्हें शुभ कामना देता हूं।

महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि सरकार की सफलता एवं सरकार की विफलता उसके कामों के द्वारा अच्छी तरीके से आंकी जा सकती है। जहां पर उचित मूल्य की दुकानें सुचारू रूप से तथा कारगर ढंग से कार्यरत है, तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को जाता है। जहां इसके विपरीत हैं, तो उसका असर वहां की सरकार को जाता है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि अपना देश विशाल देश है और इस विशाल देश में अनेक खाद्यान्न की उपज अनेक स्थानों पर होती है तथा उसका वितरण बड़े ही अच्छे ढंग से इन उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से किया जा सकता है। जहां-जहां पर, ये अच्छी तरीके से कार्य कर रही हैं, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं, लेकिन इसी के साथ-साथ इस व्यवस्था में विसंगतियां भी हैं, जिनके बारे में मैं सरकार का ध्यान बड़ी विनम्रतापूर्वक आकर्षित करना चाहता हूं। चूंकि समय कम हैं, इसलिए मैं बड़े ही सारांश में अपनी बात निवेदन करना चाहता हूं। सरगुजा जिला मध्य प्रदेश का एक डैफिसिट एरिया है, जहां वितरण प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। इसलिए यह बताना आवश्यक होगा कि सरगुजे की मांग 36 हजार मिट्रिक टन खाद्यान्न की है, लेकिन उसको आवंटन 12 हजार मिट्रिक टन किया जाता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो केवल 4 हजार मिट्रिक टन ही वहां पर उपलब्ध हो पाता है, जोकि अंत में जाकर उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से गरीबों तक पहुंच पाता है। माननीय सभापति जी, ऐसी दशा में जहां पर 36 हजार मिट्रिक टन की मांग हो और केवल 4 हजार मिट्रिक टन ही पहुंच पाए, तो यह निश्चित तौर पर ही चौकाने की बात है। इसलिए इसमें सुधार लाना अत्यन्त आवश्यक है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और बड़े ही विनम्रतापूर्वक इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं। वह यह है कि जैसी कि अपेक्षा की जाती है, पिछड़े हुए क्षेत्रों में, खास कर ट्राइबल एरिया में, अभी कल ही बहस हो रही थी, एक विवाद का विषय हो गया था, दो रुपए प्रति किलो की दर से चावल बेचा जा रहा है, जब कि एक रुपया 85 पैसे की दर से ट्राइबल एरिया में चावल का विक्रय मूल्य होना चाहिए। यह बात वास्तव में विचारणीय है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, एक रुपया 85 पैसे की दर से चावल का वितरण तो अवश्य होता है और अधिकांश क्षेत्रों में जहां पर ट्राइबल निवास करते हैं। वहां पर एक रुपया 85 पैसे की दर से चावल दिया जाता है, किन्तु एक बात मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, एक रुपया 85 पैसे केवल कुछ ही स्थानों पर देना, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि 36 हजार मिट्रिक टन के एवज में 4 हजार मिट्रिक टन यदि माल उपलब्ध हो तो यह एक बहुत ही नगण्य एवं विचारणीय बात है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। एक सामान्य नीति पूरे देश के लिए होनी चाहिए। आज की स्थिति में आप देखते होंगे, जैसी कि हमारे यहां व्यवस्था है नागरिक आपूर्ति निगम और यह व्यवस्था सरकारी सोसाइटी के माध्यम से या प्राइवेट डीलर्स के माध्यम से, सामान जो गरीबों तक पहुंचाने की बात है, वह महीने के अन्त में 28-29 तारीख को कोटा रिलीज किया जाता है। आप देखें कि महीने के अंत में, जब केवल दो-तीन दिन शेष रह जाते हैं और कोटा दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर इसके वितरण करने में काफी कठिनाई होती है तथा भ्रष्टाचार की संभावना रहती है।

6.00 म० प०

और उनका जो समुचित लाभ लोगों को मिलना चाहिए वह लोगों को नहीं मिल पाएगा।

इसी प्रकार से अनेक बार ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं कि जिस अनाज को यह कह कर के अस्वीकार कर दिया जाता है कि यह ह्यूमन कंजम्पशन के लिए योग्य नहीं है उसी अनाज को स्वच्छ बना करके, उसे हवा दिखा करके, रिफाईन करके यह कह दिया जाता है कि अब यह ह्यूमन कंजम्पशन के योग्य हो गया है। मैं सोचता हूं कि जिस अनाज को एक बार रिजेक्ट कर दिया गया हो यह कह करके कि यह ह्यूमन कंजम्पशन के योग्य नहीं है, फिर उसको स्वच्छ करके, रिफाईन करके लोगों को सप्लाई करें तो इसका औचित्य नहीं है। इस प्रकार की बातें बड़े पैमाने पर हमारे सामने आ रही हैं। इस पर हमें सोचना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बसुदेव आचार्य : सदन की बैठक सायंकाल 6.00 बजे तक थी और समय नहीं बढ़ाया गया है (व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं। समय सायंकाल 7.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मत-विभाजन का आदेश दिया गया था परन्तु कोई मतदान नहीं हुआ और इसका परिणाम भी घोषित नहीं हुआ। (व्यवधान)

सभापति महोदय : दीर्घायें खाली कर दी गयीं। आप में से कुछ सदन के बीच में आकर खड़े हो गए थे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मुझे बात पूरी क्यों नहीं करने देते ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सदन का समय कैसे बढ़ाया गया है ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि इस समय मत-विभाजन किया जाए तो मैं इसके लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : अब 6 बजकर 3 मिनट हो चुके हैं। सदन का समय नहीं बढ़ाया गया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय मैं सायंकाल 7.00 बजे तक कार्रवाई जारी रखूंगा। गैर-सरकारी सदस्यों का कामकाज 3.53 बजे शुरू किया गया था। अतः गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा 6.23 बजे तक जारी रहेगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के लिए आवंटित समय पूरा हो चुका है। क्या सभा चाहती है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : फिलहाल सभा का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है। श्री लाल विजय प्रताप सिंह जी, कृपया अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल विजय प्रताप सिंह : सभापति महोदय, अभी हम अपने चुनाव क्षेत्र का भ्रमण करके आए हैं, जिसके दौरान कुछ बातें सामने आई हैं, जिनको मैं सारांश में आपको बताना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच की सील मोहर से राशन की दुकान की परमिट मिलती है, लेकिन कई लोगों ने फर्जी सील मोहर बनवा रखी हैं और राशन की दुकानें चला रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए और केवल दुकानें निरस्त करने से काम नहीं होगा, इसके लिए कुछ सजा का भी प्रावधान किया जाना चाहिए तभी इसमें सुधार हो सकता है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो पहुंच विहीन क्षेत्र हैं, वहां पर बारहों महीने सामान उपलब्ध होता रहे, इस तरह की व्यवस्था भी जानी चाहिए। वहां पर मानसून से पहले समुचित स्टाक पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि रोड ब्लाक होने पर सामान की कमी न हो सके।

एक बात और बड़ी विनम्रता से आपके समक्ष रखना चाहता हूं, वह यह है कि उचित मूल्य की दुकानों की कीमतों और बाजार भाव में काफी अंतर होता है, ऐसी स्थिति में स्टाक पर्याप्त मात्रा में न होने से कालाबाजार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए हमको स्टाक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके।

इसी तरह से एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि स्टाक की कमी होने पर पहले गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को राशन उपलब्ध कराना चाहिए और उसके पश्चात अगर राशन और शक्कर बचती है तो दूसरे लोगों में वितरित किए जाने चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन सुझावों की तरह ठीक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है तभी आप पी० डी० एस० को ठीक कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया।

[अनुवाद]

श्री हेत राम (सिरसा) : मैं सभापति महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का समय

दिया। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस समस्या का सामना उन निर्धन व्यक्तियों को करना पड़ता है जिन्हें इस व्यवस्था की आवश्यकता होती है। गांवों में छोटे किसान जो माल का उत्पादन कर रहे हैं, कम दामों पर सामान बेच रहे हैं क्योंकि वे अपने पास उस माल को नहीं रख सकते। परन्तु जब वे अपनी वस्तुएं बेच लेते हैं तब कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उचित दर पर वस्तुएं मिल सकें। वास्तव में, हमारे देश की सम्पूर्ण व्यवस्था भ्रष्टाचार के कारण निर्जीव हो गई है। अकाल के दौरान केवल इस वितरण-प्रणाली ने ही निर्धन व्यक्तियों को भूख से मरने से बचाया है जबकि अफ्रीका में अकाल के दौरान अतिरिक्त वस्तुएं होते हुए भी वितरण-प्रणाली के अभाव में वहां भूख के कारण मौतें हुईं। भारत में भ्रष्टाचार इतना अधिक व्याप्त है कि जब किसी छोटे इंस्पैक्टर अथवा किसी डिपो के प्रभारी-अधिकारी से पूछा जाता है कि वह इतना भ्रष्ट क्यों है अथवा वह मिलावट क्यों करता है तब वह कहता है कि*...

सभापति महोदय : यह विषय से परे है। यह कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शोर क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि यह विषय से हटकर है और यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा। फिर आप परेशान क्यों होते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। हां, श्री हेत राम जी अपनी बात कहें।

श्री हेत राम : जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में तिलहन का उत्पादन होता है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में एक उद्यमी पिछले दो वर्षों से लाइसेंस के लिए कोशिश कर रहा है परन्तु उसे लाइसेंस नहीं दिया गया। जबकि उस व्यक्ति को, जिसके राजनैतिक सम्बन्ध है, बहुत कम समय में ही लाइसेंस दे दिया गया है।...(**व्यवधान**) मैं जयपुर की जोरावर वनस्पति लि० की बात कर रहा हूं और उनके राजनीतिक सम्बन्धों से आप तथा माननीय मंत्री जी भी भलीभांति अवगत हैं। वास्तव में, मेरे क्षेत्र में कपास और सरसों का उत्पादन होता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का उद्यमी लाइसेंस के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है परन्तु मंत्रालय द्वारा मौखिक रूप से उसे बताया गया है कि हरियाणा के किसी भी उद्यमी को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम देवी लाल सरकार का विरोध कर रहे हैं और उनके शासनकाल में किसी उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी.....(**व्यवधान**) यह वही है जो अखबारों में छपा है। यह सही है अथवा नहीं, मैं नहीं जानता। परन्तु पिछले तीन वर्षों से उसे लाइसेंस नहीं मिला है.....(**व्यवधान**)

श्री सुख राम : इसकी हरियाणा सरकार ने सिफारिश की है। पहले आप हरियाणा सरकार से यह पता कीजिए कि उन्होंने इस मामले की सिफारिश क्यों की?

श्री हेत राम : तीन वर्षों से वहां कांग्रेसी सरकार थी। मेरी पार्टी की सरकार वहां केवल पिछले दो वर्षों से है।

श्री सुख राम : मैंने दो बार इस मामले को अस्वीकृत कर दिया परन्तु हरियाणा सरकार ने जोर देकर मांग की कि इसे स्वीकार किया जाए। संसद में भी इस पर एक प्रश्न उठाया गया था।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हेत राम : चाहे किसी को भी लाइसेंस मिल गया हो परन्तु इस बेचारे को लाइसेंस नहीं मिला है···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : व्यवस्था बनाए रखिए ।

श्री हेत राम : छोटे और मझोले किसानों को अपने उत्पाद की उचित कीमतें नही मिल रही हैं । निर्धन किसान जो, कृषि सम्बन्धी कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, उन्हें उचित कीमतें नहीं मिल पाती हैं । वे व्यक्ति जो औद्योगिक कार्यों के लिए सामान का उत्पादन करना चाहते हैं, उन्हें लाइसेंस नहीं मिल रहा है। इस प्रकार सप्लाई में कमी आ जाती है और यही मुख्य कारण हैं कि सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं । जब बाजार में कृषि उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तब गरीब किसानों को अपना माल मिट्टी के भाव बेचना पड़ता है । गत वर्ष बुवाई के समय ग्वार की कीमत 1200 रु० प्रति क्विंटल थी । परन्तु कटाई के समय कोई खरीदार नहीं था और किसानों को अपनी उपज 120 रु० प्रति क्विंटल बेचनी पड़ी । अब, मुझे बताएं कि सरकार किस प्रकार छोटे और मझोले किसानों की मदद कर रही है । यही स्थिति लहसुन की कीमतों के सम्बन्ध में गुजरात और हरियाणा की है । लहसुन 3000 रु० और यहां तक कि 4000 रु० प्रति क्विंटल बिक रही थी । परन्तु कटाई के समय इसका कोई खरीदार नहीं था । उन्हें इसे 200 रु० अथवा 300 रु० प्रति क्विंटल बेचनी पड़ी और वे बीज की कीमत भी नहीं निकाल सके ।

महोदय, सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के सम्बन्ध में, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकारी एजेंसियां भ्रष्ट और अनुचित साधन अपना रही हैं । वे अनाज का भण्डारण करने के लिए राजनैतिक प्रभाव से गोदाम किराए पर लेती हैं । खरीद और वितरण स्तर पर अनाज और खाद्य तेलों में मिलावट की जाती है ।

महोदय, खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को लाने-लेजाने की भी एक समस्या है । हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गेहूं की उपज होती है । पहले इसे सुदूर स्थान पर भेजा जाता है तत्पश्चात् इसे गांवों में पुनः लाया जाता है और फिर खाद्यान्न की कमी के समय यह खाद्यान्न ग्रामीणों को वितरित करते हैं । गरीबों पर आर्थिक दबाव डालने का यह दूसरा तरीका है । गरीब ग्रामीणों को सुदूर स्थानों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से गांवों तक अनाज को पुनः लाने-ले जाने का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है । (**व्यवधान**)

महोदय, अब मैं वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि किस प्रकार गरीब व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं । इस सम्बन्ध में, मैं मुंशी प्रेमचन्द की कहानी "कफन" का उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें पिता और पुत्र खरीदे हुए आलू की सब्जी का आनन्द ले रहे होते है जबकि झोपड़ी के अन्दर उनकी पुत्रवधू मरने वाली होती है । उन्हें अपनी पुत्रवधू का कफन खरीदने के लिए पैसा मिल जाता है परन्तु उस पैसे से वे भोजन खरीदते हैं और आनन्द करते हैं । इस प्रकार से उन्होंने अपने नजदीकी रिश्तेदारों का ध्यान रखा । उन्होंने अपने ही रिश्तेदार की चिंता नहीं की क्योंकि वे भूखों मर रहे थे । अतः महोदय, जब तक भ्रष्टाचार और कदाचार समाप्त नहीं हो जाता, सरकार गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकती । आवश्यक वस्तुओं और खाद्यान्नों का उचित वितरण हो और वहां कोई बिचौलिए नहीं होने चाहिएं जो हमेशा गरीब और कमजोर वर्गों का शोषण करते हैं । ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्ति अच्छी किस्म के खाद्यान्नों का निर्यात करके धन कमाते हैं । वे अनुचित साधन अपनाकर भी

ज्यादा से ज्यादा धन कमाते हैं। परन्तु गरीब व्यक्तियों को वे घटिया वस्तुएं मिल रही हैं जोकि जानवरों तक के उपभोग के लिए भी ठीक नहीं है।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिसे इस सदन में गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के रूप में लाया गया है। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर विचार किया जाए और इस सदन द्वारा इसे पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : सभापति महोदय, श्री बासवराजू जो यह प्राइवेट मेम्बर्स बिल लाए हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि हमारी सम्पत्ति सोना-चांदी नहीं है, हमारी सम्पत्ति तो अन्न है जिससे अधिक से अधिक लोगों को भोजन मिले। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी "जय जवान जय किसान" का नारा लगाया था.....हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश में हरित क्रान्ति का नारा दिया था। उन्हीं असूलों पर चलते हुए, उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए, आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री देश को विकास के मार्ग पर ले जा रहे हैं। उनकी कुशलता का परिणाम यह है कि हम अनाज के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं। चाहे पिछले दिनों हमारे देश में बाढ़ आयी या सूखा पड़ा, 15 लाख टन गल्ला सरकारी गोदामों में हमेशा मौजूद रहा है। प्रधानमन्त्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। सभापति महोदय, भारत के प्रजातन्त्र में हमारे लिये यह बहुत ही दुख का विषय रहा है कि इतनी प्रगति के बावजूद हमारे विरोधी दल के भाइयों को सब ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखायी देता है, उन्हें कहीं भी प्रकाश की किरण दिखायी नहीं देती, कोई रचनात्मक कार्य होता दिखायी नहीं पड़ता। पिछले तीन-चार दिनों से इस सदन में जो कुछ हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सारी मर्यादाओं, सारे नियमों और डिसिप्लिन को ताक पर उठा कर रख दिया है। वे जो कुछ कर रहे हैं, वह बड़ा खेदपूर्ण है, बहुत शर्मनाक कार्य है। ये भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, इन्हें भी देश हित में सोचना चाहिए। हर समय अन्धकार के बारे में सोचना देश हित में नहीं कहा जा सकता। उन्हें देखना चाहिए कि आज देश किस ओर जा रहा है। जब भारत को आजादी मिली थी, आज की तुलना में, उस समय हमारी जनसंख्या लगभग एक-तिहाई थी और हमें अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ता था, जब कि आज हम आत्म-निर्भर है। मैं समझता हूं कि सारे देश में वितरण प्रणाली संतोषजनक तरीके से काम कर रही है। पहले जहां ब्लैक मार्केटिंग था, होर्डिंग था, आज वह सब समाप्त हो चुका है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि देश के कुछ दूरदराज के इलाकों में, वितरण प्रणाली संतोषजनक तरीके से काम नहीं कर रही है। वहां अनाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा है। वहां कोई सरकारी गोदाम भी नहीं बने हैं। मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था में सुधार लाया जाये ताकि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति को, हर देहाती को समय पर अनाज मिल सके। ऐसे हिन्दुस्तान के अनेक क्षेत्र है जहां आज तक आने-जाने के साधनों का अभाव है, मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। हमारे देश में जब भी कहीं बाढ़ आती है या सूखा पड़ जाता है, तो देखने में यह आता है कि उस क्षेत्र में कम्यूनिकेशन ठप्प पड़ जाता है और वहां असैन्श्यल कमौडिटीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मिट्टी के तेल की कीमतें, गेहूं, राइस और दूसरे अनाजों के दाम बेतहाशा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। मैं चाहता हूं कि कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार कोई प्रभावी उपाय

करे। जहां कहीं कम्यूनिकेशन व्यवस्था ठप्प पड़ जाती है, उसकी ओर भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें। दूरदराज के क्षेत्रों की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पासवान, आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

सभापति महोदय : अब हम सरकारी कार्य लेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अब छः बजकर तेइस मिनट हो चुके हैं। क्योंकि गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य देर से शुरू हुआ था, हमने इसे 6.23 बजे तक जारी रखने की अनुमति दी थी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इसका विनिर्णय दूंगा। आप अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट करते हैं ? इसका निर्णय मैं लूंगा। आप कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पाण्डेय जी आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सदन की बैठक का समय नहीं बढ़ाया गया है। सभा में मतदान कराने के लिए कहा गया था किन्तु मतदान नहीं हुआ। मत-विभाजन (डिवीजन) के परिणाम की घोषणा नहीं की गई। प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। चूंकि सदन का समय नहीं बढ़ाया गया है इसलिए सदन को तत्काल स्थगित किया जाना चाहिए। (व्यवधान) आपका विनिर्णय क्या है ?

सभापति महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं कहता हूं कि मैं अपना विनिर्णय देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति की बात सुनने के लिए स्वतन्त्र हूं। कृपया शांत रहें।

श्री बसुदेव आचार्य : आपका विनिर्णय क्या है ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : जैसाकि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि विनिर्णय दूसरे सदस्यों की बात सुनने के बाद ही दिया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं। आप बैठ जाइए···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय दूंगा। किन्तु मैं अपना विनिर्णय संसदीय कार्य मन्त्री की बात सुनने के बाद ही दूंगा। यह पूर्णतः उचित है। आप बैठ जाइए···

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, यदि माननीय सदस्यों का यह मानना है कि इस सदन में ध्वनि मत का कोई अर्थ ही नहीं है—तो हमें नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, जोकि सोमवार तक स्थगित कर दी गई थी, भी मतदान के अनुरोध के बाद ही ध्वनिमत से हुई थी—यदि ऐसा है तो मैं यह कहना चाहूंगी कि या तो आप यह विनिर्णय दें कि 'हां' और 'नहीं' (ध्वनिमत) को इस सदन में वैधानिक मतदान नहीं माना जाएगा, अन्यथा हम यह तर्क देंगे कि आप चर्चा नहीं करना चाहते···(**व्यवधान**) आप मत-विभाजन से पुनः मतदान करने का अधिकार ले सकते हैं···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : क्या आप इस विषय में कुछ और कहना चाहती है ?

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, मैं इस बात को समाप्त करना चाहती हूं···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : क्या आप कोई नया व्यवस्था का प्रश्न उठा रहीं हैं या आप व्यवस्था के इस प्रश्न के बारे में कुछ और कहना चाहती हैं ?

(व्यवधान)

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, पिछले तीन दिनों से विपक्ष कार्यवाही शुरू करा कर चर्चा से भाग रहा है···(**व्यवधान**) उनके पास इसका कोई तर्क नहीं है, इसका उनके पास कोई औचित्य भी नहीं है (**व्यवधान**) सरकार इस देश की जनता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण विधेयक लाना चाहती है किन्तु ये लोग इसमें भाग लेना नहीं चाहते।

श्री नारायण चौबे (निवनापुर) : महोदय, 6 बजे के बाद सदन का समय बढ़ाने का कार्य उचित ढंग से नहीं किया गया है।

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, यह ठीक ढंग से किया गया है।

सभापति महोदय : कृपया यह देखने का कार्य अध्यक्षपीठ पर छोड़ दें।

श्री नारायण चौबे : महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 3.30 बजे शुरू होना था और संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ किया है···(**व्यवधान**) इस प्रकार समय बढ़ाया जाना गैर-कानूनी है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं प्रत्येक दल से एक से अधिक सदस्य की बात नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं पहले ही आपत्ति कर चुका हूं।

सभापति महोदय : मुझे नियम की जानकारी है। इसके लिए कुछ व्यवहार और प्रक्रिया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया गया था। इसके बाद मतदान कराया जाना था। इसी दौरान उपाध्यक्ष महोदय ने मतदान कराए बिना सभा स्थगित कर दी थी। समय नहीं बढ़ाया गया था। सदन को जारी रखने का कोई औचित्य ही नहीं है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं सत्य कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कभी झूठी बात नहीं कहता। मैं पूरी कार्यवाही के दौरान उपस्थित था। उपाध्यक्ष महोदय ने मतदान के लिए कहा था। मतदान कराने के लिए घण्टी बजी थी और उन्होंने यह भी कहा था कि लॉबी खाली है। किन्तु उसके बाद प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने सदन में ध्वनिमत नहीं कराया। (**व्यवधान**)

श्री पीयूष तिरकी (अलिपुरद्वार) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : व्यवस्था के किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यदि कोई नई बात हो तो व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है।

सभापति महोदय : मैं किसी नए व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने प्रत्येक दल के एक सदस्य को इस व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी है। बस।

(**व्यवधान**)

श्री पीयूष तिरकी : मेरा मानवीय आधारों पर एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी पत्नी घर में अकेली रहती है और दिल्ली का कानून और व्यवस्था बहुत खराब है। मैं अपनी पत्नी को देर रात तक अकेले घर में छोड़ना पसन्द नहीं करता हूं। इसलिए सदन को तत्काल स्थगित किया जाना चाहिए क्योंकि अब 6.30 बज चुके हैं और संसदीय कार्य मन्त्री को महिला होने के नाते एक ऐसी महिला के मामले पर विचार करना चाहिए जो घर में अपने पति का कार्य करने के लिए बैठी है। (**व्यवधान**)

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : यदि विपक्षी सदस्य यह समझते हैं कि समय समुचित रूप से और उचित मत द्वारा नहीं बढ़ाया गया है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अब नए सिरे से मतदान कराया जाए। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : यह आप कैसे कर सकते हैं ?

श्री बसन्त साठे : मैं जानता हूं। संसदीय कार्य मन्त्री या कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव रख सकता है कि नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए सदन का समय तीन घण्टे अर्थात् 9.30 बजे तक बढ़ाया जाए। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैंने दोनों पक्षों की बातें सुन ली हैं। जब समय बढ़ाने का प्रस्ताव लिया गया था उस समय लॉबी खाली थी। किन्तु विपक्षी सदस्य सदन में अध्यक्षपीठ के समक्ष आ गए। इसलिए मतविभाजन नहीं हो सका। इसलिए प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ। बाद में सदन की कार्यवाही में इस निर्णय की पुष्टि कर दी गई। यदि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर 3.30 म० प० या 4.00

म० प० या 5.30 म० प० पर भी चर्चा शुरू होनी थी तो भी सदन का समय 6.00 बजे तक है। सदन की सहमति पर हमने पूर्व प्रक्रिया अपनाई और 6.23 म० प० तक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा जारी रखी। निर्णय पहले ही हो चुका था। अब इस सदन के समक्ष कोई नया मुद्दा नहीं है।

6.35 म० प०

दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक—(जारी)

सभापति महोदय : अब सदन दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक पर और आगे विचार करेगा।

श्री राजेश पायलट।

"(इस समय श्री सत्यगोपाल मिश्र और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)"

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, दिल्ली मोटर यान कराधान अधिनियम, 1962 ही मुख्य अधिनियम है जिसके माध्यम से दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में वाहनों पर कर लगाया जाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक और वार्षिक आधार पर करों की उगाही और वसूली करता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान वाहनों की संख्या में अपूर्व वृद्धि हुई है। दिल्ली में मार्च 1981 में पंजीकृत वाहनों की संख्या 5.36 लाख से बढ़कर मार्च, 1989 में 14.65 लाख हो गई है। इतनी अधिक संख्या में वाहनों के करों की वसूली करने के लिए दिल्ली प्रशासन प्रत्येक वर्ष, बैंकों, डाकघरों और अपने काउन्टरों के द्वारा सड़क-कर की वसूली करने के लिए व्यापक प्रबन्ध कर रहा है। वर्ष प्रतिवर्ष किए गए प्रबन्ध पर्याप्त नहीं पाए गए। इस प्रकार कर दाताओं के लिए असुविधा उत्पन्न हो गई। (**व्यवधान**)

परिवहन विकास परिषद जोकि सड़क और सड़क परिवहन का शीर्ष परामर्शदात्री निकाय है, ने वर्ष 1986 और इसके बाद हुई अपनी बैठकों में वैयक्तिक वाहनों के सम्बन्ध में कर दाताओं की कठिनाइयों को कम करने और शत प्रतिशत कर वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक समय में एकमुश्त राशि लेने की प्रणाली अपनाने की सिफारिश की हो (**व्यवधान**)

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जैसे राज्यों, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़, पंजाब, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और पाण्डेचेरी राज्यों में स्कूटर, कार आदि जैसे वैयक्तिक वाहनों के सम्बन्ध में एक ही बार कर वसूल करने और कर की उगाही करने की प्रणाली पहले ही प्रक्रिया में है। अन्य राज्य भी वैयक्तिक वाहनों पर एक ही समय में एक-मुश्त राशि लेने के लिए अपने मोटर यान कराधान अधिनियमों में संशोधन करने के लिए मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। (**व्यवधान**)

महानगर परिषद की सिफारिश पर दिल्ली प्रशासन ने तदनुसार दिल्ली मोटर यान कराधान अधिनियम, 1962 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है और वर्तमान विधेयक अर्थात् दिल्ली मोटर यान कराधान विधेयक 1989 का उद्देश्य दिल्ली के गैर-परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में एक ही समय में कर लेने की प्रणाली को लागू करना है। इस विधेयक में एकमुश्त कर राशि की गणना के लिए अपनाया गया मूल सिद्धान्त यह है कि वाहन के पंजीकरण के समय ही 10 वर्ष के लिए दिया जाने वाला वार्षिक कर के बराबर एक ही समय में कर लिया जाए। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि (क) पहले से ही पंजीकृत वाहन के मालिक को केवल आनुपातिक आधार पर ही एकमुश्त राशि की अदायगी करनी

होमी, (ख) जब वाहन का अस्थाई और स्थायी रूप से प्रयोग न किया जाए और जब वाहन का हस्तान्तरण संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से अन्य राज्यों में किया जाए तो इसमें कर वापसी का भी प्रावधान किया गया है। (व्यवधान)

यह प्रस्ताव कर दाताओं के लिए सुविधाजनक होगा और इससे दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष कर वसूली के लिए की जाने वाली प्रशासनिक लागत भी कम होगी। (व्यवधान)

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या कोई और सदस्य बोलना चाहता है ? कोई नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली मोटर यान कराधान अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"(इस समय श्री सी० माधव रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)"

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह नागरिकों की परेशानी दूर करने वाला सबसे उत्तम है। मुझे खुशी है कि सभा एक मत से इस विधेयक को पारित कर रही है। मैं प्रस्ताव करता

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 24 जुलाई, 1989 को ग्यारह बजे म० पू० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.40 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 24 जुलाई, 1989/2 श्रावण, 1911 (शक) के ११ म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दी स्टील स्लेट, मैन्यु० कं० (प्रेस विभाग), अजमेरी गेट, दिल्ली-6

होगी, (ख) जब वाहन का अस्थाई और स्थायी रूप से प्रयोग न किया जाए और जब वाहन का हस्तान्तरण संघ शासित क्षेत्र दिल्ली से अन्य राज्यों में किया जाए तो इसमें कर वापसी का भी प्रावधान किया गया है। (व्यवधान)

यह प्रस्ताव कर दाताओं के लिए सुविधाजनक होगा और इससे दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष कर वसूली के लिए की जाने वाली प्रशासनिक लागत भी कम होगी। (व्यवधान)

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या कोई और सदस्य बोलना चाहता है ? कोई नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली मोटर यान कराधान अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"(इस समय श्री सी० माधव रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)"

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह नागरिकों की परेशानी दूर करने वाला सबसे उत्तम है। मुझे खुशी है कि सभा एक मत से इस विधेयक को पारित कर रही है। मैं प्रस्ताव करता

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 24 जुलाई, 1989 को ग्यारह बजे म० पू० पर पुन समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.40 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 24 जुलाई, 1989/2 श्रावण, 1911 (शक) के म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दी स्टील स्लेट, मैन्यु० कं० (प्रेस विभाग), अजमेरी गेट, दिल्ली-6